अष्टम माला; खंड 43, अंक 7

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1988
27 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

No. 60
Date 15/3/89

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1988/27 कार्तिक, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
102	नीचे से 5	"(अ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
135	4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतःस्थ करिये।
179	नीचे से 1	"श्री श्रीकान्त नरसिंहराज वाड्यिर" के स्थान पर "श्री श्रीकान्त दत्त नरसि वाड्यिर" पढ़िये।
266	20	"प्राणिग्रही" के स्थान पर "पाणिग्रही"

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 43, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 7, शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1988/27 कार्तिक, 1910 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या :	122 से 127	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		23—191
तारांकित प्रश्न संख्या :	128 से 139 और 141	23—30
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1108 से 1196, 1198 से 1255 और 1257 से 1341	30—191
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		191—194
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण		194—195
सभा का कार्य		195—199
नियम 193 के अधीन चर्चा		199—241
किसानों और खेतिहर मजदूरों की मांगें		
श्री हरीश रावत		199
श्री एम० आर० सैकिया		201
प्रो० एन० जी० रंगा		202
श्री जी० एस० बासवराजू		206
श्री पीयूष तिरकी		207
श्री डाल चन्द्र जैन		209
श्री एन० टोम्बी सिंह		210

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री हेत राम	211
श्री कमला प्रसाद सिंह	214
श्री वी० कृष्ण राव	215
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	216
श्री उत्तम राठौड़	220
श्री उमाकान्त मिश्र	221
श्री अख्तर हसन	223
श्री बीरबल	224
श्री भरत सिंह	225
श्री बापूलाल मालवीय	226
श्री भजन लाल	227
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	241
57वां प्रतिवेदन	
नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में संकल्प	242—270
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	242
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	247
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	251
श्री पी० के० थुंगन	256
श्री पीयूष तिरकी	258
श्री शांताराम नायक	262
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	265
श्री शंकर लाल	269

लोक सभा

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1988/27 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री के० कंहो के निधन की दुखद सूचना देनी है जो 1978-79 के दौरान बाह्य मणिपुर से छठी लोक सभा के सदस्य रहे ।

व्यवसाय से एक अध्यापक, श्री कंहो एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे । उन्होंने अपने राज्य में आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत कार्य किया ।

एक योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में रुचि ली ।

श्री कंहो का निधन 13 अक्तूबर, 1988 को 55 वर्ष की आयु में शिलांग के नजारथ अस्पताल में हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं । मैं आशा करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को सदन मेरे साथ सान्तवना व्यक्त करेगा ।

अब सदन दिवंगत नेता की याद में कुछ समय के लिए मौन धारण करे ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्वर्ण नीति को उदार बनाना

+

*122. **श्री सनत कुमार मण्डल :**
श्री शरद दिघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वर्ण नीति को उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कितना उदार बनाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश काला धन सोने की खरीद में लगाया जाता है; और

(घ) देश में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में सोने तथा चांदी की तस्करी की जाती है और वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान अब तक कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 6-5-1986 को राज्य सभा में दिए गए इस आश्वासन के पश्चात् कि सरकार स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम का "पुनर्विलोकन" करने जा रही है, मई, 1986 में दो कार्यकारी दलों अर्थात् – डा० सी० रंगाराजन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में स्वर्ण नीति पर कार्यकारी दल (रंगाराजन समिति) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री ज्योतिर्मय दत्ता की अध्यक्षता में स्वर्ण नियन्त्रण तन्त्र पर एक कार्यकारी दल (दत्ता समिति) का गठन किया गया था। हालांकि रंगाराजन समिति ने स्वर्ण नीति की समीक्षा उसके समस्त पहलुओं के दृष्टिकोण से की थी, तथापि दत्ता समिति ने, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, 1968 के अध्यधीन कार्यविधिक पहलुओं की जांच-पड़ताल की थी । रंगाराजन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया—स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम में संशोधन करना; उन स्वर्ण-आभूषणों के कुल मूल्य पर मौजूदा उच्चतम सीमा की समीक्षा करना जिन्हें निवास अन्तरण नियमावली आदि के अध्यधीन भारत में निःशुल्क लाया जा सकता है । दत्ता समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है—स्वर्णकारों द्वारा उपभोगाधीन प्राइमरी सोने की मात्रा बढ़ाना; अभिलेखों और विवरणियों में संशोधन करना; स्वर्ण-व्यापारियों को लाइसेंस देने की पद्धति की समीक्षा करना और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अध्यधीन रियायतें देना। दोनों समितियों की सिफारिशों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा मार्च, 1985 में "भारत में काले धन के पहलू" नामक एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अन्य वस्तुओं के साथ-साथ काले धन ने स्वर्ण आभूषणों के माध्यम से भी अपना स्थान बना लिया है। लेकिन, उक्त रिपोर्ट में केवल सोने अथवा स्वर्ण-आभूषणों में निवेशित काले धन की अनुमानित मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(घ) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे की जाने वाली एक गतिविधि है, इसलिए किसी निश्चित समय के दौरान देश में तस्करी से लाए गए सोने और चांदी की मात्रा का अनुमान लगा पाना मुमकिन नहीं है । वर्ष 1987 और 1988 के दौरान अभिगृहीत किए गए सोने का मूल्य नीचे तालिका में दिया

गया है :

वर्ष	अभिगृहीत किए गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1987	65.78
1988 (दिनांक 7-11-1988 तक)	136.80 (अनंतिम)

श्री सनत कुमार मण्डल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति या एक हिन्दू संयुक्त परिवार वर्तमान में अधिकतम कितनी मात्रा में सोना रख सकता है और क्या यह सच है कि वर्तमान स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम सोने की जमाखोरी रोकने एवं इसकी सीमा को लागू करने में बुरी तरह असफल रहा है ।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, परिवारों के लिए, यह आवश्यक है कि वे अपने पास मौजूद सोने की घोषणा करें, यदि इसकी मात्रा 4 किलोग्राम से ज्यादा है···

(व्यवधान)

जहां तक अधिनियम का सम्बन्ध है, यह असफल नहीं हुआ है । अधिनियम के तहत, वह जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं लेकिन यदि इसकी मात्रा 4 किलोग्राम से ज्यादा है तो उन्हें घोषणा करनी होगी । **(व्यवधान)**

जहां तक वर्तमान कानूनों का सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं है कि ये पूर्णतः असफल रहे हैं ।

(व्यवधान)

लेकिन बहुत सी खामियां हमारे ध्यान में आई हैं । हमने पाया है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं और इसीलिए इसकी जांच करने के लिए दो समितियां बनाई गई थीं और उन्होंने कतिपय सुझाव दिए हैं । हम सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं ।

श्री सनत कुमार मण्डल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा चाहते हैं या कम ?

(व्यवधान)

श्री सनत कुमार मण्डल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार को यह बात मालूम है कि इस समय बहुत अधिक मात्रा में काले धन को सोने की जमाखोरी में खर्च किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सोने की जमाखोरी को खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या सोना नहीं है कि सोने की वजह से हर रोज मासूम पत्नियों की हत्या हो रही है उनके ससुराल वाले उन्हें ज्यादा स्वर्ण आभूषण लाने के लिए कहते हैं ।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, ऐसी खबर मिली थी कि काले धन में

से कुछ रुपया सोने की जमाखोरी में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन केवल सोने एवं इसके आभूषण में लगाए गए काले धन के अनुमान के बारे में हमें अभी तक भी किसी व्यक्ति ने भी रिपोर्ट नहीं दी है।

सोने की जमाखोरी को समाप्त करने के लिए कानून के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कार्यवाही की जा रही है। तलाशी और जब्त करने की कार्यवाहियां की जा रही हैं, खातों की घोषणा की जाती है और उनकी जांच की जाती है। खुफिया विभाग का जहां तक सम्बन्ध है, सोने की जमाखोरी का पता लगाने के लिए इसे सुदृढ़ कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनवारी लाल पुरोहित।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा, और किसी का हाथ नहीं उठ रहा। आपको तो मैंने देखा ही नहीं।

श्री बालकवि बैरागी : चार किलो सोने पर किसका हाथ उठेगा।

अध्यक्ष महोदय : और बैरागी का तो बिलकुल नहीं उठेगा।

श्री वी० तुलसीराम : बैरागी को तो एक किलो ही बहुत है।

श्री बालकवि बैरागी : आने वाली चार पीढ़ियों तक हमारा तो हाथ नहीं उठ सकता।

अध्यक्ष महोदय : बचे रहेंगे आप, कल्याण रहेगा।

श्री वी० तुलसीराम : इनकी सी० आर० भी खराब नहीं होगी। वह पूछ रहे थे न मेरे से इसलिए ऐसा कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तस्दीक कर दी न ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : वैध घरेलू मांग और तस्करी को अधिक प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए स्वर्ण नीति की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया है और सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण मशीनरी तथा स्वर्ण नीति की पुनरीक्षा करने के लिए इन दो कार्यदलों की नियुक्ति करके उचित कार्यवाही की है। उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि दत्ता समिति द्वारा इस बारे में सिफारिशें की गई हैं। अब खण्ड (घ) के उत्तर में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि यद्यपि तस्करी का धन्धा गुप्त रूप से चलाया जाता है परन्तु फिर भी सोने की तस्करी वर्ष 1987 में 65.78 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1988 में 136.80 करोड़ रुपए की हो गई है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि अविलम्बनीय समस्या होने के कारण आप इस कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करने में कितना समय लेंगे और आप इन नीतियों के बारे में कब निर्णय लेंगे ?

श्री ए० के० पांजा : जहां तक रंगराजन समिति का सम्बन्ध है, उसकी रिपोर्ट मई, 1988 में प्रस्तुत की गई थी। जहां तक दत्ता समिति का सम्बन्ध है, उसकी रिपोर्ट मई, 1988 में प्रस्तुत की गई थी। जहां तक दत्ता समिति का सम्बन्ध है, उसके कुछ अंशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। मैं इसकी प्रमुख मदों का उल्लेख कर सकता हूं। निर्मित स्वर्ण आभूषणों को मूल सोना नहीं समझा जाना चाहिए। एक सिफारिश यह भी की गई है। इसे 2 अगस्त, 1988 को कार्यान्वित किया गया था। आभूषण निर्यातकों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु सोने को गिरवी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। 25 अगस्त, 1988 को कार्यान्वित किया गया था। और मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सौ प्रतिशत निर्यात प्रधान आभूषण परिसर में आभूषण-विक्रेताओं द्वारा रखे जाने वाले मूल सोने की सीमा से सम्बन्धित सिफारिश को 7 जुलाई, 1986 को कार्यान्वित किया गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश, जो कि सौ प्रतिशत निर्यात-प्रधान आभूषण कम्पलैक्स और मुक्त व्यापार क्षेत्र में मूल सोने के व्यापारियों के आपसी लेन-देन से सम्बन्धित है, उसे 4 जुलाई 1986 को कार्यान्वित किया गया था।

दो अन्य सिफारिशें भी हैं और उन्हें भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

जहां तक रंगराजन समिति की सिफारिशों और दत्ता समिति की अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनकी बहुत जांच की जा रही है और उन्हें क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके आधार पर इस देश में जो सोना रखने वाले हैं उनसे आप सोना नहीं निकाल सकते हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अब तक कितने लोग देश में से पाए हैं, उनकी तलाशी ली है, जिनके पास चार किलो से ज्यादा सोना मिला हो क्योंकि आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जितने बड़े-बड़े राजे-महाराजे, बड़े-बड़े जागीरदार, जितने भी बड़े-बड़े लैण्डलार्ड्स हैं या बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास चार-चार किलो सोने से ज्यादा है। तो क्या आपने किसी की तलाशी ली है और किसी को पकड़ा है और आज तक ऐसे कितने केसेज सामने आए हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : बीमारी से ठीक हो जाने पर हम सदन में उनके वापस आने का स्वागत करते हैं।

श्री० ए० के० पांजा : 11 नवम्बर को ही हमने तलाशियां ली थीं और 87-45 किलोग्राम सोना जब्त किया जिसकी कीमत बम्बई में 2.82 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 9 नवम्बर को जब्त किए गए सोने की कीमत 30.40 करोड़ रुपए थी। ये दो प्रमुख मदें हैं। 11 अक्तूबर को मथुरा में 37.3 लाख की कीमत का सोना पकड़ा गया था। 11 मई को मंगलौर तट पर 8 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त किया गया था। 12 सितम्बर को बम्बई तट पर सोने की 14 जैकेटें जब्त की गई थीं, जिनकी कीमत 6.5 लाख रुपए थी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि आपने कितनी तलाशियां ली हैं पूंजीपतियों के यहां, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : बम्बई और मंगलौर से 8 करोड़ रु० अथवा 10 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है। हाल ही में बम्बई और मंगलौर में जब्त किए गए सोने से यह पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है···(**व्यवधान**)···

मेरी सही सूचना यह है कि दुबई से तस्करी किए जाने वाले सोने का बीमा किया जाता है और दुबई से 10 करोड़ रुपए की कीमत के सोने की नियमित तस्करी होती है। तस्करी के लिए 7 प्रतिशत बीमा की व्यवस्था है। जब उसे भारत में पकड़ लिया जाता है तो आपके दस्तावेजों को बांधकर वहां भेज दिया जाता है। उन्हें पूरा पैसा वापस मिल जाता है। यह एक गम्भीर मामला है। इसीलिए तस्करी में वृद्धि हुई है। भारतीय सप्लाई के लिए दुबई से होने वाली सोने की तस्करी का बीमा किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। आयात-निर्यात का कोई अन्य व्यापार करने की अपेक्षा वे सोने की तस्करी कर रहे हैं। इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे बड़े आर्थिक सौदों की कोई जांच करने जा रही है और क्या सरकार कड़ी कार्यवाही करके अथवा अन्य देशों को इसके बारे में सूचना देकर इसे बन्द करने जा रही है।

श्री ए० के० पांजा : जब भी हमें अकाट्य और विश्वस्नीय स्रोतों से कोई सूचना प्राप्त होती है, हम अवश्य जांच करते हैं। अत: जहां तक सोने की तस्करी के बीमा का सम्बन्ध है, मुझे इसके बारे में वास्तविकताओं का पता नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, विदेशों में सोने की तस्करी का बीमा किया जा रहा है और इसीलिए इसमें कोई भी जोखिम सम्मिलित नहीं है। मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। इसकी जांच की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद : हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि लक्षद्वीप में तस्करी का एक जहाज पकड़ा गया है। इसमें सबसे अधिक माल पकड़ा गया था। (**व्यवधान**)

लोगों ने यह सोचा था कि उसमें लक्षद्वीप के लोग भी शामिल हैं। हमारे द्वीप का कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं रहा है और वे ऐसा करने में असमर्थ हैं।

एक माननीय सदस्य : जिनमें आप भी शामिल हैं।

श्री पी० एम० सईद : आप भी इसमें सम्मिलित हैं।

महोदय, मुझे आपको यह बताना है कि स्वर्ण-विशेषज्ञों ने कुछ सुझाव दिए हैं। तस्करी के रूप में सोने को देश में लाना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के कारण हैं। हमारे देश में सोने की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक है। एक सुझाव यह था कि सरकार को इस नीति की समीक्षा करके यह देखना चाहिए कि महत्वपूर्ण अवसरों पर सरकार आभूषणों के उद्देश्य से सोना बेच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है तो स्वत: ही तस्करी के रूप में सोने का देश में आना बन्द हो जाएगा। क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी ?

श्री ए० के० पांजा : डा० आई० जी० पटेल समिति ने पहले इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि हमें भारत में सोने के प्रति अपना स्वभाव

बदलना चाहिए। यह पहली बात है क्योंकि इसकी मांग तो बढ़ती ही जा रही है और आपूर्ति कम है। दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और हमारे भारतीय स्वर्ण मूल्य में किसी प्रकार का सन्तुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसकी सिफारिश रंगराजन समिति ने की है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आवास योजना

+

***123. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की हाल ही में तैयार की गई आवास और निर्माण यूनिट योजना नामक आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना से आवास और निर्माण के क्षेत्र में तथा आम जनता को किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट में पूंजी निवेश करने वाले व्यक्तियों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट से आवास सुविधा प्राप्त होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को, आवास तथा निर्माण विकास निधि की स्थापना करने और इसका संचालन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस निधि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) आरम्भ में निधि 50 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी। यदि प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक रहा तो निधि का परिमाण बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया भी किया जा सकेगा।

(2) इस निधि में हिस्सा लेने के लिए व्यक्तियों, पंजीबद्ध सहकारी समितियों और अनिवासी भारतीयों को ही पात्रता प्राप्त होगी। इस निधि के लिए न्यूनतम अंशदान 1000 रुपया रहेगा।

(3) इस निधि का पूंजी निवेश करने का उद्देश्य, भूमि तथा निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में धन लगाकर पूंजी की मूल्यवृद्धि करके और लाभांशों के माध्यम से यूनिट धारकों में आकर्षक मात्रा में आय का संवितरण करना होगा।

(4) इस निधि का प्रबन्ध भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा और आवास तथा विकास वित्त निगम लिमिटेड इस कार्य में परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा। यह निधि आवास तथा निर्माण के क्षेत्रों में अतिरिक्त वित्तीय साधन लगाकर इन क्षेत्रों की सहायता भी करेगी। जो लोग इस योजना में पूंजी लगाएंगे, वे इस योजना के तहत आवास और निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में किए गए निवेश से प्राप्त होने वाली आय और पूंजी के मूल्य की वृद्धि से प्राप्त मुनाफे से लाभान्वित हो सकेंगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से निवेशकों को आवास सुविधा देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी का अभिनन्दन करना चाहिए कि हाउसिंग का जो प्रायोरिटी सैक्टर है, जिसकी एक्यूट शॉर्टेज है, उसके लिए इन्होंने फण्ड चालू किया है। इन्वैस्टेबल फण्ड 9.5 करोड़ से बढ़कर दस हजार करोड़ पहुंच जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं, अब तक जनरल फण्ड में हाउसिंग में इन्वैस्ट करने के लिए बैन था और कहां-कहां पर जनरल फण्ड में स जनरल यू० टी० आई० कौन-कौन सी जगह इन्वैस्ट कर सकती है? दूसरे आपने हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन डवेलपमेंट फण्ड नया चालू किया है और इसमें आपने कहा है कि एप्रिसिएशन प्रापर्टी का होगा और इस वजह से जो इन्वैस्ट करेंगे उनको ज्यादा पैसा दे सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि हाउसिंग के लिए सोसाइटीज के द्वारा जो आप हैल्प करेंगे, उनको लोन दिया जाएगा और एडवांस दिया जाएगा, तो इसमें जो इन्वैस्ट करेंगे, उनको क्या बैनिफिट मिलेगा? इन्वैस्ट करने वालों को प्राइस एप्रिसिएशन का जो बैनिफिट मिलेगा, हाउसिंग के लिए सोसाइटीज को एडवांस करेंगे और इसमें बांड में जो पैसा इन्वैस्ट करेंगे, उसको बैनिफिट कैसे मिलेगा, यह आप कैल्कुलेट करके बतायें?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह एक ऐसी योजना है जो छोटे निवेशक को फायदा पहुंचाएगी विशेष-कर इस कारण से कि छोटे निवेशक के लिए पहली बार अवसर मिलेगा जैसा मैंने लिखित उत्तर में उल्लेख किया है कि यूनिट 1000 रुपये प्रति व्यक्ति भी हो सकता है। अतः छोटे निवेशक को लाभ होगा। जहां तक आवास में पूंजी लगाने का सम्बन्ध है उन्हें उसी प्रकार पहली बार पूंजी पर लाभांश प्राप्त होगा जैसा कि किसी भी अन्य पूंजी निवेश पर होता है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, मेरा प्रश्न विशिष्ट है। मन्त्री ने उत्तर में कहा है, "जो इस योजना में पूंजी लगाएंगे वे निवेश से प्राप्त होने वाली आय और पूंजी के मूल्य की वृद्धि से प्राप्त मुनाफे से लाभान्वित हो सकेंगे।" अतः मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य जानते हैं कि जमीन का मूल्य सदा बढ़ता ही है। अतः इसमें वृद्धि ही होगी और इसी लिए लाभांश भी मिलता रहेगा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता दूं कि इस समय वित्त मन्त्रालय ने अभी इस योजना को सैद्धांतिक रूप में ही अनुमति दी है। इस योजना के ब्यौरे अभी तय किए जाने हैं। जैसाकि मैंने उत्तर में कहा है कि योजना अभी आरम्भ नहीं की गई और जब योजना आरम्भ कर दी जाएगी तब ये सभी जानकारी तय करके घोषित कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई तो बराबर नहीं है। बराबर इसलिए नहीं है कि माननीय मन्त्री जी को मालूम नहीं है कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसमें क्लीयर आपने लिख दिया है। बांड में जो इन्वैस्ट करने वाली जनता है, उसके लिए ही मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप रिप्लाई हाउस के फ्लोर पर दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बांड खरीदने वाली जनता है, उसको कैसे बैनिफिट मिलेगा ? आप कह रहे हैं कि जो एप्रिसिएशन होगा, उसका बैनिफिट मिलेगा, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वैस्ट करने वाली है, उसको बैनिफिट कैसे मिलेगा। जब आप दूसरे को लोन देने वाले हैं, तो एप्रिसिएशन गवर्नमेंट कैसे दे सकती है—इसका जवाब आप स्पष्ट दीजिए ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, यह धन मकान बनाने के लिए, मकान बनाने वालों को उधार दिया जाएगा। मकानों का मूल्य स्वतः ही उस समय बढ़ जाएगा जब मकान किराये पर दिए जाएंगे और इन मकानों को बेचा जाएगा। धन निवेशक को मिलेगा। यह किसी अन्य पूंजी निवेश की भांति अत्यन्त स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सर मुझे सही जवाब चाहिए। चूंकि यह सर्वसाधारण जनता से ताल्लुक रखता है इसलिए इसका यह हेंकी पैंकी जवाब नहीं चाहिए। अगर हमें सही बात मालूम नहीं पड़ेगी तो जनता को कैसे मालूम होगा। अध्यक्ष जी, आप मन्त्री जी को सतर्क कीजिए और उन्हें बोलिए कि अगर उन्होंने गलत जवाब दे दिया है तो वह इसको विदड्रा कर लें इस रिप्लाई को।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप दोनों के समझने की बात है। मेरे किसान की समझ में यह बात आएगी नहीं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अगर एप्रीसिएशन होगा तो यह इन्वैस्ट करने वाले को बैनिफिट कैसे देंगे। यदि खुद प्रापर्टी खरीदेंगे, फिर बेनिफिट होगा तो बेनिफिट दे सकते हैं। अगर ये किसी सोसाइटी को लोन एडवांस दे रहे हैं तो बेनिफिसियरी को कैसे फायदा मिलेगा ? यह मेरा सीधा प्रश्न है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। किन्तु ब्यौरे अभी सम्बद्ध मन्त्रालयों से सलाह करके तैयार होने हैं। योजना आरम्भ करने से पूर्व शहरी विकास मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों से भी सलाह लेनी होगी। जैसे ही यह योजना आरम्भ की जाएगी, सारे ब्यौरे उपलब्ध हो जाएंगे। इस समय हमने इस योजना को केवल सिद्धान्त रूप में ही स्वीकार किया है।

श्री राम सिंह यादव : राष्ट्रीय आवास नीति की स्वीकृति के पश्चात् यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है और राष्ट्रीय आवास नीति में भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों का अभाव है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से ऐसी सहकारी आवास सोसाइटियों को लाभ होगा जो राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत हैं। राज्य सरकारों ने भी इस क्षेत्र के लिए राशि इकट्ठी की है। क्या यू० टी० आई० की उस राशि को इस काम में लगाया जाएगा अथवा विभिन्न राज्यों में उन आवास सोसाइटियों को दिया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या का समाधान हो सके ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसाकि यहां कहा गया है और जैसाकि माननीय मन्त्री ने भी कहा है, यह योजना अभी सिद्धान्त रूप में ही तैयार की गई है। सिद्धान्त रूप से इस स्वीकृति की विशेषताओं का उल्लेख लिखित उत्तर में किया गया है।

जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है, निश्चय ही योजना आरम्भ करने से पूर्व इसकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

श्री के० एस० राव : महोदय, यह प्रशंसनीय है कि वित्त मन्त्री और सरकार ने भी यह महसूस कर लिया है कि देश में मकानों का अभाव है। किन्तु यदि वे इस योजना की वास्तविक सफलता चाहते हैं तो नगरभूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन होना चाहिए जिसके बिना यह सफल नहीं हो सकती।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस कार्यक्रम को आरम्भ करने से पूर्व इस अधिनियम में शहरी विकास मन्त्रालय से परामर्श करके शीघ्र संशोधन करने पर विचार करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, हम शहरी विकास मन्त्रालय से सलाह करेंगे। यदि संशोधन आवश्यक हुए तो वे सदन के समक्ष लाए जाएंगे।

पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन बरामद किया जाना

+

***124. श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 100 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बुराई को प्रभावी रूप से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर के अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से अमृतसर जिले में भारत-पाक सीमा के नजदीक 14-10-1988 को ब्राउन पाउडर (जिसके हेरोइन होने का सन्देह है) के 100 पेकट पकड़े थे। (पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों की सही-सही कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह इसकी शुद्धता, उद्गम तथा बिक्री के स्थानों, स्थानीय मांग तथा पूर्ति आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है)।

स्वापक औषध-द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अपराधों के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों अर्थात् विरसा सिंह तथा बुधा सिंह को, जो दोनों कक्कड़ ग्राम (जिला अमृतसर) के निवासी हैं, गिरफ्तार किया गया है। ये मामले न्यायाधीन हैं।

सरकार ने जोरदार अनेक निरोधी उपाय किए हैं जिनमें नशीले औषध-द्रव्यों से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक सजाओं की व्यवस्था करना, निवारक तथा आसूचना तन्त्र को (विशेषकर सीमाओं तथा सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास) सशक्त बनाना, अधिकारियों तथा मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को सुदृढ़ बनाना शामिल है। स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों से सम्बन्धित अपराधों के लिए अधिक से अधिक 2 वर्षों की अवधि तक निवारक नजरबन्दी किए जाने की व्यवस्था है।

श्री सी० माधव रेड्डी : विवरण के अनुसार दो व्यक्तियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो सामग्री भूरे रंग के 100 पैकेटों में पकड़ी गई है सन्देह यह है कि यह हेरोइन है, फिर भी कार्यवाही की गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या विचार है ? क्या आप समझते हैं कि यह हेरोइन है या नहीं ? यदि ऐसा केवल सन्देह ही है, तो क्या आपने इस आधार पर उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन दो व्यक्तियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच किसी सांठगांठ का पता चला है ?

श्री ए० के० पांजा : जब कोई विशेष सामग्री पकड़ी जाती है, तो प्रत्यक्षतः साक्ष्य लिया जाता है। यह देखने के लिए "किटें" हैं कि वह क्या वस्तु है, क्या यह हेरोइन है या अफीम है या हशीश अथवा कोई अन्य स्वापक औषधि है। अतः यद्यपि हम समझते हैं कि यह हेरोइन है फिर भी शुद्धता और उद्भव का देश निर्धारित करने में कुछ समय लगता है; और रसायनज्ञों को इसकी जांच करनी होती है। इस मामले में यह 14 अक्तूबर को पकड़े जाने के पश्चात् सभी नमूने दिल्ली में नियन्त्रण प्रयोगशाला के मुख्य रसायनज्ञ को भेज दिए गए थे और उन्हें 15 दिन से तीन महीने तक का समय लगता है। पकड़े गए सामान की विशेषता के अनुसार न्यायालय में यह सिद्ध करने के लिए कि अभियुक्त वास्तव में दोषी है विभिन्न प्रकार की रासायनिक परीक्षाएं करनी होती हैं।

जहां तक इन दो व्यक्तियों की आतंकवादियों के साथ सांठगांठ का सम्बन्ध है, इसकी अभी जांच की जा रही है और अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री सी० माधव रेड्डी : हाल ही में इस सदन ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में एक संशोधन स्वीकृत किया था और अब मुकदमे के बिना व्यक्तियों को नजरबन्द करने का उपबन्ध है । न्यायालय में जाने और सभी साक्ष्य प्राप्त करने के बजाय सरकार को ये अधिकार प्राप्त हैं । क्या इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है और क्या कोई व्यक्ति निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ?

श्री ए० के० पांजा : जी, हां । कार्यवाही की गई है । अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए, एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था जो 4 जुलाई, 1988 को संसद द्वारा पारित किए जाने पर कानून बन गया । 17 अक्तूबर को 246 बन्दी आदेश दिए गए थे तथा 178 व्यक्ति बन्दी बनाए जा चुके थे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को इससे जोड़ने की कोशिश देश में होती रहती है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नारकोटिक्स एण्ड प्रिवेन्शन के आपके विभाग को इस गतिविधि को तेज करने के लिए क्या कोई अनुदान, राशि या कोई सहायता कहीं से मिल रही है और अगर मिल रही है तो इसका क्या उपयोग करेंगे । इस बारे में प्रधान मन्त्री जी का 14 सूत्री कार्यक्रम है जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, वह क्या है । क्या उसके बारे में स्पष्ट बता सकेंगे क्योंकि इसका असर पूरे देश के किसानों पर पड़ेगा जो इसकी खेती करते हैं ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है अक्तूबर, 1986 में संयुक्त राष्ट्र के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्री जनेरियो यहां आए थे । नशीली दवाइयों की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों से सन्तुष्ट होने के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र की 2 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता दी गई जोकि 29 करोड़ रुपये के बराबर है । ने नशीली दवाओं-विरोधी कार्यों के विशेष पहलुओं के लिए धन देना चाहते हैं और उनमें से हैं—नशीली दवाइयों के लाने ले जाने पर नियन्त्रण को मजबूत करना, विधि रसायन (फोरेनसिक लेबोरेटरी) प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण एवं इसे अधिक साधन सम्पन्न करना, अवैध अफीम उत्पादन पर नियन्त्रण को और कड़ा करना, इन पर निर्भरता कम करना तथा इसकी रोकथाम एवं उपचार तथा पुनर्वास, मादक औषधि सेवन आदि को रोकना आदि । उन्होंने इसका ब्यौरा दिया है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री ने तीन बैठकें करने के बाद 14-सूत्री निर्देश दिए हैं । पहला काम उप-समिति का गठन करना है । गृह मन्त्री स्वयं इसके चेयमैरन हैं । उसके बाद है कड़ाई से कानून लागू किया जाना—जिस पर अमल किया जा रहा है । औषधियों को नष्ट करना यह काम भी किया जा रहा है । विशेष अदालतों का गठन करना—विशेष अदालतों का गठन करने के लिए हम राज्यों से बात कर चुके हैं । और फिर है प्रयोगशाला सुविधाओं का और अधिक विस्तार करना—यह काम भी किया जा रहा है । मोबाइल किटों का बांटना—यह भी किया जा रहा है । मादक औषधियों के सेवन की विभिन्न घटनाओं में पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना; नशीली दवा प्रकोष्ठों की स्थापना करता—

आंशिक रूप में यह कर दिया गया है। खुफिया विभाग को मजबूत करना। ऐसा कर दिया गया है और किया जा रहा है। इसके बाद हैं कतिपय कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलू। इसके बाद है मादक द्रव्यों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरुक बनाना ताकि युवा लोग इससे प्रभावित न हों। महोदय, हम नशे की आदत छुड़ाने के कार्यक्रम भी चला रहे हैं और भी कई हैं। अन्तिम एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं चूंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है और वहां यह कार्य काफी जोरशोर से हो रहा है, वह है पोस्त एवं गांजे की अवैध खेती को नष्ट करना। मैं इस सदन को अवश्य यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के सक्रिय सहयोग से हम इस काम में सफल हो सके हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, युवकों में मादक द्रव्यों का सेवन आज देश की सबसे बड़ी एवं प्रमुख समस्या है तथा जब हम अधिनियम की बात कर रहे हैं जिसका श्री माधव रेड्डी ने उल्लेख किया है, तो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वह इस मामले पर पाकिस्तान तथा नेपाल सरकार से बात कर रहे हैं क्योंकि इन दो क्षेत्रों को 'गोल्डन ट्राइऐंगल' तथा 'गोल्डन क्रिसेंट' कहा जाता है, मूल रूप में मादक द्रव्य यहीं से देश में आते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर जब्त की गई औषधियों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री जी ने इस बारे में उन सरकारों से बात की है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई है? आप इन जब्त की गई औषधियों का क्या करते हैं ताकि यह पुनः देश के लोगों तक न पहुंचें?

श्री ए० के० पांजा : महोदय, यह बहुत ही कठिन समस्या है। माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत-पाक सीमा 3310 किलोमीटर तक फैली हुई है तथा इस क्षेत्र से आने वाली औषधियां हैं हेरोईन तथा हशीश। नेपाल सीमा 1568 किलोमीटर लम्बी है तथा वहां से अधिकतर गांजा और हशीश हमारे देश में आते हैं। 'सार्क' की छत्र छाया में हमने नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। हमने इसे लागू करने के लिए समितियां बनाई हैं। दोनों देशों के बीच हम जानकारी एवं गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इन देशों के लोग यहां आते हैं और हम उनसे चर्चा करते हैं। यह अच्छी तरह चल रहा है। समस्या यह है कि सीमा बहुत ही लम्बी है तथा हमारे पास धातु परीक्षक (मेटल डिटेक्टर) या अन्य प्रकार का ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है जैसे कि हथियारों एवं सोने के लिए होता है। 'सार्क' देशों के साथ तथा संयुक्त राष्ट्र के साथ भी इस विषय में हमारा अच्छा सहयोग है।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप इन औषधियों का क्या करते हैं ताकि यह फिर से लोगों तक न पहुंच पाएं?

श्री ए० के० पांजा : अफीम का काफी अधिक हिस्सा चिकित्सा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा बाकी बचे हुए पदार्थ को नष्ट कर दिया जाता है। इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। जल्दी ही एक नया अधिनियम बनाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत हम नमूने को रखकर बाकी को नष्ट कर सकेंगे।

महानदी बांध परियोजना का निर्माण

*125. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में महानदी बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और अब तक कितनी व्यय की जा चुकी है;

(ख) क्या यह परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाएगी; और

(ग) इस बांध से खरीफ़ और रबी दोनों फसलों के मौसम में कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मार्च, 1988 तक लगभग 102 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। इस परियोजना के लिए सातवीं योजना में परिव्यय 60.73 करोड़ रुपए था ।

(ख) मार्च, 1989 तक पूरा होने की आशा है ।

(ग) परियोजना में खरीफ के दौरान 2,02,000 हेक्टेयर तथा रबी के दौरान 92,000 हेक्टेयर की सिंचाई की परिकल्पना है ।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहता हूं इस निर्माण परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था तथा प्रारम्भ से इस परियोजना पर कितना रुपया खर्च किया जाना था। किस वर्ष में इसे बन कर पूरा होना था तथा निर्माण पूरा होने पर कितना रुपया खर्च किया जाना था ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, इस परियोजना का निर्माण 1981 में शुरू हुआ था। मैं तो कहूंगा कि यह लगभग पूरी होने वाली है तथा मार्च 1989 में इसके पूरा हो जाने की आशा है।

श्री सोमनाथ रथ : प्रारम्भ में इसकी अनुमानित लागत क्या थी तथा इसे कब पूरा किया जाना था ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, प्रारम्भिक लागत अप्रैल, 1978 में योजना आयोग द्वारा 42.09 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई थी लेकिन उसके बाद परियोजना की पुनरीक्षा की गई तथा इस समय अनुमानित लागत लगभग 119.68 करोड़ रुपए है ।

श्री सोमनाथ रथ : इस परियोजना का जीर्णोद्धार होने से पूर्व—इससे रबी एवं खरीफ के लिए कितनी भूमि की सिंचाई की जाती थी; तथा जीर्णोद्धार होने के पश्चात् रबी तथा खरीफ के लिए कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है तथा किन-किन जिलों में ?

श्री बी० शंकरानन्द : महानदी-बिरूपा बैराज एक पुराना बैराज था, तथा वर्तमान परियोजना नई है, जो कि इसके स्थान पर बनाई गई है। चूंकि नई परियोजना काफी बड़े क्षेत्र को कवर करेगी, मैंने इसे इस योजना के अन्तर्गत रखा है, इस परियोजना को हाथ में लिया गया और इतनी बड़ी रकम खर्च की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : तुलनात्मक आंकड़े आप बाद में दे सकते हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हमें प्रसन्नता है कि यह परियोजना बनी और यह लगभग पूर्ण हो रही है तथा काम तेजी से चल रहा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं क्या बांध को पूरा करने के साथ-साथ नहरें निकालने के काम के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसे सुधारने की जरूरत है; जी हां, मेरा अभिप्राय नहर-सिस्टम से है । यदि यह परियोजना में शामिल नहीं है, तो क्या अतिरिक्त धन मुहैय्या

कराया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार नहर का सुधार करने की लागत को वहन करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री बी० शंकरानन्द : जैसाकि मैंने पहले कहा है, परियोजना 4 से 5 महीनों में पूरी हो जाएगी। अभी तक राज्य सरकार से हमें कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि राज्य सरकार से कोई निवेदन आएगा तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

+

*126. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन ने विधि आयोग के जिला न्यायपालिका के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवा के माध्यम से जिला न्यायपालिका में उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने और इसकी निष्पक्षता बढ़ाने का कोई रास्ता निकालेगी;

(घ) क्या सम्मेलन ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की भी सिफारिश की है; और

(ङ) सरकार ने उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन को यह प्रस्ताव मुख्यतः इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि इससे अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता प्रभावित होगी।

(ग) सरकार, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की सिफारिशों सहित सभी पहलुओं की समीक्षा के पश्चात् ही अपना मत बनाएगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : उत्तर के भाग (ख) में कहा गया है कि सम्मेलन को यह प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि इससे अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति कम हो जाएगी।

पहले जब आई० सी० एस० में भर्ती की जाती थी तो भर्ती होने वाले व्यक्तियों की कतिपय प्रतिशतता को न्यायायिक सेवाओं के लिए दिया जाता था। और फिर यह सच है कि उच्च न्यायालय

द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाती थी कि उनके अधीक्षण की शक्ति को कम किया गया था। फिर वे अब इस आधार पर इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है अर्थात् क्या उन्होंने कोई कारण बताए हैं कि किस प्रकार उनकी अधीक्षण शक्ति को कम किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतन्त्रता प्रभावित होगी यदि अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा विद्यमान हो तो?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आई० सी० एस० को अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा में आना 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत था। अब संविधान है तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रावधानों को संविधान के तहत लागू किया जाता है एक मुख्य समस्या यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक् करेगा और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बनाए रखेगा।

यदि आप अनुच्छेद 236 और बाद के अनुच्छेद देखें तो आप पायेंगे कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है; और यदि अधीक्षण और अन्य अनुशासनात्मक मामलों की शक्ति उच्च न्यायालयों को दी जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी करने से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता प्रभावित होगी। हम इस तरह के विचारों को नहीं मानते कि अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा बनने से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को आघात लगेगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का यही दृष्टिकोण है, और इसीलिए विलम्ब हुआ है। सामान्यतः हम यह समझते हैं कि अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा होने से अधीनस्थ न्यायपालिका की भलाई ही होगी।

अध्यक्ष महोदय : इससे देश को भी मदद मिलेगी। देश को लाभ होगा।

(व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या यह सच नहीं है कि यदि आप अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा का गठन करें तो यह ज्यादा प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करेगा और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में रिक्तियों की भरने में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ढूंढ़ने में होने वाली मुश्किल कम हो जायेंगी?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं अपने माननीय वरिष्ठ सदस्य के सुझावों को समझता हूं। परन्तु पुनः यह समस्या है कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों से लगातार सम्पर्क होना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ उच्च न्यायालय पहले ही इस बारे में सहमत हो चुके हैं कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होनी चाहिए। परन्तु हाल ही में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। परन्तु इससे हमने हिम्मत नहीं हारी है। हमारा प्रयत्न जारी रहेगा और हम अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए भी कुछ बेहतर कार्य करेंगे क्योंकि इस सदन ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, परन्तु हमारी अधीनस्थ न्यायपालिका के साथ अभी बेहतर सलूक नहीं किया गया है क्योंकि वे राज्यों के अधीन है और उच्च न्यायालयों के बारे में भी यही स्थिति है। अतः केन्द्रीय सरकार में इस बारे में हमारा प्रयास जारी रहेगा कि किसी न किसी समय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए उच्च न्यायालय के 18 मुख्य-न्यायाधीशों के सम्मेलन में, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए

विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। देश इस बारे में चिन्तित है क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 19,11,276 मुकदमे लम्बित पड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। मन्त्री महोदय का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, ताकि इन मुकदमों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यद्यपि यह प्रश्न अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से सम्बन्धित नहीं है परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में सूचित करना चाहूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह प्रश्न मेरे प्रश्न संख्या 133 से सम्बन्धित है। यह उत्तर और इससे पहला उत्तर, दोनों, मेरे प्रश्न संख्या 133 से सम्बन्धित है। अतः मैं यह सुझाव दूंगी की इन दोनों को साथ-साथ लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : वे एक ही उत्तर दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि न्यायिक प्रणाली में बढ़ता हुआ बकाया काम, तनाव का एक प्रमुख कारण है। हमने इस बात को ध्यान में लिया है और हमने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है जो इस बारे में जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हमने लगभग 20 ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनके द्वारा बकाया कार्य को कम किया जा सकता है और स्थानीय अदालतों में वैकल्पिक तन्त्रों द्वारा बकाया मुकदमों को कम करके 18 लाख तक ला दिया गया है। मुकदमों के वर्गीकरण के बारे में, जिनमें एक ही कानूनी मुद्दा है, एक ही समूह में रखकर उन पर पृथक-पृथक विचार किया जाता है। अब देश में न्यायपालिका सभी समान मामलों के मुकदमों को एक साथ लेकर एक ही निर्णय से उनका फैसला करवा रही है। हाल ही में कर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ही निर्णय से 236 मामलों को निपटाया है। अतः मैं समझता हूं कि मामलों के इस वर्गीकरण, पंजीकरण के लिए पुनः सामंजस्य स्थापित करने, उन्हें अधिक न्यायाधीश देने और न्यायाधीशों को अधिक सुविधाएं देने से धीरे-धीरे यह बकाया काम कम हो जाएगा और यह सुनिश्चित करने की प्रवृत्ति रही है कि यह बकाया कार्य कम हो जाए। मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि मुकदमों का निपटारा प्रति न्यायाधीश लगभग उतना ही रहा है। अतः हमने हाल ही में कुछ कार्यवाही की है और मुझे आशा है कि यह बकाया कार्य कम हो जाएगा।

श्री तम्पन थामस : केन्द्र और विभिन्न राज्यों में एक समान प्रणाली प्रचलित है। उदाहरणतया दीवानी और फौजदारी न्यायपालिका है। फौजदारी न्यायालय में किसी पद के लिए चयन सबसे निचले स्तर अर्थात् द्वितीय श्रेणी मेजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मेजिस्ट्रेट में से किया जाता है। फिर मुंशिफ न्यायालय के लिए चयन किया जाता है। परन्तु ये दोनों चयन जिला स्तर पर किए जाते हैं। मैं जानता हूं कि देश के कुछ भागों में फौजदारी न्यायपालिका दीवानी न्यायपालिका से अलग है। क्या ऐसा सम्पूर्ण देश में प्रचलित है? दूसरे विभिन्न न्यायालयों में उत्पन्न होने वाले खाली पदों को भरने के लिए माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि हमें भारतीय न्यायिक सेवा आरम्भ करनी चाहिए। क्या इस सेवा को पहले आरम्भ करके विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्तमान रिक्तियों को भरने लाभप्रद नहीं होगा? जैसाकि मेरे मित्र श्री रामूवालिया ने कहा है यह प्रवृति सम्पूर्ण देश में प्रचलित है। यदि इस कार्य के लिए एक न्यायिक सेवा को आरम्भ किया जाए और इस सेवा से रिक्तियों को भरा जाए तो इस दोष में सुधार

किया जा सकता है । क्या सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करेगी और सम्बन्धित व्यक्तियों से सलाह करके एक विधान लाएगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य के फायदे के लिए मैं यह उल्लेख करूंगा कि अनुच्छेद 236 यह व्याख्या करता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका क्या है । इसमें अधीनस्थ न्यायालय के न्यायतन्त्र वर्गीकरण के सम्भवत: निम्नतम न्यायालय मुन्सिफ न्यायालय से लेकर दीवानी न्यायालय तथा फौजदारी न्यायालय शामिल हैं । तत्पश्चात् जिला न्यायाधीश न्यायालय हैं । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय हैं । देश में तीन श्रेणियों की यह प्रणाली प्रचलित है । परन्तु आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों में दोहरा नियुक्ति तन्त्र है । मेजिस्ट्रेट और मुंसिफ मेजिस्ट्रेट उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य-सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । अत: उन नियुक्तियों के बारे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते । जहां पर भी रिक्तियां होती हैं हम उनका ध्यान रखते हैं और राज्य-सरकारों से यह अनुरोध करते हैं कि उन रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए ।

इसी प्रकार उच्च न्यायपालिका अर्थात् जिला न्यायाधीश की नियुक्ति सम्पूर्ण न्यायालय द्वारा की जाती है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उनकी नियुक्ति, राज्य सरकारों की मन्त्रणा से उच्च-न्यायालय करता है । वहां भी उच्च न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति से अलग नहीं होता है ।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है विधि मन्त्रालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । न्यायाधीशों को नियुक्त करने और उनकी नियुक्ति में यथासंभव शीघ्रता लाने के लिए हमारी एक सुनियोजित योजना है ।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कनिष्ठ स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरह से होती है । हमने यह पाया है कि बहुत से मामलों में पुलिस अभियोजक और जिला सरकारी अधिवक्ता कनिष्ठ स्तर और जिला स्तर पर न्यायाधीश बने हैं । पुलिस अभियोजक और जिला सरकारी अधिवक्ता के रूप में उनकी पूर्व नियुक्ति बहुत बार राजनैतिक सम्बद्धता से प्रभावित होती है । तीन वर्षों तक पुलिस अभियोजक के रूप में कार्य करने के बाद वे न्यायाधीश बन जाते हैं । उदाहरणतया बंगाल जैसे राज्य में यदि एक पुलिस अभियोजक साम्यवादी विचारधारा का है और उसकी नियुक्ति एक न्यायाधीश के रूप में हो जाती है तो क्या निर्णय देते समय उसके मन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ? अत: क्या इस दृष्टि से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आरम्भ करना उचित नहीं होगा ? यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके अपने जिलों में नहीं होती है फिर भी उनकी नियुक्ति उसी राज्य में होती है । निश्चित रूप से उनके सम्बन्धियों के मुकदमे उनके सामने नहीं लाए जाते । उनके सम्बन्धी अन्य जिलों में भी हो सकते हैं । अत: वे उन पर प्रभाव डाल सकते हैं । यदि उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है तो उन्हें उनके राज्य से बाहर नियुक्त किया जाएगा जो अधिक विवेकपूर्ण और उचित होगा । आप इस बारे में विचार क्यों नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा ही कहा है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं माननीय सदस्य का ध्यान पुन: अनुच्छेद 235 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा मैं उद्धृत करता हूं :

"जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियन्त्रण जिसके अन्तर्गत राज्य

की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की तैनाती, प्रोन्नति और उन्हें छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा......"

अतः जिला स्तर से लेकर मजिस्ट्रेट स्तर तक नियुक्ति की निगरानी राज्य-सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है। हम इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उच्च न्यायालय राजनैतिक हस्तक्षेप की अनुमति देंगे क्योंकि निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करते हैं। यदि कुछ विशेष उदाहरण हैं तो मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि मुझे उन स्थानों के नाम दिए जायें और मैं उच्च न्यायालयों का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा। परन्तु हस्तक्षेप करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए मैंने पहले ही यह कहा है कि हम सदैव सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आरम्भ करने के पक्ष में रहे हैं।

कृष्णा बेसिन में परियोजनाओं को मंजूरी

*127. **श्री वीरेन्द्र पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस एजेन्सी द्वारा सम्बद्ध राज्यों पर बछावत पंचाट लागू किया जाएगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को सम्बद्ध राज्य सरकारों से स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं पर विचार बछावत पंचाट के अनुसार करना होता है अथवा यह पंचाट की सीमाओं से बाहर भी विचार कर सकती है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में विचार पंचाट की सीमाओं से बाहर भी कर सकती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई उक्त स्वीकृति का सम्बद्ध राज्यों के अधिकारों पर क्या कानूनी प्रभाव पड़ेगा ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम है तथा विवाद में शामिल पक्ष इसे मानने के लिए बाध्य हैं तथा उनके द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए।

(ख) किसी प्रस्तावित परियोजना में जल उपलब्धता के पहलू पर न्यायाधिकरण के पंचाट की सीमाओं के अन्तर्गत जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हम भी आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कानून को सबका संरक्षण करना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : दो महीने पहले मैंने सिंचाई मन्त्री से कुछ सूचना मांगी थी लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिल सका है। अतः यह जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने यह प्रश्न पूछा

था । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । मैंने इस प्रश्न में विशेष जानकारी मांगी थी लेकिन मन्त्री जी का उत्तर बिल्कुल ही अलग है । जो प्रश्न मैंने पूछा उससे इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । केवल संसद ही एक ऐसा मंच है जहां हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जब हम मन्त्री जी को लिखते हैं, वह उत्तर नहीं देते । जब हम प्रश्न भेजते हैं और भाग्यवश वह तारांकित प्रश्न होता है और इस एक घण्टे में भी अगर जानकारी नहीं मिलती है तो मैं नहीं जानता माननीय सदस्य के लिए क्या हल हो सकता है । पहला प्रश्न जो मैंने पूछा है बछावत पंचाट लागू करने के लिए कौन सी एजेन्सी उत्तरदायी है ? मैंने एजेन्सी के बारे में पूछा है । और उत्तर यह दिया गया है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम निर्णय है । मैंने यह कभी नहीं पूछा कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम निर्णय है या नहीं और विवाद में शामिल पक्ष इसे मानने के लिए बाध्य है तथा उनके द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए मैं यह जानता हूं । मैं एजेन्सी के बारे में जानना चाहता हूं । मुझे मन्त्री जी को बताना चाहिए कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 6(क) के अनुसार, न्ययाधिकरण द्वारा पंचाट देने के बाद केन्द्रीय सरकार को न्यायाधिकरण का निर्णय लागू करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करना होता है । वह मैं जानता हूं । लेकिन मन्त्री जी वह कहने के लिए तैयार नहीं हैं । दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है क्या भारत सरकार पंचाट की सीमाओं से बाहर परियोजना को स्वीकृति देने की स्थिति में है; अगर ऐसे स्वीकृति दी जाती है तो उस पर कानूनी रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा । उत्तर यह है कि किसी प्रस्तावित परियोजना में जल उपलब्धता के पहलू पर पंचाट की सीमाओं के अन्तर्गत विचार किया जाता है । मैंने यह नहीं पूछा था क्या वह जांच कर रहे हैं या नहीं । लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं, उसका कानूनी रूप से क्या प्रभाव पड़ा है मैं आपसे आपका विनिर्णय चाहता हूं और मुझे बताइए कि मुझे अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछना चाहिए जब कि उत्तर ही ठीक नहीं है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : अगली बार श्री शंकरानन्द श्री वीरेन्द्र पाटिल से प्रश्न पूछेंगे और उन्हें उत्तर देना चाहिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में यह है कि निःसन्देह इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है......

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी तक कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया है । मैंने अभी अनुपूरक प्रश्न पूछना है ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं सदन के फायदे के लिए बता सकता हूं कि जब माननीय सदस्य अपनी जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे लिखते हैं और फिर, प्रश्न भी पूछते हैं तो मैंने सोचा कि सदस्य को स्पष्ट करने के बजाय सदन को स्पष्ट करना अच्छा है । इसमें क्या गलत है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : मन्त्री जी उत्तर देने में दो महीने क्यों लेते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह जानकारी लगभग दो महीने पहले पूछी थी और मैंने संसद को यह प्रश्न लगभग एक सप्ताह पहले भेजा था ।

श्री बी० शंकरानन्द : आप एक सप्ताह के भीतर प्रश्न नहीं पूछ सकते । शायद, माननीय सदस्य इस बारे में प्रत्येक बात जानने का दावा करते हैं और उन्होंने फिर भी प्रश्न पूछा है । इसका क्या उद्देश्य है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह जानते हैं वह ठीक है या गलत वह आपसे प्रमाणिकता चाहते हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने धारा उद्धृत की है ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य के फायदे के लिए मैं धारा भी उद्धृत करूंगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रशासन ने आपको भ्रम में डाला है । दो महीनों से आपने उत्तर नहीं दिया ।

श्री बी० शंकरानन्द : वरिष्ठ सांसद का मैं काफी सम्मान करता हूं । लेकिन मैं आरोप से इन्कार करता हूं कि प्रशासन ने मुझे भ्रम में डाला है । **(व्यवधान)**

प्रश्न और उत्तर को समझे बिना इस निष्कर्ष पर मत जाइए । ऐसा न कीजिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने प्रश्न समझ लिया है । दो महीने की देरी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रश्न पर आने दीजिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 6 और 6(क) का उल्लेख किया है । पहले, मुझे धारा 6 पढ़ने दीजिए । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है । मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इसे भी जानते हैं । मैं उद्धृत करता हूं :

> "6. केन्द्रीय सरकार अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन राजपत्र में करेगी और वह विनिश्चय अन्तिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा······" आगे महत्वपूर्ण है : "···तथा उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।"

मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इन शब्दों का अर्थ समझते हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, प्रश्नकाल समाप्त होने में केवल चार मिनट बाकी रह गए हैं मैंने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है । केवल चार मिनट रह गए हैं···**(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे आशा है वह इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं···**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए । मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता हूं, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता ।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है······**(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : आपने कतिपय आरोप लगाए हैं······**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जी नहीं, मैंने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है । आपके उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं है······**(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द . महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में सब कुछ जानने का दावा करते हैं

लेकिन उन्होंने फिर भी प्रश्न पूछा है शायद वह जानना चाहते हैं कि मैं विषय के बारे में जानता हूं या नहीं······(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, यह बहुत बुरी बात है। मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केवल तीन मिनट रह गए हैं। मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, आप कृपया मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे धारा 6(क) उद्धृत करने दीजिए, महोदय······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : नहीं, महोदय, उन्होंने कतिपय धाराओं का हवाला दिया है उन्होंने धारा 6(क) का हवाला दिया है······(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, अब मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं······(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : धारा 6 बताती है—यह धारा तब काम में आएगी जब राज्य निर्णय को लागू करने में कठिनाई अनुभव करेगा, कठिनाई आने पर धारा 6(क) लागू की जाएगी। महोदय, शायद माननीय सदस्य ने नहीं······(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हूं। उन्हें स्पष्ट न करने दीजिए मुझे पहला अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें अनुपूरक प्रश्न करने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझे संभालने दीजिए।

[हिन्दी]

आप क्यों बीच में शोर कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इसको संभालने दीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठिए।

[अनुवाद]

उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या भारत सरकार ने तेलगू-गंगा परियोजना की जांच की है जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पंचाट के अनुसार प्रस्तुत किया गया है अगर हां, तो क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परियोजना बछावत पंचाट की सीमाओं में नहीं हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने एक विशेष परियोजना के बारे में प्रश्न किया है कि क्या तेलगु-गंगा परियोजना बछावत पंचाट की सीमाओं में आती है या नहीं अब इससे तीन राज्य सम्बन्धित हैं...... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपकी क्या राय है?

श्री बी० शंकरानन्द : सुनिए। कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार कहती है : नहीं, यह पंचाट में नहीं आती है। अतः विवाद उठ खड़ा हुआ है जब हम देखेंगे कि परियोजना बछावत पंचाट की सीमाओं में है, परियोजना स्वीकृत हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परियोजना लगभग चार-पांच वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थी और उस दिन से वे इसकी जांच कर रहे हैं। वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि यह पंचाट की सीमाओं से बाहर है या पंचाट की सीमाओं के भीतर है वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मेरा दूसरा अनुपूरक है क्या जल का आबंटन बछावत पंचाट के अन्तर्गत स्थायी है या 20वीं सदी तक विशेष राज्य को वह जल आबंटित किया गया जो उपयोग नहीं किया गया। क्या यह स्थायी रहेगा या अतिरिक्त जल में जोड़ दिया जाएगा?

श्री बी० शंकरानन्द : अब, इस प्रश्न के लिए समूचे पंचाट की पुनरीक्षा की जाएगी। 2000 ई० सन् तक पंचाट के निर्णय की पुनरीक्षा की जाएगी माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं कराया गया है। मेरे विचार से मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

[**अनुवाद**]

*128. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को कठोर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को किस हद तक उपर्युक्त सजा मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) भारत सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

मतदान की आयु

*129. **श्री शांताराम नायक :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए कानून में कब संशोधन किया जाएगा; और

(ग) मतदान की आयु कम करने से मतदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि होगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मतदान-आयु घटाने के प्रस्ताव पर व्यापक रूप से चर्चा की जा रही है। यह बात सरकार के ध्यान में है, किन्तु इस पर अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ग) मतदान-आयु घटाने के परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या लगभग चार करोड़ सत्तर लाख होगी।

निगमित योजना

*130. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मंडल में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए सन् 2000 ई० तक नई रेल लाइनों के निर्माण/छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए कोई निगमित/व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो निगमित योजना की रूपरेखा क्या है और आठवीं और नवीं योजनाओं में शामिल की गई तत्सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना जल्द ही तैयार की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

काले धन का प्रचलन

*131. **श्री भद्रेश्वर तांती :**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रचलन में काले धन की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अद्यतन अनुमान क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) भू-सम्पत्ति को खरीदने-बेचने में अनुमानतः कितने काले धन का लेन-देन होता है; और

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) देश में परिचालन में काले धन के कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुरोध पर, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था के कुछेक पहलुओं का अध्ययन किया था । मार्च, 1985 में प्रकाशित "एसपेक्ट आफ दि ब्लैक इकॉनमि इन इंडिया" नामक अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने वर्ष 1983-84 के लिए काले धन की राशि 31,584 करोड़ रुपए से 36,786 करोड़ रुपए के बीच में आंकी थी । तथापि, लेखकों ने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत से पूर्वानुमानों और मोटे अनुमानों पर आधारित हैं और प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है ।

(ग) उपयुक्त रिपोर्ट में वास्तविक सम्पदा के लेन-देनों को एक ऐसा क्षेत्र बताया गया है जिसमें काले धन की उत्पत्ति होती है । तथापि, रिपोर्ट में वास्तविक सम्पदा के कारबार से काले धन की उत्पत्ति के कोई अनुमान नहीं दिए गए हैं ।

(घ) काले धन की उत्पत्ति, वृद्धि और उसके उपयोग को रोकने के लिए, समय-समय पर उपर्युक्त समझे जाने वाले आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं । हाल ही में की गई कुछ कार्रवाइयां इस प्रकार हैं :—

(i) योजनाबद्ध सर्वेक्षण कार्रवाइयां ।

(ii) उपयुक्त मामलों में तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाइयां ।

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना की जांच-पड़ताल करना ।

(iv) नियंत्रीय चुनिन्दा मामलों में गहन जांच करना ।

(v) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद और बंगलौर नगरों में 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की अन्तरित की जाने वाली किसी प्रस्तावित सम्पत्ति की खरीद करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पूर्वक्रय अधिकार देने वाले नए उपबन्ध, आयकर अधिनियम के अध्याय XXग का अधिनियमन ।

विदेशों में बांड जारी करना

[हिन्दी]

*132. **श्री शान्ति धारीवाल :**
श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विदेशों में बांड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा में कितने मूल्य के बांड जारी किए गए हैं तथा यह बांड किन-किन देशों में जारी किए गए हैं;

(ग) इन बांडों के जरिए अब तक कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(घ) इस प्रकार अर्जित विदेशी मुद्रा का सरकार द्वारा किन-किन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) सरकार ने विदेशों में कोई बांड जारी नहीं किए हैं। तथापि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांड जारी किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांड इस प्रकार हैं :—

1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	स्वीटजरलैंड में 1500 लाख स्विस फ्रांक के बांड जारी किए गए।
2. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	जापान में 20 अरब येन के समुरई बांड जारी किए गए।
3. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	यूनाइटेड किंगडम में 1250 लाख अमेरिकी डालर के बांड जारी किए गए।
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	पश्चिम जर्मनी में 2500 लाख ड्यूश मार्क के बांड जारी किए गए।
5. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	स्वीटजरलैंड में 800 लाख स्विस फ्रांक के बांड जारी किए गए।

बांड बाजारों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग विदेशी मुद्रा कीअपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग उन औद्योगिक उपक्रमों, की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिन्हें वे उधार देते हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

[अनुवाद]

*133. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 1 नवम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तारीख 1-1-1988 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के दस पद और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/ अपर न्यायाधीशों के 65 पद रिक्त थे ।

(ख) और (ग) न्यायाधीशों के चयन में, सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श किया जाता है जो एक निरन्तर प्रक्रिया है । अतः इसके लिए कोई समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

पूर्वी क्षेत्र से निर्यात

*134. **श्री एस० बी० सिदनाल** :
श्री शांती लाल पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र से निर्यात सम्वर्धन नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कलकत्ता में सभी पूर्वी राज्यों की एक विशेष बैठक बुलाई थी;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन राज्यों ने भाग लिया; और

(घ) इससे निर्यात सम्वर्धन में कितनी सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों से तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे कुछ अन्य राज्यों से निर्यात बढ़ाए जाने के लिए योजनाएं तैयार करने के प्रश्न पर विचार करती रही है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । वाणिज्य राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर, 1988 को नई दिल्ली में हुई बैठक में, व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के लिए तैयार की गई कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई थी । इस बैठक में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया ।

(घ) इस स्थिति में निर्यात संभाव्यता का संकेत देना सम्भव नहीं है क्योंकि इन योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

नर्मदा घाटी परियोजना के सम्बन्ध में ज्ञापन

*135. **डा० दत्ता सामन्त** :
श्री पी० एम० सईद :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विशाल नर्मदा घाटी परियोजना पर दोबारा पुर्नविचार करने के लिए एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सुझाए गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने हाल ही में इस परियोजना से सम्बन्धित विवाद सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग द्वारा व्यापार को बढ़ावा

[हिन्दी]

*136. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** :
डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में उपयोगी भूमिका निभाई है;

(ख) भारत-पाकिस्तान व्यापार के अन्तर्गत इस समय शामिल वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच अन्य किन-किन वस्तुओं के व्यापार की सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। संयुक्त आयोग के अधीन व्यापार सम्बन्धी उप आयोग ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तौर-तरीकों पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

(ख) भारत के प्रमुख निर्यात चाय, लौह अयस्क. अपरिष्कृत वनस्पति सामग्री, मसाले तथा पान के पत्ते रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के निर्यातों में मुख्यरूप से कपास, मेवा तथा नट्स, ढलवां लोहा तथा अपरिष्कृत उर्वरक शामिल हैं।

(ग) कुछ सम्भावित वस्तुएं जिन्हें भारत द्वारा पाकिस्तान को निर्यात किया जा सकता है उनमें शामिल हैं; औद्योगिक सिलाई मशीनें, सिलाई की सुइयां, अग्निशामक उपकरण, क्लीनिकल थर्मामीटर, टैक्सीमीटर।

रामनगर-चौखटिया रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

*137. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामनगर-मारचुला-भिकियासेन-चौखटिया रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान।

विदेशी ऋण

[अनुवाद]

*138. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1986, मार्च, 1987, और मार्च, 1988 तथा 30 जून, 1988 को भारत पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था;

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 में तथा 30 जून, 1988 तक ऋण सेवा-प्रभार कितने-कितने थे;

(ग) उक्त अवधि में कुल कितना ऋण लिया गया; और

(घ) इस अवधि में कुल कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया और कितनी परोक्ष आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़लीरो) : (क) मार्च, 1986, मार्च 1987 और मार्च, 1988 के अन्त में भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण क्रमश: 39701 करोड़ रुपए, 48895 करोड़ रुपए और 54817 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जून, 1988 के अन्त तक के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान कुल ऋण शोधन प्रभार अर्थात् ब्याज की अदा की गई रकम क्रमश: 1620 करोड़ रुपए, 1992 करोड़ रुपए और 2290 करोड़ रुपए थी। जून, 1988 के अन्त तक के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमश: 2495 करोड़ रुपए, 3176 करोड़ रुपए और 4575 करोड़ रुपए के कुल ऋण प्राप्त किए गए। इसके अलावा इन तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 1700 करोड़ रुपए, 1396 करोड़ रुपए और 2654 करोड़ रुपए के विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाने के लिए अनुमोदन दिए गए। जून, 1988 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान वस्तुओं के निर्यात का मूल्य और अदृश्य आय की राशि क्रमश: 19133 करोड़ रुपए, 21415 करोड़ रुपए और 25199 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

सिक्कों की नई सीरीज का जारी किया जाना

*139. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से परिचालन के लिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के नए सिक्के जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन नए सिक्कों को ढालने में प्रयुक्त की गई धातु का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नए सिक्कां से देश में छोटे सिक्कों की बढ़ती मांग किस सीमा तक पूरी हो सकेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्कों में लोहा और क्रोमियम दोनों होंगे।

(ग) 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे मूल्य वर्ग के सिक्कों की 18500 लाख अदद सिक्कों की वर्तमान मांग की तुलना में वार्षिक क्षमता 21750 लाख अदद सिक्के होगी।

राष्ट्रीय जल नीति

*141. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय जल नीति के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके विरोध के आधार क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

माल ढुलाई यातायात

1108. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में, माल के लाने-ले जाने अथवा राजस्व-अर्जन यातायात को प्रारम्भ करने में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के लिए निर्धारित माल ढुलाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस वर्ष के दौरान माल ढुलाई पर बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, मामूली।

(ख) मुख्य कारण है यातायात की कम प्राप्ति, विशेष रूप से खाद्यान्नों में जो पूर्ववर्ती वर्ष में सूखे के कारण प्रभावित हुआ था तथा कतिपय अन्य क्षेत्रों में कम यातायात प्राप्त होना भी है। भारी वर्षा, बाढ़, बन्द तथा हड़तालों आदि के कारण भी लदान प्रभावित हुआ था।

(ग) प्राप्त होने वाले समूचे यातायात की ढुलाई करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) इस वर्ष के दौरान भी बाढ़ से कुछ हद तक लदान प्रभावित हुआ है।

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को पुनः सक्रिय करना

1109. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी ऋण की सहायता से सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को फिर से सक्रिय करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी पूंजी लगेगी;

(ग) दिनांक 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इस कम्पनी द्वारा कितना घाटा उठाया गया है; और

(घ) सिंधिया कम्पनी के ऐसे कितने लाइनर पोत हैं, जो अनुबन्धित करने योग्य हैं और उनमें से कितने पोतों को स्क्रैप करने योग्य समझा गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी जिसने अपने जहाजों का संचालन बन्द कर दिया था, उससे सम्बन्धित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया और इस कम्पनी को उसके निदेशक मण्डल के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया है। कम्पनी की तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे मजदूरी, वेतन, आपूर्ति, ड्राईडॉकिंग, मरम्मत आदि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा कम्पनी को अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है। कम्पनी अब अपने जहाजों को पुनः चलाने के लिए अर्थक्षम जहाजों को पुनः सक्रिय कर रही है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः इस अवधि में हुई हानि का तत्काल पता नहीं चल सकता है।

(घ) बेड़े के कुल 22 जहाजों में से 9 को बेकार मान लिया गया है। चलाए जा रहे शेष 13 जहाजों में से 6 को अभी भाड़े (आन टाइम चार्टर) पर दे दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं

1110. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित किन्हीं बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं पर काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डिब्रूगढ़ और बम्बई के बीच सीधे रेलगाड़ी प्रारम्भ करना

1111. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ और बम्बई, बरास्ता कटिहार, बरौनी, रांची, राउरकेला सम्बलपुर और नागपुर के बीच लम्बी दूरी वाली एक सीधी रेलगाड़ी प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस रेलगाड़ी को कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच चोरी

1112. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच इलेक्ट्रिक मोटिव यूनिट सवारी डिब्बों से सामान-चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन में कितने अपराधियों को पकड़ा गया है; और

(ग) चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिए निकट भविष्य में विशेष उपाय के रूप में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ऐसी कथित वृद्धियों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खड़गपुर और मिदनापुर के बीच रेल सुरक्षा बल द्वारा सभी ई० एम० यू० गाड़ियों का पहले ही मार्गरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रेल पथों पर यथासम्भव गश्त लगाई जा रही है और बदनाम क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

1113. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा 1987 तथा वर्ष 1988 के दौरान देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) क्या इस जमा राशि में कोई गिरावट हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय नागरिकों की जमा राशि पर ब्याज की अपेक्षा अनिवासी भारतीयों की जमा राशि पर अधिक ब्याज दिया जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनिवासी भारतीयों को भारत में अपना धन जमा करने के लिए अन्य क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत के बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा अनिवासी (बाह्य) (एन० आर० आई०) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (एफ० सी० एन० आर०) में धारित कुल शेष राशियों का विवरण इस प्रकार है :—

निम्नलिखित अवधि के अन्त में	(करोड़ रुपए)
दिसम्बर, 1986	7470.62
दिसम्बर, 1987	9401.66
अगस्त, 1988 (अनन्तिम)	11314.85

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) बैंक खातों में रुपया जमा के रूप में रखने के अलावा अनिवासी भारतीय सामान्य शेयरों और ऋणपत्रों में निवेश कर सकते हैं, भारतीय कम्पनियों के पास रुपया जमा के रूप में रख सकते हैं और राष्ट्रीय बचतपत्रों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अनिवासी भारतीय बाण्डों में भी रुपया लगा सकते हैं।

विवरण

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एन० आर० ई०) और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों, (एफ० सी० एन० आर०) के ब्याज की मौजूदा प्रवृत्त दरें इस प्रकार हैं :—

अवधि	एन० आर० ई०	एफ० सी० एन० आर०			
		पौण्ड स्टर्लिंग	अमरीकी डालर	ड्यूश मार्क	येन
1	2	3	4	5	6
6 महीने और उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम	8.5	11.50	9.25	5.75	5.25

1	2	3	4	5	6
एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम	10.5	11.75	9.75	6.00	5.50
2 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	11.0	12.00	10.25	6.50	5.75
3 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम*	12.00	12.00	10.50	7.00	6.00
5 वर्ष और उससे अधिक	13.0				

*विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा के रूप में राशियों को तीन वर्ष से ज्यादा अर्से के लिए स्वीकार नहीं किया जाता।

दक्षिण मध्य रेलवे पर यात्री सुविधाएं

1114. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड में मीटर गेज रेल लाइन के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष तथा बड़ी रेल लाइन के यात्रियों के लिए समान तथा पार्सलों के लिए गोदाम कक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इन सुविधाओं की कब तक व्यवस्था की जाएगी;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि दक्षिण मध्य रेलवे पर यात्रियों को दिए जा रहे बिछावन स्वच्छ नहीं होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस तरह की विशिष्ट शिकायत नोटिस में नहीं आयी है तथापि रेलवे को अनुदेश दे दिए गए हैं कि बिस्तरों को साफ सुथरा रखा जाए।

सरकारी प्रतिभूतियों में सोने का निवेश

1115. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बुलियन एसोसिएशन ने सोना जुटाने और इसका सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप से लागू करने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) बम्बई सर्राफा एसोसिएशन ने अपने एक अभ्यावेदन में "सोने के संसाधनों को जुटाने की समस्या पर विचार करने के

लिए एक स्वर्ण बैंक का सृजन किए जाने तथा स्वर्ण प्रमाण-पत्र जारी करके इसकी वास्तविक मांग में में कमी करने" का सुझाव दिया है। लेकिन, इसके बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव अथवा ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, भाग (ख) का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों से अर्जित ब्याज से आयकर से छूट

1116. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत कर से छूट के लाभ प्रदान करने के मामले में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (छटा निर्गम) पर अर्जित आय को निवेश के रूप में माना जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज को किस कारण से भिन्न माना गया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) नियमावली, 1981 के नियम 19 की भांति किसी समर्थकारी नियम की अनुपस्थिति में, किसी कर्मचारी की भविष्य निधि खाते की राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज उसकी आय के रूप में नहीं होता है। इस नियम के कारण, राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) पर ब्याज की राशि को प्रत्येक वर्ष के अन्त में इस पत्र के धारक या धारकों को प्राप्त होने वाला ब्याज समझा जाता है और पांच वर्ष के अन्त तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में इस प्रकार प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि को धारक या धारकों की ओर से पुनः निवेशित राशि समझा जाता है। इससे राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) पर मिलने वाले ऐसे ब्याज की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती है। किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध न होने के कारण, ऐसे खाते में जमा होने वाले ब्याज की राशि वास्तव में उस कर्मचारी की आय नहीं होती है अपितु यह उक्त निधि में प्रोदभूत होती है और इसलिए, इसे उसकी आय नहीं समझा जा सकता है। अतः इसे वही कर-छूट नहीं दी जा सकती है जो कि राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर दी जाती है और इसे उसमें ही पुनः निवेशित की गई राशि के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

न्यायिक नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण

1117. **श्री डी० के० नायकर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के न्यायाधीशों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सम्बन्धी नियमों को न्यायिक सेवा पर भी लागू करने पर सक्रियता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और 217 के निबन्धनों के अनुसार की जाती है। इन उपबन्धों में किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण करने की अनुज्ञा नहीं है। तथापि, सरकार ने दिसम्बर, 1987 में, राज्यों के मुख्य मंत्रियां और राज्यपालों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे वकीलों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

स्वयंसेवी समाज सेवा समितियों द्वारा भारी करों के विरुद्ध अभ्यावेदन

1118. **श्री एच० जी० रामुलु :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई स्वयंसेवी समाज सेवा समितियों/संगठनों ने प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत लगाए गए भारी कर के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं और इसमें लगाए गए भारी करों में राहत देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके सुझावों/मांगों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर इन्होंने उक्त अधिनियम में लगाए गए करों में राहत की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सरकार को प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 में यथा-अन्तर्विष्ट पूर्त-न्यासों तथा संस्थाओं के कराधान से सम्बन्धित विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं/संगठनों सहित पूर्त तथा धार्मिक न्यासों एवं संस्थाओं से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और उन पर लिए गए निर्णयों को प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक, 1989 में शामिल कर लिया जाएगा, जिसे कि संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है।

बोनस की अधिकतम सीमा

1119. **श्री तम्पन थामस :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के लिए 1600 रुपए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रतिमाह 1600 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता सम्बद्ध बोनस यह मानते हुए परिकलित करने की शर्त कि उनका वेतन 1600 रुपए से अधिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की सभी उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजनाओं तथा तदर्थ बोनस योजनाओं के लिए समान रूप से लागू है।

केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर निदेशालय द्वारा धर-पकड़ किया जाना

1120. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर निदेशालय द्वारा धर-पकड़ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न नगरों में केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर निदेशालय द्वारा कितनी बार धर-पकड़ की गई;

(ग) इन छापों के दौरान कुल कितनी धनराशि/कितना सोना पकड़ा गया;

(घ) गत वर्ष कितनी धनराशि पकड़ी गई; और

(ङ) इनमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय तस्करी का पता लगाने/उसकी रोकथाम करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाता है। परिणामतः चालू कैलेण्डर वर्ष (31 अक्तूबर, 1988 तक) के दौरान मारे गए 434 छापों/मामलों में लगभग 86 करोड़ रुपए मूल्य का निषिद्ध माल अभिगृहीत किया गया है।

(ग) और (घ) कैलेण्डर वर्ष 1987 और 1988 (31 अक्तूबर, 1988 तक) में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पकड़े गए सोने का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1987	15.75
1988 (31-10-1988 तक)	32.00 (अनन्तिम)

(ङ) तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों पर विभागीय न्याय निर्णयों द्वारा अर्थ-दण्ड लगाया जाता है और समुचित मामलों में न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाती है तथा यदि आवश्यक समझा जाता है तो उनको गिरफ्तार/नजरबन्द भी किया जाता है।

गृह निर्माण के लिए बैंक ऋण

1121. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय उद्देश्य के लिए मौजूदा मकान के विस्तार या गृह-निर्माण के लिए, भारतीय

रिजर्व बैंक के निदेशानुसार बैंकों ने ऋण देना बन्द कर दिया है, लेकिन वाणिज्यिक उद्देश्य के भवनों के लिए अभी भी ऋण दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या आवासीय और वाणिज्यिक फ्लैटों के निर्माण के लिए बड़े भवन निर्माताओं को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम की गृह-निर्माण सम्बन्धी वर्तमान योजना की भांति बैंकों को गृह निर्माण/मौजूदा मकान के विस्तार के लिए कम से कम एक योजना लागू करने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों के नाम ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं जिनमें उनसे मकान बनाने और वर्तमान मकानों का विस्तार करने के लिए ऋण देना बन्द करने के लिए कहा गया हो। वस्तु स्थिति यह है कि आवास प्रयोजनों के लिए ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में आवास वित्त नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं जिनके अनुसार कुछ वर्तमान उपबन्धों की व्यवस्थाओं को उदार बना दिया गया है। इस उदार आवास वित्त नीति की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(एक) वाणिज्यिक बैंकों के आवास ऋण की वापसी अदायगी की 10 वर्ष की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।

(दो) अभी तक 5,000/- रुपए तक के आवास ऋण के लिए मार्जिन 20 प्रतिशत और अन्य सभी ऋणों के लिए 50 प्रतिशत था। इन मार्जिनों में क्रमिक आधार पर ढील दी गई है और अधिकतम मार्जिन की सीमा घटाकर 35% कर दी गई है।

(तीन) बैंक अपने विवेकानुसार ऋण की किस्तों को इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि निम्न आय वर्ग आसानी से आवास ऋण ले सके।

(चार) जो व्यक्ति अन्य स्रोतों से धन जुटा सकते हैं, बैंक उन्हें पूरक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेंगे।

(पांच) बैंक अतिरिक्त निर्माण करने, मरम्मत कराने और परिवर्तन कराने के लिए भी ऋण दे सकते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माता भी वित्तीय सहायता के पात्र हैं। लेकिन उनसे वाणिज्यिक दरों पर ब्याज लिया जाता है जबकि व्यक्तियों से रियायती दरों पर ब्याज लिया जाता है। दिनांक 10 अक्तूबर, 1988 से व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं से

आवास वित्त के लिए जाने वाले ब्याज की संशोधित दरें नीचे दी गई हैं :—

ऋण राशि	ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
20,000/- रुपये तक	12.5
20,000/- रुपये से अधिक और 50,000/- रुपये तक ।	13.5
50,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक ।	14.0
1 लाख रुपये से अधिक	14.5 से 16.0

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 5,000/- रुपये तक के आवास ऋण के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि बैंक मकानों को बन्धक रखकर पहले से ही वित्तीय सहायता दे रहे हैं । लेकिन जिन मामलों में सम्पत्ति का बन्धन और सरकारी गारन्टी व्यवहार्य न हो, उनमें बैंक अन्य प्रतिभूति ले सकते हैं ।

आभूषणों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करना

1122. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आभूषणों के निर्यात के लिए किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) वर्ष 1987-88 में तथा इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर की अवधि के दौरान प्रत्येक कम्पनी ने कितना निर्यात किया;

(ग) क्या आभूषणों के निर्यात में वृद्धि हो रही है और इस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो आभूषण निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) वर्तमान निर्देशों के अनुसार आभूषण मदों के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । तथापि, स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले में निर्यातकों के पास स्वर्ण नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी स्वर्ण व्यापार लाइसेंस होने चाहिए ।

(ख) अलग-अलग एककों द्वारा सभी आभूषण मदों के निर्यात के सन्दर्भ में ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) हाल ही में आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सम्बन्धी कई पहल की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत क्रियाविधियों को सरल तथा युक्तिपूर्ण बनाना और यथाआवश्यक शिथिलता देना, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) को स्वर्ण संचय और सप्लाई के लिए सुविधा का प्रावधान, बैंक ऋण सुविधाओं में छूट, आदि ।

निर्यात पर शुल्क वापसी सम्बन्धी योजना में संशोधन

1123. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में निर्यात पर शुल्क वापसी के लिए एक आसान वापसी दर सूची लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन आदि माल के निर्यातकों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) प्रमाणित निर्माता निर्यातकों के लाभ के लिए शुल्क प्रतिअदायगी योजना के अन्तर्गत (और सरलीकृत प्रतिअदायगी दर सूची के अन्तर्गत नहीं) ब्रान्ड दर निर्धारण के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई है ।

सरलीकृत ब्रान्ड दर निर्धारण योजना के अन्तर्गत ब्रान्ड दरें कुछेक रक्षोपायों के अध्यधीन निर्माता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उन आंकड़ों पर अनिवार्य रूप से आधारित होंगी, जो स्वतन्त्र चार्टर्ड इंजीनियर/लागत लेखाकारों/चार्टर्ड लेखाकारों और उन निर्यातकों द्वारा, जो विभाग द्वारा पूर्व-सत्यापन पर जोर दिए बिना ही सम्बन्धित सीमाशुल्क गृहों से स्वीकार्य समझी गई प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए प्राधिकृत हों, विधिवत रूप से अधिप्रमाणित हों । यह सुविधा फिलहाल इंजीनियरी माल, कैमिकल और इलेक्ट्रोनिक मदों के निर्माता-निर्यातकों को दी जाएगी ।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1124. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सभी वस्तुओं के थोक सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस तारीख से और कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सभी वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) हाल के सप्ताहों में थोक मूल्य सूचकांक में घटबढ़ निम्नलिखित रही है :

तिथि	सूचकांक	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3
1-10-88	436.7	+0.3

1	2	3
8-10-88	439.1	+0.5
15-10-88	441.0	+0.4
22-10-88	441.6	+0.1
29-10-88	438.4	—0.7
5-11-88	436.4	—0.5

(ग) सरकार मूल्य स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है तथा इन्हें उचित नियन्त्रण में रखने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, जरूरत के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का आयात करना, सरकारी खर्च में नितान्त किफायत करना, अर्थव्यवस्था में नकदी बाहुल्य को समेटना तथा प्रयत्नों द्वारा अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

जादवपुर फ्लाईओवर (कलकत्ता)

1125. **कुमारी ममता बनर्जी** : **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के जादवपुर फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना मंजूरी के लिए विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जादवपुर में इस समय राज्य सरकार और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से एक ऊपरी-सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। रेलपथ पर पुल विशेष को रेलवे द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया है। अब मुख्यतः, समग्र कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के पूरा होने पर निर्भर करता है (मौजूदा प्रगति 84%)।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फलों की ट्रालियां

1126. **श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रालियों पर ताजा फलों की बिक्री किए जाने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन पर ऐसी कितनी ट्रालियां उपलब्ध कराई गयी हैं; और

(ग) नई दिल्ली स्टेशन पर इन ट्रालियों के लिए प्लेट फार्मों के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) तीन।

(ग) कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। तथापि, परम्परानुसार ये तीनों ट्रालियां बारी-बारी से प्लेटफार्म सं० 1 से 5 तक चलती हैं।

उड़ीसा के लिए स्वीकृत धनराशि

1127. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिए अल्पकालिक ऋण के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि में पिछले कुछ वर्षों से कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से उड़ीसा के एक पिछड़ा राज्य होने के आधार पर उसके लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में मौसमी कृषि कार्यों के वित्त पोषण के वास्ते राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी प्रदान कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	लाख रुपए
1985-86	6675
1986-87	7455
1987-88	7805

उपर्युक्त स्थिति से यह देखा जा सकता है कि सीमाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) विभिन्न मंचों से ऋण के वितरण को बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का उद्देश्य बैंककारी मूलभूत संरचना तथा ऋण की उपलब्धता में क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करना है। वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन से सभी पात्र क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण केन्द्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है। इस मामले पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति तथा राज्य स्तर बैंकर समिति द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

गुंटूर-द्रोणाचलम् रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1128. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुंटूर-द्रोणाचलम् के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गुंटूर और द्रोणाचलम् के बीच मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ख) गुंटूर से द्रोणाचलम् तक 348 कि० मी० की दूरी के आमान परिवर्तन के लिए 34.51 लाख रुपये की लागत के सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी है। इस राशि में कर्नूल और गुन्तकल के बीच समानान्तर बड़े आमान की लाइन हेतु सर्वेक्षण भी शामिल है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसकी रिपोर्ट की जांच किए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

[हिन्दी]

1129. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी के बारे में 6 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूची-II में उल्लिखित महाराष्ट्र की 66 परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी;

(ख) उक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विलम्ब के कारण परियोजनाओं की निर्माण लागत में काफी वृद्धि हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट केन्द्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं होती है। इसके कारण केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से काफी संख्या में टिप्पणियां होती हैं तथा अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण भेजने के लिए राज्य सरकारों के साथ लम्बे समय तक पत्राचार करना पड़ता है। इसलिए, महाराष्ट्र की 66 परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अपेक्षित समय, टिप्पणियों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा उत्तर भेजने पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें बिना पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बहुत-सी परियोजनाएं शुरू कर देती हैं। इससे पूरा होने में विलम्ब तथा परियोजना लागत में वृद्धि होती है। यहां तक कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए भी राज्य सरकार आवश्यक योजना प्रावधान नहीं करती है। इसलिए, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का कारण इसकी स्वीकृति में लिए गए समय पर नहीं थोपा जा सकता।

गैर-सरकारी बैंकों को "करेंसी चेस्ट" सुविधाएं

[अनुवाद]

1130. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी बैंकों को "करेंसी चेस्ट" की सुविधाएं न प्रदान करने के कारण उन्हें भारी हानि उठानी पड़ रही है, जैसाकि 11 जुलाई, 1988 के "हिन्दू", में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी वर्तमान नीति के अनुसार केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को ही "करेंसी चेस्ट" स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को करेंसी चेस्ट के रख-रखाव की भारी जिम्मेवारी को वहन करने के लिए अभी तक पर्याप्त रूप से साधन-सम्पन्न नहीं पाया गया है। बहरहाल, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों तथा करेंसी चेस्ट वाली भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सात अनुषंगी बैंकों की शाखाओं से अपेक्षित करेंसी चेस्ट की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विदेशों से धन भेजे जाने में कमी आना

1131. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से धन भेजे जाने में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशों से धन भेजे जाने में आई इस कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हल्दिया-पांसकुड़ा सेक्शन पर रानीहक में हाल्ट

1132. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के हल्दिया-पांसकुड़ा सेक्शन के हल्दिया और सिल्पाप्रवेश स्टेशनों के बीच रानीहक में यात्री हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था ।

दिल्ली-सहारनपुर के बीच 8 एस० एस० डी० और 9 एस० एस० डी० रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

1133. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागपत और बड़ौत होकर दिल्ली और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 एस० एस० डी० और 9 एस० एस० डी० रेलगाड़ियों को 27 सितम्बर, 1988 से रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन गाड़ियों को गत एक वर्ष में तीन बार रद्द किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन गाड़ियों को हर बार रद्द किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) इन गाड़ियों को पुनः कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिचालनिक आकस्मिकताओं के कारण ।

(घ) गाड़ियों को पुनः चला दिया गया है ।

दिल्ली कार्गो एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क निकासी

1134. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कार्गो एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान की निकासी में सामान्यतः कितना समय लगता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली कार्गो एयरपोर्ट पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानों के सामान की निकासी अवरुद्ध हो जाती है तथा आयात करने वालों को अनावश्यक विलम्ब शुल्क वहन करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का दिल्ली कार्गो एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क निकासी विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार है; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) एयर कार्गो यूनिट, दिल्ली में एयर प्रेषणों की निकासी के लिए लिए जाने वाला औसतन समय लगभग 3-4 दिन होता है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज सही हों ।

(ख) प्रेषणों की निकासी में कभी-कभी विस्तृत संवीक्षा और जांच के कारण और आयातकों/निर्यातकों द्वारा पूर्ण दस्तावेज दाखिल न किए जाने के कारण देरी हो जाती है । ऐसे प्रेषणों की निकासी में अधिक समय लगता है और इसके परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क प्राप्त किया जाता है । इस समय

प्रेषणों की निकासी पर भार उठाने वालों (लोडरों) द्वारा, जो भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन है, हड़ताल किए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) एयर कार्गो यूनिट में सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को तैनात किया जाता है।

ऋण और जमा अनुपात

1135. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1988 को बैंकिंग प्रणाली (राष्ट्रीयकृत क्षेत्र) का राज्यवार ऋण और जमा का राष्ट्रीय अनुपात क्या था;

(ख) उन जिलों का जिलेवार अनुपात क्या है जिनका अनुपात पूरे राज्य के अनुपात से कम है;

(ग) उक्त असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अनुपात में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) मार्च, 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जिलावार सूचना देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मार्च, 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के उन जिलों के ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है जिनका अनुपात राज्य के अनुपात से कम है।

(ग) और (घ) ऋण जमा अनुपात में अन्तर जिला असमानताएं विभिन्न क्रियाकलापों के आधारभूत ढांचे के सहायक आर्थिक विकास उद्यमवृत्ति तथा दिए गए प्रोत्साहनों के अलग-अलग स्तरों के कारण होती है जिनका आगे क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे ऋणों के वितरण में विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापक असमानताओं को दूर करने तथा कमी वाले क्षेत्रों के सभी उत्पादक तथा अर्थक्षम प्रस्तावों के वास्ते अधिक ऋण देने के लिए कारगर कदम उठाएं।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार ऋण: जमा अनुपात
(मार्च, 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण: जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	**49.07**
हरियाणा	64.31

1	2
हिमाचल प्रदेश	37.64
जम्मू और कश्मीर	31.07
पंजाब	42.67
राजस्थान	62.28
चण्डीगढ़	84.23
दिल्ली	45.55
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**47.97**
अरुणाचल प्रदेश	21.50
असम	55.03
मणिपुर	66.18
मिजोरम	21.79
नागालैंड	41.78
सिक्किम	28.70
मेघालय	23.41
त्रिपुरा	48.79
पूर्वी क्षेत्र	**47.63**
बिहार	35.94
उड़ीसा	83.51
पश्चिम बंगाल	49.07
अण्डमान और निकोबार	35.37
मध्य क्षेत्र	**49.67**
मध्य प्रदेश	64.07
उत्तर प्रदेश	44.15
पश्चिमी क्षेत्र	**68.72**
गोवा	30.72
गुजरात	57.23
महाराष्ट्र	75.33

1	2
दादरा और नागर हवेली	65.09
दमन और दीव	22.48
दक्षिणी क्षेत्र	**87.30**
आन्ध्र प्रदेश	82.78
कर्नाटक	94.19
केरल	63.99
तमिलनाडु	100.46
लक्षद्वीप	21.38
पांडिचेरी	54.58
अखिल भारत	61.31

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-2

मार्च, 1988 में अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जिलेवार उन जिलों का ऋण: जमा अनुपात जिनका अनुपात राज्य से कम है

राज्य/जिले		ऋण: जमा अनुपात
1		2
हरियाणा		**65.2**
अम्बाला	—	47.1
भिवानी	—	62.2
गुड़गांव	—	47.8
महेन्द्रगढ़	—	60.8
रोहतक	—	46.2
सोनीपत	—	59.2
हिमाचल प्रदेश	—	**37.5**
बिलासपुर	—	31.9

1		2
चम्मा	—	26.2
हमीरपुर	—	16.7
कांगड़ा	—	21.7
लाहूल और स्पिती	—	20.9
मण्डी	—	37.3
ऊना	—	31.0
जम्मू और कश्मीर	—	**45.2**
अनन्त नाग	—	33.7
बडगाम	—	42.4
बारामूला	—	33.5
डोडा	—	25.1
जम्मू	—	30.1
कार्गिल	—	7.5
कथुआ	—	38.4
कुपवाड़ा	—	43.8
लद्दाख	—	8.4
पूंछ	—	13.2
पुलवामा	—	36.6
राजौरी	—	13.3
उधमपुर	—	24.2
पंजाब	—	**42.8**
अमृतसर	—	40.0
गुरदासपुर	—	36.7
होशियारपुर	—	18.4
जालन्धर	—	25.0
कपूरथला	—	23.7
राजस्थान	—	**62.7**
अजमेर	—	52.8

1		2
बांसवाड़ा	—	52.1
बारमेर	—	53.1
बिकांनेर	—	57.8
चित्तौड़गढ़	—	49.7
चुरू	—	40.7
डूंगरपुर	—	32.2
जयपुर	—	59.2
जैसलमेर	—	32.3
झुंझूनू	—	37.4
जोधपुर	—	47.8
नागौर	—	55.9
सवाई माधोपुर	—	51.8
सीकर	—	35.0
सिरोही	—	45.6
उदयपुर	—	51.4
चण्डीगढ़	—	**83.6**
दिल्ली	—	**48.3**
असम	—	**55.8**
कछार	—	46.4
धुबरी	—	42.8
जोरहाट	—	49.4
काकरोझार	—	41.1
करीमगंज	—	49.2
नार्थ कछार हिल्स	—	19.6
सिबसागर	—	43.9
सोनीतपुर	—	37.6
मणिपुर	—	**67.5**
इम्फाल	—	48.9

1		2
मेघालय	—	**24.2**
ईस्ट खासी हिल्स	—	22.0
नागालैण्ड	—	**40.4**
मोकोकचूंग	—	38.2
तेन सांग	—	15.6
जुन्हेबोटो	—	35.1
मोन	—	27.8
सिक्किम	—	**28.7**
पूर्वी सिक्किम	—	26.3
त्रिपुरा	—	**60.1**
पश्चिम त्रिपुरा	—	51.3
अरुणाचल प्रदेश	—	**21.7**
पूर्व कामेंग	—	14.0
पूर्व सियांग	—	21.1
लोवर सुबनसिरी	—	14.5
तवांग	—	6.2
अपर सुबनसिरी	—	12.3
पश्चिम कामेंग	—	11.6
मिजोरम	—	**29.6**
आईजौल	—	24.8
बिहार	—	**38.6**
औरंगाबाद	—	32.9
भागलपुर	—	34.8
भोजपुर	—	26.7
देवघर	—	32.2
धनबाद	—	25.6
दुमका	—	30.0
गया	—	30.2

1		2
गिरिडीह	—	30.8
गोड्डा	—	36.7
गोपालगंज	—	34.4
गुमला	—	34.4
हजारीबाग	—	34.0
जेहानाबाद	—	34.0
मुंगेर	—	33.6
मुजफ्फरपुर	—	35.9
रोहतास	—	37.4
साहिबगंज	—	28.6
सारन		30.5
सिंहभूम	—	27.7
सिवान	—	35.1
उड़ीसा	—	**89.4**
कटक	—	85.2
धेनकनाल	—	68.7
गंजम	—	58.4
सम्बलपुर	—	71.7
सुन्दरगढ़	—	50.6
पश्चिम बंगाल	—	**52.6**
बांकुरा	—	30.2
बीरभूम	—	38.0
बर्दवान	—	28.7
दार्जीलिंग	—	40.7
हुगली	—	25.7
हावड़ा	—	24.0
जलपाईगुडी	—	36.8
मिदनापुर	—	32.5

1		2
मुर्शिदाबाद	—	36.4
नदिया	—	37.3
नार्थ 24 परगना	—	21.9
कुरूलिया	—	30.3
24 परगना	—	31.8
पश्चिम दीनाजपुर	—	52.4
अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	—	**35.4**
निकोबार	—	33.9
मध्य प्रदेश	—	**65.3**
बालाघाट	—	62.8
बस्तर	—	59.6
बेतुल	—	38.8
भिंड	—	38.8
बिलासपुर	—	46.2
छत्तरपुर	—	50.2
छिंदवाड़ा	—	36.6
दमोह	—	51.6
दतिया	—	49.3
दुर्ग	—	47.4
गुना	—	64.8
ग्वालियर	—	58.7
होशंगाबाद	—	61.6
माल्डा	—	58.2
मन्दसौर	—	59.5
नरसिंहपुर	—	63.0
पन्ना	—	49.2
रायगढ़	—	53.5

1		2
रीवा	—	43.3
सागर	—	51.5
सतना	—	63.6
सनोई	—	46.4
शाहडोल	—	26.4
शिवपुरी	—	57.8
सीधी	—	22.4
सरगुजा	—	22.9
टिकमगढ़	—	62.4
उत्तर प्रदेश	—	**45.5**
इलाहाबाद	—	33.9
अल्मोड़ा	—	24.3
आजमगढ़	—	34.6
बलिया	—	27.6
बांदा	—	42.6
बरेली	—	36.5
बस्ती	—	41.7
बुलन्दशहर	—	38.4
चमोली	—	16.7
देहरादून	—	21.7
देवरिया	—	39.8
इटावा	—	38.1
फैजाबाद	—	36.7
गढ़वाल	—	19.3
गाजीपुर	—	35.8
गोरखपुर	—	36.7
हमीरपुर	—	35.3

1		2
जालौन	—	43.5
जौनपुर	—	27.6
झांसी	—	31.9
लखनऊ	—	42.4
पिथौरागढ़	—	28.4
प्रतापगढ़	—	28.9
सहारनपुर	—	40.1
सुल्तानपुर	—	37.5
टिहरी गढ़वाल	—	22.2
ऊनाव	—	32.7
उत्तर कांशी	—	34.6
वाराणसी	—	40.4
गोवा	—	**31.2**
गुजरात	—	**57.4**
बनासकांठा	—	54.7
भावनगर	—	42.4
डांग	—	46.8
जामनगर	—	35.4
जूनागढ़	—	37.0
खेड़ा	—	34.3
कूच	—	14.3
महसाणा	—	56.5
राजकोट	—	47.4
सूरत	—	45.6
सुरेन्द्रनगर	—	54.7
वालासाढ	—	41.8

1		2
महाराष्ट्र	—	**76.4**
अमरावती	—	54.5
भंडारा	—	65.0
बीड (भीर)	—	61.5
चन्द्रपुर	—	43.4
गढ़चिरोली	—	56.9
जलगांव	—	70.9
नागपुर	—	53.3
नांदेड़	—	70.2
नासिक	—	69.7
ओसमानाबाद	—	72.2
पुणे	—	62.2
रायगढ़	—	51.4
रत्नागिरी	—	29.4
संगोली	—	65.9
सतारा	—	63.5
सिंहदुर्ग	—	31.7
थाना	—	34.7
वर्धा	—	66.2
यवतमाल	—	69.6
दादरा और नागर हवेली	—	**65.2**
दमन और दीव	—	**22.4**
दीव	—	8.0
आन्ध्र प्रदेश	—	**83.1**
अदिलाबाद	—	50.0
अनन्तपुर	—	51.2
चित्तूर	—	73.5

1		2
चुडापथ	—	77.7
ईस्ट गोदावरी	—	70.6
करीमनगर	—	61.6
खम्माम	—	69.8
कृष्णा	—	73.0
प्रकाशम	—	82.8
श्रीकाकूलम	—	69.1
विशाखापट्टनम	—	43.3
विजीनगरम	—	72.1
कर्नाटक	—	**93.2**
बेलगांव	—	67.8
बिदर	—	87.8
बिजापुर	—	78.9
दक्षिण कन्नाड़ा	—	69.7
धरवाड़	—	81.4
गुलबर्ग	—	88.2
हसन	—	84.7
कोडागु	—	69.4
कोलार	—	87.6
मन्दया	—	87.2
मैसूर	—	83.1
टूंकुर	—	83.8
उत्तर कन्नाड़ा	—	55.0
केरल	—	**65,6**
अलप्पी	—	54.4
कनानौर	—	57.0
कोट्टयम	—	60.9

1		2
पालघाट	—	57.9
पथनमथित्ता	—	17.0
त्रिचूर	—	43.8
त्रिवेन्द्रम	—	60.1
तमिलनाडु	—	**99.4**
चिदमबर्नर	—	75.4
चिंगलपुट	—	81.4
कन्याकुमारी	—	61.7
नीलगिरी	—	80.3
नार्थ अर्कोट	—	98.3
पाशुमपोन मथुरामलिंगम	—	60.4
पेरियार	—	79.7
पुदुकोटि	—	90.5
सेलम	—	79.6
साऊथ अर्कोट	—	87.3
तन्जावूर	—	60.6
तिरूचिरापल्ली	—	76.2
तिरूनेलवेली कट्टब	—	61.6
पांडिचेरी	—	**53.0**
करैकल	—	44.7
माहे	—	27.0
यनम	—	46.9
लक्षद्वीप	—	**21.4**

टिप्पण - आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत नई योजनाएं

1136. **श्रीमती मनेम्मा अंजैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कोई नई योजना चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) दिनांक 1-4-1988 से किसान विकास पत्र नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ये पत्र 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के मूल्यों में जारी किए जाते हैं। इन पत्रों में निवेशित राशि 5 वर्ष और 6 महीने में दुगुनी हो जाती है। लम्बी अवधि के लिए ब्याज की उत्तरोत्तर ऊंची दरों के लाभ सहित समयपूर्व नकदीकरण 2 वर्ष और 6 महीने के पश्चात् किसी भी समय अनुमत्य है। इन पत्रों को व्यक्तियों द्वारा अथवा विशिष्ट संस्थाओं द्वारा सीधे ही अथवा अल्प बचत एजेन्टों के माध्यम से विभागीय डाकघरों से खरीदा जा सकता है। इन पत्रों में निवेश करने की कोई सीमा नहीं है। किसान विकास पत्रों में निवेश के लिए आयकर से कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

जौनपुर और ओरिहार के मध्य रेलवे स्टेशन

1137. **श्री राम समुझावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर और ओरिहार के मध्य रेलवे स्टेशनों को "फ्लैग-स्टेशनों" में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यातायात को देखते हुए इस मार्ग पर काराकाट और कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों को पूर्ण स्टेशनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1971 में 4 ब्लाक स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में बदला गया था।

(ख) ये परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित नहीं थे। इसलिए किफायत बरतने के कारण बदला गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन स्टेशनों को ब्लाक स्टशनों में बदलने के लिए कोई परिचालनिक औचित्य नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए बैंकों से ऋण

1138. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण देने हेतु नियमों को सुव्यवस्थित बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में अक्तूबर, 1988 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के विषय पर संशोधित मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिनमें ऋणों की शर्तों को और उदार बना दिया गया है। ये निर्देश ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होते हैं। आवास वित्त नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(एक) वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।

(दो) ऋण के मार्जिन की अधिकतम राशि 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है।

(तीन) जहां तक ऋण के लिए प्रतिभूति का सम्बन्ध है, यदि सम्पत्ति बन्धक रखना या सरकारी गारन्टी व्यवहार्य नहीं है तो बैंक अब अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार कर सकते हैं।

(चार) बैंक अब मकान मालिक के कब्जे के मकान के अलावा, उसे किराएदार के कब्जे के मकान की मरम्मत कराने/परिवर्तन कराने के लिए भी ऋण दे सकते हैं।

(पांच) बैंक अब सार्वजनिक अभिकरणों को जमीन खरीदने और उसका विकास करने के लिए ऋण दे सकते हैं यदि यह सम्पूर्ण परियोजना का एक अंग हो जिसमें जल पूर्ति, जल निकासी, सड़कें, बिजली आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास भी सम्मिलित हो।

सरकारी माध्यमों से अधिक वस्तुओं का आयात न करना

1139. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक वस्तुओं का सरकारी माध्यमों से आयात न करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे विदेशी व्यापार का और अधिक गैर-सरकारीकरण होगा और यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) आयात नीति की सतत समीक्षा की जाती है और जनहित में समय-समय पर उसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

उलुबेडिया नगरपालिका की पेशकश

1140. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उलुबेडिया नगरपालिका से रेल भूमि का विकास कार्यों के लिए और रेल यात्रियों के लाभार्थ उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) उलुबड़िया नगरपालिका से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

(1) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा उलुबड़िया, फुलेश्वर, चेंगल रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे भूमि पर रिक्शा स्टैंड का निर्माण।

(2) चेंगल रेलवे स्टेशन पर स्टेशन की उत्तर दिशा में पूर्वी तथा पश्चिमी समपारों को जोड़ने के लिए फुटपाथ का निर्माण।

(3) बाउड़िया रेलवे स्टेशन से लारेंस जूट मिल क्षेत्र तक अपसर्जित रेलवे साइडिंग की भूमि नगरपालिका को हस्तान्तरित करना।

(4) चेंगल में गौरीगंगा खाल पर कनेक्टिंग सड़क का निर्माण।

(5) उलुबड़िया रेलवे स्टेशन से बाउड़िया रेलवे स्टेशन तक रेलवे भूमि पर दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जिस जल निकास प्रणाली का रख-रखाव किया जा रहा है, उसका पुनरुद्धार।

(ग) (1) उलुबड़िया में रिक्शा स्टैंड के लिए भूमि का विकास किया गया है तथा एक शेड का निर्माण भी किया गया है।

(2) से (5) ये प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

पेरूमान पुल पर फुट-पाथ

1141. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेरूमान रेलवे पुल पर एक फुट-पाथ निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य नवम्बर, 1988 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है।

ताड़ी लाइसेंस धारकों से अग्रिम आयकर की वसूली

1142. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने, ताड़ी लाइसेंस धारकों से अग्रिम आयकर वसूल करने के कारण राज्य सरकार को उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ने वाले कुप्रभाव की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में इन नये प्रबन्ध के कारण उत्पाद निलामियों में बोली-दाताओं का सर्वथा अभाव रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। जब वित्त विधेयक, 1988 में आयकर अधिनियम की धारा 44क ग और 206ग के उपबन्धों का प्रस्ताव किया गया था, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह आशंका व्यक्त की थी कि धारा 206ग में निर्धारित आयकर की वसूली से, राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग के सहज कार्यचालन पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ सकता है जो कि राज्य सरकार के लिए राजस्व की वसूली का प्रमुख स्रोत है। तथापि, अनुमानित लाभ की प्रतिशत दरों और स्रोत पर आयकर के रूप में वसूली की जाने वाली राशि में कमी करने और उपबन्धों का अधिनियमन करने के पश्चात् राज्य सरकार से इस आशय की कोई और अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं कि नए उपबन्धों से राज्य सरकार की राजस्व वसूली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) उपबन्धों के अधिनियमन के पश्चात् इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि आयकर अधिनियम की नई धारा 44कग और 206ग के उपबन्धों के कारण उत्पादन शुल्क विभाग की नीलामियों में बोली-दाताओं का सर्वथा अभाव हो रहा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हेरोइन की तस्करी

1143. **श्री कमल नाथ** :
डा० जी० विजय रामा राव :
श्री पी० एम० सईद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1988 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि तस्करों द्वारा बर्मा की सीमा से, उत्तर-पूर्व क्षेत्र की ओर से कलकत्ता तक स्वापक और अन्य मन:प्रभावी पदार्थों की ढुलाई के लिए थल सेना और अर्ध सैनिक बलों के वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। कुछ मामले, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमा सड़क कार्यदल/केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की गाड़ियों से गांजा पकड़ा गया था, सरकार की जानकारी में आए हैं।

उक्त मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है जिसमें एक मामले में विभागीय जांच भी बैठायी गयी है।

उड़ीसा के सूनावेदा क्षेत्र में तस्करी

1144. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी जिले कोरापुट के सूनावेदा क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या तस्करों द्वारा आदिवासियों को सम्मिलित करके उनका शोषण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस सूनावेदा क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियों को रोकने हेतु तथा आदिवासियों को शोषण से बचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सरकार को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उड़ीसा के जिला कोरापुट के सूनावेदा तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र है जिसकी इस बात से भी पुष्टि होती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कोई भी माल नहीं पकड़ा गया है।

हिमालय के ग्लेशियरों को पिघला कर पानी की सप्लाई

1145. **श्री जी० एस० बासवराजू** :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हिमालय के ग्लेशियरों को कोयला फैलाकर द्रवीभूत करके पानी के सप्लाई में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की कथित योजना पर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण विशेषज्ञों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन में क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हिमालय की बर्फ की चट्टानों (ग्लेशियरों) को पिघलाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में कोई योजना नहीं है। तथापि, कम ऊंचाइयों पर मौसमी बर्फ जोकि हर हालत में जून-जुलाई तक पिघल जाती है, को पिघलाने के लिए एक छोटा प्रयोग करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

छपाई मशीनों का आयात

[हिन्दी]

1146. **श्री मदन पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की पत्रिकाओं की तुलना में पुस्तकों से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुस्तकें छापने के लिए आयात की जाने वाली मशीनों पर लगाया जाने वाला शुल्क पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों की छपाई के लिए आयात की जाने वाली मशीनों पर लगाए जाने वाले शुल्क से बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो दोनों में कितना अन्तर है तथा क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सामान्यतः मुद्रण उद्योग में इस्तेमाल में लायी जाने वाली मशीनरी पर आयात शुल्क मूल्यानुसार 90% है। मुद्रण-मशीनरी की पांच विनिर्दिष्ट मदों पर शुल्क मूल्यानुसार केवल 35% है और यह दर पुस्तकों और साथ ही आवधिक पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों की छपाई के लिए आयातित मशीनरी पर भी लागू होती है। समाचार-पत्र पंजीयक के पास पंजीकृत समाचार-पत्र संस्थापनाओं के लिए जिल्द-साजी मशीनरी के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 40% के आयात-शुल्क की रिआयती दर उपलब्ध है और मूल्यानुसार 60% की रिआयती दर "फोर-कलर शीट-फ्यड आफसेट प्रिंटिंग मशीन" के सम्बन्ध में लागू होती है। अतः मशीनरी पर आयात-शुल्क की दर में उस स्थिति में विशेष रूप से अन्तर नहीं होता है तब उसका आयात, समाचार-पत्रों एवं आवधिक पत्रिकाओं की अपेक्षा पुस्तकों की छपाई के लिए किया जाता है।

अखबारी कागज पर आयात-शुल्क में वृद्धि

[अनुवाद]

1147. **श्री प्रकाश चन्द्र** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखबारी कागज पर आयात-शुल्क में वृद्धि करके इसे चालीस प्रतिशत तक करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखबारी कागज पर आयात-शुल्क में वृद्धि करना प्रेस के लिए हानिकारक परिणाम वाला होगा तथा इससे देश में समाचारपत्रों के परिचालन की प्रगति में गिरावट आएगी;

(घ) क्या सरकार समाचार-पत्रों को बचाने के लिए प्रस्तावित शुल्क को वापस लेने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मारिशस के साथ संयुक्त उद्यम

1148. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ मारीशस के शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त निर्यात को तथा कई अफ्रीकी देशों के साथ तरजीही टैरिफ प्रबन्धों को देखते हुए उस देश में और अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इसमें किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मारीशस में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिलासपुर में लाक्षा का उत्पादन

[हिन्दी]

1149. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिलासपुर में लाक्षा का काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ख) किन स्थानों पर लाक्षा का उत्पादन किया जाता है तथा इसे खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या विगत में वन विभाग द्वारा ही लाक्षा का उत्पादन किया जाता था; और

(घ) क्या लाक्षा का उत्पादन करने वाले आदिवासियों को इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है और यदि हां, तो उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) लाख की उपज मुख्यतः 'पलुस', 'बेर' और 'कुसुम' वृक्षों पर की जाती है । ये वृक्ष बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तथा असम, मेघालय, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं । अधिकांश उत्पाद की अधिप्राप्ति गैर-सरकारी व्यापार द्वारा की जाती है । कुछ राज्य संगठन भी लाख की अधिप्राप्ति करते हैं ।

(घ) कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ के साथ-

आन्ध्र राज्य जनजाति विकास निगम/वन विकास निगम यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि लाख उपजाने वाली जनजातियां लाभप्रद कीमतें प्राप्त करें।

बन्द हुए उद्योगों में डूबी हुई बैंक राशि

[अनुवाद]

1150. श्री [illegible] मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक वर्षवार बन्द हुए उद्योगों में बैंकों की देय कितनी धन-राशि डूबी हुई है; और

(ख) बन्द उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1987 के अन्त में बन्द हुए/परिसमाप्त उद्योगों में 72 लघु उद्योग भिन्न रुग्ण एककों के नाम 128.28 करोड़ रुपए की और 19 लघु उद्योग भिन्न कमजोर एककों के नाम 15.08 करोड़ रुपए की राशि फंसी थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के नाम मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सम्भावित सक्षम रुग्ण एककों के बारे में पुनरुद्धार कार्यक्रम बनाने, वास्तविक उत्पादन गतिविधि की मदद के लिए आवश्यकता पर आधारित ऋण सुविधाएं जुटाने तथा अतिदेय राशियों की विभिन्न चरणों में चुकौती करने की परिकल्पना की गई है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रुग्ण कम्पनियों के सम्बन्ध में निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपाय भी करता है।

इराडी आयोग के लिए कर्मचारियों की संख्या

1151. श्री बी० तुलसीराम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इराडी आयोग" के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण आयोग के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस गतिरोध को कब से अनुभव किया जा रहा है; और

(ग) आयोग को आवश्यक कर्मचारी कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इराडी अधिकरण (रावी और ब्यास जल अधिकरण) के कार्य में न तो कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है और न ही उसमें कर्मचारियों की कोई कमी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंथेटिक वस्त्रों की तस्करी

1152. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के सिंथेटिक वस्त्रों की तस्करी से देश का वस्त्र उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सिंथेटिक कपड़ा देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक अपराध है, अतः तस्करी द्वारा देश में कितना सिंथेटिक कपड़े का माल लाया जा रहा है, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, अभिगृहीत सिंथेटिक वस्त्रों की मात्रा से, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, तस्करी की अधोमुखी प्रवृत्ति का पता चलता है।

वर्ष	अभिगृहीत सिंथेटिक वस्त्रों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1984	1839
1985	1648
1986	1461
1987	875
1988 (30 अक्तूबर तक)	896*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

देश-भर में तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी-रोधी तन्त्र को चुस्त बना दिया गया है। देश में तस्करी द्वारा कितना माल लाया जाता है उसका पता लगाने और उसकी रोकथाम करने में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

सरकार ने अब पोलिएस्टर फाइबर और पोलिएस्टर यार्न के निर्माण के लिए नए कारखानों की स्थापना और मौजूदा क्षमताओं को विस्तार करने की अनुमति दे दी है ताकि निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उत्पादन-लागत में जो बचत होती है उसे प्राप्त कर सकें। इससे स्वदेशी सिंथेटिक कपड़ों की लागत में कमी आएगी और लागत में कमी आने से उनकी तस्करी के बढ़ाव में कमी आएगी।

सिंथेटिक कपड़ों की तस्करी के बढ़ावे में कमी लाने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में, 1 मार्च, 1988 से मानव-निर्मित फाइबर और यार्न पर राजस्व-उद्ग्रहणों में कमी कर दी गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

1153. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक विभिन्न राज्यों में आरम्भ की गई आवास योजनाओं के लिए किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी हां, दिनांक 9 जुलाई, 1988 से राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जा चुकी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।

(ग) यह बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत आवासीय वित्तीय संस्थानों और अनुसूचित बैंकों को उनके द्वारा दिए गए आवासीय ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक आवासीय वित्तीय संस्थानों के शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में धन लगा सकता है तथा आवासीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय दायित्वों के लिए गारन्टी दे सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक साधन जुटाने और आवासीय ऋण प्रदान करने के लिए भी योजनाएं तैयार करेगा जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाएं भी शामिल हैं।

बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्यों से विचार-विमर्श करना

1154. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए पड़ोसी राज्यों से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) इस विषय पर विचार करने हेतु किन-किन देशों ने रुचि दिखाई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) बाढ़ के संकट को दूर करने के लिए नेपाल और भूटान के साथ विचार-विमर्श किया गया है। बाढ़ पूर्वानुमान हेतु वास्तविक समय आधार पर आंकड़े देने के लिए नेपाल के महामहिम सहमत हो गए हैं। भूटान से, इसी प्रकार से आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं।

काफी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति

1155. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष की नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री एस० के० वारियर के 30 सितम्बर, 1987 को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अध्यक्ष के नियमित पद को नहीं भरा जा सका। तथापि, यह पद खाली नहीं था क्योंकि श्री के० सुन्दरराजन ने अध्यक्ष का कार्य-भार सम्भाल लिया था।

(ख) अब एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली गई है।

बिहार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

[हिन्दी]

1156. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री एस० डी० सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों और न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) बिहार उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, तारीख 1-1-1988 को उच्च न्यायालय में 54496 मामले लम्बित थे। तारीख 1-11-1988 को बिहार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के छह पद रिक्त थे।

(ख) तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर, बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए सिफारिशें, पटना उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों को भेज दी गयी हैं। सन् 1977 में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 27 थी जिसे 1981 में बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। स्थायी न्यायाधीशों के चार और पदों को सृजित करने के लिए सहमति हो गयी है। बिहार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तमिलनाडु में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखाधड़ी

[अनुवाद]

1157. **श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से अब तक, तमिलनाडु में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखा-धड़ी/दुर्विनियोग के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर उन्हें बताया है कि जनवरी, 1986 से अब तक तमिलनाडु में उनकी शाखाओं में धोखा-धड़ी/दुर्विनियोजन का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

राजनीतिक दलों को आयकर में छूट

1158. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 13क के अधीन आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है;

(ख) चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर किन-किन राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है; और

(ग) उन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं जिन्होंने शर्तों को पूरा किया है तथा जिन्हें आयकर अधिनियम की उक्त धारा के अधीन छूट दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 13क के अन्तर्गत आय पर छूट प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तें इस प्रकार हैं :—

(एक) राजनैतिक दल को ऐसी लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखना और उनका अनुरक्षण करना होता है जिनसे कि कर-निर्धारण अधिकारी को उसकी आय की उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी मिल सके।

(दो) उसे अंशदान करने वाले व्यक्तियों के नामों व पतों के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक स्वैच्छिक अंशदान की राशि का रिकार्ड रखना होता है तथा उसका अनुरक्षण करना पड़ता है जिसकी राशि 10,000/- रुपए से अधिक होती है।

(तीन) उसे इस सम्बन्ध में अपने खातों की लेखापरीक्षा सनदी लेखापालों अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों से करवानी पड़ती है।

(ख) चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सूचना केन्द्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है।

विवरण

सूची-1

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल

1. भारतीय जनता पार्टी
2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5. भारतीय कांग्रेस (समाजवादी—शरत् चन्द्र सिन्हा)
6. जनता पार्टी
7. लोक दल

सूची-2

क्रम सं०	मान्यता प्राप्त राज्यीय दल	राज्य
1	2	3
1.	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	तमिलनाडु, पांडिचेरी
2.	अखिल भारतीय फार्वर्ड ब्लाक	पश्चिम बंगाल
3.	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग	केरल
4.	असम गण परिषद	असम
5.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	तमिलनाडु, पांडिचेरी
6.	गोवा कांग्रेस	गोवा
7.	हिल पीपुल्स यूनियन	मेघालय
8.	हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मेघालय
9.	भारतीय कांग्रेस (जे०)—भल्ला ग्रुप	हरियाणा
10.	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस	जम्मू व कश्मीर
11.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस	जम्मू व कश्मीर
12.	जम्मू एण्ड कश्मीर पैन्थर्स पार्टी	जम्मू व कश्मीर
13.	केरल कांग्रेस	केरल
14.	केरल कांग्रेस (जे०)	केरल

1	2	3
15.	कूकी राष्ट्रीय असेम्बली	मणिपुर
16.	महाराष्ट्रवादी गोवान्तक	गोवा
17.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	मणिपुर
18.	मिजो नेशनल फ्रन्ट	मिजोरम
19.	मुस्लिम लीग	केरल
20.	नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	नागालैंड
21.	नागालैंड पीपुल पार्टी	नागालैंड
22.	भारतीय कृषक और श्रमिक दल	महाराष्ट्र
23.	पीपुल्स कांफ्रेंस	मिजोरम
24.	पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल	अरुणाचल प्रदेश
25.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	असम
26.	पब्लिक डिमान्ड्स इम्पलीमेंटेशन कन्वेन्शन	मेघालय
27.	रेवुल्यूशनरी सोशिलिस्ट पार्टी	त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
28.	शिरोमणी अकाली दल	पंजाब
29.	सिक्किम कांग्रेस (आर०)	सिक्किम
30.	सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेस	सिक्किम
31.	सिक्किम संग्राम परिषद	सिक्किम
32.	तेलुगु देशम	आन्ध्र प्रदेश
33.	त्रिपुरा उपजाति युवा समिति	त्रिपुरा
34.	यूनाइटिड अल्पसंख्यक फ्रन्ट असम	असम
35.	पांडिचेरी मानीला मक्कल मुन्नानी	पांडिचेरी

समुद्री झींगा पकड़ने के लिए सहायता देने हेतु अभ्यावेदन

1159. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा :**
श्री टी० बाल गौड़ :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री झींगा पकड़ने के सम्बन्ध में फिशिंग ट्रालर्स एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज ओनर्स एसोसिएशन आफ विशाखापटनम द्वारा किया गया अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अभ्यावेदन में सुझाई गई योजनाओं के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को आर्थिक सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन को फिशिंग ट्रालर्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज आनर्स एसोसिएशन आफ विशाखापटनम की ओर से समुद्री झींगा पकड़ने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वे इसकी जांच कर रहे हैं।

"डनिस इण्डस्ट्रीलाइजेशन फण्ड" से ऋण

1160. **श्री जी० भूपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डेनिस इण्डस्ट्रीलाइजेशन फण्ड फार डेवेलपिंग कन्ट्रीज" चुने गए क्षेत्रों में भारत में नए डेनिस-भारत संयुक्त व्यापार के लिए इक्विटी निधि और ऋण प्रदान करने को सहमत था;

(ख) यदि हां, तो उक्त चुने गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसा संयुक्त व्यापार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सितम्बर, 1988 में डेनमार्क आई० एफ० यू० (विकासशील देशों के लिए औद्योगीकरण निधि) दल ने भारत का भ्रमण किया। डेनिश प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग चेम्बर संघ के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठक में डेनिश और भारतीय साझेदारों के बीच खाद्य संसाधन, प्रदूषण नियन्त्रण, बीज सुधार, पौधों के लिए ऊतक प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा, प्रशीतन के लिए सौर ऊर्जा, विद्युत संयंत्रों के लिए डीजल इंजन, परामर्शदायी सेवाएं इत्यादि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए रुचि दिखाई। किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विदेशी सहयोग सम्बन्धी अपनी सामान्य नीति के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। हमें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"दि सैटेनिक वर्सेज" उपन्यास पर प्रतिबन्ध

1161. **श्री पीयूष तिरकी** :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत "दि सैटेनिक वर्सेज" उपन्यास के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने जिन पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11, अन्य बातों के साथ-साथ लोक व्यवस्था को बनाए रखने, शिष्टता, नैतिकता के स्तर को बनाए रखने, भारत की सुरक्षा को बनाए रखने और कोई अन्य प्रयोजनार्थ जो जनसाधारण के हित के लिए साधक हो, तत्समय प्रवृत्त विधि के उल्लंघन को रोकने के लिए तथा विदेशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने में बाधक होने वाले किसी भी प्रकाशन के आयात करने एवं इसके परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति देती है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत लगाए गए ये प्रतिबन्ध सभी प्रकार के प्रकाशनों पर समान रूप से लागू होते हैं भले ही ये प्रकाशन किसी भी देश के हों। चूंकि "सैटेनिक वर्सेज" शीर्षक से सल्मान रशडी द्वारा लिखित पुस्तक की विषय-वस्तु के, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में हानिकारक होने की आशा थी, इसलिए सरकार ने 22 सितम्बर, 1956 की अधिसूचना सं० 77-सी० शु० के तहत अनुदेश जारी करके इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

(ग) इन पुस्तकों के ब्यौरा, सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं होगा। इस प्रकार का प्रकटीकरण लोकहित में भी नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विनिर्दिष्ट पुस्तक अथवा प्रकाशन के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो ऐसी सूचना सदस्य महोदय को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के श्रमिकों की मजदूरी

[हिन्दी]

1162. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ख) उन बैंकों और उनकी शाखाओं का ब्यौरा क्या है, जो इसे कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देने के लिए कितने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधीनस्थ स्टाफ सहित कर्मचारियों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह सम्बन्धित राज्य सरकार के समकक्ष पद के कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्तों के समान होते हैं। अंशकालिक सन्देशवाहकों तथा अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को सामान्य वेतन के 50 प्रतिशत की दर से वेतन दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, जहां निर्धारित मानदण्डों की अनुपालन नहीं किया जा रहा हो। जब भी इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जैसा भी उचित हो, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

सोनीपत और पानीपत में ऊपरी पुल

[अनुवाद]

1163. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-अमृतसर मार्ग पर विशेष रूप से सोनीपत तथा पानीपत में रेलवे स्टेशनों के निकट ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के साथ लागत की हिस्सेदारी से संयुक्त रूप से निम्नलिखित ऊपरी-सड़क-पुलों के निर्माणार्थ रेलवे बजट में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है :—

1. पानीपत में समपार सं० 53-ख के स्थान पर ऊपरी सड़क-पुल।
2. पानीपत यार्ड के दिल्ली छोर पर समपार सं० 51-क के बदले ऊपरी सड़क-पुल।
3. सोनीपत में समपार सं० 26-ख के बदले ऊपरी सड़क-पुल।

आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में लाइब्रेरी-सुविधा

1164. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों की सुविधा के लिए आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में पहली बार लाइब्रेरी-सुविधा कब आरम्भ की गई थी;

(ख) अन्य किन गाड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में यह सुविधा समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी और आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए इस सुविधा को पुनः आरम्भ करेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस के पहले रेंक में चल पुस्तकालय 23-6-85 को और दूसरे रेक में 11-1-1985 को शुरू किया गया था।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा मीनार और कोणार्क एक्सप्रेस गाड़ियों में भी चल पुस्तकालय की व्यवस्था की गई थी।

(ग) गाड़ियों में चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल की व्यवस्था करने सम्बन्धी नीति की 14-5-86 को समीक्षा की गई थी। इस नीति के अनुसार इस सेवा को लागू करना, जारी रखना अथवा हटा देने का विनिश्चय किया जा रहा है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में चल पुस्तकालय की सुविधा पुनः शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1165. **श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के ऐसे स्थानान्तरण आदेशों की संख्या कितनी है जिन्हें बैंक ने रद्द कर दिया था;

(ख) क्या बैंक द्वारा स्थानान्तरण नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली स्थित बैंक की शाखाओं में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है, जो निर्धारित अवधि से अधिक अवधि से दिल्ली में ही तैनात हैं तथा इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1985, 1986 और 1987 में 1281 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया जबकि संदर्भाधीन अवधि के दौरान 164 स्थानान्तरण आदेश रद्द/संशोधित किए गए।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि बैंक सरकार के अनुदेशों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के आधार पर तैयार की गई स्थानान्तरण नीति को कार्यान्वित कर रहा है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि एक महिला अधिकारी को मानवीय आधार पर दिल्ली में रखा गया है। उन्हे दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कामसमुद्र और मारिकुप्पम के बीच रेल लाइन बिछाना

1166. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रेलवे में कामसमुद्र और मारिकुप्पम के बीच बारस्ता ऊरगाम एक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) कामसमुद्रम और मारिकुप्पम पहले ही ऊरगाम तथा बंगारपेट के रास्ते बड़े आमान की रेल लाइन से जुड़े हैं।

आठवीं योजना के लिए धन जुटाने हेतु आर्थिक सुधार

1167. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री हरिहर सोरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक भारी संसाधनों को जुटाने हेतु

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के प्रयासों को सुविधा देने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख वित्तीय सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में, अनेक उपाय किए गए हैं। आगे और सुधार करने क आवश्यकता की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और इसमें सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की संसाधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के ब्यौरे इस समय तैयार किए जा रहे हैं।

संसद के अधिनियम

1168. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय, वर्ष-वार, संसद् द्वारा पारित अधिनियमों को प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984, 1985 में संसद् द्वारा पारित अधिनियम अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ये जनता को क तक उपलब्ध कराए जाएंगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के संसद् के वार्षिक अधिनियम उपलब्ध हैं और अपेक्षित प्रतिय संसद् सचिवालय को संसद् सदस्यों में वितरण के लिए भेज दी गईं थीं। इन जिल्दों की प्रतियां पर्या संख्या में जनता को विक्रय के लिए भी उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करना

1169. **श्री कमल चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने हेतु जनवर 1987 से लेकर सितम्बर, 1988 तक कितने छापे मारे गए;

(ख) कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए और उनसे उक्त अवधि में जुर्मान रूप में कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या बिना टिकट यात्रा करने के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने हेतु और कौन से कदम उठा गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पंजाब में 1 जनवरी, 1987 से 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान आयोजित जांचों की संख्या, बिना टिकट अथवा अनुपयुक्त टिकट के बिना यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या, वसूल की गई रेलवे को देय राशि तथा अदालती जुर्माने के रूप में वसूल की राशि आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i) आयोजित जांचों की संख्या	15,948
(ii) बिना टिकट अथवा अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	2.56 लाख
(iii) वसूल की गई रेलवे को देय राशि	73,60,598 रुपए
(iv) अदालती जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि	1,26,062 रुपए

(ग) और (घ) पंजाब क्षेत्र में बिना टिकट यात्रा में मामूली सी वृद्धि हुई है। 1 जनवरी, 1987 से सितम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट अथवा अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए 2,56,334 व्यक्ति पकड़े गए थे जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 2,10,952 व्यक्ति पकड़े गए थे।

बिना टिकट यात्रा की रोकथाम हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांचों सहित चलाए गए गहन अभियानों के अलावा बिना टिकट यात्रा को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। (i) रेलवे समय-सारणियों में सूचना प्रकाशित करके, अखबारों में विज्ञापन देकर तथा रेडियो द्वारा बिना टिकट यात्रा के जोखिमों तथा परिणामों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है (ii) सिनेमा घरों तथा दूरदर्शन पर लघु फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं (iii) शिक्षा संस्थानों में भाषण दिए जाते हैं तथा (iv) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के बारे में प्रायः उद्घोषणाएं की जाती हैं।

निर्यात में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि

1170. **श्री एस० बी० थोरात : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-86 के दौरान भारत के निर्यात की औसतन वार्षिक वृद्धि प्रतिशतता बंगलादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर और हांगकांग जैसे छोटे देशों की अपेक्षा बहुत कम थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-1986 की अवधि के दौरान भारत के निर्यात की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि डालर में 1.47 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि बंगलादेश में 10.31 प्रतिशत, पाकिस्तान में 9.75 प्रतिशत, सिंगापुर में 2.17 प्रतिशत तथा हांगकांग में 14.41 प्रतिशत थी। इसके कारण ये थे, बड़ी घरेलू मांगों की पूर्ति की आवश्यकता, निर्यात बाजार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रौद्योगिकी में समसामयिक तथा

कीमतों में प्रतियोगी वेशी माल की कमी तथा घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदता तथा का क्वालिटी की मांग, आदि ।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इनका उद्देश्य है निर्यात के लिए अधिक वेशी उत्पादन करना, प्रौद्योगिकी में समसामयिक तथा कीमतों में प्रतियोगी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा निर्यातों को लाभप्रद बनाना । सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फल स्वरूप भारत के निर्यातों में वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमश: रुपयों में 15.4 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत और डालरों में 10.5 प्रतिशत और 23.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

1171. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 27 दिन के वेतन के अनुसार बोनस देने के बजाए उनके वार्षिक वेतन का 8.33% की दर से बोनस के रूप में भुगतान करने की मांग की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए लेखा वर्ष 1987-88 के लिए 27 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की घोषणा की गई थी जिसमें वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर पर तदर्थ बोनस देने की मांग की बात भी शामिल थी ।

ऋण का कम्पनियों के इक्विटि शेयरों में परिवर्तन

1172. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋण के साथ एक विनिमय खण्ड है जिसके अन्तर्गत इस ऋण को कम्पनियों के इक्विटि शेयरों के अंकित मूल्य में परिवर्तित कर दिया जाता है;

(ख) क्या विभिन्न कम्पनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रीमियम पर इक्विटि शेयरों में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) वर्तमान मार्ग निर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाएं ऐसे प्रत्येक मामले में जहां 5 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है "संपरिवर्तनीयता खण्ड" रख लेती हैं । अलबत्ता जहां परियोजना वित्त के लिए रुपयों में दी जाने वाली कुल सहायता 5 करोड़ से अधिक नहीं होती है और सभी वित्तीय संस्थाओं की

ल शेयर धारिता गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में 26% से अधिक तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में 40 प्रतिशत से अधिक होती है उनमें कोई संपरिवर्तनीयता खण्ड नहीं रखा जाता। संपरिवर्तनीयता खण्ड रखने के लिए केवल रुपया सहायता को ही हिसाब में लिया जाता और विदेशी मुद्रा ऋणों को मार्ग निर्देशों की परिधि से बाहर रखा जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने जून 1986 में यह निर्णय लिया कि गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय अंश को इक्विटी शेयरों में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तब से ऐसे किसी परिवर्तन का अनुमोदन नहीं किया गया है।

राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1173. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में व्यापार संतुलन और विकासशील देशों पर ऋण के भार को कम करने के लिए कोई नई नीति खोजी गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों के ऋण को बिना शर्त माफ किए जाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सितम्बर, 1988 में राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, मंत्रियों ने अनेक विकासशील देशों की गम्भीर ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान करने के लिए निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन देशों के ऋण भार में कमी करने के लिए सरकारी ऋणदाताओं द्वारा हाल ही में की गई पहल का स्वागत किया तथा सबसे गरीब और अत्यधिक ऋणी देशों को ऋण सम्बन्धी राहत देने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने आग्रह किया कि विकासशील देशों के ऋण भार को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सहमत कार्यक्रमों का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए और यह कार्यान्वयन इस ढंग से किया जाए कि जिससे साधनों के अन्तरण पर व्यापक प्रभाव पड़े।

(ख) जी, नहीं।

ऋण और भुगतान लेन-देन के लिए लेखाकरण इकाई

1174. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण और भुगतान लेन-देन के लिए एक अलग से लेखाकरण इकाई स्थापित करने के सुझाव की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रांची, बिहार में दूसरा समाहर्तालय खोला जाना

[हिन्दी]

1175. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में 600 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं;

(ख) क्या उन स्थानों में पृथक समाहर्तालय हैं, जहां से 150 करोड़ रुपए अथवा 200 करोड़ रु० का उत्पादन-शुल्क वसूल किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रांची में दूसरा समाहर्तालय न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान बिहार राज्य से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क राजस्व की वसूली 600 करोड़ रु० से कुछ अधिक थी।

(ख) कुछेक केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालय ऐसे हैं जिनमें वार्षिक राजस्व की वसूली लगभग 200 करोड़ रु० अथवा उससे कम है।

(ग) वसूल की गई राजस्व की मात्रा ही नए समाहर्तालयों का गठन करने के लिए केवल मापदण्ड नहीं हैं। इस समय रांची में एक अलग केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालय के खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैर-सरकारी शेयर बाजार

[अनुवाद]

1176. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में गैर-सरकारी शेयर बाजार को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कम्पनियों की ओर से शेयर ऋण पत्र की खरीद-बिक्री का कार्य सौंपने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

वसूली के लिए बकाया कर

1177. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1988 तक वसूली के लिए कितनी बकाया धनराशि का पता लगाया गया है; और

(ख) उसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर 3993.56 करोड़ रुपए की सकल बकाया मांग में से 1617 करोड़ रुपए वसूली के लिए बकाया थे। इसमें, मुकदमेबाजी में ग्रस्त वह राशि भी शामिल है जिसके बारे में वसूली स्थगन की याचिकाओं पर अभी निर्णय होना है।

(ख) बकाया कर की वसूली के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में ये शामिल हैं—अर्थ दण्ड लगाना, अन्य पक्षों को यह निर्देश देते हुए गार्निशी आदेश जारी करना कि वे चूककर्ता को देय राशि की अदायगी करें और वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ताकि कर-वसूली अधिकारी परिसम्पत्तियों की कुर्की-बिक्री करके वसूली कर सकें। उपयुक्त मामलों में चूककर्ताओं को गिरफ्तार करके उन्हें सिविल कारागार में रखा जाता है। प्रशासनिक तौर पर, बकाया में कमी लाने के लिए कार्य-योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर प्रगति का परिवीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में बकाया कर की अदायगी को आकर्षक बनाने हेतु दिनांक 1-7-88 से 30-9-88 तक एक "टाईम विन्डो" योजना चलाई गई थी। यह योजना दिनांक 31-3-1986 तक प्रमाणित मांगों पर लागू थी। उपर्युक्त अवधि में जिस किसी ने भी अदायगी कर दी थी उसे कर की देर से अदायगी करने पर लगने वाले ब्याज में 50% की माफी प्राप्त हो गई थी।

निर्यात प्रोत्साहन पर व्यय धनराशि

1178. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 तक सरकारी मुद्राकोष से देश में "निर्यात प्रोत्साहन" की विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इसके लिए धनराशि जारी करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) क्या इससे व्यय की गई धनराशि के अनुपात में लाभ प्राप्त हो रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) निर्यात संवर्धन के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 की अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गयी अनुमानित बाजार विकास सहायता (एम० डी० ए०) निम्नलिखित थी :—

	(करोड़ रु० में)
1. उत्पाद संवर्धन तथा वस्तु विकास	553.53**
2. निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों के लिए अनुदान सहायता	6.58
3. निर्यात ऋण विकास	50.07
योग :	610.18

**अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के लिए भुगतान शामिल है।

उपरोक्त व्यय में प्रश्न के भाग (ख) के नीचे दिए गए उत्तर में उल्लिखित विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान शामिल हैं।

(ख) बाजार विकास सहायता का उपयोग कतिपय निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए नकद मुआवजा सहायता देने के लिए तथा विदेशी बाजारों के विकास के लिए स्कीमों तथा परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा इसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल रहते हैं :—

(क) बाजार अनुसंधान, वस्तु अनुसंधान, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम।

(ख) निर्यात प्रचार तथा जानकारी का वितरण।

(ग) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता।

(घ) विदेशों में कार्यालयों तथा शाखाओं की स्थापना।

(ङ) व्यापार प्रतिनिधिमण्डल तथा अध्ययन दल। (प्रशासनिक खर्चों तथा निर्यात/व्यापार सदनों के प्रतिपूर्ति हेतु सहायता शामिल है)।

(च) निर्यात के विकास तथा विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य अनुमोदित संगठनों को अनुदान सहायता; और

(छ) कोई अन्य योजना जो आमतौर पर विदेशों में भारतीय उत्पादों और वस्तुओं के बाजार विकसित करने के लिए हो।

एम० डी० ए० के अन्तर्गत सहायता का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिए गए लदान-पूर्व तथा लदान पश्चात् ऋण के लिए ब्याज उपदान की अदायगी के लिए भी किया जाता है।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए 18795 करोड़ रु० का लक्ष्य रखा गया है जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान 15719.36 करोड़ रु० का अनन्तिम निर्यात लक्ष्य था। अप्रैल-अगस्त, 1988 के दौरान 7312.99 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जबकि अप्रैल-अगस्त, 1987 के दौरान 6074.67 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। इस प्रकार लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

1179. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब तक कितने प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और किस मानदण्ड के आधार पर शेष रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा;

(ख) क्या छोटी लाइन और मीटर लाइनों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक आरम्भ किया जाएगा और किस मानदण्ड के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अभी तक, कुल 61975 मार्ग किलोमीटर रेल लाइनों में से 8242 मार्ग किलोमीटर अर्थात् 13.3 प्रतिशत मार्ग विद्युतीकृत है। विद्युतीकरण डीजल कर्षण के विकल्प की तुलना में निवेशों पर वित्तीय प्रतिफल के आधार पर शुरू किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विद्युतीकरण, भारी पूंजी निवेश का कार्य होने के कारण, केवल यातायात की उच्च घनत्व वाली लाइनों का ही करना औचित्यपूर्ण है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रक्षेपणों में भी यातायात का घनत्व केवल बड़ी लाइन मार्गों के विद्युतीकरण का ही औचित्य ठहराता है।

धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन सिने-कलाकारों को छूट

[अनुवाद]

1180. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव को अधिसूचित करने के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुदेश जारी करने के बारे में विचार कर रही है कि सिने-कलाकार ऐसे व्यवसायी हैं जो धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 5(i)(एक्स-ए) के अधीन छूट प्राप्त करने के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चितौनी-बाधा रेल एवं सड़क पुल

[हिन्दी]

1181. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चितौनी-बाधा रेल एवं सड़क पुल के सम्बन्ध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने जुलाई, 1988 में आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

मंजूरी के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाएं

1182. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना और शिवपुरी जिले समेत मध्य प्रदेश की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी, और इससे कितनी भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी;

(ग) राज्य सरकार को कौन-कौन सी योजनाएं वापस भेजी गयी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त 18 वृहद एवं 4 मध्यम स्कीमों को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन न किए जाने के कारण लौटा दिया गया ।

अन्य 10 वृहद एवं 5 मध्यम स्कीमों में से 4 वृहद एवं 4मध्यम स्कीमों का तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष स्कीमों पर टिप्पणियों को अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है ।

बीमा कम्पनियों द्वारा "नो क्लेम बोनस" का भुगतान

[अनुवाद]

1183. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस ग्राहक को "नो क्लेम बोनस" नहीं दिया जाता जो अपनी वाहन का कम्प्रेहेंसिव बीमा एक कम्पनी से कराता है परन्तु अपनी पालिसी का नवीकरण दूसरी कम्पनी से कराता है;

(ख) यदि नहीं, तो "नो क्लेम बोनस" स्वाभाविक रूप से न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) बीमा कम्पनियों को इस सम्बन्ध में निर्देश देने और इस प्रकार उक्त बोनस से वंचित हुए लोगां को "नो क्लेम बोनस" देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके मन्त्रालय और बीमा कम्पनियों को इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं । किसी दूसरी कम्पनी से पालिसी का नवीकरण कराने के मामले में "नो क्लेम बोनस" नवीकरण नोटिस के आधार पर या पहली बार पालिसी जारी करने वाले कार्यालय के उस पत्र के आधार पर दिया जाता है जिसमें "नो क्लेम बोनस" की वह प्रतिशतता प्रमाणित की हो जिसके लिए बीमाकृत हकदार है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) इस सम्बन्ध में बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जांच-पड़ताल के बाद ऐसे सभी मामलों में उचित कार्रवाई की गई थी ।

पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस के आगमन/प्रस्थान समयों में परिवर्तन

1184. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 नवम्बर, 1988 से कुछ एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों के गन्तव्य स्थान से उनके आगमन/प्रस्थान समयों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन गाड़ियों में से 915/916 पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 175-176 नीलांचल एक्सप्रेस के समयों में भी परिवर्तन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के संसद सदस्यों और दैनिक यात्रियों ने इन परिवर्तनों का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में पुनः विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) परिचालनिक तथा उपयोगकर्त्ताओं की जरूरतों को देखते हुए 1-11-88 से लागू समय-सरणी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ङ) यथोचित विचार के बाद ही ये परिवर्तन किए गए हैं।

हंगरी के साथ व्यापार समझौता

1185. **श्रीमती डी० के० भन्डारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने के लिए हंगरी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित वस्तुओं सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हंगरी द्वारा कुछ ऋण देने की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी शर्तों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारत और हंगरी दोनों देशों की सरकारें इस बात के लिए सहमत हो गईं कि दोनों राष्ट्रों के मध्य होने वाले द्विपक्षीय व्यापार को अगले दो वर्षों में दो गुना करने के प्रयास किए जाएं। द्विपक्षीय व्यापार ढांचे के विविधीकरण और बढ़ोतरी के जरिए और संयुक्त उद्यमों, उत्पादन सहकारिता, सेवा क्षेत्र में सहकारिता आदि आर्थिक सहयोग के नए तरीकों को प्रत्साहित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भारत को हंगरी से उपस्कर और मशीनरी, जिसमें थर्मल पावंर स्टेशनों के लिए उपस्कर भी शामिल-हैं, की आपूर्ति के लिए धन प्रदान करने हेतु हंगरी सरकार ने 200 मिलियन सं० रा० अमरीकी डालर के एक मिश्रित ऋण का प्रस्ताव रखा है। इसमें सरकार से सरकार को 150 मिलियन सं० रा० अमरीकी डालर का ऋण तथा आपूर्तिकर्ताओं का 50 मिलियन सं० रा० अमरीकी डालर का ऋण है। यह मामला अब भी विचाराधीन है और हाल ही में अक्तूबर, 1988 में नई दिल्ली में सम्पन्न भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों की सरकारें इस बात पर राजी हो गयीं कि इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिए इस पर विचार-विमर्श जारी रखा जाए।

जीवन बीमा निगम की आम आदमियों के लिए योजनाएं

1186. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा प्रारम्भ की गई दो योजनाओं अर्थात् "बीमा सन्देश" और "जीवन धारा" का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम का आम आदमियों के लाभ हेतु कुछ और योजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) "बीमा सन्देश" एक व्यापक बिना लाभ की सावधि बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान मृत्यु होने पर बीमित राशि की अदायगी और अवधि के अन्त तक जीवित रहने की स्थिति में अदा किए गए पूरे प्रीमियमों को वापिस करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रीमियम की अदायगी करके दुर्घटना बीमा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि बीमित व्यक्ति की सभी विद्यमान पालिसियों के अन्तर्गत कुल राशि 5 लाख रुपए की समग्र सीमा में हो।

"जीवन धारा" एक आस्थगित वार्षिकी योजना है जिसके अन्तर्गत वार्षिकीग्राही को चयनित आयु से उसकी मृत्यु होने तक नियमित वार्षिक अदायगियां की जाती हैं और वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को एक-मुश्त अदायगी की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिकी की अदायगी शुरू होने तक स्थगित अवधि के दौरान प्रीमियम देय होते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम का तत्काल कोई नई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीमा करवाने वाली जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर उपयुक्त नई योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है।

वडोदरा-अहमदाबाद-सूरत खण्ड के लिए ई० एम० यू० रेलगाड़ियां

1187. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के वडोदरा-अहमदाबाद-सूरत खण्ड में पिछले कई वर्षों से

बढ़ती भीड़ के बारे में तथा इसके कारण दैनिक यात्रियों को भारी मुसीबत होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपर्युक्त खण्ड में ई० एम० यू० रेलगाड़ियां चलाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विरार-सूरत-वडोदरा-अहमदाबाद खण्ड पर ई० एम० यू० किस्म की गाड़ियां चलाने के लिए इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण करने हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

1188. **श्री फूलरेणु गुहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की कितनी परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के पूरी होने में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में इस समय अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त चार परियोजनाएं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से पश्चिम बंगाल में चल रही परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	उधार की राशि (लाख डालर)	करार की तारीख	समापन तिथि	उपयोग की गई राशि (30 सितम्बर, 1988 तक) (लाख डालर)
1.	पश्चिम बंगाल सामाजिक वानिकी परियोजना	290	24-2-1982	31-12-1988	179.77
2.	तृतीय कलकत्ता शहरी विकास परियोजना	1470	8-6-1983	31-3-1989	622.01
3.	चौथी जन संख्या परियोजना	510	24-9-1985	31-8-1991	63
4.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	990	27-9-1985	31-3-1991	20.86

हल्दिया-पंसकुरा मार्ग पर यातायात अवरोध

1189. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में हल्दिया और पंसकुरा के बीच यात्री रेलगाड़ी और मालगाड़ी चलाने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में इस रेल लाइन पर प्रदान की गई यात्रा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) पांसकुड़ा-हल्दिया के बीच दोहरी लाइन बिछाने, सभी स्टेशनों पर रोशनी और ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था करने, पहुंच मार्गों की मरम्मत करने तथा कुछ गाड़ियों का समय-क्रम बदलने सहित गाड़ियों के समय पर चालन की मांग के समर्थन में जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप 1-11-1988 को हल्दिया-पांसकुड़ा खण्ड के बर्दा स्टेशन पर गाड़ियों के चालन में बाधा पड़ी थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है :—

1. 6-3-1987 को राजगोदा और तामलुक के बीच स्थित शहीद मातंगिनी हाल्ट नामक यात्री हाल्ट खोला गया था।

2. तीन स्टेशनों अर्थात् राजगोदा, महिषादल और केशवपुर-में नयी पहुंच सड़कों की व्यवस्था की गयी है।

3. महिषादल में अतिरिक्त नलकूप की स्थापना के अलावा वसुल्या सुतहाता स्टेशन पर पीने के पानी के लिए हैंड नलकूप लगाए गए हैं।

4. महिषादल और बर्दा में प्लेटफार्मों पर कंक्रीट का पुनः फर्श डाला गया है।

चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम

1190. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों में उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू किए गए कल्याण कार्यक्रमों तथा योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चाय बोर्ड, उत्तर बंगाल में कोई स्कूल अथवा कालेज चलाता है अथवा इन्हें स्थापित करने और चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर बंगाल में अस्थायी और स्थायी चाय बागान श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चाय बोर्ड सामान्यतः माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा सामान्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वजीफे देता है जिसमें

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। तथापि, विकलांग तथा मन्दबुद्धि विद्यार्थियों के मामले में वजीफा प्राथमिक स्तर से ही दिया जाता है। वजीफा योजना के अन्तर्गत शिक्षा-शुल्क तथा छात्रावास शुल्क निर्धारित सीमा के अनुसार वास्तविक खर्च के आधार पर दिया जाता है। तथापि, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा आरम्भ होने से वजीफे का भुगतान केवल छात्रावास शुल्क तथा पुस्तक अनुदान के लिए ही किया जाता है। उत्तर बंगाल के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के लिए इस खाते में किया गया खर्च निम्नलिखित है :

वर्ष	खर्च
1985-86	34,248.00 रु०
1986-87	36,764.00 रु०
1987-88	66,040.00 रु०

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर बंगाल में अस्थाई तथा स्थायी चाय बागान कामगारों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

आवासी	बाहरी	कुल
182809	27547	210356

खड़गपुर-पांसकुड़ा-सन्तरागाछि मार्गों पर अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाना

1191. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर और पांसकुड़ा के बीच एक तीसरी रेल लाइन बिछाने और पांसकुड़ा तथा सन्तरागाछि के बीच एक चौथी रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खड़गपुर और पांसकुड़ा के बीच तीसरी लाइन का सर्वेक्षण नवम्बर, 1988 तक और पांसकुड़ा और सन्तरागाछि के बीच चौथी लाइन के लिए सर्वेक्षण जनवरी, 1989 तक पूरा हो जाने

की सम्भावना है। उस अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण करने और सुविस्तृत आंकड़ों को भी संकलित करने के कारण विलम्ब हुआ है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में आदर्श रेलवे स्टेशन

1192. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में प्रत्येक प्रस्तावित रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ख) क्या इस मामले में इन क्षेत्रों के जन-प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नौ स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। प्रत्येक माडल स्टेशन पर खर्च की जाने वाली राशि नीचे दर्शायी गयी है :

1. रांची	124.76 लाख रुपये
2. बिलासपुर	207.00 लाख रुपये
3. रायपुर	55.90 लाख रुपये
4. दुर्ग	55.58 लाख रुपये
5. टाटानगर	105.00 लाख रुपये
6. खड़गपुर	161.45 लाख रुपये
7. भुवनेश्वर	163.00 लाख रुपये
8. गोंदिया	159.55 लाख रुपये
9. विशाखापत्तनम	105.50 लाख रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामान्यतः भारतीय रेलों पर प्रत्येक मण्डल से एक स्टेशन को माडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। माडल स्टेशनों पर सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे सौन्दर्यपरक अभिकल्प तथा यात्री सुविधाओं के मामले में अन्य सभी स्टेशनों का पथ प्रदर्शन कर सकें। रेलों ने क्षेत्रीय मुख्यालय, मण्डल मुख्यालय, राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनों तथा विशिष्ट महत्व के अन्य स्थानों जैसे उपयुक्त स्थलों पर माडल स्टेशनों को चुना है।

ब्रिटेन की एक फर्म से रेलगाड़ियों के सेटों का आयात

1193. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने ब्रिटिश रेल इंजीनियर्स लिमिटेड को दो ऐसे रेलगाड़ी सैट सप्लाई करने का ठेका दिया है जो विद्युतीकृत दिल्ली-कानपुर मार्ग पर, परीक्षण के तौर पर 160 कि० मी० प्रति घण्टे की गति से चलने में सक्षम हों;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सप्लाई कब से की जाएगी;

(घ) इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) क्या सरकार का इस तरह की रेलगाड़ियों का देश में ही निर्माण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे 42 सवारी डिब्बों के लिए आदेश दिया गया है। साज-सामान सहित कोच बाडी मैसर्स बी० आर० ई० एल०, यू० के० द्वारा सप्लाई की जा रही है तथा इसके लिए बोगियां मैसर्स फियट, इटली द्वारा।

(ग) सवारी डिब्बों की सप्लाई आदेश लागू होने की तारीख से 24 महीनों में शुरू होगी।

(घ) प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण सहित बाडियों की पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत 20,194,414 पौंड तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित बोगियों की पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत 11,253,600 डी० एम० है। हार्डवेयर लागत के लगभग 5% तक पुर्जे भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ङ) जी हां। सर्वप्रथम इन सवारी डिब्बों का निर्माण रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में करने का प्रस्ताव है।

चांदी की तस्करी

1194. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में देश से बाहर चांदी की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान देश से वायुमार्ग, सड़क तथा जलमार्ग से पड़ोसी देशों को तस्करी किए जाते समय सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा में चांदी पकड़ी गई; और

(ग) देश से चांदी की तस्करी रोकने एवं समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, अतः किसी निश्चित समय में तस्करी द्वारा देश में लाई गई अथवा देश से बाहर ले जाई गई चांदी की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। हाल ही में किये गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि अब चांदी को तस्करी द्वारा देश में लाया जा रहा है, न कि देश से बाहर भेजा जा रहा है, जैसा कि पहले किया जाता था, क्योंकि इस समय देश के बाजारों में चांदी का मूल्य (लगभग 6200 रु० प्रति किलोग्राम) इसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य (लगभग 3100

प्रति किलोग्राम) से अधिक है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत चांदी की मात्रा और उसका मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1986	10949	4.57
1987	16994	9.06
1988 (अक्तूबर तक)	13001*	8.19*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

इन आंकड़ों से तस्करी की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी होने का पता चलता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तस्करी में तेजी आई है बल्कि ज्यादा कारगर तस्करी-रोधी उपायों के कारण से भी ऐसा हो सकता है।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और देश-भर में, विशेषतया भू-सीमाओं और समुद्र-तटीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों के सुगम्य क्षेत्रों में, तस्करी-रोधी तन्त्र को चुस्त बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। एक्सरे असबाब मशीन, धातु-खोजी यन्त्र, रात्रि को प्रयोग में लाई जाने वाली दूरबीन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे परियोजना

1195. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण कब पूरा होगा;

(ख) एसप्लेनेड, बेलगछिया और श्यामबाजार के बीच वर्तमान कार्य-चरण कब तक पूरा होगा;

(ग) इस परियोजना की मूल लागत और संशोधित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लागत में अधिक वृद्धि को रोकने के लिए इस परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कलकत्ता मेट्रो रेलवे के भागों में यथा दमदम से बेलगछिया और एस्प्लनेड से टालीगंज तक काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और उसे अप्रैल, 1986 तक विभिन्न चरणों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए खोल दिया गया था।

(ख) 1991 तक, बशर्ते कि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि के बचे हुए हिस्से, जो परियोजना के निर्माण के लिए जरूरी हैं, की तुरन्त सुपुर्दगी कर दे।

(ग) मूल स्वीकृत अनुमान	—	140 करोड़ रुपये
संशोधित स्वीकृत अनुमान	—	864 " "

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वे परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के शेष भाग को अविलम्ब सुपुर्द कर दे। परियोजना के लिए अपेक्षित धनराशि के आबंटन में भी प्राथमिकता दी जा रही है।

पुराने और नए शेयरों की रैंकिंग

1196. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने और नए शेयरों की समरूप रैंकिंग पर कोई दिशा निदेश तैयार किए गए हैं और देश में स्टाक एक्सचेंज द्वारा उनके कार्यान्वियन के लिए निर्धारित की गई रूपात्मकताएं क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अच्छे और बुरे मामलों के बीच निर्णय करने के लिए कोई मानदण्ड भी तैयार किए गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों को इस आशय की व्यवस्था करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं कि विद्यमान शेयरों सहित अनुवर्ती शेयर निर्गमों से व्युत्पन्न नए शेयरों के सम्बन्ध में केवल एक कोटेशन दी जाए और नए शेयरों को इन कोटेशनों के आधार पर समानुपातिक मात्रा में इस लाभांश की रकम की, यदि कुछ हो, जोकि पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्ध रखता है, कटौती करके सुपुर्द किए जाने की अनुमति दी जाय। उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों ने कार्रवाई की है।

(ग) सरकार ने जुलाई, 1983 में स्टाक एक्सचेंजों में दस्तावेजों की सही अथवा गलत सुपुर्दगी के सम्बन्ध में मार्ग-निदेश जारी किए थे। इन मार्ग-निदेशों में ऐसी स्थितियों का सुनिश्चयन किया गया है जिनमें दस्तावेजों की सुपुर्दमी को जो स्टाक एक्सचेंजों में की जाए, नियमित अथवा अनियमित माना जा सकता है। इन मार्ग-निदेशों में अन्तरण दस्तावेजों, शेयर प्रमाण-पत्रों तथा विविध मदों के सम्बन्ध में नियमन किया गया है।

रेल इन्जनों का आयात

1198. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में विभिन्न देशों से आयात किए गए बिजली से चलने वाले रेल इंजनों का परीक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जापान तथा स्वीडन से आयात किए गए 6000 अश्व शक्ति वाले 18 थाइरिस्टर बिजली रेल इन्जनों के निष्पादन परीक्षण किए जा रहे हैं तथा एक वर्ष तक सेवा परीक्षण करने की योजना बनायी गयी है जो 1989 के उत्तरार्ध तक पूरे हो जायेंगे।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डीजल इन्जन लगाना

1199. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1986 से अब तक कई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जोनवार ब्यौरा क्या है; और 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक जोन में कितनी रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाए जाने शेष थे;

(ग) क्या अतिरिक्त गाड़ियों में डीजल इंजन लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) यात्री गाड़ियों में डीजल रेल इंजनों का लगाया जाना/न लगाया जाना एक सतत प्रक्रिया है जो आवश्यकता तथा डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। सामान्यत: इसका इस्तेमाल लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और माल गाड़ियां कर्षित करने के लिए किया जाता है। इस तरह के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

33 अप/34 डाउन जम्मू मेल में अपर्याप्त यात्री सुविधाएं

1200. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन की विभिन्न डाक गाड़ियों/एक्सप्रेस गाड़ियों से जोड़े जाने वाले प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में अपर्याप्त यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो होशियारपुर के लिए 33 अप/34 डाउन जम्मू मेल में जोड़े जाने वाला प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का डिब्बा एक ऐसा ही डिब्बा है, जिसके बारे में जुलाई, 1988 में गार्ड के पास शिकायत दर्ज करायी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है और इन सुविधाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। सुविधा समिति द्वारा संस्तुत स्वीकृत अनुसूची के अनुसार पूर्ण यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (ग) ऐसी किसी शिकायत पर कार्रवाई करना संभव नहीं हुआ है। तथापि, उपचारात्मक कार्रवाई हेतु इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

निक्षेप निर्माण कार्य के रूप में नई रेल लाइनों का निर्माण

1201. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में निक्षेप-निर्माण कार्य के रूप में, नई रेल लाइनों के निर्माण का कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी मंजूरी और निर्माण के बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि निर्णय नहीं किया गया है तो उनकी मंजूरी और निर्माण के लिए कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिमला मेल तथा रांची एक्सप्रेस को पुनः चलाने की मांग

1202. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र और चंडीगढ़ के लोग शिमला मेल (कालका और अमृतसर के बीच चलने वाली) तथा साथ ही रांची एक्सप्रेस को पुनः चलाए जाने की मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनः चलाए जाने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) नवम्बर से शुरू समय-सारणी में 801/802 को 803/804 से जोड़कर कालका-अमृतसर और कालका-रांची (हटिया) गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए पुनः संरचना की गयी है ।

आधुनिक पम्प सेट

1203. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए आधुनिक पम्प सेट/ट्यूबवैल बनाए गए हैं जो वर्तमान पम्प सेटों से अधिक प्रभावक्षम और कम प्रचालन लागत वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये पम्पसेट आई० एस० आई० प्रमाणन के अधीन हैं;

(घ) इनकी तुलनात्मक लागत और क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इनके उपयोग के बारे में किसानों में पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) कृषि पम्प सेटों/नलकूपों के सम्बन्ध में आधुनिक पम्पसेटों/नलकूपों जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है । भारतीय

मानक ब्यूरो ने पम्पसेटों पर कई भारतीय मानक तैयार किए हैं। संगठित सैक्टर में अधिकांश औद्योगिक इकाईयां इन विनिर्देशनों के अनुसार पम्पसेटों का निर्माण कर रही हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) साख संस्थाओं को केवल आई० एस० आई० प्रमाण-पत्र वाले कृषि पम्पसैटों के वास्ते ही पुनर्वित प्रदान कर रहा है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित स्कीम मूल्यांकन के प्रयोजनों के वास्ते औसत इकाई लागत पम्प की अश्वशक्ति तथा इसमें उपयोग किए गए पम्प/मोटर/इंजिन की किस्म के अनुसार अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

भूकम्प के कारण गंगा के बहाव की दिशा में परिवर्तन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1204. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भूकम्प के कारण गंगा के बहाव की दिशा में हुए परिवर्तन अथवा होने वाले सम्भावित परिवर्तन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हाल ही के भूकम्प के कारण गंगा के बहाव में कोई परिवर्तन होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

1205. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मूल्य का व्यापार हुआ और चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य का व्यापार होने की संभावना है;

(ख) क्या इन दो देशों के बीच चालू वर्ष के दौरान व्यापार में कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच 1986-87 और 1987-88 तथा अप्रैल-जून, 1988 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात	आयात
1986-87	14.95	27.50
1987-88	20.12	30.59
अप्रैल-जून, 88	6.90	11.40

(ख) जी, नहीं।

अप्रैल-जून, 1987 की तुलना में अप्रैल-जून, 1988 के द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात
अप्रैल-जून, 88	6.90	11.40
अप्रैल-जून, 87	3.83	4.79

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं: व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान; द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए तौर-तरीके निश्चित करने के लिए वाणिज्य मंत्री के स्तर पर विचार-विमर्श; संयुक्त व्यापार परिषद बनाने का सिद्धान्त रूप में निर्णय; पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान की प्राइवेट पार्टियों को भारत से 249 मदों के आयात की अनुमति देने वाली अधिसूचना के फलस्वरूप भारतीय निर्यातकों तथा निर्यात संगठनों को पाकिस्तानी प्रतिपक्षों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, आदि।

खाड़ी के देशों और पाकिस्तान से माल की तस्करी

1206. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में और पाकिस्तान से माल की तस्करी और विदेश मुद्रा की धोखाधड़ी में लगे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है और गत छः महीनों के दौरान भारत के विभिन्न नगरों में पकड़े गए माल का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) मई से अक्तूबर, 1988 के पिछले छः महीनों के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तस्करी की गतिविधियों/विदेशी-मुद्रा की धोखाधड़ी में लगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या और पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य निम्नलिखित है :

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1988 (मई से अक्तूबर, 1988 तक)	214.38 रुपए*	1655*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

खाड़ी के देशों और पाकिस्तान से माल की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारत-इंग्लैंड आर्थिक सम्बन्ध

1207. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड में व्यापारिक समुदाय ने भारत-इंग्लैंड आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने में अत्यधिक रुचि दिखाई;

(ख) इस सम्बन्ध में इंग्लैंड के व्यापारिक समुदाय से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके द्वारा देश में स्थापनार्थ प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) कई ब्रिटिश उद्यमों ने संयुक्त उद्यमों या लाइसेंसिंग प्रबन्धों के माध्यम से भारतीय सहभागियों के साथ सहयोग में सक्रिय रुचि है। ब्रिटिश संगठनों के साथ हाल के सहयोगों में ये क्षेत्र आते हैं : प्रक्रिया नियन्त्रण प्रणाली, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग उपस्कर, सिले सिलाए परिधान, परीक्षण मशीनें, डीजल जनेरेटिंग सैट, मशीन औजारों के लिए इलेक्ट्रोनिक अंक सम्बन्धी माप प्रणालियां, वाहक पट्टे, इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा प्रणाली, यार्न हीटिंग और स्टेबलाईजिंग उपकरण, धातु, कर्मी/ढलाई प्रौद्योगिकी में परामर्श आदि।

लोंडा-वास्कोडिगामा रेल मार्ग पर और अधिक पैसेंजर गाड़ियां चलाना

1208. **श्री शांता राम नायक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोंडा और वास्कोडिगामा के बीच चलाई जा रही यात्री गाड़ियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस मार्ग पर कितने दैनिक यात्री यात्रा करते हैं;

(ग) क्या इस मार्ग पर और अधिक गाड़ियां चलाए जाने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वास्को और लोंडा के बीच तीन जोड़ी गाड़ियां यथा 205/206 वास्को-मिरज गोमांतक पैसेंजर/एक्सप्रेस 297/298 वास्को-मिरज मांडवी पैसेंजर/एक्सप्रेस और 201/202 वास्को-बेंगलूरू पैसेंजर/मेल चल रही हैं।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन

1209. **श्री शांता राम नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन की जरूरी बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। गृह मन्त्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डल की उप-समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि स्वापक औषध-द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए ताकि निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सके :—

(एक) नशीले औषध-द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों को गैर-जमानती बनाना;

(दो) नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों की सम्पत्ति जब्त करना;

(तीन) पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों के विचारण-पूर्व निपटान के लिए प्रक्रिया; और

(चार) इस अधिनियम के तहत दी गई सजाओं के सम्बन्ध में कोई छूट अथवा माफी न देना।

विस्तृत विधान प्रारूप को, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त संशोधन भी शामिल है; शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

परिवार न्यायालय

1210. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत ऐसे परिवार न्यायालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो विशेष रूप से सभी प्रकार के विवाह सम्बन्धी मामले निपटाते हैं;

(ख) क्या वर्ष 1988-89, 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ऐसे परिवार न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) इस समय, निम्नलिखित राज्यों में छह कुटुम्ब न्यायालय काम कर रहे हैं :—

राजस्थान	1
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	3

(ख) और (ग) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के पारित होने के समय से ही आन्ध्र प्रदेश सरकार, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश में ड्रिप सिंचाई योजना

1211. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ड्रिप सिंचाई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) स्प्रिंकलरों, ड्रिप प्रणालियों, हाईड्रामों, जल टरबाइनों, मनुष्य अथवा पशु चालित पम्पों के प्रयोग के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1982-83 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है । इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों तथा केन्द्र के बीच बराबर बांटी जाने वाली राजसहायता इन उपकरणों के प्रतिष्ठापना के वास्ते लघु तथा सीमान्त कृषकों को उपलब्ध होती है, जिससे ड्रिप-प्रणाली भी शामिल है । आन्ध्र-प्रदेश सरकार से ड्रिप सिंचाई स्कीम के वास्ते कोई अलग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

चांदी की तस्करी

1212. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भीतर चांदी की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में चांदी की कितनी सिल्लियां पकड़ी गईं तथा इनका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) क्या भारतीय सीमा-शुल्क अधिनियम में कोई ऐसी खामियां हैं जिनके कारण देश में भीतर चांदी की तस्करी निर्बाध रूप से की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उपयुक्त संशोधनों द्वारा इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या किसी व्यक्ति के पास चांदी रखने की मात्रा पर कोई रोक नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है इसलिए यह अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है कि चांदी कितनी मात्रा में तस्करी द्वारा देश में लाई जा रही है । विगत कुछेक वर्षों के दौरान पकड़ी गई चांदी की मात्रा एवं उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1986	10949	4.57
1987	16994	9.06
1988 (अक्तूबर तक)	13001*	8.19*

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

तथापि, हाल ही में किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि अब चांदी तस्करी द्वारा देश में लाई जा रही है न कि तस्करी द्वारा देश से बाहर भेजी जा रही है, जैसाकि पहले किया जाता था, क्योंकि इस समय देश के बाजारों में चांदी का मूल्य (लगभग 6200 रु० प्रति किलोग्राम) इसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य (लगभग 3100 रु० प्रति किलोग्राम) से अधिक है। पकड़ी गई चांदी की मात्रा में हुई वृद्धि से, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं मिलता है कि तस्करी में वृद्धि हुई है तथा ऐसा अधिक कारगर तस्करी-रोधी उपायों के कारण से हो सकता है।

(ग) और (घ) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में निहित सीमा-शुल्क उपबन्धों को और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 को चांदी की तस्करी के रोकने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ङ) कोई व्यक्ति अपने पास कितनी मात्रा में चांदी रख सकता है, इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। तथापि, चांदी को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11(1) के तहत, उक्त अधिनियम के अध्याय IV/ख के प्रयोजनों के लिए एक मद के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

कटक रेलवे स्टेशन

1213. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेलवे स्टेशन में और सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में कटक स्टेशन की इमारत को सुधारने सम्बन्धी कार्य को शामिल करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1214. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से होसपेट-हुबली लाइन में बदलने, कोटटूर और हरिहर, चामराजनगर-सत्यमंगलम-मैटुपालैयम नई रेल लाइन और पश्चिमी तट रेल लाइन के निर्माण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) (i) होसपेट-हुबली का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव—लम्बाई 143 कि०मी० लागत 86 करोड़ रुपए।

(ii) कोट्टूरू-हरिहर नई मीटर लाइन—लम्बाई 68 कि० मी० लागत 40 करोड़ रुपए।

(iii) चामराजनगर-सत्यमंगलम्-मेट्टुपालैयम बड़ी लाइन/मीटर लाइन नई रेल लाइन—लम्बाई 180 कि० मी० लागत 169 करोड़ रुपए।

(iv) वेस्ट कोस्ट नई बड़ी लाइन रेल लाइन—लम्बाई 837 कि० मी० लागत 862 करोड़ रुपए।

(ग) होसपेट-हुबली आयान परिवर्तन परियोजना और नई लाइन परियोजनाएं, कोटटूरू-हरिहर और चामराजनगर-सत्यमंगलम्-मेटुपालैयम वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई थीं और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। वेस्ट कोस्ट लाइन के लिए सर्वेक्षण को अभी हाल ही में अद्यतन किया गया था। जब तक रिपोर्ट की जांच नहीं कर ली जाती। तब तक कोई आगे कारंवाई नहीं की जा सकती।

व्यापार कार्यों के लिए विदेशी सम्पर्क कार्यालयों की नियुक्ति

1215. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यापार कार्यों के लिए विदेशी सम्पर्क कार्यालयों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश के व्यापार में वृद्धि करने के लिए विदेशी सम्पर्क कार्यालयों के गठन में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलैरो) : (क) भारत के निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क कार्यालयों को भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इस व्यवस्था के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :

(1) ये कार्यालय घरेलू व्यापार के कार्य में स्वयं भाग नहीं लेंगे।

(2) ये कार्यालय आयातकों की ओर से भारतीय कम्पनियों को निर्यात के आर्डर दे सकेंगे और वस्तुओं का चुनाव करने, उनकी क्वालिटी और उनके डिजाइन को पसन्द करने, निर्यात सम्बन्धी नमूने प्राप्त करने और वस्तुओं आदि के जहाजी लदान की समय पर व्यवस्था करने आदि जैसे सम्बद्ध कार्यों को भी सम्पन्न कर सकेंगे।

(3) वस्तुओं का वास्तविक निर्यात भारतीय कम्पनियों के द्वारा किया जाएगा।

(4) जैसा कि अब तक हुआ है, इन सम्पर्क कार्यालयों के समग्र व्यय को विदेशों से प्रेरित की जाने वाली राशियों से पूरा किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्पर्क कार्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती

है। अब आगे चल कर भारतीय रिजर्व बैंक उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति दिया करेगा।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा काम सौंपना

[हिन्दी]

1216. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया अपने खातों का वार्षिक लेखा परीक्षा हेतु कुछ चुनी हुई फर्मों को लेखापरीक्षा और अन्य काम देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही आरम्भ की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि जहां तक केन्द्रीय कार्यालय की केन्द्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा का सम्बन्ध है, लेखा परीक्षा का यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों को सौंपा जाता है। जहां तक शाखाओं की राजस्व लेखापरीक्षा/समवर्ती लेखापरीक्षा का सम्बन्ध है, यह काम उन चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों को सौंपा जाता है जिनका नाम बैंक के पैनल में होता है। बैंक ने आगे चलकर सूचित किया है कि बैंक द्वारा लेखापरीक्षा का जो कार्य चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों को दिया गया है वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है और लेखापरीक्षा का कार्य देने में बैंक ने चार्टर्ड लेखाकारों की किसी फर्म के साथ पक्षपात नहीं किया है।

तमिलनाडु में बिक्री कर सम्बन्धी तथा अन्य रियायतें

[अनुवाद]

1217. **श्री मानिक रेड्डी** :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 को बिक्री कर सम्बन्धी तथा अन्य अनेक रियायतों की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्व प्राप्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण-संलग्न है।

इन उपायों को घोषित किए जाने के मुख्य उद्देश्य ये हैं—मौजूदा औद्योगिक एककों में प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से उसमें सुधार लाना, तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी लाना, उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और बिक्री-कारोबार में पर्याप्त रूप से बढ़ोत्तरी करना।

(ग) राजस्व प्राप्ति में गिरावट, यदि कोई हो, की मात्रा का अनुमान तत्काल नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि घोषित की गई रियायतों का प्रभाव यथोचित समय में महसूस होगा। लेकिन, आशा है कि इनके परिणामस्वरूप औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी जिनसे बिक्री-कारोबार में बढ़ोतरी होगी और अन्ततः राज्य के कोष में राजस्व की तीव्र वृद्धि होगी और इस तरह किसी भी प्रकार की सम्भावित गिरावट की क्षतिपूर्ति हो जाएगी।

विवरण

तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 7-10-1988 को निम्नलिखित रियायतों की घोषणा की है :—

I. विद्युत

1. लघु क्षेत्र में नए कनेक्शनों के लिए प्राप्त हुए आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाना।

2. एच० टी० उद्योगों के निमित्त विद्युत के कोटे की संगणना करने के लिए तीन महीने की आधारभूत अवधि में परिवर्तन करके 1-4-83 और 30-11-84 से 1-12-83 और 30-6-88 करना। रुग्ण उद्योगों के मामले में आधारभूत अवधि को दस वर्षों के लम्बे अन्तराल अर्थात् 1-10-78 से 30-6-88 तक चुना जा सकता है।

3. जिन एच० टी० उपभोक्ताओं को जेनरेटर सेटों हेतु पूंजी निवेश करना पड़ता है, उन्हें जेनरेटर सेटों पर बिक्री कर के समतुल्य आर्थिक सहायता प्रदान करना।

II. प्रोत्साहन

1. नए एककों को अपेक्षाकृत अधिक पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान करना।

2. नए एककों के सम्बन्ध में 6 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रु० के उच्चतर स्तर पर तथा 50 लाख रु० की वार्षिक अधिकतम सीमा सहित ब्याज-मुक्त बिक्री कर की सीमा/बिक्री कर के आस्थगन की सीमा तय करना जबकि वर्तमान स्तर क्रमशः 1 करोड़ रु० तथा 20 लाख रु० है।

(संसाधनों पर आधारित उद्योग तथा पारम्परिक उद्योग जैसे चीनी, सीमेंट, वस्त्र, आटा मिलें, चावल मिलें तथा खाद्य तेलों और विलायक निष्कर्षण एकक होटल तथा विद्युत प्रधान एकक, पाइनियर एककों का ओहदा पाने के हकदार नहीं होंगे।)

3. ब्याज-मुक्त बिक्री कर ऋण योजना में संशोधन करना तथा ऋण की वार्षिक सीमा को 20 लाख रु० से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना।

4. इलेक्ट्रोनिक्स के लिए प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करना ताकि उद्यमियों को प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा उपयुक्तता के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श देने के साथ-साथ परियोजना की रूपरेखा के विकास के लिए तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुसन्धान तथा विकास

प्रदान करने की एक योजना को लागू किया जा सके जिससे वाणिज्यिक दृष्टिकोण से समुपयोजन किया जा सके।

5. चमड़े के उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता की मात्रा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना जिसके लिए अधिकतम सीमा 20 लाख रु० की होगी जबकि वर्तमान दरें क्रमशः 15 प्रतिशत और उसकी सीमा 15 लाख रु० है।

III. लघु उद्योगों के लिए विशेष उपाय

1. लघु उद्योगों के लिए विशेष उपायों को लागू करना, जैसे—जिलों में सिंगल विंडो एजेंसी समितियों को आमूल-चूल रूप से सशक्त बनाना तथा भवन योजना की स्वीकृति, प्रदूषण-नियन्त्रण विनियमों के दृष्टिकोण से तद्स्थानी (आन द स्पॉट) निकासी करना और स्वयं जिला उद्योग केन्द्रों के परिसरों में ही बिजली की मंजूरी देना, विभिन्न विनियमनकारी अभिकरणों से पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करना, विशेष महत्व के क्षेत्रों का पता लगाना जैसे—आटोमोबाइल एना-सिलीयेरीज, खाद्य संसाधित करने के उद्योगों तथा लघु उद्योगों के भावी विकास के लिए औषधियों तथा फार्मेस्यूटिकल और अपेक्षाकृत अधिक पूंजीगत सहायता प्रदान करना और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बिक्री-कर को आस्थगित करना।

2. अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों पर आधारित नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम द्वारा ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

3. बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करने पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की कमी करना।

4. लघु उद्योग विकास निगम लि० द्वारा क्रेताओं-विक्रेताओं की नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करना और लघु औद्योगिक इकाइयों के संकाय के साथ-साथ औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लेना।

5. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से की जाने वाली खरीददारियों तथा ऐसी खरीददारियों में राज्य के अंश में प्रभावशाली ढंग से बढ़ोतरी करने के लिए बेहतर जानकारी के प्रसार हेतु दिल्ली में एक सम्पर्क अधिकारी की तैनाती करना।

6. जो लघु उद्योग एकक विनिमेय शर्तों के अध्यधीन अपने उत्पादों के विपणन के इच्छुक हों, उन्हें तमिलनाडु उद्योग निगम द्वारा अपने शो रूम उपलब्ध करना।

IV. क्षेत्र विकास

1. तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्द्धन निगम द्वारा स्थापित मौजूदा औद्योगिक काम्पलेक्सों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करना तथा औद्योगिक इकाइयों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए समन्वित कार्यवाही करना।

2. आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं जैसी सामाजिक मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर विशेष बल देना।

3. हुसूर में एक नए इलैक्ट्रानिक्स औद्योगिक काम्पलेक्स की स्थापना करना तथा किसी उपयुक्त स्थल पर एक चमड़ा उद्योग काम्पलेक्स की स्थापना करना।

4. प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र की स्थापना करना जो प्रौद्योगिकीय विकास के लिए सूचना देने के सम्बन्ध में एक निकासी गृह की तरह कार्य करेगा तथा साथ ही साथ अनुसन्धान तथा विकास और प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने से सम्बन्धित सभी मामलों में लघु इकाइयों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

V. रेशम उद्योग को सहायता

1. रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः प्रत्येक रेशम विज्ञानी और रीलर को नायलॉन के नेट और एक-एक चरखा सप्लाई करना।

2. निजी रीलरों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था रेशम निदेशक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से की जाएगी।

VI. बिक्री-कर रियायतें

तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अध्यधीन निम्नलिखित रियायतों को अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव है :—

(i) वाणिज्यिक वाहनों, चेसिस पर निर्मित बाडियों, ट्रेलरों, आटोमोबाइल के कल-पुर्जों तथा उनके उप साधनों, ट्रेक्टरों, वेट-ग्रेन ग्राइन्डरों तथा कतिपय अन्य घरेलू उपकरणों, एल्यूमिनियम से बने बर्तनों, स्टील की आल्मारियों, सभी प्रकार के फर्नीचर तथा कार्यालय के उपस्करों, एच० डी० पी० वोवन सैक्स, सूती होजरी के सामान, काटन हैंक धागे की सादी रील, कच्चे सामान, संघटकों, प्रोसेसिंग सामान तथा वस्त्र मशीनरी के विनिर्दिष्ट कल-पुर्जों पर कर की दर में कमी करना।

(ii) कुंगुमम पाउडर, पाथर टिलर्स की बिक्री तथा मुख्यतया श्रमोन्मुख कार्य ठेकों, जैसे— टेलरिंग, जिल्दसाजी आदि को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए।

(iii) एप्पेलम, वडाम आदि पर छूट की सीमा में वृद्धि करना।

(iv) कुछेक मदों पर दोहरे-स्थलों/बहु-स्थलों पर कर आयद किए जाने की प्रणाली में परिवर्तन करके एकल स्थल पर कर लगाया जाए।

(v) तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 में संशोधन किया जाना।

इलायची के लिए विमान भाड़े में राजसहायता

1218. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य पूर्व देशों को निर्यात की जाने वाली इलायची के लिए विमान भाड़े में राजसहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इलायची निर्यातकों को कितना लाभ होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का अन्य मसालों के लिए भी विमान भाड़े में राजसहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) विमानभाड़ा राजसहायता योजना पहले ही घोषित की जा चुकी है और 1-9-1988 से लागू है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इलायची उत्पादकों को 7/- रु० प्रति किग्रा० की दर से राजसहायता उस इलायची के निर्यात पर दी जाएगी जो 1-9-1988 से 31-12-1988 तक की अवधि के दौरान विमान द्वारा मध्यपूर्व देशों के बाजारों को निर्यात की जाएगी। यह राजसहायता प्रथम 1500 मी० टन के निर्यात पर उपलब्ध रहेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निचली दामोदर भूमि सुधार और जल निकासी योजना को स्वीकृति

1219. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निचली दामोदर भूमि सुधार और जल निकासी योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अब, योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा किए जाने पर पर्यावरण और वन की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

जल के सन्दोहन पर नियन्त्रण

1220. **श्री शांति लाल पटेल** :
श्री जी० एस० बासवराजू :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि वे उन्हें भेजे गए माडल विधेयक के आधार पर जल सम्बन्धी एक विधान बनाएं ताकि भूमिगत जल सहित जल के समान वितरण और सन्दोहन को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो माडल विधेयक के अनुसार कौन-कौन से राज्यों ने अपनी योजना प्रस्तुत की है अथवा ऐसा विधान बनाया है; और

(ग) सभी राज्यों द्वारा भूतल जल सहित भूमिगत जल के समान वितरण और सन्दोहन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत सरकार ने भूजल के विकास के विनियमन एवं नियन्त्रण के लिए राज्यों को माडल बिल परिचालित कर दिया है।

(ख) गुजरात सरकार ने अधिनियम बना लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने भू-जल पर प्रारूप विधान तैयार किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय जल नीति में बल दिया गया है कि जल संसाधनों को, सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समेकित एवं पर्यावरण सम्बन्धी ठोस आधार पर नियोजित, विकसित एवं संरक्षित किया जाना चाहिए और क्षेत्रों/बेसिनों की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के पश्चात् राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर एक नदी बेसिन से अन्य बेसिन को स्थानान्तरण सहित अन्य क्षेत्रों से स्थानान्तरण द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भू-जल संसाधनों का उपयोग इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक समानता सुनिश्चित की जा सके और विशेषरूप से पिछड़े समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों और जन-जातियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं को अन्वेषित एवं निरूपित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं।

खाद्य तेलों का आयात

1221. **श्री शान्तिलाल पटेल** :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयातित खाद्य तेलों की प्रति-व्यापार व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय से भारत को किस हद तक लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) खाद्य तेल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के जरिए सरणीबद्ध होता है और एक सामान्य नीति के रूप में प्रति-व्यापार दायित्वों के बारे में अथवा अन्यथा निर्णय वही करता है। ऐसे निर्णय लेते समय निगम सभी सम्बन्धित मुद्दों को ध्यान में रखता है, जिसमें सर्वाधिक लाभकारी कीमतों पर आयात करने की आवश्यकता भी शामिल है।

पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाना

1222. **डॉ० जी० विजय रामा राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने देश के सभी राज्यों से निष्पक्ष खरीद को सुनिश्चित करने हेतु पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) क्या इस विषय को पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की क्षेत्रीय क्रय सलाहकार परिषद (दक्षिण मण्डल) की बैठक में भी उठाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) दक्षिण के राज्यों की सरकारों की यह शिकायत रही है कि दक्षिणी क्षेत्र में लघु उद्योगों की जो यूनिटें हैं उनसे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय बहुत कम मात्रा में सामान खरीदता है और यह सरकारें यह अनुरोध करती रही हैं कि इन यूनिटों से अधिक सामान खरीदा जाना चाहिए।

(ख) जी, हां। यह प्रश्न पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दक्षिण क्षेत्रीय क्रय सलाहकार परिषद की बैठक में समय-समय पर रखा जाता रहा है।

(ग) दक्षिण के राज्यों में स्थित लघु उद्योग यूनिटों से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अधिक सामान खरीदने और इस सम्बन्ध में वृद्धि करने के बारे में सुझाव देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के सचिव और उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें दक्षिण के राज्यों के उद्योग विभागों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के मद्रास स्थित निदेशक इस समिति के सदस्य-सचिव हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत को विश्व बैंक से सहायता

1223. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं पर धनराशि लगाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) निर्धनता-उन्मूलन अथवा ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित विशिष्ट अथवा निर्धारित कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए अभी तक विश्व बैंक से किसी सहायता का आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

गुजरात की योजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहायता

1224. **श्री शांतिलाल पटेल :**
श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1988-89 में गुजरात में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कृषि सम्बन्धी और गैर-कृषि सम्बन्धी योजनाओं के योजनाबद्ध पुनर्वित्तपोषण हेतु करोड़ों रुपए की धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और उक्त सहायता प्राप्त होने के बाद कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी;

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 (आज तक) के दौरान गुजरात के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कुल कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(घ) उन योजनाओं में से अब तक कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1988-89 के दौरान गुजरात राज्य में योजनाबद्ध पुनर्वित्त पोषण के वास्ते 71.95 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र के लिए 69.28 करोड़ रुपए और गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 2.67 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं०	कार्य की किस्म	आबंटित पुनर्वित्त की राशि
1	2	3
1.	लघु सिंचाई	17.78
2.	राज्य बिजली बोर्ड/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	4.94
3.	भूमि विकास	0.09
4.	कृषि मशीनीकरण	14.89
5.	शुष्क भूमि कृषि	0.1
6.	वृक्षारोपण/बागवानी	0.32
7.	डेयरी विकास	3.23

1	2	3
8.	मछली पालन—समुद्र में मछली पालन	3.58
	—अन्तर्देशीय मछली पालन	0.21
9.	स्टोरेज और मार्केट यार्ड	2.24
10.	वानिकी	2.03
11.	बायोगैस	0.53
12.	मुर्गी पालन	1.09
13.	भेड़/बकरी/सूअर पालन	0.13
14.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	17.73
15.	अन्य	0.33
16.	गैर-कृषि क्षेत्र	2.67
	कुल :	71.95

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1987-88 के दौरान गुजरात राज्य के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 580 योजनाओं को मंजूरी दी थी। 1988-89 के दौरान अब तक 6 योजनाओं को मंजूर किया जा चुका है जिन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 0.10 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता दी है। इसके साथ ही 1987-88 से पहले मंजूर की गई योजनाओं सहित, अगस्त, 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, गुजरात में निरन्तर आधार पर चलने वाली 887 योजनाएं थीं।

सिंचाई के क्षेत्र में भारत-सोवियत संघ सहयोग

1225. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ सरकार सिंचाई के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1988 के दौरान एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने सोवियत संघ का दौरा किया था;

(ग) किन-किन मुख्य विषयों पर बातचीत की गयी तथा क्या किसी अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विचार-विमर्श के अन्त में हस्ताक्षर किए गए नयाचार में सिंचाई सेक्टर के नए क्षेत्रों में भारत और सोवियत रूस के बीच सहयोग को और बढ़ाने की सम्भावना शामिल है।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, खपत और मूल्य

1226. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ का मूल्य कितना है;

(ख) स्वदेशी बाजार में इसका मूल्य कितना है;

(ग) देश में इसका कुल उत्पादन और इसकी कुल खपत कितनी है; और

(घ) इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) आर० एस० एस०-3 ग्रेड की प्राकृतिक रबड़, जो आर० एम० ए०-IV के बराबर है, की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतें जून-अक्तूबर, 1988 के दौरान 1433 अमरीकी डालर से 1029 अमरीकी डालर पी० एम० टी० एफ० ओ० बी० के बीच घटती-बढ़ती रही हैं। कोट्टयम में नवम्बर, 1988 के पहले सप्ताह के दौरान घरेलू बाजार कीमत 18,100 पी० एम० टी० थी।

(ग) और (घ) पूर्ति में कमी तथा मांग को आयात का सहारा लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 1987-88 के दौरान अनुमानित उत्पादन 2,35,197 मी० टन तथा 1987-88 के दौरान इसकी खपत अनन्तिम रूप से 2,87,480 मी० टन थी।

बीमा निवास योजना

1227. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की नई बीमा निवास योजना देश के कई भागों में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम की नई "बीमा निवास योजना" 1-9-1988 से चार महानगरों, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में आरम्भ की गई है। 31 अक्टूबर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार अभी तक 1.34 करोड़ रुपए की कुल राशि के 140 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

1228. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपने सभी विस्तार कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का अनुरोध किया है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी शाखाओं को खोलने के इच्छुक वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं का लाभ देश की गरीब जनता को किस सीमा तक प्राप्त हो सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में 4 जिलों और नागालैण्ड में 3 जिलों को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पात्र केन्द्रों का आबंटन कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 190 केन्द्र वाणिज्यिक बैंकों को और 206 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित किए हैं। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों को जिनकी इन राज्यों में काफी शाखाएं हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों को शहरी क्षेत्रों में 13 केन्द्र आबंटित किए हैं। इन ग्रामीण/अर्ध-शहरी तथा शहरी केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र		शहरी केन्द्र
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
असम	116	117	8
मणिपुर	7	13	—
मेघालय	13	13	3
नागालैंड	7	11	—
त्रिपुरा	20	15	2
अरुणाचल प्रदेश	14	15	—
मिजोरम	13	22	—
कुल :	190	206	13

आरम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि वे वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की बाकी अवधि के दौरान, अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 1990 तक, आबंटित केन्द्रों में अलग-अलग चरणों में शाखाएं खोल दें। अलबत्ता, ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने की सेवा क्षेत्र योजना के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे जहां तक सम्भव हो, दिनांक 31-12-88 से पहले आबंटित केन्द्रों

में शाखाएं खोल दें ताकि उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को गांव आबंटित किए जा सकें और योजना के अन्तर्गत अन्य मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) और (घ) कमजोर वर्गों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के वास्ते स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना और विभेदी ब्याज दर योजना आदि जैसे गरीबी हटाने के कई कार्यक्रम और योजनाएं हैं। जब कभी आवश्यक समझा जाता है, बैंक, विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल नई योजनाएं शुरू करते हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनर्निर्धारण

1229. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री के० प्रधानी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के भाग रूप में निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि संविधान का ऐसे संशोधन किया जाए कि लोक सभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन किए बिना, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के पश्चात् कर दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया है कि ऐसा कोई कानूनी उपबन्ध किया जाए कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र एक दशक से अधिक समय के लिए आरक्षित न रहे। इन प्रस्तावों पर अभी तक अन्तिम रूप से कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

कावेरी जल विवाद

1230. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लम्बे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या नवीनतम प्रयास किए गए हैं; और

(ख) इस विवाद के कब तक हल होने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्र

द्वारा मई, 1988 में आयोजित की जाने वाली मुख्य सचिव स्तर की अन्तर्राज्य बैठक नहीं हो पायी।

इन मामलों में, केन्द्र सरकार की नीति, जितनी जल्दी सम्भव हो सके, सह-बेसिन राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण व्यवस्था कायम करना है।

लोक सभा और विधान सभाओं में रिक्त स्थान

1231. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में लोक सभा और विधान सभाओं के कई स्थान रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये स्थान कब से रिक्त हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन स्थानों के लिए उप-चुनाव कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) तारीख 11 नवम्बर, 1988 को लोक सभा में 12 स्थान और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं में 38 स्थान रिक्त थे। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संविधान के उपबन्धों के अधीन, संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के संचालन का कार्य निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग सम्बद्ध राज्यों के जहां निर्वाचक नामावलियां पुनरीक्षित की जा चुकी हैं और कोई निर्वाचन सम्बन्धी याचिका लम्बित नहीं है, मुख्य निर्वाचन आफिसरों से, इन स्थानों को भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने की बाबत उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाने हेतु सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

तारीख 11-11-1988 को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिक्त स्थान			रिक्त होने की तारीख
	लोक सभा	रिक्त होने की तारीख	विधान सभाएं	
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	20-तिरुपती (अ० जा०)	2-3-88	44-प्राथीपाडु 38-येलावरम (अ० ज० जा०)	29-3-88 6-9-88

1	2	3	4	5
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	5-सेप्पा	21-8-88
3. असम	—	—	14-बड़खोला*	19-9-88
			22-साल्मारा दक्षिणं*	15-12-88
4. बिहार	12-शिवहर	24-2-88	40-जलालपुर	16-7-88
	30-भागलपुर	18-4-88	70-सौनबरसा	17-2-88
	†38-सासाराम (अ० जा०)	5-7-86	80-झंझारपुर	16-4-88
			217-शाहपुर	11-4-88
			295-चाईबासा (अ० ज० जा०)	9-12-87
			324-हुसैनाबाद	13-2-88
5. हरियाणा	—	—	58-नूह	10-3-88
6. गुजरात	—	—	116-देवगढ़ बारिया	20-6-88*
			117-राजगढ़	29-6-88
			139-भादरान	9-4-88
			20-गोन्दल	15-8-88
7. जम्मू-कश्मीर	—	—	52-रिआसी	28-7-88
8. केरल	4-कालीकट	22-10-87	—	—
9. कर्नाटक	—	—	67-बागेपल्ली	28-5-88
			214-बादामी	27-6-88
10. मध्य प्रदेश	—	—	162-दुर्ग	15-4-88
			264-बडनगर	9-8-88
			†274-इन्दौर-5	25-2-86
11. महाराष्ट्र	19-अकोला	16-4-88	68-दिओलाली (अ० जा०)	4-8-88
			263-जावली	15-9-88
			193-औरंगाबाद पश्चिम	2-11-88
12. मणिपुर	—	—	14-यइश्कुल	22-9-88

1	2	3	4	5
13. मेघालय	—	—	20-मावखार (अ० ज० जा०)	23-8-88
			33-परिआंग (अ० ज० जा०)	12-9-88
			37-बाघमारा (अ० ज० जा०)	24-6-88
14. नागालैंड	नागालैंड	2-12-87	विधान सभा विघटित	—
15. उड़ीसा	5-केन्द्रपारा	25-3-88	—	—
16. राजस्थान	—	—	151-मण्डल*	4-8-88
17. त्रिपुरा	—	—	1-सिमना (अ० ज० जा०)	29-3-88
18. तमिलनाडु	24-मुदुरै	7-2-88	विधान सभा विघटित	—
	26-करूर	9-4-88		
19. उत्तर प्रदेश	81-बागपत	29-5-87	201-गौरी बाजार*	26-6-88●
			291-गोविंद नगर*	5-4-88
			339-शिकोहाबाद*	7-4-88
20. पश्चिमी बंगाल	—	—	72-कालीगंज*	12-10-88
21. दिल्ली (महानगर परिषद्)	2-दक्षिण दिल्ली	26-6-88	11-मालवीय नगर	30-7-87
			19-शकूर बस्ती	23-12-87 महानगर परिषद की विस्तारित अवधि तारीख 16-3-1989 को समाप्त होनी है आयोग ने शेष लघु अवधि के लिए, दो रिक्त स्थान न भरने का विनिश्चय किया है।
22. पांडिचेरी	—	—	25-नेरावी-ग्रांड-आल्दी	9-11-87

†निर्वाचन अर्जी लम्बित है।

*नामावलियां अभी पुनरीक्षित होनी हैं।

●अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

1232. **श्री सोमनाथ रथ :**
प्रो० चन्द्र भानु देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 1 नवम्बर, 1988 तक कुल कितने छापे मारे गए; और

(ख) कर-अपवंचन की कितनी राशि का पता लगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) आयकर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1 नवम्बर, 88 तक आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत 3992 तलाशियां ली थीं । इन तलाशियों के परिणामतः, **प्रथमदृष्ट्या** लगभग 81.70 करोड़ रुपए के मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं । जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई थीं, उन्होंने तलाशियों के दौरान दिए गए अपने ब्यानों में कुल मिलाकर 131.29 करोड़ रुपए की आय का छिपाव स्वीकार किया था । ऐसे सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अन्तर्गत उपयुक्त कारंवाई की जाती है ।

सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

1233. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक, सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) पकड़े गए सामान का ब्यौरा तथा इसका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या कोई मादक औषधि भी पकड़ी गई है; यदि हां, तो कितनी मात्रा में पकड़ी गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सीमा-शुल्क विभाग द्वारा मारे गए छापों/मामलों की संख्या तथा पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :—

छापों/मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
41234	259.88

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान पकड़े गए विभिन्न नशीले औषध-द्रव्यों की मात्रा नीचे दी गई है :—

*अफीम	:	2044 किलोग्राम
*हेरोइन		1883 किलोग्राम
*गांजा		22591 किलोग्राम
*हशीश		3242 किलोग्राम
*मेथाक्वालोन	:	992 किलोग्राम

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

पकड़े गए उपर्युक्त औषध-द्रव्यों के मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न होता है।

अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के बाण्ड

1234. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए अमरीकी डालर के रूप में सात वर्षीय संचयी बाण्ड शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाण्डों पर ब्याज की दर, अमरीकी बाजार में मौजूदा ब्याज दर के लगभग बराबर है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनिवासी भारतीयों के लिए जारी किए जाने वाले बाण्डों की योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. इन बाण्डों को अमरीकी डालर मुद्रा में, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 डालर प्रति बाण्ड के मूल्यवर्गों में जारी किया जाएगा;

2. इनमें निविष्ट किए गए मूलधन को तथा उस पर मिलने वाले ब्याज को भारत से बाहर

प्रत्यावर्तित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और मोचनावधि के समय सम्बद्ध अदायगी भारतीय रुपयों में कर दी जाएगी;

3. इन बाण्डों की परिपक्वता की अवधि सात वर्ष की रहेगी और परिपक्वता पर अदा की जाने वाली धनराशि को ब्याज सहित इनके परिपक्व हो जाने की तारीख को प्रवृत्त भारतीय स्टेट बैंक के अमरीकी डालर खरीदने की टी० टी० क्रय विषयक दरों के हिसाब से भारतीय रुपयों में रूपांतरित एवं परिवर्तित कर दिया जाएगा;

4. इन बाण्डों पर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाएगा। ब्याज का परिकलन छमाही आधार पर किया जाएगा और ब्याज इनके परिपक्व होने पर मूलधन के साथ अदा किया जाएगा;

5. इन बाण्डों पर आयकर, धनकर, दानकर, और स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा;

6. इन बाण्डों को संयुक्त राज्य अमरीकी डालर मुद्रा में ही मूल्यांकित किया जाता रहेगा, चाहे कोई भी बाण्डधारक भारत का निवासी क्यों न बन जाए अथवा इन बाण्डों को भारत में निवास करने वाले किसी निकट सम्बन्धी को ही क्यों न दे दिया जाए;

7. केवल एकल अनिवासी व्यक्ति ही अनिवासी भारतीय बाण्डों को खरीदने के लिए आवेदन-पत्र दे सकेंगे;

8. इन बाण्डों को तीन वर्षों की आबद्धता अवधि से पूर्व भुनाए जाने अथवा दानस्वरूप दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

9. भारत के अधिकृत व्यवसायी तीन वर्षों की आबद्धता अवधि की समाप्ति के पश्चात बाण्डधारकों को अनिवासी भारतीय बाण्डों की जमानत पर रुपया ऋण भी दे सकेंगे।

इन बाण्डों का निर्गम 14 नवम्बर, 1988 को खुला है और 15 दिसम्बर, 1988 को उसे बन्द कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय नदी परियोजना को मंजूरी

1235. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से मंजूर की गयी अन्तर्राज्यीय नदी परियोजनाओं के कानूनी पहलु क्या हैं; और

(ख) क्या अन्तर्राज्यीय नदी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी का तात्पर्य केवल राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार और अन्तर्राज्यीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना ही है अथवा उस राज्य के जिसमें यह परियोजना स्थित है कोई अधिकार निहित है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अन्तर्राज्य नदी परियोजनाओं की स्वीकृति में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच ही नहीं बल्कि अन्तर्राज्य मामले भी सम्मिलित हैं। ऐसी स्वीकृति से राज्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।

बछावत पंचाट के अन्तर्गत तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति

1236. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बछावत पंचाट के अन्तर्गत तेलुगु-गंगा सिंचाई परियोजना तैयार करके उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी चाहे इसे पंचाट की शर्तों के अनुसार तैयार न किया गया हो ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों ने आपत्ति की है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के समरूप नहीं है। परियोजना की स्वीकृति अधिकरण के आदेश के सम्बन्ध में जल उपलब्धता की व्यवस्था पर भी निर्भर करती है।

शोलापुर और बंगलौर के बीच तेज गति से चलने वाली सीधी रेल सेवा

1237. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर और बंगलौर के बीच तेज गति से चलने वाली एक सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेल सेवा प्रारम्भ करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इस परियोजना को मंजूरी देने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालनिक तथा संसाधनों की कठिनाई के कारण फिलहाल यह व्यवहारिक नहीं है।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन

1238. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मीराज और बम्बई के बीच चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस का समय बदलने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बड़ी लाइन की 311/312 एक्सप्रेस, जो प्रातः 8.20 बजे बम्बई पहुंचती है और सायं 8.25 बजे बम्बई से छूटती है, से मेल लेने के लिए मिरज में मीटर लाइन की 203/204 महालक्ष्मी एक्सप्रेस के समय क्रम में उपयुक्त समायोजन किया गया है।

रेलवे आरक्षण के लिए गैर-सरकारी एजेंट

1239. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में बर्थ और सीटों के आरक्षण करने के लिए गैर-सरकारी एजेन्ट नियुक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुपालन के तहत रेल ट्रेवलर्स सेवा एजेन्ट नियम 1985 के प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार रेल ट्रेवलर्स सेवा एजेन्टों की नियुक्ति की गयी है। ये एजेन्ट प्रमुख नगरों में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरक्षण करवाते हैं और उनकी ओर से रेलवे आरक्षण कार्यालय से टिकट की खरीद/निरसन राशि वापस प्राप्त करते हैं।

इंजीनियरिंग सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय

1240. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित उपायों से लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) क्या इंजीनियरी सामान का निर्यात करने वाले मान्यताप्राप्त लोगों को निर्यात हेतु आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार निर्यातकों के निर्यात प्रयास में सहायता देने तथा निर्यात बढ़ाने के उपाय लागू करने से सम्बन्धित उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु उनसे लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। निर्यात संवर्धन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल हैं : कच्चे माल तथा उपभोज्य वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्धि, प्रौद्योगिकी आयात से सम्बन्धित प्रस्तावों की मंजूरी, नकद मुआवजा सहायता, आई० पी० आर० एस०, शुल्क वापसी, पुनः पूर्ति लाइसेंस प्रदान करना, लदान से पहले तथा बाद ऋण पर कम दर पर ब्याज देना।

इन उपायों से निर्यात करने वालों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलने की आशा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा असम में प्रीमियम एकत्रित करना

1241. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में असम से वर्षवार कुल कितना प्रीमियम एकत्रित किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम ने असम में कुल कितनी राशि का निवेश किया; और

(ग) असम में इस समय जीवन बीमा निगम के कितने शाखा कार्यालय कार्यरत हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा असम राज्य

से एकत्र किया गया कुल प्रीमियम और असम राज्य में निवेश की गई कुल रकम निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एकत्र की गई प्रीमियम की राशि	निवेश की गई राशि
1984-85	23.15	14.23
1985-86	25.16	17.22
1986-87	31.17	9.03

(ग) इस समय जीवन बीमा निगम के 31 शाखा कार्यालय असम में 26 केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं। गुवाहाटी में 6 शाखा कार्यालय हैं।

सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों से भाप बनकर उड़ने से पानी की क्षति

1242. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रीष्म ऋतु में झुलसती गर्मी से देश की कई सिंचाई परियोजनाओं को पानी के भाप बनकर उड़ जाने से पानी की भारी क्षति उठानी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पानी के भाप बनकर उड़ जाने में संचित जल की भारी मात्रा में क्षति को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारत सरकार ने जल संरक्षण उपायों के लिए राज्यों को एक कार्य योजना का सुझाव दिया है जिसमें भण्डारण किए गए जल से वाष्पीकरण की हानियों को कम करने के उपाय शामिल हैं। कुछ राज्यों ने जलाशयों से वाष्पीकरण की हानियां कम करने के लिए रसायनिक रोधकों के सफल प्रयोग के सम्बन्ध में सूचित किया है। केन्द्रीय सिंचाई एवं शक्ति मण्डल ने अनुसन्धान और विकास कार्य को समन्वित करने तथा आगे की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए वाष्पीकरण नियन्त्रण पर एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी बनाई है।

उपहार चैकों (गिफ्ट चैकों) का भुनाया जाना

[हिन्दी]

1243. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 'गिफ्ट चैक" सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या गिफ्ट चैकों को तुरन्त भुनाया जा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का "गिफ्ट चैकों" को शीघ्र भनाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या अनुदेश जारी करने का विचार है;

(घ) क्या बैंक केवल अपनी शाखाओं द्वारा जारी चैकों पर ही भुगतान करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 13 बैंक उपहार चैक (गिफ्ट चैक) सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) से (घ) बैंकों की अपनी शाखाओं द्वारा जारी किए गए उपहार चैक तत्काल भुनाए जा सकते हैं।

(ङ) उपहार चैकों का भुगतान जारी करने वाले बैंक की शाखाओं में किया जाता है। यदि जारी करने वाले बैंक के साथ अन्य बैंकों की कोई पारस्परिक एजेंसी व्यवस्था नहीं है तो सामान्यतः वे इन चैकों को उगाही और क्रेडिट के वास्ते स्वीकार करेंगे।

उच्च न्यायालयों का पुनर्गठन

[अनुवाद]

1244. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में जाने वाले मामलों की संख्या में कमी करने के लिए संविधान में संशोधन करके उच्च न्यायालयों को पुर्नगठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और अमरीका के बीच अधिकारी स्तर की व्यापार वार्ता

1245. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए 10 अक्तूबर, 1988 को अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जहां तक वाणिज्य मंत्रालय

का सम्बन्ध है भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 10 अक्तूबर, 1988 को व्यापार पर सरकारी स्तर का कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। फिर भी, इलेक्ट्रानिक्स विभाग से ऐसा पता लगा है कि भारत अमरीकी साफ्टवेयर ट्रेड नेट वर्क के लिए सामरिक नीति अध्ययन के उद्देश्य से कामन वेल्थ आफ मैसाचुसेट्स, आफिस आफ इण्टरनेशनल ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट (ओ० आई० टी० टी०) और इलेक्ट्रानिक्स विभाग के बीच मध्य जुलाई, 1988 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उस समझौते के बाद एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें मैसाचुसेट्स राज्य के इलेक्ट्रानिक और अन्य उच्च तकनीकी उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे, 9 और 10 अक्तूबर, 1988 को भारत और भारतीय इलेक्ट्रानिक उद्योग में अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया।

(ख) और (ग) यद्यपि साफ्टवेयर विकास और निर्यात और तकनीक स्थानान्तरण और संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ परन्तु निश्चित रूप से कोई औपचारिक करार नहीं हुआ।

(घ) इन विचार-विमर्शों से दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार होने की आशा है।

विश्व बैंक का रुपए का अवमूल्यन करने का सुझाव

1246. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत सरकार को रुपए का अवमूल्यन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये सुझाव कब दिए गए और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आन्तरिक और विदेशी ऋण

1247. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार पर मार्च, 1987 और मार्च, 1988 में कुल कितना आन्तरिक और विदेशी ऋण था;

(ख) ऋण में भारी वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऋण कम करने के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) मार्च, 1987 और

1988 के अन्त तक सरकार का कुल बकाया आन्तरिक ऋण नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च 1987 के अन्त तक बकाया	मार्च, 1988 के अन्त तक बकाया
(एक) आन्तरिक ऋण	86312	99520 (संशोधित अनुमान)
(दो) विदेशी ऋण (विनिमय की चालू दर पर)	32312	36670

(ख) उपरोक्त बकाया ऋण में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है :—

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण	मार्च, 1987 के अन्त तक	मार्च, 1988 के अन्त तक
(एक) आन्तरिक ऋण	29.5 प्रतिशत	30.6 प्रतिशत
(दो) विदेशी ऋण	11.0 प्रतिशत	11.3 प्रतिशत

(ग) शायद यह नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की लोक ऋण पर रिपोर्ट से सन्दर्भित है। इस रिपोर्ट में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने किन्हीं "वैकल्पिक कार्यशील नीतियों" की चर्चा नहीं की है। तथापि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया था :—

(एक) विकासीय और गैर-विकासीय दोनों प्रकार के फिजूल व्यय में भारी कटौती करने के लिए विशेषकर गैर-विकासीय व्यय में कटौती की गुंजाइश का पता लगाया जाना चाहिए।

(दो) सरकारी उद्यमों में निवेशों को और उत्पादक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(तीन) आयोजना-भिन्न व्यय के दो मुख्य घटकों, अर्थात् आर्थिक सहायता (सब्सिडी) और रक्षा सम्बन्धी कार्यों पर व्यय लगभग प्रतिबद्ध व्यय हो गया है और उनमें कमी लाने की गुंजाईश की गम्भीरता से जांच करने की आवश्यकता है।

(चार) बेहतर प्रशासन व्यवस्था द्वारा का संग्रहों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

डाक और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के यात्रा किराए में अन्तर

[हिन्दी]

1248. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक परिवहन संचालन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने एक्सप्रेस और डाक रेलगाड़ियों के यात्रा किराए में अन्तर को कम करने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उस सिफारिश को लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल भवन में आग लगना

1249. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1988 के महीने में रेल भवन में आग लगी थी; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा इस कारण हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 30-9-1988 को रेल भवन के कमरा नं० 201 में एयर कण्डीशनर के स्विच बोर्ड में शार्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई थी। उपर्युक्त आग लगने की घटना में कोई व्यक्ति हताहत अथवा घायल नहीं हुआ था। स्विच बोर्ड को हुई कुछ क्षति को छोड़ कर रेल सम्पत्ति को कोई भी हानि नहीं हुई और न ही कोई रेलवे रिकार्ड नष्ट हुआ था।

अल्मोड़ा जिले में चिलियानौला और पैंसिया में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

1250. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चिलियानोला और पैंसिया में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बैंक को किस तारीख को लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) क्या बैंक ने ये शाखाएं खोल दी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और ये शाखाएं कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में

पैंसिया और चिलियानोला में शाखाएं खोलने के वास्ते क्रमशः 16-1-1987 तथा 19-1-1988 को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 21 सितम्बर, 1988 को पैंसिया में एक शाखा खोली गई थी तथा चिलियानोला में शीघ्र ही एक शाखा खोले जाने की सम्भावना है।

बागेश्वर, लोहाघाट और धारचूला (उत्तर प्रदेश) में रेल और सड़क यात्रा के लिए आरक्षण सुविधा

1251. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय का उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में लोहाघाट और धारचूला के लिए रेल और सड़क यात्रा के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) बागेश्वर, लोहाघाट और धारचूला में रेल एवं सड़क आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था तभी की जा सकती है जब कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड/उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मानक शर्तों के अनुसार एजेंसी-ठेका लेने के लिए सहमत हो।

कुटीर बीमा योजना

[अनुवाद]

1252. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1988 में आरम्भ की गई कुटीर बीमा योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों को ही राहत प्रदान करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या इस योजना में बाढ़ तथा भूकम्प के कारण हुए नुकसान के मामलों को भी शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सुदूर क्षेत्रों में लगी आग से पीड़ित निर्धन लोगों को अपने दावे सम्बन्धी आवेदन-पत्र उस राज्य के एक मात्र दावा जांच व निपटान अधिकारी के पास भेजने पड़ते हैं तथा निर्दिष्ट बीमा कम्पनी के डिवीजनल कार्यालय से दावा राशि प्राप्त करनी पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(च) इस सम्बन्ध में प्राप्त किए गए दावों के आवेदन-पत्रों की, राज्यवार संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने दावों का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लीरो) : (क) और (ख) झोंपड़ी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को उस स्थिति में सहायता प्रदान करती है जब उनकी झोंपड़ियां एवं सामान केवल आग लगने के कारण नष्ट हुए हों, न कि किसी अन्य कारण से। बाढ़ और भूकम्प जोखिम इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

(ग) इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि प्रारम्भ में इसे दो वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। दो वर्षों के बाद उक्त समीक्षा के समय इस योजना में संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक जिले के लिए दावा जांच एवं निपटान अधिकारियों (सी० ई० एस० ओ०) की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसलिए प्रत्येक राज्य में एक नहीं बल्कि कई सी० ई० एस० ओ० होते हैं। योजना की दावा निपटान प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। लाभानुभोगी को सी० ई० एस० ओ० को दावा सूचना फार्म प्रस्तुत करना होता है जो झोंपड़ियों के नष्ट होने के कारणों की जांच करेगा, पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा इस बात के प्रति सन्तुष्ट होगा कि वह दावा योजना में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी में ही आता है। दावे के कारणों के प्रति सन्तुष्ट हो जाने के बाद वह सम्बद्ध कागजात अभिहित बीमा कम्पनी को भेजेगा। सी० ई० एस० ओ० की सिफारिश पर अभिहित बीमा कम्पनी दावाकर्ता को मनीआर्डर या चैक द्वारा भुगतान करेगी।

(च) 1-5-1988 से इस योजना के लागू होने से लेकर सितम्बर, 1988 तक इसके अन्तर्गत सूचित एवं अदा किए गए दावों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	सूचित किए गए दावों की संख्या	अदा किए गए दावों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2105	1632
महाराष्ट्र	825	539
तमिलनाडु	1120	1113
उत्तर प्रदेश	532	532
दिल्ली	44	44
कुल :	4826	3860

कानपुर-लखनऊ रेल लाइन बदलना

1253. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर-लखनऊ रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के फलस्वरूप फरूखाबाद का लखनऊ से रेल सम्पर्क टूट जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से विकल्प की व्यवस्था की जाएगी?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) कानपुर-लखनऊ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बाद, जिसका उद्देश्य इस खण्ड पर दोहरी बड़ी लाइन की व्यवस्था करना है, फरूखाबाद की ओर से आने वाली मीटर लाइन की गाड़ियां कानपुर अनवरगंज में समाप्त होंगी। लखनऊ से/तक यात्रा करने वाले यात्री कानपुर अनवरगंज में बड़ी लाइन/मीटर लाइन की कनेक्टिंग गाड़ियां पकड़ सकते हैं।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक

1254. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच की गई है और विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्रथम दृष्टया मामला पाया है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति ली गई थी;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की स्वतंन्त्र जांच की है; यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले एवं क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

"नोवल वेज आफ ड्रग स्मगलिंग अनअर्थ्ड" शीर्षक से समाचार

1255. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नोवल वेज आफ ड्रग स्मगलिंग अनअर्थड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्त्तन एजेंसियों ने संदिग्ध उपकरणों का पता लगाया है और हेरोइन आदि जब्त की है; और

(ग) देश में नशीली औषधियों की तस्करी करने वालों का पता लगाने हेतु सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। हाल ही में बम्बई में पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों के अभिग्रहणों से प्रवर्तन अधिकारियों को नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों द्वारा अनानास की सलाइसों के सील बन्द डिब्बों में, कार फ्यूल फिल्टरों में, कृत्रिम टांग में, टी० वी० की पिक्चर ट्यूब आदि के अन्दर हेरोइन को छिपा कर तस्करी करने के नए तरीकों का पता चला है।

सरकार ने विभिन्न जोरदार निरोधी उपाय आरम्भ किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक सजाएं देने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तन्त्र को (विशेषकर सीमाओं तथा सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास) सशक्त बनाना; अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को अपनाना शामिल है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्य सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक 2 वर्षों तक निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश में नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ उनपर आसूचना को लक्ष्य बनाते हुए अनेक कार्यवाहियां भी की जाती हैं। इन सबका आशय नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापारियों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय बनाना है। मामले पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कड़ी निगरानी भी रखी जाती है।

उड़ीसा स्थित रूग्ण उद्योग

1257. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उद्योग क्षेत्र में अनुभव न होने के कारण उड़ीसा में 26,000 उद्योगों में से 53% उद्योग रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया पूंजीनिवेश लाभप्रद सिद्ध हो; और

(ग) उड़ीसा में इन उद्योगों को दिए गए ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य में उन्होंने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, जून 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में गैर-लघु उद्योग रूग्ण एककों की उद्योग वार स्थिति निम्नलिखित है :—

(राशि करोड़ रुपए में)

उद्योग	गैर-लघु रूग्ण एकक*	
	संख्या	बकाया राशि
1	2	3
वस्त्र	3	7.35
इंजीनियरी	2	0.74
रसायन	3	5.66
कागज	—	—

1	2	3
जूट	—	—
लोहा और इस्पात	1	9.46
विविध	1	0.63
	10	23.84

जून 1987 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में बैंकवार रूग्ण लघु उद्योग एककों के पास बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*गैर लघु रूग्ण एकक जैसाकि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में परिभाषित किया गया है।

विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	बकाया राशि
1	2
इलाहाबाद बैंक	0.15
आन्ध्रा बैंक	0.25
बैंक आफ बड़ौदा	0.38
बैंक आफ इण्डिया	0.75
केनरा बैंक	0.92
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1.31
देना बैंक	0.09
इण्डियन बैंक	0.30
इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.14
न्यू बैंक आफ इण्डिया	0.06
ओरियन्टल बैंक आफ़ कामर्स	0.04
पंजाब नेशनल बैंक	0.33
सिंडिकेट बैंक	0.15

1	2
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1.17
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	6.15
यूको बैंक	1.08
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	19.23
फेडरल बैंक	नगण्य
	32.50

नर्मदा परियोजना की प्रगति

1258. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नर्मदा परियोजना का निर्माण कार्य धीमा पड़ गया है जिससे इसके पूरा होने में और विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) नर्मदा नहर के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) गुजरात राज्य के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां से होकर यह नहर गुजरती है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के समय से कार्यान्वियन के लिए सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की स्थापना की है ।

(घ) इस समय 0 से 82 कि० मीटर के मध्य कार्य प्रगति पर है ।

(ङ) यह नहर भरूच, बड़ोदरा, पंचमहल, खोदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाना और बनासकांठा जिलों से होकर गुजरेगी ।

पाराद्वीप बन्दरगाह के लिए रैकों की सप्लाई

1259. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग आयातित कुकिंग कोल की ढुलाई के लिए पारादीप बन्दरगाह को पर्याप्त मात्रा में रैकों की सप्लाई नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1988 में पारादीप बन्दरगाह द्वारा रैकों की महीने-वार कितनी मांग की गई;

(घ) इन महीनों के दौरान पारादीप बन्दरगाह को कितने रैकों की सप्लाई की गई; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : इसमें मामूली-सी कमी है।

(ख) मामूली-सी कमी पारादीप पोर्ट के जरिए निर्यात के लिए लौह अयस्क यातायात के कम फलीभूत होने के कारण वापसी में लदान के लिए कम मात्रा में खाली माल डिब्बे भेजने के परिणामस्वरूप हुई है।

(ग) से (ङ) 1988 के दौरान (माहवार) आयोजित कोचिंग कोल के संचलन के लिए पारादीप पोर्ट द्वारा मांगे गए और इस सम्बन्ध में सप्लाई किए गए रैक नीचे दिए गए हैं :—

महीना	मांग	सप्लाई
जनवरी	57	57
फरवरी	58	57
मार्च	45	39
अप्रैल	50	50
मई	49	46
जून	46	46
जुलाई	51	51
अगस्त	51	51
सितम्बर	34	34
अक्तूबर	69	58

केरल में नैमित्तिक श्रमिक

1260. **श्री तम्पन थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेल-विभाग में कितने व्यक्ति नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनकी सेवाएं नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) रेलों पर नैमित्तिक श्रमिकों के आंकड़े राज्य-वार नहीं अपितु रेलवे-वार और मण्डल-वार रखे जाते हैं। इस समय पालघाट और तिरूवनन्तपुरम मण्डलों, जो अधिकांशतः केरल राज्य को परिपूरित करते हैं, में 2764 नैमित्तिक श्रमिक हैं।

(ख) वस्तुत: इस समय कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रुप 'घ' की सभी रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की स्क्रीनिंग तथा समाहन करके भरी जा रही हैं। तथापि समाहन, नियमित नियोजन के लिए रिक्तियों की उपलब्धता तथा अलग-अलग नैमित्तिक श्रमिकों की पात्रता और उपयुक्तता जैसे कारकों को ध्यान में रखकर, किया जाता है। 1-1-1988 से 1-10-1988 तक की अवधि के दौरान इन दोनों मण्डलों में नियमित नियोजन में 391 नैमित्तिक श्रमिक समाहित किए गए हैं।

कोचीन, मंगलौर और त्रिवेन्द्रम से एक नई रेलगाड़ी प्रारम्भ करना

1261. **श्री तम्पन थामस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन, मंगलौर और त्रिवेन्द्रम से लम्बी दूरी की कोई नई रेलगाड़ी प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे खान-पान सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान

1262. **श्री तम्पन थामस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग में रेलवे खान-पान सेवा में बैरा तथा रसोइया आदि के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) क्या उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन-मान दिए जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियन्त्रित कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नये वेतनमान अन्य वर्ग के कर्मचारियों को भी दिए जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वे व्यक्ति जो नियमित नौकरी में हैं, उन्हें, उनकी कोटि के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है। वे बेयरे और वेंडर जिन्हें कमीशन के आधार पर रखा गया है, उन्हें कोई वेतनमान नहीं दिया जाता है।

(घ) और (ङ) कमीशन बेयरे और कमीशन वेंडर रेल सेवा में उनके समाहन की तारीख से ही रेल कर्मचारियों को देय वेतनमान और भत्ते पाने के पात्र हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1986 की रिट याचिका संख्या 191 के सम्बन्ध में दिए गए अपने निर्णय में इसकी परिपुष्टि कर दी गयी है।

दक्षिण क्षेत्र में नकदी फसल की खेती

1263. **श्री तम्पन थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण क्षेत्र में इलायची, चाय, काली मिर्च, कॉफी तथा अन्य नकदी फसलों की खेती का और अधिक विकास करने का कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय इलायची, चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू के व्यापार से सम्बद्ध कार्य करता है। इन फसलों से सम्बन्धित मुख्य विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

इलायची

मसाला बोर्ड, विस्तार परामर्शी योजना, प्रतिपूर्ति योजना, अधिक उपज वाली रोपण सामग्री सम्बन्धी योजना, सिंचाई, पौध संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है तथा साथ ही अनुसन्धान कार्य भी करता है।

चाय

चाय बोर्ड नई चाय एकक वित्त पोषण योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय की कृषि का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इन गैर-परम्परागत क्षेत्रों में शामिल हैं केरल का इद्दुकी जिला तथा कर्नाटक का कोडागु जिला।

काफी

काफी बोर्ड, काफी के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र लाने के लिए ऋण देने सम्बन्धी कार्यक्रम, काफी कृषि में कामिकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी प्रशिक्षण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, प्रदर्शन फार्म खोल रहा है तथा अनुसन्धान/विस्तार कार्यों को सुदृढ़ कर रहा है।

रबड़

रबड़ बोर्ड जो अन्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है वे हैं, छोटे उपजकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी रबड़ रोपण विकास योजना, पाली बैगस संयंत्रों को आर्थिक सहायता, अनुसंधान फार्मों, केन्द्रीय रबड़ इस्टेट तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रबड़ अनुसन्धान सह विकास केन्द्र, विस्तार प्रशिक्षण तथा परामर्शी सेवा योजना आदि। ये योजनाएं दक्षिणी क्षेत्र के उपकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध हैं।

तम्बाकू

तम्बाकू बोर्ड के पास फ्लूक्योरड़ वर्जीनिया तम्बाकू की क्वालिटी व उपज में सुधार लाने, क्वालिटी तम्बाकू उपजाने के लिए नये क्षेत्र अभिज्ञात करने, नाशी कीट और रोग नियन्त्रित करने, बार्मस क्यूरिंग के लिए सामग्री और तम्बाकू कृषि में प्रयुक्त अन्य अन्तर्निदिष्टियों की सप्लाई करने तथा जिन उन क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी के बर्ले उपजाए जा सकते हैं वहां बर्ले का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना है।

युवा उद्यमियों को बैंक शाखाओं द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करना

1264. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवा उद्यमियों को विस्तृत तथा सम्पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न शहरों में विशिष्ट शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों/नगरों में ये शाखाएं खोली जाएंगी तथा कब तक इनमें कार्य आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) किस प्रकार की तकनीकी सेवा प्रदान करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे अभी तक केवल युवा उद्यमियों को विस्तृत तथा सम्पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। लघु एकक उद्यमियों सहित उधारकर्ताओं की आवश्यकताएं बैंकों की वर्तमान शाखाओं द्वारा पूरी की जा रही हैं।

अगरतला को रेल लाइन से जोड़ना

1265. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगरतला को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) आठवीं योजना में नयी लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बाई-माडल विकल्प अर्थात अंशतः रेल द्वारा और शेष सड़क द्वारा के लिए अध्ययन के साथ-साथ अगरतला तक रेल सम्पर्क के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।

भारत में सोवियत संघ विदेश व्यापार बैंक की शाखाएं खोली जाना

1266. **श्री मोहन भाई पटेल** :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत में अपनी विदेश व्यापार बैंक की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है ताकि दोनों देशों के बीच शीघ्र और सुचारू लेन-देन की सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं को किन-किन शहरों में खोला जाएगा;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनकी भारत में अपने बैंकों की शाखाएं हैं;

(ङ) किसी देश को भारत में अपने बैंक खोलने की अनुमति देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है; और

(च) क्या सोवियत संघ में भी भारतीय बैंकों की शाखाएं खोले जाने की सम्भावना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें सोवियत संघ के बैंक आफ इकोनोमिक अफेयर्स से बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) 31-10-1988 की स्थिति के अनुसार, भारत में निम्नलिखित देशों में निगमित बैंकों की शाखाएं/प्रतिनिधि कार्यालय कार्य कर रही हैं :—

देश का नाम	बैंकों की संख्या जिनकी शाखाएं हैं	बैंकों की संख्या जिनके प्रतिनिधि कार्यालय हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका	3	5
यूनाइटेड किंगडम	2	2
फ्रांस	3	3
जापान	2	2
यूनाइटेड अरब अमीरात	2	—
आस्ट्रेलिया	1	—
नीदरलैंड	1	1
हांगकांग	1	—
बंगलादेश	1	—
पश्चिमी जर्मनी	1	—
केमैन द्वीपसमूह	1	—
कनाडा	1	—
ओमान	1	—
बहरीन	1	—
इटली	—	1
बेल्जियम	—	1
सोवियत संघ	—	1
जोड़ :	21	16

(ङ) सामान्य तौर पर किसी विदेशी बैंक को शाखा खोलने की अनुमति विभिन्न पहलुओं अर्थात् प्रार्थी बैंक की वित्तीय शोधन क्षमता, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध, बैंककारी सम्बन्धों में आदान-प्रदान आदि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(च) वर्तमान में केवल भारतीय स्टेट बैंक का ही सोवियत संघ में एक प्रतिनिधि कार्यालय है।

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में तस्करों की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

1267. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, इन जिलों के नाम क्या हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां उक्त तस्करों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनसे बरामद वस्तुओं का उनकी मात्रा सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इन शुरू किए गए अभियोजनों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) तस्करों को पकड़ने में राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग की अलग-अलग उपलब्धियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1422 किलोग्राम हेरोइन, 4313 किलोग्राम चरस और 34 किलोग्राम अफीम, 194 किलोग्राम चांदी और 53,862 रुपये के मूल्य के विविध माल के अभिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेड और बीकानेर में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त होने के कारण 92 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान के सीमाशुल्क समाहर्तालय द्वारा 21 मुकदमें चलाए गए हैं। तथापि, अभी तक उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही दोषी सिद्ध किया गया है और शेष मामले लम्बित पड़े हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न प्रवर्त्तन अभिकरणों द्वारा राजस्थान सेक्टर में पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	नीचे दिए गए अभिकरणों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य (लाख रुपयों में)		
	सीमाशुल्क	सीमा सुरक्षा बल	पुलिस (राजस्थान)
1	2	3	4
1986	53.96	325.22	731.41

1	2	3	4
1987	19.22	153.21	453.84
1988 (सितम्बर तक)	36.43	107.86	5.80
पिछले तीन वर्षों में की गई गिरफ्तारियों की संख्या	24	2	66

चाय का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

1268. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :
श्री चिंतामणि जेना :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चाय के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके अनुरूप चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में चाय के उत्पादन में वृद्धि होने से चाय के निर्यात में भारी वृद्धि होने की गुंजाइश है;

(ग) यदि हां, तो चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(घ) वर्ष 1988-89 में निर्यात के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है तथा इसे प्राप्त करने में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा : मिलियन किग्रा० में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1985	656	214
1986	×621	×203 (अनन्तिम)
1987	+673	+209 (अनुमानित)

(घ) से (ङ) देश में चाय उत्पादन की समग्र वृद्धि को देखते हुए, चाय के निर्यात में वृद्धि होने की गुंजाइश है। वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान चाय के निर्यात को अधिकतम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने भारत से चाय के निर्यात को बढ़ाने के विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :

(1) चाय बैगिंग मशीनरी पर आयात शुल्क में कमी तथा पैकेजिंग मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाना।

(2) चाय बैगों को बनाने के लिए फिल्टर कागजों पर आयात शुल्क समाप्त करना।

(3) चाय बैगों, पैकेट चाय, चाय कैंडीज तथा चाय बेस्टलेट के लिए नकद मुआवजा सहायता बढ़ाना।

(4) निर्यात पर उत्पादन शुल्क से छूट।

(5) देश में बनाई गई चाय पैकेजिंग मशीनरी की खरीद के लिए ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गयी है।

(6) प्रचार कार्यक्रमों को दीर्घकालीन आधार पर तथा लगातार चलाने हेतु विदेशी मुद्रा के रूप में ब्याज मुक्त ऋण की शुरुआत।

(7) दक्षिण भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1988-89 में एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है।

केरल में छापे

1269. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के जांच विभाग द्वारा केरल में वर्ष 1988-89 के पूर्वार्ध के दौरान कितने छापे मारे गए;

(ख) इन छापों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इन छापों के दौरान दोषी पाए गए पांच शीर्षस्थ व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध कितनी-कितनी धनराशि के मामले हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 1988-89 की पहली छमाही के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत केरल में 43 तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों के दौरान, **प्रथमदृष्ट्या** लगभग 32 लाख रुपए के मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई थीं, उन्होंने तलाशियों के दौरान दिए गए अपने ब्यानों में कुल मिलाकर 74.00 लाख रुपए की आय का छिपाव स्वीकार किया था।

(ग) उपर्युक्त तलाशियों में पकड़ी गई कीमती वस्तुओं के पांच बड़े मामलों का ब्यौरा नीचे

दिया गया है :—

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम	पकड़ी गई कीमती वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	श्री एन० आर० रामकृष्णन्	11.57
2.	श्री एन० ए० पद्मनाभन	5.76
3.	मैसर्स ए० वी० जे० ऐम्पोरियम	3.50
4.	मैसर्स पी० सी० दामोदरन एण्ड सन्स	3.10
5.	श्री ए० कुन्जु मूसा	2.90

उड़ीसा में "जेम पार्क" स्थापित करना

1270. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम उड़ीसा में एक "जेम पार्क" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जापान को आटो-पुर्जों का निर्यात

1271. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में भारतीय आटो-पुर्जों की अच्छी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उस देश को आटो-पुर्जों का निर्यात करने का विचार है;

(ग) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में कोई दीर्घावधि नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारतीय आटो-पुर्जे जापान को निर्यात किए जा रहे हैं जहां इसकी अच्छी सम्भावना है ।

(ग) और (घ) टी० डी० ए० द्वारा बनाई गई नीति में शामिल हैं, निर्यात के लिए आटो-

पुर्जों की चुनिन्दा मदों को अभिज्ञात करना, प्रतिष्ठित परीक्षण सदनों द्वारा इन मदों का परीक्षण, भारत में ऐसी कुछेक प्रतिष्ठित फर्मों की छोटी सूची बनाना जो क्वालिटी उत्पादों की सप्लाई कर सकती हैं, वितरण कार्यक्रमों को मानीटर करना, जापान में आटो-पुर्जों के व्यापार मेलों में भाग लेना तथा जापान को बिक्री दल योजना तथा वहां से ऐसे दल बुलाना।

उड़ीसा में सोने, हेरोइन आदि की तस्करी

1272. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के बालासोर जिले में जालेश्वर से 38 किलोमीटर दूर चन्डनेश्वर क्षेत्र में सोने, हेरोइन आदि की तस्करी की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा पर समुद्र के माध्यम से तस्करी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा के बालासौर जिले में जालेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चन्डनेश्वर के क्षेत्रों में सोने अथवा हेरोइन के पकड़े जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अतः इस क्षेत्र में तस्करी की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है।

(ख) उड़ीसा में पारादीप तथा गोपालपुर नामक दो बन्दरगाह हैं। उड़ीसा में समुद्री बन्दरगाहों से पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य नीचे दिए अनुसार है :—

1985	26,700/- रुपये
1986	67,400/- रुपये
1987	.. 76,150/- रुपये
1988 (सितम्बर तक)	42,65,350/- रुपये

पकड़े गए उपर्युक्त माल में कोई नशीले औषध-द्रव्य अथवा सोना शामिल नहीं है।

(ग) सम्पूर्ण देश में तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा उड़ीसा में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तस्करी का पता लगाने तथा उसकी रोकथाम करने में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल को बनाए रखा जा रहा है।

हंगरी के साथ संयुक्त उद्यम

1273. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हंगरी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की अक्तूबर, 1988 में नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान भारत और हंगरी की सरकारें दोनों देशों में संयुक्त उद्यम की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सहमत हो गई हैं। फिर भी, सरकार को हंगरी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अभी तक किसी सरकारी एजेन्सी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली/नई दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी रेल सेवा

[हिन्दी]

1274. **श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली को राज्यों की राजधानियों के साथ इस प्रकार से सीधा जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार गाड़ियों के समय कार्यालय जाने वाले के अनुकूल हो;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों की राजधानियों तथा दिल्ली/नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा नहीं है; और

(ग) ये गाड़ियां कब तक चलाई जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) यह एक चालू प्रक्रिया है।

(ख) शिमला, श्रीनगर, गोवा तथा पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां (असम को छोड़कर)।

(ग) जब भी अवसंरचना इसके अनुकूल होगी।

इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

[अनुवाद]

1275. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के लिए इस शर्त पर ऋण देने के लिए सहमत हुआ है कि भारत की आयात नीति को और उदार बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो उसने भारत की आयात नीति को कितना उदार बनाने की मांग की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की एक परियोजना के लिए विश्व बैंक से सम्भावित सहायता के लिए कुछ प्रारम्भिक बातचीत की गई है । ऋण की मात्रा और उसकी शर्तों के बारे में अभी बातचीत नहीं की गई है ।

प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायालय

1276. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर-वसूली में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सरकार ने अभी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अदालत की स्थापना नहीं की है ।

तस्करी आदि के वित्तदाताओं और संगठनकर्ताओं को नजरबन्द करने के लिए "आप्रेशन"

1277. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी के वित्तदाताओं और संगठनकर्ताओं, विदेशी मुद्रा चालबाजों और नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों को नजरबन्द करने के लिए 1 से 17 अक्तूबर तक कोई विशेष "आप्रेशन" आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । 1 अक्तूबर, 1988 से ! अक्तूबर, 1988 तक की अवधि के दौरान "हार्ड रॉक" कोड नाम से एक अभियान तस्करी, विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वालों तथा नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध धन्धा करने वालों के वित्तपोषकों तथा आयोजकों को निरुद्ध करने के लिए आयोजित किया गया था । इस अभियान के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 274 नजरबन्दी आदेश जारी किए गए थे तथा वास्तव में 152 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 25 नजरबन्दी आदेश जारी किए गए थे तथा वास्तव में 22 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ।

चाय उद्योग का यन्त्रीकरण

1278. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग का यन्त्रीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) सातवीं योजनावधि में कितना लक्ष्य प्राप्त किया जाना है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे का विद्युतीकरण

1279. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की यह नीति है कि वह डीजल के प्रयोग में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के भार को कम करने हेतु इंजनों के लिए विद्युत जैसे उर्जा के पुन: प्रायोज्य स्रोत का अधिकाधिक उपयोग करें;

(ख) यदि हां, तो कुल प्रतिशत के रूप में इस प्रकार की उर्जा खपत का तुलनात्मक व्यय कितना है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1987-88 के दौरान गाड़ी कर्षण के लिए उपयोग की गई बिजली पर खर्च भारतीय रेलों के कुल ईंधन खर्च का लगभग 25% है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनन्तिम रूप से 3400 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का विचार है।

रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को बोनस

1280. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक बोनस के भुगतान के मामले में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों से भिन्न व्यवहार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं जिसके आधार पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को बोनस का भुगतान कम दर पर किया जाता है जिसके कारण परिहार्य असन्तोष उत्पन्न हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के अन्तर्गत न आने वाले अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन और दूसरे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर तदर्थ बोनस का भुगतान किया गया है ।

प्रयोज्य डिब्बों का प्रयोग

1281. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में पेय और भोजन परोसने में प्रयोग होने वाले प्रयोज्य डिब्बों के मूल्य बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनके प्रयोग में विदेशी मुद्रा के खर्च होने को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रयोज्य डिब्बों के लगातार प्रयोग की पुनरीक्षा की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय एक्विटि निधि

1282. **श्री जी० भूपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा उद्यमियों ने राष्ट्रीय एक्विटि निधि योजना के प्रति उत्साहवर्धक रुचि नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना का परिचालन अगस्त 1987 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि योजना की प्रगति धीमी है। राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और उद्यमियों के वास्ते इसे और लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं जो दिनांक 14 जुलाई, 1988 से प्रभावी हैं :—

1. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना भारतीय स्टेट बैंक के जरिए भी चलाई जाएगी ।

2. जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों के अलावा

राज्य वित्तीय निगम/दोहरे कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगम भी परिचालन एजेंसियां होंगी ।

3. जहां तक रुग्ण लघु औद्योगिक एककों/अति लघु एककों के पुनरूद्धार/पुनरूज्जीवन का सम्बन्ध है, जनसंख्या सीमा अब 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है ताकि अधिक से अधिक रुग्ण एकक राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना से लाभ उठा सकें । अलबत्ता, नए एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में जनसंख्या सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

4. जहां तक बैंकों द्वारा राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिक संख्या में मामले लाए जाने के लिए प्रोत्साहनों का सवाल है राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना की सहायता के साथ-साथ बैंकों द्वारा मंजूर किए जाने वाले सावधि ऋणों के लिए पुर्नवित्त सहायता की वर्तमान सीमा 75% से बढ़ा कर 100% कर दी गई है ।

हांगकांग के साथ व्यापार में विविधता

1283. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हांगकांग के साथ व्यापारिक विनिमय के स्तर और वैविध्यता के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो हांगकांग का भारत के निर्यात के माध्यम का केन्द्र बनाने और तीसरे विश्व के देशों को कुछ विशेष वर्ग की घरेलू और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन हेतु भारत को आधार केन्द्र बनाने हेतु हांगकांग को अनुमति देने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) इस समय हांगकांग के साथ वाणिज्यिक विनिमय की सीमा और स्तर की विविधता के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय में ऐसे कोई निश्चित प्रस्ताव पर विचाराधीन नहीं है । तथापि सरकार को उन सम्भावनाओं का पहले ही पता है जो हांगकांग में अन्तर्राष्ट्रीय अर्न्तपत्तन व्यापार के लिए तथा विशेष रूप से चीन तथा जापान जैसे देशों को भारतीय निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि हांगकांग को मुक्त पत्तन का दर्जा प्राप्त है चीन को हमारे निर्यातों का एक भाग हांगकांग के माध्यम से हो रहा है। हांगकांग की पार्टियां समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार भारत में उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों का लाभ ले सकती है ।

लौह अयस्क का पत्तन-वार निर्यात

1284. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए लौह अयस्क के निर्यात के लिए पत्तन-वार लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-

90 और 1990-91 के लिए लौह अयस्क, कन्सन्ट्रेट पैलेट के निर्यात के पत्तन-वार लक्ष्य निम्न-लिखित हैं :—

(मिलियन टनों में मात्रा)

पत्तन	1988-89	1989-90	1990-91
विजाग	5.70	5.70	6.00
मद्रास	5.20	5.20	5.50
पराद्वीप	1.50	1.50	2.00
मोर्मुगाव	14.00	14.00	14.00
नया मंगलौर	4.70	5.00	5.00
अन्य	1.82	1.82	1.00
कुल :	32.92	33.22	34.50

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क निर्यात की स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं—बाजार विविधीकरण, मद्रास, विजाग और पराद्वीप में बड़े आकार के जहाजों को स्थान देने के लिए पत्तन क्षमता विस्तारण की योजनाएं बनाना, लौह अयस्क के प्रमुख खरीदारों के साथ दीर्घकालीन समझौतों के अन्तर्गत निर्यात करना, खनन की और खनन कार्य वाली समन्वित परियोजनाओं के 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के लाभ प्रदान करना, आदि ।

महानदी के अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) एककों का पुनर्गठन

1285. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ नदियों, विशेष रूप से महानदी के अनुप्रवाह भाग के क्षेत्रीय एककों का पुर्नगठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा नदियों के सम्बन्ध में किए जाने वाले पुर्नगठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानदी डिवीजन के (डाउन स्ट्रीम यूनिट्स) अनुप्रवाह एककों को बुरला से अलग करने और केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के अन्तर्गत ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा डिवीजन में रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा नैरोबी मेला में प्राप्त क्रयादेश

[हिन्दी]

1286. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने केन्या में नैरोबी में 27 सितम्बर, से 1 अक्तूबर, तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ करोड़ रुपए मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण और अन्य भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन मदों की भारी मांग थी, किन-किन की अधिकतम बिक्री हुई और इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मेले में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सहभागियों की सूचना अनुसार 27 सितम्बर—1 अक्तूबर, 1988 के दौरान नैरोबी, कीनिया में आयोजित नैरोवी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में लगभग 3.95 करोड़ रु० मूल्य का कारोबार बुक किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चाय संसाधन मशीनें, सरफेस ग्राइन्डर, लैथ मशीन, ग्राइन्डिग ह्वील्स, कृषि सम्बन्धी उपस्कर, पम्प और डीजल इंजिन, मशीन टूल्स आदि ऐसी मदें थीं जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया। ऐसी जानकारी दी गई है कि लगभग 1.18 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनें प्रदर्शनी स्थल पर ही बिक गई।

(घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण विदेशी मेलों में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों का अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में सहायता देना है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का मेलों में भाग लेने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है।

विवरण

नैरोबी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, नैरोबी (केन्या) सितम्बर 27 से अक्तूबर 1, 1988 में भागीदारों की सूची

1. बाटलीबोय एण्ड कं० लि०, बम्बई।
2. क्रोम्पटन ग्रीबन लि०, बम्बई।
3. फर्नहिल लेबोरेट्रीज एण्ड इण्डस्ट्रीयल एस्ट०, बम्बई।
4. एच० एम० टी० (इण्डिया) लि०, बंगलौर।
5. मैसचिन्सफैब्रिक पालिग्राफ (इण्डिया) लि०, बम्बई।
6. नेशनल स्माल इण्डिया कारपोरेशन, नई दिल्ली।

7. पाठक मशीन टूल्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।

8. सिगिल (इण्डिया) सर्विसस (प्रा०) लि०, बड़ौदा।

9. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली।

10. मै० टी० स्पेयरस (इण्डिया), कलकत्ता।

11. मै० विक्रम फोर्जिग्स एण्ड एलायड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कलकत्ता।

12. मै० गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद—निम्नलिखित संघटकों सहित :—

मै० अमृत इन्जी० प्रा० लि०, अहमदाबाद।

मै० चारोतर आयरन फैक्ट्री, आनन्द।

मै० देवको इण्डस्ट्रीज, वाधवान सिटी।

मै० गुजरात इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद।

मै० कृषि विकास सदन केन्द्र, वलसाद।

मै० कुनल आर्गेनिक्स प्रा० लि०, अहमदाबाद।

मै० लक्ष्मी प्लास्टिक इन्जी० वर्क्स, अहमदाबाद।

मै० नवजीवन एक्सपोर्टस्, अहमदाबाद।

मै० राजकोट मशीन टूल्स प्रा० लि०, राजकोट।

मै० रुनवेल आटो इन्जी० वर्क्स, अहमदाबाद।

मै० शैलेश मशीन टूल्स, राजकोट।

मै० शिवांगी इण्डस्ट्रीज, भरौच।

मै० सिन्टर प्लास्ट कन्टेनर्स, कलूल (एन० जी०)।

मै० सोलसन्स, अहमदाबाद।

मै० स्टर्लिग एब्रेसिब्स प्रा० लि०, अहमदाबाद।

मै० दि न्यू इण्डिया इन्जी० वर्क्स, राजकोट।

मै० विशाल स्टील इण्डस्ट्रीज, ब्रोच।

मै० विसनगर तलुका औद्योगिक शकारी मण्डली लि०, अहमदाबाद।

काले धन का पता लगाना

1287. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985, 1986, 1987, और 1988 के अक्तूबर तक की अवधि के दौरान कितनी लेखाबाह्य राशि का पता लगा, तलाशियों के दौरान कितने मूल्य का सामान बरामद हुआ, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों की कीमत, नीचे दी गई तालिका में बताई गई है :

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों की कीमत
1985-86	6431	50.32
1986-87	7054	100.70
1987-88	8464	145.20
1988-89 (1-4-88 से 31-10-88 तक)	3992	81.70

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में ली गई तलाशियों और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के कर-निर्धारण से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वित्तीय वर्ष	तलाशी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर-मिर्धारणों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए कर-निर्धारणों की संख्या	वर्ष के अन्त में अनिर्णीत कर-निर्धारणों की संख्या
1985-86	21,330	13,659	7,671
1986-87	19,358	10,816	8,542
1987-88	21,148	10,546	10,602

किसी वित्तीय वर्ष विशेष में निपटाए गए कर-निर्धारण के मामले, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, जरूरी नहीं है कि उसी वर्ष के दौरान ली गई तलाशियों से सम्बन्धित हों।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पाद-शुल्क का अपवंचन

[अनुवाद]

1288. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1,300 करोड़ रुपए के उत्पाद-शुल्क के अपवंचन की वसूली के लिए वर्ष 1987 में चार बड़ी सिगरेट कम्पनियों को भेजे गए नोटिस-पत्रों का क्या परिणाम रहा;

(ख) काले धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) चार प्रमुख सिगरेट निर्माताओं और उनके ठेका निर्माताओं को वर्ष 1987 के दौरान जारी किए गए 22 कारण बताओ नोटिस अलग-अलग न्याय-निर्णय प्राधिकारियों के पास न्याय-निर्णय के लिए विचाराधीन पड़े हुए हैं जिन में लगभग 1200 करोड़ रु० की उत्पादन-शुल्क की मांग की गई है ।

(ख) और (ग) जिन सिगरेट कम्पनियों के बारे में सन्देह था कि उन्होंने उत्पाद-शुल्क की चोरी की है, आयकर अधिकारियों ने उनकी लेखा-बाह्य आय/धन पर कर लगाने के निमित्त आवश्यक जांच-पड़ताल की है । जांच-पड़ताल एक सतत प्रक्रिया है और सूचित किए गए आयकर के अपवंचन के प्रत्येक मामले में जांच-पड़ताल की जाती है ।

विदेशों में संयुक्त उद्यम में भारतीय निवेश

1289. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों के संयुक्त उद्यमों में किए गए कुल भारतीय निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में किए गए निवेश की मात्रा में कोई कमी-बेसी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में कुल स्वीकृत भारतीय पूंजी निवेश निम्नानुसार है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए में)
1985	312.70
1986	404.35
1987	515.67

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रायपुर में बैंकों में जमा राशि

[हिन्दी]

1290. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्टूबर, 1988 के जनसत्ता में "रायपुर के बैंकों में करोड़ों रुपए जमा होने की जांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रायपुर के सभी करेंसी चेस्टों को विभिन्न बैंकों से गन्दे नोटों सहित भारी नकदी प्राप्त होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जांच करवाई है और गन्दे नोटों को हटाने और पुनः जारी करने योग्य नोटों की कमी वाले अन्य करेंसी चेस्टों में भेजने की व्यवस्था की है।

बैंक आफ इन्दौर में जमा धनराशि

[अनुवाद]

1291. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इन्दौर की जमा धनराशि में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा बैंक जमा धनराशि में वृद्धि के लिए संप्रवर्तक कमीशन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रोत्साहन योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने संप्रवर्तक-कमीशन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर में कुल जमाराशियों की वृद्धि का पेटर्न नीचे दिया गया है :—

(राशि लाख रुपए)

	दिसम्बर 1985	दिसम्बर 1986	दिसम्बर 1987
कुल जमा राशियां	41492	51498	67954
गत वर्ष से अधिक हुई जमाराशि में वृद्धि	7936	10006	16456

(ग) से (ङ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि बैंक की जनता जमा योजना में वे

जमाराशि संग्रहकर्ताओं को उनके द्वारा संग्रह की गई जमाराशियों पर कमीशन देते हैं। बैंक द्वारा 1985, 1986 और 1987 में क्रमश: 4.80 लाख रुपए, 4.71 लाख रुपए और 5.15 लाख रुपए के कमीशन का भुगतान किया गया।

कोलार सोना खानों और बंगलौर के बीच डीजल रेलगाड़ियां

1292. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार सोना खानों और बंगलौर के बीच इस समय प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं: और

(ख) क्या सरकार का दैनिक यात्रियों की मांग पूरा करने के लिए कोलार सोना खानों और बंगलौर के बीच एक और डीजल रेलगाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) एक जोड़ी गाड़ी येलहंका और बंगारपेट के बीच, एक गाड़ी येलहंका और चिंतामणी के बीच छोटी लाइन खण्ड पर तथा दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ी मारिकुप्पम-बंगारपेट बड़ी लाइन खण्ड पर डीजल कर्षण से चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

बंगारपेट से येलहंका के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1293. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगारपेट से येलहंका के बीच छोटी रेलवे लाइन की लम्बाई क्या है; और

(ख) क्या इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का तथा इसे दक्षिण रेलवे में काट्टनगुलाटूर से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 149 किलोमीटर।

(ख) जी, नहीं।

स्टेनलैस स्टील के सिक्के

1294. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के स्टेनलैस स्टील के सिक्के चलाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि इन सिक्कों के सपाट किनारे होने के कारण इनको संभालने में कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दोष को दूर करने के उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिक्कों की कीमत तथा स्टेनलैस स्टील की भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए (सिक्कों की) परिधि के साथ-साथ किनारों पर दांते काटना आवश्यक नहीं समझा गया।

गैर-विकास व्यय में वृद्धि

1295. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए विश्लेषण में यह बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-विकास व्यय में अधिक वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तथ्य एकत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-विकास व्यय में वृद्धि होने से अनेक विकास परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) भारत सरकार के वित्त के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के जून, 1988 के बुलेटिन के अंक में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वर्ष 1987-88 की तुलना में बजट में गैर-विकास व्यय में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि और विकास व्यय में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप कुल संवितरणों में विकास व्यय का हिस्सा जो 1987-88 में 55.1 प्रतिशत था, घटकर 1988-89 में 53.2 प्रतिशत रह जाएगा। गैर-विकास व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज अदायगियों, रक्षा प्रशासनिक सेवाओं आदि में वृद्धि होना है।

(घ) और (ङ) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि गैर-विकास व्यय को न्यूनतम आवश्यक स्तर तक रखते हुए कम प्राथमिकता दी जाए और विकास व्यय को अधिक प्राथमिकता दी जाए, व्यय को नियंत्रण में रखने के एक उपाय के रूप में मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने चालू कार्यक्रमों की बारीकी से जांच करें और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करें ताकि ऐसे व्यय में कटौती अथवा विलोपन किया जा सके जो कम प्राथमिकता वाले हैं और उच्च प्राथमिकता वाली मदों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जा सके।

न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने में विफलता के कारण तस्करों का छोड़ा जाना

1296. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा छह माह की सांविधिक अवधि के अन्दर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने में विफलता के कारण सोने की तस्करी के सम्बन्ध में काफी संख्या में पकड़े गए दोषी व्यक्तियों को छोड़ देना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कर्त्तव्य के प्रति ऐसी लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें सोने की तस्करी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा न्यायालय में शिकायत दायर करने में असफल होने के परिणामतः रिहा करना पड़ा था। तथापि, कुछेक मामलों में, अभियोजन मामला विचाराधीन होने के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

भर्ती पर प्रतिबन्ध आदेशों को लागू करना

1297. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "5000 टीचर्स पोस्ट्स लाइंग वकेन्ट इन दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का प्रतिबन्ध आदेशों को उपयुक्त ढंग से लागू करने और इन्हें किस स्थिति में लागू किया जाए के बारे में सरकारी विभागों को परामर्श देने और इस सम्बन्ध में ब्यौरा सभा पटल पर रखने का विचार है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस बारे में काफी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ सरकारी विभाग दर्जा बढ़ाए गए पदों पर भी प्रतिबन्ध आदेशों को लागू कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार अध्यापकों के 2050 पद रिक्त हैं जिनमें से 1135 पद अदालत में चल रहे मामलों के कारण रिक्त हैं। ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो अदालतों में निर्णयाधीन नहीं हैं, दिल्ली प्रशासन ने रोजगार कार्यालय को मांग भेजने तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें मंगाने आदि जैसी भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

(ख) से (घ) खाली पदों को भरने के बारे में 1986 में संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों में पदोन्नति, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु, पदत्याग करने, बर्खास्तगी, नौकरी से हटाए जाने अथवा प्रतिनियुक्ति इत्यादि के कारण होने वाली योजनागत तथा योजना-भिन्न-दोनों तरह की रिक्तियों को अब कुछ शर्तों को पूरा करने पर भरा जा सकता है। 20-5-1986, 15-7-1986 को जारी किए गए इन अनुदेशों की प्रतियां पहले ही संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। विभिन्न सरकारी विभाग इन अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने मामलों में कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। इस सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो वह भी इन मामलों में शामिल है।

बैंकों में धोखाधड़ी

1298. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्टूबर, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "16 आर० बी० आई० एम्प्लाईज सस्पेंडेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर में करेंसी नोटों के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के पकड़े गए मामले और साथ ही गत 12 महीनों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में किसी न किसी रूप में अन्यत्र स्थान पर की गई धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए मामलों के साथ उनकी किस प्रकार तुलना की जाती है; और

(ग) धोखाधड़ी के इन मामलों को विशेष रूप से जब कि ऐसे मामले पहले प्रकाश में आ चुके थे, रोकने के लिए समुचित उनाय न किए जाने के क्या कारण हैं और भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी पुनः न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़लीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फरवरी, 1988 में 100 रु० मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट उनके भुवनेश्वर कार्यालय के देखने में आए थे जिन्हें उस कार्यालय में भुगतान के लिए पास कर दिया गया था। ये विकृतियां सन्देहास्पद स्वरूप की थीं। जुलाई, 1988 में भी 100 रु० मूल्य वर्ग के ऐसे अनेक नोट इस कार्यालय के देखने में आए जिन पर पहले से ही पंच के निशान थे, जिन्हें काउन्टर पर प्रस्तुत किया गया था, इनका धोखाधड़ी से भुगतान ले लिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रारम्भिक अन्वेषणों से यह पता चलता है कि इस धोखाधड़ी में 12,30,300 रु० की राशि शामिल थी जिसमें 100 रु० मूल्यवर्ग के 12,303 अदद नोट थे। इस सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक के 15 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 1985 में केवल एक अन्य मामला घटित हुआ था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई में 100 रु० मूल्यवर्ग के खराब 76 अदद नोटों को भुगतान के लिए पास कर दिया गया था जो भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में भारतीय स्टेट बैंक, सांगानेरी गेट जयपुर से करेंसी चैस्ट (तिजोरी) में प्राप्त हुए थे।

(ग) वर्तमान कार्य प्रणालियां उपयुक्त रूप से सुदृढ़ हैं। उपर्युक्त घटना स्पष्टतया कुछ लोगों द्वारा नियमों में धोखा देकर अपराधों में सहायक होने तथा अन्य कुछ लोगों द्वारा कार्य प्रचालन का पर्यवेक्षण करने में की गई लापरवाही के कारण घटित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान जांच व सावधानियों का सतर्कता से पालन करने के लिए अपने सभी कार्यालयों पर जोर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी कार्यालयों का अचानक जांच दौरान करने के लिए एक विशेष दल भी गठित किया है ताकि निर्धारित कार्य-प्रणालियों का सख्ती से पालन किया जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1299. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में अनेक मामले स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी इन मामलों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मामलों को स्वीकृत करने में यथासंभव कम समय लगने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वकीलों द्वारा स्थगन लेना आम बात है;

(ङ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि न्यायालयों द्वारा स्थगन देना नित्यक्रम न बन जाए और किसी भी मामले में स्थगन देने की संख्या निर्धारित की जाए; और

(च) दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है और उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में, एक वर्ष से अधिक से लम्बित 2204 ऐसे मामले हैं जो अभी ग्रहण किए जाने हैं।

(ख) 2204 लम्बित मामलों में से 19 मामले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अधिकांश मामलों में ग्रहण किए जाने के लिए "कारण बताओ" सूचना जारी की जा चुकी है, जिनमें पक्षकारों को उत्तर-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र फाइल करने हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम अवधि नियत करना सम्भव नहीं है क्योंकि उत्तर-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र फाइल करने में समय लगता है। तथापि, न्यायालय उत्तर-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र फाइल करने के लिए उतना ही समय देता है जो नितांत आवश्यक है।

(घ) अधिवक्ताओं द्वारा स्थगन, अधिकांशतः न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए लिया जाता है।

(ङ) स्थगन आदेश नैत्यिक रूप में नहीं दिए जाते हैं। वे तभी दिए जाते हैं; जब न्यायालय आवश्यक समझता है।

(च) तारीख 30 जून, 1988 को दिल्ली उच्च न्यायालय में 82712 मामले लम्बित थे। मामलों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

एक वर्ष से कम	17039
1 से 2 वर्ष तक	16397
2 से 3 वर्ष तक	10478
3 से 4 वर्ष तक	8263
4 से 5 वर्ष तक	6848

5 से 6 वर्ष तक	5115
6 से 7 वर्ष तक	4221
7 से 8 वर्ष तक	3898
8 से 9 वर्ष तक	2697
9 से 10 वर्ष तक	2397
10 वर्ष से ऊपर तक	5369
जोड़ :	82712

तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर, बकाया मामलों की संख्या कम करने से सम्बन्धित सिफारिशें, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित, अन्य उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं। न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या वर्ष 1977 में 21 थी जिसे वर्ष 1981 में बढ़ाकर 27 कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के 6 और पद सृजित करने का निश्चय किया गया है।

विशेष रेलवे दावा न्यायाधिकरण

1300. **श्री पी० एम० सईद :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विशेष रेलवे दावा न्यायाधिकरण की स्थापना करने की अनुमति दे दी है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या न्यायाधिकरण के सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) कितने दावे लम्बित हैं तथा कितने समय से ये दावे अनिर्णीत हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां। अधिकरण की स्थापना हेतु रेल दावा अधिनियम, 1987 (1987 के 54) को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 17 खण्डपीठों (19 न्यायालयों) के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया अभी चल रही है।

(घ) जी, हां। इस योजना के अन्तर्गत अधिकरण स्थापित करने का विचार है जिसकी प्रमुख खण्डपीठ दिल्ली में और खण्डपीठें अहमदाबाद, बेंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पटना और सिकन्दराबाद में होंगी। अधिकरण के गठन और क्षेत्राधिकार का उल्लेख रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 के 54) में किया गया है।

(ङ) अगस्त, 1988 के अन्त तक क्षेत्रीय रेलों पर बुक किए गए परेषणों के गुम और क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किए गए अनिर्णीत दावों की संख्या और अवधि का भी उल्लेख किया गया है जिसमें इनका निपटारा नहीं हो पाया वह इस प्रकार है :—

एक महीने तक के	18281
एक माह से अधिक परन्तु तीन माह से कम के	16349
तीन माह से अधिक के	3348
जोड़ :	37978

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का निरीक्षण

1301. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० की गतिविधियों की जांच एवं लेखा परीक्षा के बारे में 29 जुलाई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का विशेष निरीक्षण किए जाने से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट को अब तक अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें पूंजी निवेश करने वाले व्यक्तियों के हित में कम्पनी के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० की, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(ढ) के अन्तर्गत, कम्पनी के दिनांक

31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के सन्दर्भ में उसके द्वारा किए गए कम्पनी के निरीक्षण की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। की जाने वाली कार्रवाई निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

दिल्ली और पंजाब में नशीले पदार्थों को जब्त करना

1302. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त होने वाली पिछली नौ महीने की अवधि के दौरान, दिल्ली और पंजाब में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले नौ महीनों की तुलना में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में कमी आई है या वृद्धि हुई है; और

(घ) इसके अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिल्ली तथा पंजाब में जनवरी से सितम्बर, 1988 तक अभिगृहीत विभिन्न नशीले औषध-द्रव्यों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्रम सं०	नशीले औषध-द्रव्य का नाम	दिल्ली		पंजाब	
		मामलों की संख्या	मात्रा (कि० ग्रा० में)	मामलों की संख्या	मात्रा (किलोग्राम में)
1.	अफीम	22	36.676	25	223.840
2.	मारफीन	8	0.288	—	—
3.	हेरोइन	69	155.775	22	1,067.335
4.	गांजा	5	441.160	—	—
5.	हशीश (चरस)	31	1,650.427	5	594.520
6.	कोकीन	1	13.073	—	—
7.	मैथाक्यूलीन	1	40.000	—	—

(ख) नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तथा अभियोजन चलाया जाता है।

(ग) नशीले औषध-द्रव्यों की तस्करी की मात्रा का अनुमान लगाना अथवा नशीले औषध-द्रव्यों

के अवैध व्यापार में बढ़ोतरी अथवा कमी की मात्रा का किसी सही-सही ढंग से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

पंजाब तथा दिल्ली में 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में अभिगृहीत विभिन्न नशीले औषध-द्रव्यों से यह पता चलता है कि 1987 की तुलना में 1988 में दिल्ली में अभिगृहीत अफीम तथा मैथाक्वालीन में तथा पंजाब में अभिगृहीत हशीश की मात्रा में कमी आयी है। तथापि, 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में दिल्ली में अभिगृहीत हेरोइन तथा हशीश की मात्रा में तथा पंजाब में अफीम तथा हेरोइन की मात्रा में वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार ने विभिन्न जोरदार निरोधी उपाय आरम्भ किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक सजाएं देने की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तन्त्र को (विशेषकर सीमाओं तथा सुगम्य क्षेत्रों के आसपास) सशक्त बनाना, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, पड़ौसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) सुदृढ़ बनाना, शामिल है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्य सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक 2 वर्षों तक निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है।

केरल में काजू के निर्यात पर एकाधिकार खरीद का प्रभाव

1303. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या इस वर्ष बहुत ही कम मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई एकाधिकार खरीद नीति के कारण केरल में काजू उद्योग को नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी की अनुमानित मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) गिरावट के कारण ये हैं : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू गिरी की कम कीमत, ब्राजील से कड़ी प्रतियोगिता तथा केरल में एकाधिकार खरीद योजना के पुनः शुरू होने की वजह से काजू व्यापार में आई अव्यवस्था।

(घ) और (ङ) केरल में नई योजना पुनः आरम्भ होने की वजह से व्यापार में अव्यवस्था हुई है लेकिन यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इस योजना की वजह से ही कोई घाटा हुआ है।

विवरण

काजू गिरी का निर्यात

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)
1985-86	37,097
1986-87	41,759
1987-88	36,949
1988-89 (अप्रैल-सितम्बर)	18,910
1987-88 (अप्रैल-सितम्बर)	25,368

प्रमुख शहरों के बीच और अधिक तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाना

1304. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख शहरों के बीच लम्बी दूरी की और अधिक तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) श्रीमन्, इस समय नहीं।

(ख) इस समय चल रही शताब्दी एक्सप्रेस से प्राप्त अनुभव के आधार पर उपयुक्त समय पर विनिश्चय किया जाएगा।

राष्ट्रमण्डल में तीसरे विश्व के देशों का मताधिकार

1305. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में इस संगठन में तीसरे विश्व के देशों के मताधिकारों को बढ़ाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार करके उस पर निर्णय लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति उक्त संगठन तथा दाता-देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चीन से व्यापार

1306. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत-चीन में कुल कितनी धनराशि का व्यापार किया गया और किन-किन वस्तुओं का व्यापार किया गया; और

(ख) दोनों देशों में व्यापार में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन के बीच व्यापार की कुल धनराशि नीचे दी गई है :—

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1985-86	2920	14196
1986-87	1433	17334
1987-88	3373	15931

(एक) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(दो) स्रोत डी० जी० सी० आई एण्ड एस, कलकत्ता ।

भारत से चीन को निर्यात में प्रमुख मदें हैं :—धात्विक अयस्क तथा धातु स्क्रैप, चमड़ा, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, वस्त्र यार्न, फैब्रिक, मेड-अप वस्तुएं तथा सम्बन्धित उत्पाद, अधात्विक खनिज वस्तुएं, लोहा और इस्पात, कार्क तथा लकड़ी की वस्तुएं आदि । रेशम तथा रेशम यार्न, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, भेषजीय उत्पाद, रंजक, चर्मशोधन तथा रंगाई सामग्री, दालें आदि भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं ।

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास हैं : गैर-परम्परागत तथा मूल्य वर्धित उत्पादों को शामिल करने के लिए व्यापार संलेख में निर्यात की मदों का विविधीकरण, प्रतिनिधि-मण्डलों का आदान प्रदान, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, एफ० आई० सी० सी० आई० तथा उसके प्रतिपक्ष के बीच व्यापार स्तर पर बैठकें करना आदि ।

मध्य प्रदेश को आबंटन

[हिन्दी]

1307. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मध्य प्रदेश से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से राजस्व के रूप में प्राप्त कुल धनराशि में से कितने प्रतिशत धनराशि मध्य प्रदेश को दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) मध्य प्रदेश से

वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान प्राप्त हुए राजस्व की कुल रकम निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपयों में)

1985-86	1986-87	1987-88
685.55	769.90	925.49

(ख) मध्य प्रदेश को संघ उत्पादन-शुल्क, आयकर और सम्पदा-शुल्क का दिया गया भाग और वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान ऋणों और अनुदानों के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपयों में)

1985-86	1986-87	1987-88
1021.85	1058.93	1209.65

बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस को जेठा और बारद्वार रेलवे स्टेशनों पर रोकना

1308. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस को बारद्वार और जेठा रेलवे स्टेशनों पर रोकने की कोई मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) इस रेलगाड़ी का इन स्टेशनों पर रुकना कब से आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या जनता के लाभ के लिए बारद्वार रेलवे स्टेशन पर वर्तमान रेलवे पुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बाराद्वार स्टेशन पर इस गाड़ी को ठहराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गयी है लेकिन इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है ।

(घ) बाराद्वार रेलवे स्टेशन पर ऊपर पैदल पुल को चौड़ा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । इस स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात के वर्तमान स्तर के लिए यह मौजूदा ऊपरी पैदल पुल पर्याप्त है ।

रामपुर-काठगोदाम रेल लाइन

[अनुवाद]

1309. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर-काठगोदाम बड़ी रेल लाइन का निर्माण-कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इस रेल लाइन पर दिल्ली-काठगोदाम और लखनऊ-काठगोदाम के बीच सीधा रेल यातायात कब से आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) प्रस्तावित रेल मार्ग से कौन-कौन से शहरों को जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। तथापि, रामपुर-न्यू हल्द्वानी नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य एक अनुमोदित परियोजना है और उस पर कार्य चल रहा है।

(ख) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) इस प्रस्तावित मार्ग पर चमरौआ, केमरी, बिलासपुर, कौंबसागंज, रुद्रपुर, पन्त नगर (हाल्ट) हल्दी और लालकुआ स्टेशन पड़ेंगे।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना

1310. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए केन्द्रीय सरकार को नामों की एक सूची भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुछ रिक्त पदों के भरे जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि उनके सम्बन्ध में कब तक विनिश्चय किया जा सकेगा।

भारत मिश्र संयुक्त आयोग की बैठक

1311. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-मिश्र संयुक्त आयोग की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चित विषयों, विशेषकर निर्यात/आयात की जाने वाली मदों से सम्बन्धित चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारत-मिश्र संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र अक्तूबर, 1988 में काहिरा में हुआ। चर्चित विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, द्विपक्षीय व्यापार तथा उसको बढ़ाने की संभावनाओं की समीक्षा, परियोजनाओं, उद्योग ऊर्जा संस्कृति और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग आदि विषय शामिल थे। आयात निर्यात के सामान में चाय, मसाला, तम्बाकू, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, मशीनरी और परिवहन उपस्कर, पेट्रोलियम उत्पाद, राक-फासफेट आदि मदें शामिल हैं।

इंगलैण्ड से सहायता

1312. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैण्ड से सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश भारत है;

(ख) इंगलैण्ड द्वारा वर्ष 1988 तथा 1987 के दौरान अलग-अलग, भारत को ब्रिटेन से मिली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को सम्पूर्ण सहायता-राशि दे दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सम्पूर्ण सहायता-राशि कब तक दे दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1986-87 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत को 1173 लाख पौंड स्टर्लिंग और वर्ष 1987-88 के दौरान 917 लाख पौंड स्टर्लिंग की वित्तीय सहायता उपलब्ध की थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार को यूनाइटेड किंगडम की सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध की जाती है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सम्बद्ध राज्य में स्थित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में दाता देश के द्वारा इस प्रकार से प्रतिपूरित राशि के 70 प्रतिशत भाग के बराबर तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का हक है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम की सहायता के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार को 157.87 लाख पौण्ड की राशि की प्रतिपूर्ति की है। भारत सरकार ने अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 15.51 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ए० पी० एस० ई० बी०) को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अग्रेतर मांगों की प्रतिपूर्ति किए जाने पर शेष रकम भी राज्य सरकार को दे दी जाएगी।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश की उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनकी वित्त व्यवस्था इस समय यूनाइटेड किंगडम सहायता के अन्तर्गत की जा रही हैं

क्रम सं०	परियोजना	यू० के० सहायता की आवंटित राशि (दस लाख पौंड)	आवंटन की तारीख	15-11-1988 तक निकासी (दस लाख पौंड)	15-11-1988 तक निकासी (दस लाख रुपए)	राज्यों को दी गई अतिरिक्त सहायता (दस लाख रुपए)	पूर्ति की संभावित तारीख
1.	हैदराबाद गन्दी बस्ती सुधार (दूसरा चरण)	5.010	4-1-84	5.010	98.756	69.129	पूरी कर दी गई
2.	हैदराबाद गन्दी बस्ती सुधार (दूसरा चरण-क) (लागत वृद्धि)	3.000	19-1-88	2.313	55.501	38.851	मार्च, 89
3.	प्राइमरी स्कूल भवन परियोजना (प्रयोगात्मक)	1.000	29-4-83	0.962	19.970	13.979	पूरी कर दी गई
4.	प्राइमरी स्कूल भवन परियोजना (ब्रिजिंग कार्यक्रम)	0.632	26-4-88	0.271	6.893	4.825	मार्च, 89
5.	विशाखापत्तनम गन्दी बस्ती सुधार	9.000	18-3-88	1.688	40.490	28.343	मार्च, 91
6.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की नागार्जुन सागर परियोजना	12.930	16-9-87	5.543	विचाराधीन	—	मार्च, 90

उड़ीसा में फुलबनी में विकास कार्यों के लिए राशि

1313. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों से उड़ीसा के एक आदिवासी जिले फुलबनी में कई विकास कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और पुरी के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाना

1314. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और पुरी के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान यह नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी का प्रस्तावित मार्ग क्या होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) नयी दिल्ली-पुरी तीन जोड़ी गाड़ियों द्वारा पर्याप्त रूप से सेवित है। इस समय कोई नयी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी

1315. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी को कब तक चलाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रायगढ़ और राउरकेला के बीच एक तीव्र पैसेंजर गाड़ी चलाना

1316. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में रायगढ़ और राउरकेला के बीच एक तीव्र पैसेंजर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव वर्ष 1988-89 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं

1317. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने राज्य सरकारों और राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों से आग्रह किया है कि वे देश में गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर रोक लगाएं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या व्यक्तियों, गैर-सरकारी कम्पनियों और गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार से धनराशि उधार देने की व्यवस्था समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) व्यक्तियों, फर्मों आदि जैसे अनिगमित निकायों की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ग के उपबन्धों के अधीन विनियमित की जाती हैं। इन उपबन्धों में निर्दिष्ट संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही है। इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की भी व्यवस्था है जिसमें जुर्माना एवं सजा शामिल है। ये शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों में समान रूप से निहित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के त्रिवेन्द्रम कार्यालय ने केरल सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर केरल में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कई अनिगमित निकायों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

दिनांक 23 अक्तूबर, 1988 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कोचीन कार्यालय का उद्घाटन करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसी अनिगमित कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अनुरोध किया।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-III-ग की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है, अतः न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) "धनराशि उधार देना" राज्यों का विषय है और इसका नियंत्रण सम्बन्धित राज्य के कानूनों के अधीन किया जाता है।

मुद्रा-स्फीति दर

1318. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के आरम्भ में मुद्रा-स्फीति की मासिक दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के आरम्भ में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन उपसमूहों में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर औसत से अधिक हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से इन उप-समूहों के सम्बन्ध में, मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे उप-समूह जिनमें मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर औसत से अधिक हैं, नीचे दिए गए थे :—

	मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर
सभी वस्तुएं	5.8
खाद्य वस्तुएं	10.7
कपड़ा	8.7
चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुएं	12.2
मूल धातुएं, धातु-मिश्र तथा धातु विनिर्मित वस्तुएं	18.3
मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	9.5
विभिन्न उत्पादन	7.2

विवरण

1988	महीने के प्रथम सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 1988-89	1987-88
1	2	3	4	5
अप्रैल	418.2	0.4	10.3	4.9
मई	423.9	1.4	9.3	6.2

1	2	3	4	5
जून	423.3	—0.1	7.8	5.6
जुलाई	423.5	2.4	8.9	5.4
अगस्त	438.3	1.1	8.4	6.3
सितम्बर	435.0	—0.8	5.8	8.0
अक्टूबर	436.7	0.4	7.0	6.2
अक्टूबर के अन्त में (नवीनतम उपलब्ध)	436.4	—0.1	5.8	7.8

लघु उद्योग विकास बैंक

1319. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास बैंक के मुख्य कृत्य और उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ख) क्या बैंक और तकनीकी परामर्शदायी संगठनों द्वारा किए जा रहे कृत्य परस्परव्यापी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सरकार लघु तथा अति लघु क्षेत्र के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुषंगी के रूप में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है। बैंक से सम्बन्धित विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

केरल द्वारा ओवरड्राफ्ट लिया जाना

1320. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान केरल ने भारतीय रिजर्व बैंक से कितना ओवरड्राफ्ट लिया;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान केरल को और अधिक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई, और दी गई अनुमति सीमा से अधिक के ओवरड्राफ्ट लिए गए; और

(ग) क्या सरकार का केरल के लिए ओवरड्राफ्ट के भुगतान की अवधि को बढ़ाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) ओवरड्राफ्ट अप्राधिकृत होते हैं और इसलिए इनकी कोई भी सीमा रखने का प्रश्न ही

नहीं उठता। इस समय जो ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम लागू है उसके अन्तर्गत किसी भी राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहने की अनुमति नहीं है। पिछले छः महीने के दौरान जब कभी केरल सरकार ओवरड्राफ्ट की स्थिति में आई तो उसे इस निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही चुका दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

माह	तारीख	धनराशि (करोड़ रुपयों में)	जितने दिन राज्य ओवर-ड्राफ्ट में रहा उनकी संख्या
मई, 1988	शून्य	शून्य	—
जून, 1988	"	"	—
जुलाई, 1988	20-7-88	16.38	1
	21-7-88	5.85	2
	22-7-88	6.19	3
	23-7-88	5.04	4
अगस्त, 1988	19-8-88	0.64	1
	20-8-88	5.56	2
	22-8-88	27.38	3
	23-8-88	55.50	3
	24-8-88	66.76	3
	25-8-88	66.63	3
	26-8-88	65.30	3
	27-8-88	83.54	3
	29-8-88	16.52	4
	30-8-88	15.82	5
	31-8-88	12.89	6
सितम्बर, 1988	शून्य	शून्य	—
अक्टूबर, 1988	शून्य	शून्य	—

स्वर्ण ऋण

1321. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध किया गया है कि केरल में राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों को और बड़े पैमाने पर स्वर्ण ऋण देने का निदेश दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे केरल सरकार से बड़े पैमाने पर स्वर्ण ऋण देने के वास्ते राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देने के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है उसने ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जिसके द्वारा स्वर्ण बुलियन को छोड़कर स्वर्ण आभूषणों तथा वस्तुओं के बदले ऋण मंजूर करने के लिए बैंकों पर रोक लगा दी गई हो। अलबत्ता, स्वर्ण प्रतिभूति के बदले उपभोग ऋणों की अधिकतम सीमा 10,000/- रुपए है।

बछावत पंचाट के अन्तर्गत राज्यों को पानी का आवंटन

1322. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बछावत पंचाट के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को आवंटित हुए पानी की कितनी मात्रा का उन्होंने उपयोग किया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गैर-आवंटित पानी को उपयोग में लाने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) वर्ष 1985 से 1988 तक की अवधि के दौरान पानी की कितनी मात्रा बहकर समुद्र में बेकार चली गयी है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

1323. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण किया गया है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या सुधार किए गए हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :—

1. मीटर लाइन परिचलन क्षेत्र में सुधार;

2. बड़ी लाइन परिचलन क्षेत्र में सुधार;

3. वर्तमान फर्नीचर और बेंचों का बदलाव; और

4. शौचालयों, स्नानघरों की मरम्मत और जल शीतकों की व्यवस्था।

उपरोक्त सुधार कार्यों पर लगभग 24.5 लाख रुपए का कुल खर्च हुआ है।

बाढ़ से नुकसान

[अनुवाद]

1324. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विनाशकारी बाढ़ के फलस्वरूप पटरियों, पुलों, चल भंडार तथा अन्य सम्पत्ति के बह जाने के कारण रेलवे को जोन-वार अनुमानित कितना नुकसान हुआ है;

(ख) इस बाढ़ से प्रभावित विभिन्न सेक्शनों पर रेल सेवाओं के निलम्बन के फलस्वरूप अनुमानत: कितने राजस्व का नुकसान हुआ;

(ग) उन सेक्शनों पर, जहां दरारें पड़ गई थीं रेल सेवा पुन: चालू करने के लिए अनुमानत: कितना व्यय किया गया; और

(घ) भविष्य में इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जोनवार क्षति नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

मध्य रेलवे	8.00
पूर्व रेलवे	45.89
उत्तर रेलवे	1223.00
पूर्वोत्तर रेलवे	0.64
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे	36.00
दक्षिण रेलवे	0.55
दक्षिण-मध्य रेलवे	88.62
दक्षिण-पूर्व रेलवे	—
पश्चिम	27.65

(ख) 17 करोड़ रुपए (अनुमानत:)

(ग) 10 करोड़ रुपए (अनुमानतः)

(घ) बाढ़ के फलस्वरूप होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए रेलवे उन स्थानों पर जहां प्रायः दरारें आने की आशंका बनी रहती है, बांध बनाती हैं तथा विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद जहां आवश्यक होता है अतिरिक्त निकासियों की व्यवस्था करती है। रेलें पर्याप्त मात्रा में रेलपथ सामग्री, आपातकालिक गर्डरों, कोयले की राख, गिट्टियां, शिलाखण्ड तथा आवश्यक संयंत्र एवं उपस्कर उपयुक्त स्थानों पर भण्डार रखती हैं ताकि इन्हें यथा संभव कम-से-कम समय में काम पुनः चालू करने के लिए बाढ़ के फलस्वरूप हुए क्षतिग्रस्त स्थान पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा, मानसून के दौरान भेद्य खण्डों पर गश्त लगायी जाती है।

प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए राज्यों को रायल्टी

1325. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के एवज् में राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी में प्रति चार वर्ष बाद संशोधन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में चार वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त संशोधन नहीं किया गया है; और

(ग) क्या राज्यों के लिए वार्षिक आधार पर रायल्टी निर्धारित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) खनिज संसाधनों के लिए रायल्टी दरों के संशोधन की आवधिकता उनके दोहन को शासित करने वाले सांविधिक प्रावधानों पर आधारित होती है। खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस शामिल हैं) के मामले में रायल्टी की दर तीन वर्ष से कम के समय में नहीं बढ़ाई जा सकती और संशोधन केन्द्र सरकार के विवेकानुसार वैकल्पिक होता है। अन्तिम संशोधन 1 अप्रैल, 1984 से किया गया था। तथापि, कच्चे तेल की रायल्टी में संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के मामले में रायल्टी की दर में तीन वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान एक से अधिक बार कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। कोयला और रेत के अलावा अन्य खनिजों को संचित करने के लिए रायल्टी की दरों में अन्तिम संशोधन 5-5-1987 को किया गया था। कोयला के बारे में रायल्टी की दरें पिछली बार फरवरी, 1981 में संशोधित की गई थी।

राज्यों को वर्षवार आधार पर रायल्टी नियत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हीरे और जवाहरात का निर्यात

[हिन्दी]

1326. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में हीरे और जवाहरातों के निर्यात में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 में प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के हीरे और जवाहरातों का निर्यात किया गया;

(ग) इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) किन-किन देशों को निर्यात किया गया अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात निष्पादन के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं तथा नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु०)
1985-86	1502.65
1986-87 (अ)	2059.28
1987-88 (अ)	2613.50
1988-89 (अ) (अप्रैल-अक्तूबर)	2449.00

स्रोत : वर्ष 1985-86, 1987-88 डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता अप्रैल-अक्तूबर 1988 : जी० एण्ड जे० पी० सी० बम्बई।

अ—अन्तिम।

(ग) उपरोक्त अनुसार।

(घ) रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए की गई नीति सम्बन्धी पहल में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत क्रियाविधियों को सरल और युक्ति पूर्ण बनाना तथा राहत देना, बैंकों द्वारा ऋण देने की उदार शर्तें, 100% निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना, आदि शामिल हैं।

(ङ) रत्न तथा अभूषण सामग्री लगभग 60 देशों को निर्यात की जाती हैं जिनमें शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, बेल्जियम, हांग-कांग, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी, कुवैत, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, आदि।

घाना के साथ संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

1327. **श्री श्रीकान्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-घाना संयुक्त उमद्यों के लिए अच्छे अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) भारत-घाना संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर पर जिन क्षेत्रों में घाना में संयुक्त उद्यम की संभावनाएं हैं उनमें कृषि पर आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, परिवहन उपस्कर के लिए सहायक सामान, साइकिलें, डीजल इंजिन, पम्प तथा हैन्ड पम्प, भेषजीय पदार्थ तथा रसायन सामग्री, और हीरों के लिए खनन कार्य शामिल हैं।

(ग) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के अवसरों के बारे में जानकारी नियमित रूप से भारतीय व्यापारी समुदाय तक पहुंचायी जाती है। संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भारतीय क्षमता को व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेकर और प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य-वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक निगमों के बीच समन्वय

[हिन्दी]

1328. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक निगमों को समन्वित रूप से कार्य करने का अनुदेश देता रहता है तथा इससे इनके कार्य-निष्पादन में सुधार भी हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 1988 से इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है तथा इनका अनुपालन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने यह सुझाव दिया है कि छोटे और मझोले उद्योग एककों में बढ़ती कमियों को रोकने के लिए बैंकों तथा वित्त निगमों को विकास निगमों की तरह कार्य करना चाहिये;

(घ) इस सम्बन्ध में फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं;

(ङ) क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय के विषय पर समय-समय पर बैंकों के नाम मार्गनिर्देश जारी किये हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे एक ऐसी कारगर निगरानी प्रणाली तैयार करें जिससे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परि-योजनाओं के लिए समय पर और पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और वे राज्य स्तरीय अंतर संस्था समितियों की बैठकों के विचारार्थ विषय सूची में ऐसे मामलों को

भी शामिल करें जिनमें एककों को वाणिज्यिक बैंकों से कार्यशील पूंजी न मिली हो। इन समितियों की बैठक 3 महीने में एक बार होती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी राज्यों के वित्तीय निगमों और औद्योगिक विकास निगमों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने राज्यों के वित्तीय निगमों और औद्योगिक विकास निगमों के इस्तेमाल के लिए एक समान आवेदन और एक समान ऋण दस्तावेज तैयार किये हैं। विकास बैंक ने यह भी बताया है कि राज्यों के अधिकांश वित्तीय निगमों और औद्योगिक विकास निगमों ने उद्यमियों का मार्ग-दर्शन करने के लिए कक्ष स्थापित किये हैं।

विकास बैंक ने यह सूचित किया है कि अक्तूबर 1988 में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल (फिक्की) ने राज्य औद्योगिक विकास परिषद/राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों की एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में मुख्य रूप से जो सुझाव दिये गये उनमें संयुक्त मूल्यांकन करना, ऋण आवेदन पत्रों का मानकीकरण करना, ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों को सरल बनाना और वित्तीय संस्थाओं में मार्गदर्शन कक्षों की स्थापना करना और सहायता की मंजूरी तथा वितरण में प्रक्रिया सम्बन्धी विलंब को कम करना शामिल है।

दिल्ली और मुरादाबाद के मध्य सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की मांग

[अनुवाद]

1329. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को मुरादाबाद से जोड़ने वाली कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों को आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) यद्यपि कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है, तथा 509/510 अवध असम एक्सप्रेस सहित 5 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो दिल्ली और मुरादाबाद के बीच कहीं भी नहीं ठहरती हैं। यातायात के वर्तमान स्तर के लिए ये गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं।

चौथे वेतन आयोग को सिफारिशों को कार्यान्वयन

1330. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वित्त मंत्री चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के बारे में 18 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की शेष सिफारिशों पर विचार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इनकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की शेष सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय तथा सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। चूंकि किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श करना होता है इसलिए ठीक-ठीक समय बताना सम्भव नहीं हो पाएगा कि इन पर कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

विश्व मितव्ययिता दिवस मानना

1331. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1988 को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह दिवस किस प्रकार मनाया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस दिवस को अनुपम ढंग से मनाने का विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) प्रत्येक वर्ष 30 अक्तूबर का दिन विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचत करने के संदेश का प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस दिन जिला और राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी। उन्हें स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों के बीच वक्तव्य/निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की भी सलाह दी गई थी।

अल्प बचत एजेंटों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनके लिए एक इनामी योजना शुरू की गई है। ये इनाम राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिए गए थे।

इस अवसर पर पणजी (गोआ) में एक राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित किया गया था।

रेल ट्रेवल एजेंट

1332. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "रेल ट्रेवल सर्विस एजेंट" नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और इन एजेंटों की संख्या कितनी है;

(ग) इन एजेंटों से सेवाओं के लिए कितना प्रभार वसूल किया जाता है;

(घ) क्या ये एजेंसियां किसी निश्चित अवधि के लिए नियुक्त की जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) इन एजेंटों द्वारा यात्रियों को क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(छ) इन एजेंटों की सेवाओं के लिए यात्रियों को उन्हें क्या प्रभार देना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 5-12-1985 को राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित नियमों के अनुसार नियुक्तियां की गई थीं । दिल्ली क्षेत्र में अभी तक 89 एजेंट नियुक्त किए गए हैं ।

(ग) (i) प्रत्येक लाइसेंस के जारी करने अथवा नवीकरण के लिए 1,200/- रुपए लाइसेंस शुल्क;

(ii) लाइसेंस जारी करने के लिए 5000/- रुपए नगद प्रतिभूति जमा और 15,000/- रुपए की राशि बैंक गारण्टी के रूप में ।

(घ) और (ङ) रेल ट्रेवल सर्विस एजेंट को लाइसेंस तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है ।

(च) यात्रियों की ओर से टिकट खरीदना तथा आरक्षण प्राप्त करना ।

(छ) दूसरे दर्जे के अलावा किसी भी दर्जे में आरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक यात्री से 15/- रुपए और दूसरे दर्जे के लिए 8/- रुपए प्रति यात्री की दर से सेवा प्रभार लिया जाता है लेकिन एक ही मांगपर्ची पर एक से अधिक यात्रियों का आरक्षण मांगे जाने की स्थिति में, दूसरे दर्जे के अलावा अन्य दर्जे के लिए प्रथम यात्री के अलावा प्रत्येक यात्री से 8/- रुपए और दूसरे दर्जे के यात्रियों से 5/- रुपए प्रति यात्री सेवा प्रभार लिया जाता है ।

अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग को छोटी लाईन से बड़ी लाईन में बदलना

1333. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद-दिल्ली रेल मार्ग पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है तथा सर्वेक्षण करने पर कुल कितना व्यय हुआ, और इस परियोजना पर अब तक अनुमानित लागत के विपरीत कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) यह परियोजना कब शुरू होगी और कब तक पूरी होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इस परियोजना पर कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय के लिए पदोन्नति

1334. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की पदोन्नति करके उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है और कितने न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जनवरी, 1983 से आज तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्य पांच न्यायाधीशों को भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त/स्थानान्तरित किया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक योजना

1335. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष अप्रैल से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1987 के दौरान देश में अनेक ग्रामीण बैंक खोले गए थे; और

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंक खोलने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) से (घ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

वर्ष 1987 के दौरान दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् हिंडन ग्रामीण बैंक और गोदावरी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई । हिंडन ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिले तथा गोदावरी ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी के जिले आते हैं। वर्तमान में नए बैंक खोलने के स्थान पर मौजूदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ किए जाने पर बल दिया जा रहा है ।

इण्डियन एक्सप्रेस समूह द्वारा बैंक ऋणों का अन्तरण

1336. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 और वर्ष 1987 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इण्डियन एक्सप्रेस समूह के समाचार पत्रों को दिए गए ऋणों की राशि अन्य सहयोगी अथवा सम्बद्ध कम्पनियों को अन्तरित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो धनराशि की अन्तरण के ऐसे पारस्परिक सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार बैंक अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं कर सकते हैं ।

फिल्मी सितारों के कर-चोरी के मामले

1337. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन फिल्मी सितारों के कर-चोरी के मामलों पर कोई कार्यवाही की है, जिनके मामले पिछले छः वर्षों से लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन कर चुराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब होने के कारण अन्य सभी फिल्मी सितारों का कर-चोरी के लिए हौसला बढ़ा है तथा कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) फिल्मी सितारों के मामलों सहित कर-चोरी के मामलों में, अघोषित आय पर कर लगाने के लिए कर-निर्धारणों को तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं और किसी भी हालत में इन कर-निर्धारणों को कानून द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद अनिर्णीत नहीं रखा जा सकता है। कानून द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमाएं ऐसी हैं कि किसी भी कर-निर्धारण को छः वर्ष तक अनिर्णीत नहीं पड़े रहने दिया जा सकता है ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जापान द्वारा परिष्कृत लौह अयस्क का आयात

1338. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की इस्पात मिलें जो कि वर्षों से भारतीय लौह अयस्क पिण्डों का आयात कर रही है, अयस्क पिण्डों के उपोत्पाद परिष्कृत लौह अयस्क का आयात करने की इच्छुक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने परिष्कृत लौह अयस्क के निर्यात हेतु किसी अन्य लाभप्रद बाजार का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परिष्कृत लौह अयस्क की लगभग कितनी मात्रा निर्यात हेतु उपलब्ध है और जापान के भारतीय लौह अयस्क पिण्डों का एक मात्र खरीददार होने के सन्दर्भ में, इस स्थिति का किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जापान के अलावा दक्षिण कोरिया तथा रोमानिया भी भारत से लौह अयस्क फाइन्स के नियमित खरीदार हैं। एम० एम० टी० सी० ने लौह अयस्क फाइन्स के निर्यात के लिए पाकिस्तान के साथ भी 7 वर्षीय दीर्घावधि संविदा की है। डी० पी० आर० के० तथा खाड़ी देशों जैसे अन्य मुल्कों को भी हाजिर बिक्री की गई है।

(ङ) भारत से निर्यात के लिए उपलब्ध लौह अयस्क फाइन्स की अनुमोदित मात्रा निम्नलिखित होने की सूचना है :—

मात्रा (लाख मी० टन में)

कैलेन्डर वर्ष	निर्यात योग्य मात्रा
1985	182.14
1986	227.54
**1987	203.41

जापान ने भारत से लौह अयस्क फाइन्स को खरीदना जारी रखा है तथा अपनी खरीद को ढेलों (लम्प) तक सीमित नहीं किया है। फिर भी, एम० एम० टी० सी० अन्य देशों को भी लौह अयस्क फाइन्स का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

**उपरोक्त आंकड़ों में कर्नाटक की के० आई० ओ० सी० एल० खानों के संकेन्द्रक (कासेंट्रेट) भी शामिल हैं।

बाढ़ राहत पर खर्च की गई धनराशि

1339. **श्री के० मोहनदास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक योजना अवधि के दौरान बाढ़ राहत उपायों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बाढ़ राहत के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

योजनावधि	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2
पहली योजना (1952-56)*	7.52

1	2
दूसरी योजना (1956-61)*	7.21
तीसरी योजना (1961-66)*	11.22
वार्षिक योजना (1966-67)	3.65
वार्षिक योजना (1967-68)	4.11
वार्षिक योजना (1968-69)	40.84
चौथी योजना (1969-74)	298.28
पांचवीं योजना (1974-79)	413.93
वार्षिक योजना (1979-80)	88.73
छठी योजना (1980-85)	838.33
सातवीं योजना (1985-90) (1987-88 तक)	828.07

*इसमें चक्रवात इत्यादि अर्थात् सूखे के अलावा के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है।

टिप्पणी—1972-73, 1973-74 तथा 1978-79 से सम्बन्धित आंकड़ों में कुछ राज्यों के लिए सूखे के निमित्त केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता

1340. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने हाल ही में सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र में बढ़ती हुई रुग्णता की समस्या का सामना करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है;

(ख) क्या रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के प्रयासों की सफलता के लिए सभी सम्बन्धी एजेंसियों द्वारा कार्यवाही/प्रयासों के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) दि पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने अन्य बातों के साथ-साथ लघु क्षेत्र में रुग्णता के सम्बन्ध में माडल अधिनियम की आवश्यकता के बारे में एक सुझाव पत्र भेजा है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे दिनांक 30 जून, 1988 तक रुग्ण एकक के रूप में वर्गीकृत किए गए लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में अर्थक्षमता अध्ययन दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 तक पूरा कर लें और सम्भावित अर्थक्षम एककों के मामले में दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक पोषण कार्यक्रम तैयार कर लें और उसे कार्यान्वित कर लें।

वातित जल बनाने वाली कम्पनियों का आयात लाइसेंस

1341. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातित जल बनाने वाली किसी कम्पनी को किसी कच्चे माल का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन चीजों का आयात कर रही हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

———

12.00 मध्याह्न

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, हम प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन महोदय, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? एक दैनिक बंगला पत्र 'उत्तर बंग संवाद' के पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को पिछले 1 महीने से सी० पी० एम० के सदस्य तंग कर रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं और सी० पी० एम० के कार्यकर्त्ता उन्हें बहुत सता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके सदस्यों को वहां की विधान सभा में यह प्रश्न उठाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार पत्र को संरक्षण नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : वहां विपक्ष सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह दैनिक पत्र के सम्पादक द्वारा लिखा गया पत्र है जिसमें उन्होंने संरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है। **(व्यवधान)** भारत सरकार को वहां के पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों को संरक्षण देना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, जम्मू और कश्मीर राज्य में हमें बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में स्थिति बहुत खराब है जहां सप्ताह में तीन दिन बिलकुल बिजली नहीं दी जाती है और शेष चार दिनों में बिजली की सप्लाई रुक-रुक कर की जाती है। मुद्दा यह है कि हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार गैस टर्बाइन जैनरेटर की स्वीकृति दे। हमारे वहां ट्रांसमीशन लाइनें नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, मैं करूंगा ।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप हस्तक्षेप करें । श्री साठे को तुरन्त श्रीनगर का दौरा करना चाहिए । हम अन्धकार में जी रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस सभा में हमने हाल ही हुई वायुयान दुर्घटनाओं पर अब तक बिलकुल चर्चा. नहीं की है । मैं वैस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने का बहुत ही गम्भीर मामला उठा रहा हूं । सभी विशेषज्ञ समितियों ने इस पर आपत्ति की है । मेरे पास इस दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की सम्बन्धी विधवा श्रीमती संग मित्रा गुप्ता द्वारा लिखा गया एक पत्र है । उन्होंने यह पत्र लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा कर सकते हैं । लेकिन समस्या यह है……

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इस पर चर्चा की अनुमति करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई परेशानी नहीं है । कार्य मन्त्रणा समिति को समय देना है ।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : स्पीकर साहब, आपके अल्फाज हमारे अन्धेरे को उजाले में बदल सकते हैं ।

پروفیسر سیف الدین سوز : اسپیکر صاحب آپ کے الفاظ ہمارے اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتے ہیں۔

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं लिख कर दे दूंगा लेकिन आप भी हुकम दीजिए कि साठे साहब वहां विजिट करें ।

پروفیسر سیف الدین سوز : میں لکھ کر دے دونگا لیکن آپ بھی حکم دیجئے کہ ساٹھے صاحب وہاں وزٹ کریں

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं भेज दूंगा उनके पास ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके कहने से उजाला हो जाएगा, अन्धेरा दूर हो जाएगा ।

پروفیسر سیف الدین سوز : آپ کے کہنے سے اجالا ہو جائیگا۔ اندھیرا دور ہو جائے گا۔

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, इस तथ्य के कारण विदेशों में भारत की छवि बिगड़

रही है कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल ऑफ लन्दन—महोदय, आपको इसकी जानकारी है—ने बिहार में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के बारे में समूचे विश्व में एक रिपोर्ट प्रकाशित और परिचालित की है और हमें उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि हरिजनों और अन्य लोगों की सामूहिक हत्याओं और उन पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी कारण वह इस बारे में यह सामग्री एकत्र कर पाए हैं और विश्व भर में इसे परिचालित कर पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें हमें कुछ बताना चाहिए। क्या वे इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं या उसे यूं हीं छोड़ देंगे ? बिहार सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैंने 'पेप्सी कोला' के सम्बन्ध में चर्चा का नोटिस दिया था। महोदय, आपने सिद्धांततः उस पर सहमति दी है। उस बारे में कुछ समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टाइम मिलेगा तो करेंगे। आप भी बैठे हैं, कर दीजिए मुझे क्या तकलीफ है।

[अनुवाद]

मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय इससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनके सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। इस पर हम सहमत हैं वो उन्हें सहमत होना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, कल हाऊस में माननीय गृह मन्त्री जी के वक्तव्य के बारे में आपके समक्ष दण्डवते जी ने मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : हो गया वह।

[अनुवाद]

यह हो गया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, कल मैंने श्री जेठमलानी द्वारा 'खालिस्तान' के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के बारे में प्रश्न उठाया था। आपने वायदा किया था कि इस पर चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपका नोटिस आ जाए, वे टाइम एलाट कर दें तो मैं कर दूंगा।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, नेपाल के रिश्ते भारत से किस तरह चल रहे हैं, इस पर आज के अखबारों ने काफी कुछ कहा है। इसके बारे में सरकार को अपना ताजा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि नेपाल में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए वहां पर कानूनी अड़चनें बढ़ाई जा रही हैं और उनकी सुविधाएं समाप्त करने की दिशा में नेपाल चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

———

12.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अंगोला के शिष्टमण्डल को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में अधिसूचना

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1031(अ), जो 26 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अक्तूबर, 1988 में भारत के दौरे पर आए अंगोला के शिष्टमण्डल को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6722/88]

सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पचास पैसे, पच्चीस पैसे और दस पैसे के सिक्कों का (जिनमें 82 प्रतिशत लोहा और 18 प्रतिशत क्रोमियम होगा) का निर्माण (फेरिटिक स्टेनलैस स्टील के सिक्कों का मानक भार और उनके गुणों के अन्तर की सीमा) नियम, 1988, जो 26 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 811(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) (17 अक्तूबर, 1988 को आठवें विश्व खाद्य दिवस के समारोह के अवसर पर) "वर्षा-सिंचित खेती" विषय पर निर्मित किए गए एक रुपए के सिक्के (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल होगा) का निर्माण (स्मारक सिक्कों

का मानक भार और उनके गुणों के अन्तर की सीमा) नियम, 1988, जो 30 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 914(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6723/88]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षक/लिपीकीय अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) दूसरी संशोधन योजना, 1988, जो 22 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 780(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन योजना, 1988, जो 22 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 781(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) दूसरी संशोधन योजना, 1988, जो 22 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 782(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०-6724/88]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, विधि आयोग के प्रतिवेदन तथा कुछ राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनावों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1988 जो 27 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 635 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1988, जो 6 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 914(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6725/88]

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1988, जो 27 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 636 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1988, जो 9 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 915(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6726/88]

(3) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) न्यायिक प्रशासन में अव-संरचना सेवाओं के लिए संसाधनों के नियतन के सम्बन्ध में एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6727/88]

(दो) मुकदमों की लागत के सम्बन्ध में एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6728/88]

(4) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी की विधान सभाओं के आम चुनावों, के सम्बन्ध में प्रतिवेदन 1984-85-खण्ड-एक से तीन (सांख्यिकीय) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6729/88]

रबड़ अधिनियम, 1947, आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 तथा कॉफी अधिनियम, 1942 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन)

नियम, 1988, जो 20 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 716(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6730/88]

(2) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 853(अ), जो 8 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 23/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 926(अ), जो 6 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 16/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का०आ० 978(अ), जो 25 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 2/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6731/88]

(3) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कॉफी (संशोधन) नियम, 1988, जो 20 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 663 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6732/88]

12.05½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन सम्बन्धी इकतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(दो) यूको बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं सम्बन्धी बत्तीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(तीन) पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन सम्बन्धी तैंतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-एक, दो तथा तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

12.06 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि इस सदन में 21 नवम्बर, 1988 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1988 ।

(ख) राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रूप में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1987 ।

(3) राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ा जाए :—

पिछले सियोल ओलम्पिक में हमारे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया है कि एक राष्ट्रीय खेल नीति बनाई जाए और देश की जनता के मन में ऐसी लहर उत्पन्न की जाए कि खेल को जीवन का अंग माना जाए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

पंजाबी लेखकों, पत्रकारों और विद्वानों में इस बात को लेकर बहुत असन्तोष है कि पंजाब के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में पंजाबी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

दिल्ली में सरकार ने छात्रों को ये निदेश जारी किए हैं कि तीसरी वैकल्पिक भाषा केवल बंगला, और तेलुगू में से एक को चुनें। इससे पंजाबी बोलने वाले हजारों छात्र पंजाबी पढ़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं।

पंजाबी लेखकों ने रेडियो, दूरदर्शन, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ और अन्य केन्द्रीय विभागों की इस नीति के विरुद्ध 30 नवम्बर को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इन सब शिकायतों पर राजीव-लोंगोवाल समझौते को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना चाहिए, जिसमें पड़ोसी राज्यों में पंजाबी भाषा के संवर्धन की बात कही गई है।

12.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक भी प्रतिमा देश की राजधानी दिल्ली में नहीं है। सन् 1966 में जब केन्द्रीय मन्त्रिमंडल की एक बैठक में यह निश्चय किया गया कि किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा की जगह महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाए तो समूचे देश में इसका स्वागत किया गया परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जार्ज पंचम की मूर्ति तो आज के बीस वर्ष पहले सन् 1968 में हटा ली गई किन्तु उस स्थान पर आज तक महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित नहीं की हो पाई है। सन् 1976 में यह निश्चय कर लिया गया कि इण्डिया गेट पर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में स्थापित की जाएगी इससे छतरी को भी नहीं तोड़ना पड़ेगा और प्रतिमा भी ठीक लगेगी। सन् 1980 में माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर मूर्तिकारों की स्पर्धा के बाद महात्मा गांधी की कांस्य मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया किन्तु अब लगभग आठ वर्ष व्यतीत होने वाले हैं।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा दिल्ली में इण्डिया गेट पर लगवाने की व्यवस्था की जाए जिससे देश के जन-जन की आशायें और आकांक्षायें पूरी हो सकें।

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

मध्य प्रदेश चम्बल संभाग का मुरैना जिला काफी पिछड़ा हुआ है। कारण यहां पर काफी नदी बहती है। पानी के बहाव से काफी जमीन का कटाव में आ चुकी है। इस कारण किसानों के पास नाम मात्र की जमीन शेष रह गई है। इस कारण किसान और मजदूर परेशान हो रहे हैं। जबकि यहां पर पहाड़ां में सीमेंट बनाने के लिए पत्थर का अपार भंडार है। इसके अलावा पुट्ठा बनाने एवं कत्था बनाने का कच्चा माल यहां पर मौजूद है। लेकिन उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। कारण सब्सिडी दस परसेंट है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इसे पिछड़ा जिला घोषित किया जाए ताकि उद्योगपति उद्योग लगा सकें एवं गरीबों को रोजगार मिले।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

शिक्षा समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार को राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्विय पर भी विचार करना है। कुछ राज्य इस नीति के कार्यान्वियन में पिछड़ गए हैं। उड़ीसा में सरकार ने अथवा विश्वविद्यालयों ने अब तक एक भी कालेज को स्वायत्तशासी कालेज बनाने की सिफारिश नहीं की है। वर्षों पुराने प्राइवेट कालेज भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से वंचित हैं चूंकि राज्य सरकार उन्हें केवल अस्थायी योगदान दे रही है और उसी आधार पर विश्वविद्यालय उससे अस्थायी रूप से संबद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हीं कालेजों को अनुदान देते हैं जो विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से सम्बद्ध हों।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और संस्थानों के विकास के हित में न्याय करें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने की कृपा करें :—

मेरे लोक सभा क्षेत्र के करीब 100 किलोमीटर को पार करती हुई हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाईप लाइन गुजर रही है। इस गैस पर कई बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। कभी भी और कई कारखाने इसी पाईप लाइन पर स्थापित किए जा सकते हैं ताकि इस गैस का पूरा उपयोग किया जा सके।

राजस्थान के सवाई माधोपुर में खाद बनाने का एक कारखाना गैस पर आधारित करके बनाया जाने वाला था परन्तु पर्यावरण व रणथम्बौर अभ्यावरण के कारण यह स्थान पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अब विशेषज्ञों ने गडेपान एक स्थान कोटा जिले में पसंद किया है। मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस कारखाने को स्थापित करने के पहले कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी के निकास का विशेष प्रंबन्ध किया जाए क्योंकि इससे पशु-पक्षी व व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :—

बस्तर के आदिवासी बाहुल क्षेत्र को पिछड़ेपन और अज्ञानता के कारण आज भी देश के अन्य क्षेत्रों से एकदम पीछे गिना जा सकता है। बस्तर के सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज के जीवन स्तर को स्पष्ट करती है। विकास और प्रगति से आए कुछ परिवर्तन से उनके आर्थिक, शैक्षिक और जीवनस्तर में तेजी से फर्क आ रहा है। अन्धविश्वास की भावना पुश्त-पुश्त से उन्हें विरासत में प्राप्त है। आज जब चिकित्सा की प्रगति काफी जोरों से है तो आदिवासियों की मनोवृत्ति का विकास हो रहा

है। जिले का क्षेत्रफल केरल प्रांत से भी बड़ा होने से विकास खण्ड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आदिवासी मरीज इस दूरी को पैदल चल कर तय करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने से जिला मुख्यालय अस्पताल में मरीज पहुंचाने की सलाह दी जाती है। जिसकी दूरी 150 से 200 किलोमीटर की होती है। इस स्थिति में आदिवासी मरीज कभी भी जिला मुख्यालय अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा का उपभोग नहीं कर पा रहा है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर जिला के विस्तृत भू-भाग की दूरी को देखते हुए हर परियोजना मुख्यालय में, जिला मुख्यालय अस्पताल स्तर का दर्जा रखने वाले अस्पताल की स्थापना करने का निर्देश देवें जिससे आदिवासियों को भी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिल सके और हजारों साल के अन्ध-विश्वास से जकड़े जादू-टोना और बैगा के भ्रम जाल से बच सकें।

[अनुवाद]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के रेगिस्तानी और जनजातीय जिलों में बहुत कम लड़कियां दाखिला लेती हैं और यह एक चिन्ता का विषय है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने से लड़कियों के दाखिले की संख्या में सुधार किया जा सकता है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार लड़कियों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या कुल केन्द्रों की संख्या का 30 प्रतिशत है। इस विशेष समस्या तथा लड़कियों में कम साक्षरता को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए ऐसे केन्द्रों का प्रतिशत बढ़ा कर 50 किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी सुझाव दिया जाता है सभी रेगिस्तानी और जनजातीय जिलों में भारत सरकार को लड़कियों के लिए हाजिरी के आधार पर वजीफा देना चाहिए चूंकि लड़कियों में आर्थिक कारणों से बीच में स्कूल छोड़ देने की दर बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में समावेश करवाना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें।

1. टेलीफोन विभाग के कर्मचारी लम्बे समय से बेहतर वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों को विभाग भी न्यायसंगत मानता है। इस विभाग के तकनीशियनों को अन्य विभागों की तुलना में सबसे कम वेतन मिलता है परन्तु उन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृत करवाने में नाना प्रकार के व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं। उच्च तकनीक के प्रवेश के साथ इस विभाग में कार्यरत कर्मियों को दीक्षित कर उन्हें अच्छे वेतनमान देना विभाग के हित में है परन्तु इस सर्वमान्य मांग के स्वीकृत होने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न असंतोष का दुष्प्रभाव विभाग की कार्यक्षमता पर पड़ रहा है। अतः इस प्रश्न पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

2. सरकारी छापाखानों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम दिन का बोनस दिया जाता है जबकि इसी विभाग के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस वर्ष 27 दिन का बोनस दिया गया है परन्तु छापेखानों के तकनीकी कर्मचारियों को मात्र 21 दिन का बोनस दिया गया है। इस असंगति के प्रति कर्मचारियों में असंतोष है। अतः इस प्रश्न पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, हमने माननीय सदस्यों के प्रस्तावों को नोट कर लिया है और अगले सप्ताह हम अधिक से अधिक प्रस्तावां पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे।

12.18 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों और खेतिहार मजदूरों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में अगली मद अर्थात 3 नवम्बर, 1988 को श्री सी० जंगा रेड्डी द्वारा कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की मागों के बारे में उठाए गए मुद्दे पर आगे चर्चा होगी। श्री हरीश रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस देश में एक इण्डस्ट्रीयल लाबी थी जो बराबर इण्डस्ट्रीज के लिए कंसेशन की मांग किया करती थी और इधर किसानों की मांगों को लेकर भी सदन में और सदन के बाहर बहुत बातें की जाती हैं। मैं, किसानों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य दिए जाने का समर्थन करता हूं। लेकिन, किसान के उत्पादन के मूल्य और देश के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दोनों के बीच में समन्वय रखना पड़ेगा। अगर देश में हर वर्ग ट्रेड यूनियन की तरह काम करने का आदि हो जायेगा तो मैं समझता हूं उससे काम चलने वाला नहीं है। किसानों के प्रति हमको और हमारी पार्टी को उतनी ही सहानुभूति है जितनी कि अपने को किसानों का नेता कहने वालों को। किसानों की बेहतरी के लिए जो काम कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने किया, उसकी तुलना यदि हम अपोजिशन की सरकारों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से करें तो हमारी स्थिति उनके मुकाबले में कई गुना बेहतर है। आज कई लोग किसानों को भड़काने और उनको बोट क्लब तक लाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह सब किसान के हित में नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसान यदि गन्ना पैदा करता है तो उसको गन्ने का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मांग की जा रही है और जिस तरीके से राजनैतिक दलों द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है कि 35 रुपए पर-क्विटल के हिसाब से दिया जाए उसके लिए हरियाणा का उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी हरियाणा से हैं और वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि हरियाणा की वर्तमान सरकार ने मात्र कुछ क्विटल गन्ना 35 रुपए पर-क्विटल के हिसाब से खरीदा है और बाकी गन्ना वहां के किसानों को उसी मूल्य पर देना पड़ रहा है जो दूसरे राज्यों में देना पड़ रहा है। केवल प्रचार के लिए कुछ गन्ना 35 रुपए के हिसाब से खरीदकर हरियाणा सरकार यह समझती है कि हम दूसरे प्रांतों के किसानों को भड़काकर वहां की राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डालकर कुछ हासिल कर पायेंगे मैं समझता हूं यह सही नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी को इस विषय पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और वह यह कि हर राज्य में वहां के किसानों के विभिन्न उत्पादों, गन्ने का किस तरीके का मूल्य हो, उसके बीच में कोई समरूपता होनी चाहिए। यदि हर राज्य सरकार अपनी-अपनी तरफ से मूल्य बढ़ाने लग जायेगी चुनाव को देखकर कोई राज्य 35 रुपए कर देगा तो कोई 40 इससे ऐसी नीति पैदा होगी कि न तो किसान के हित में

वह होगी, न राज्य सरकार के हित में होगी और न उद्योग के हित में होगी। हम सब किसानों के फायदे की बात करते हैं । यदि हम उनको अच्छे से अच्छा मूल्य दें तो उसका फायदा कितने प्रतिशत किसानों को होता है। इसको भी देखना होगा । आज जिन किसानों का प्रतिनिधित्व करने महेन्द्रसिंह टिकैत बोट क्लब पर आए थे उनका प्रतिशत कितना है, ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत किसान ही हिन्दुस्तान में ऐसा है जिसके पास. 15 से लेकर आगे की सीमा तक खेती है। बाकी किसान वह है जो गांवों में केवल अपनी जरूरत के मुताबिक अनाज पैदा करता है । इसलिए उसका मूल्य कोई भी निर्धारित कर दे उसका कल्याण होने वाला नहीं है । पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत कम प्रतिशत है जिनको अनाज के मूल्य को बढ़ाने का लाभ मिलेगा । यह जो वास्तविक किसान है, जिसको हम मार्जिनल किसान कहते हैं जो खेती पर निर्भर करता है और खेत की मजदूरी पर निर्भर करता है उसके लिए अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी । विकास एजेंसीज के कार्यक्रमों का वांछित लाभ हमारे मार्जिनल फारमर को नहीं मिल रहा है । खेती के उत्पादों के मूल्य के लिए जो नीति बनाई गई है उसका भी लाभ उसको नहीं मिल रहा है। इसको देखने की जरूरत है । हमने जो कार्यक्रम किसानों के लिए बनाए, गांव के लोगों के लिए बनाए वे कार्यक्रम तो बहुत अच्छे थे, मगर उन कार्यक्रमों के बीच में या किसानों के बीच में जो मशीनरी खड़ी है, जो तन्त्र खड़ा है वह ठीक तरीके से आपके कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं कर रहा है । एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, आई० आर० डी० पी० आदि जो कार्यक्रम स्माल और मार्जिनल फारमर्स के विकास के लिए बनाए गए हैं जो सीधे किसानों को लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं और करोड़ों रुपए सरकार दे रही है, हर साल बजट बढ़ता जा रहा है लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है । जो लोग उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, जो उनके जन-प्रतिनिधि हैं, हमको स्वयं सन्देह है कि कितने प्रतिशत जनता तक वह पहुंच रहे हैं। परसों गौरी शंकर जी कह रहे थे, मैं उनसे पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि कुछ भी नहीं हो रहा है । हो रहा है, लेकिन जिस मात्रा में आप असर डालना चाहते हैं वह नहीं पड़ रहा है । इसको आप देखें । एन० आर० ई० पी० के कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पैसा दिया गया उसका दुरुपयोग न केवल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने राजनीतिक कारणों के लिए किया, बल्कि कुछ हमारी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने इसका सही उपयोग नहीं किया । आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम से लाखों गरीब किसानों के मन में आशा उत्पन्न हुई थी कि हमें लाभ मिलेगा, लेकिन इस कार्यक्रम में गरीब किसानों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया, ऋण दे दिया गया, कोई योजना नहीं बनाई गई । समर्पण की भावना मशीनरी में नहीं थी । जिन्होंने आई० आर० डी० पी० के तहत ऋण लिया था उनमें से सैंकड़ों किसान और मजदूर आज जेल में जा रहे हैं, उनसे पैसों की वसूली हो रही है । सरकार को इस बात पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आई० आर० डी० पी० के ऋण उन गरीबों पर से माफ किए जायें या आंशिक रूप से माफ किए जायें। जिनको हमें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, मगर अभी तक नहीं उठा पाये । करोड़ों रुपया पूंजी-पतियों से वसूल नहीं हो पा रहा है, वह उसको खाये जा रहे हैं...तो हिन्दुस्तान के उस किसान, उस गरीब के लिए भी कुछ अवश्य होना चाहिए जिसका नाम लेकर हम यहां आए हैं । उसके बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है । यहां पर किसानों के लिए कुछ करने के जितने सुझाव दिए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे किसानों और गरीब लोगों के हित में ठोस कदम उठायें । आपने किसानों के लिए जितनी योजनाएं बनायी हैं, जो सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, वे सुविधाएं ठीक ढंग से किसानों तक पहुंचें, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी । किसानों की जितनी जरूरतें हैं, वे उन्हें समय पर मिल जाएं । यदि आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत लाभ होगा ।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० सैकिया (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि, हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था की रीढ़ है। यदि हम अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को विकसित नहीं करते तो देश का आर्थिक विकास कठिन हो जाएगा।

हम उत्पादकों, कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बहुत सी चीजों पर चर्चा करते आ रहे हैं, किन्तु समाज के इस वर्ग विशेष के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्हें, खेतों के लिए पानी की नियमित सप्लाई बेहतर किस्म के बीजों की समस्या, बिजली की नियमित आपूर्ति जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मेरे राज्य, असम में काफी बाढ़ें आती हैं जिससे खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में अधिकांश क्षेत्र या तो बाढ़ से या सूखे से प्रभावित है।

कृषि योग्य लगभग 70 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर करती है। यदि मानसून ठीक समय पर आता है तो अच्छी फसल होगी; यदि यह ठीक समय पर नहीं आता तो सूखा पड़ेगा। इसलिए, कुछ क्षेत्र जल की अधिकता से प्रभावित है और कुछ जल की कमी से। बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए और जल आपूर्ति नियमित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए मेरा यह सुझाव है कि सभी नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिए ताकि जरूरत के समय नहरों द्वारा खेतों में पानी ले जाया जा सके।

हम देखते हैं कि देश भर में विद्युत प्रभार एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में दरें अधिक हैं और कुछ में कम। बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों में निर्धन किसान विद्युत प्रभार अदा नहीं कर पाते। इसलिए विद्युत प्रभारों की मुल्तवी करने के स्थान पर उन्हें माफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कृषि ऋणों के भारी बोझ की भी समस्या है। भारत सरकार हमेशा यह कहती है कि कृषि ऋणों का माफ किया जाना कठिन है। किन्तु हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों सहित कुछ राज्यों में कृषि ऋण माफ किए गए हैं। निर्धन किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार को ऐसे कदम उठाने से कौन रोकता है?

हम यह भी देखते हैं कि सरकार ने रियायती दरों पर उर्वरक सप्लाई करने की व्यवस्था की है। किन्तु प्रश्न यह है कि इसका लाभ साधारण लोगों को मिलता है या बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, क्या भारत सरकार ने इस कदाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि इसका लाभ वास्तव में निर्धन लोगों को मिले। अधिकांश उर्वरक बड़े उद्योगपतियों द्वारा हथिया लिए जाते हैं। चाय बागान मालिक अपने फायदे के लिए 80 प्रतिशत उर्वरक हथिया लेते हैं। और अन्त में हम यह देखते हैं कि साधारण लोगों के लिए प्रस्तावित लाभ साधारण लोगों को न मिलकर बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निर्धन लोगों को उर्वरक उपलब्ध कराने की प्रणाली की जांच करें ताकि उसका वास्तविक लाभ साधारण लोगों को मिल सके।

हम देखते हैं कि हमारे देश में करोड़ों भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं जो ठीक प्रकार से संगठित नहीं हैं। इसलिए उनकी स्थिति अत्यन्त कमजोर है। अपनी इसी कमजोरी के कारण वह अपने नियोक्ताओं

से बातचीत नहीं कर पाते और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नें निर्धारित मजूरी से भी कम मजूरी दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस नियम के उल्लंघन के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं । ऐसे अधिनियम का क्या लाभ यदि उसे कुशलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता । इस अधिनियम को कागजों में सीमित रखने की कोई तुक नहीं है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो अधिनियम केवल कागजों पर रहते हैं उन्हें लागू किया जाए और इन अधिनियमों का उल्लंघन न हो । इन लोगों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता । वे आकस्मिक मजदूर होते हैं । कम काम की अवधि के दौरान उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए । मेरा सुझाव है कि खादी ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जहां इन लोगों को रोजगार मिल सके ।

महोदय, सरकार भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बहुत कुछ कहती है किन्तु क्या इसे वास्तविकता का जामा पहनाया गया है । यदि हम बिहार जाएं तो हमें वहां क्या देखने को मिलता है ? वहां पर पूर्ण रूप से जमींदारी प्रथा चल रही है । उसे कोई चुनौती नहीं देता । मैं जानना चाहता हूं कि अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जमींदारी प्रथा चल रही है ।

इसलिए, निष्कर्ष रूप से मैं इतना कहूंगा कि भूमि सुधार अधिनियम को ठीक प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इस अधिनियम का उल्लंघन न हो और यह निर्धन कृषकों के हितों के लिए प्रभावी रूप से लागू किया जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं देखता हूं, हमारे किसानों की मांगों के सम्बन्ध में इस सदन में पूर्ण एकमत है । हम फसल बीमा और पशु बीमा चाहते हैं । हम चाहते हैं कि सूखा बीमा, बाढ़ बीमा तथा भू-कटावरोधी आदि उपाय भी किए जाएं । हम चाहते हैं कि पानी और बिजली की दरें समाप्त कर दी जाएं या इनमें काफी कमी कर दी जाए । हम केवल समर्थन मूल्य ही नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य चाहते हैं । इन सभी बातों के बारे में सभी लोग सहमत हैं किन्तु इसके लिए धन कहां से आएगा ? इसी बारे में सरकारी नीति निर्धारित करनी होगी ।

मुझे खुशी है कि आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल के लोगों ने भी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी तथा ग्रामीण लोगों तथा कृषकों और गैर-कृषकों के बीच समता के बारे में बातचीत शुरू कर दी है । वे चाहते हैं कि राज्य नीति द्वारा यह समता लागू की जानी चाहिए । इस नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा योजना आयोग के समक्ष एक मानक के रूप में रखा जाना चाहिए । मन्त्रालय या किसी मन्त्री की बात को स्वीकार करना या नकारना ही योजना आयोग का कार्य नहीं है । सरकार की प्रस्तुत नीति को स्वीकार करना योजना आयोग का कार्य है विशेषत: जब विपक्ष भी उससे सहमत है । मैं चाहता हूं कि संसद तथा सभी दलों के नेता कृषकों के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करें जैसाकि उन्होंने अभी किया है ताकि योजना आयोग प्रमुख अनुदेश की तरह इसका पालन कर सके ।

सरकार ने बड़ी कठिनाई से सबसे पहले कृषि मूल्य आयोग का गठन किया था । किन्तु उन्होंने केवल उपभोक्ताओं के बारे में विचार करना शुरू कर दिया । बड़ी कठिनाई से हम सरकार तथा उनके माध्यम से योजना आयोग को कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के गठन के लिए राजी कर सके ताकि

उत्पादकों के हितों को भी प्राथमिकता दी जा सके। योजना आयोग ने इसे इस प्रकार स्वीकार नहीं किया। इसलिए, उसने लागत शब्द निकाल कर कृषि मूल्य आयोग का ही गठन करना चाहा। भूतपूर्व मन्त्री, वर्तमान मन्त्री, विशेषत: प्रधान मन्त्री को इसका श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने सभा के अन्दर तथा बाहर की मांग को स्वीकार किया कि इसे मूल्य आयोग ही नहीं होना चाहिए बल्कि इन्दिराजी द्वारा निर्धारित नीति तथा आश्वासन तथा की गई कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए कि इसे कृषि लागत तथा मूल्य आयोग किया जाए ताकि किसानों के हितों को प्राथमिका दी जा सके तथा उपभोक्ता के हितों को भी।

दूसरे, कृषकों तथा दूसरों के बीच तथा कृषि मूल्यों तथा दूसरे मूल्यां के बीच समता की नीति अपनायी जानी चाहिए। इसे योजना आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा उन्हें अपनी योजनाएं तैयार करनी चाहिएं। जब हम सरकार से ऐसी बहुत-सी रचनात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए कहते हैं तो व्यय सैकड़ों करोड़ में ही नहीं बल्कि हजारों तथा इससे अधिक करोड़ों में आएगा परन्तु हम सरकार को यह सुझाव नहीं देते कि वह यह धन किस प्रकार जुटाएगी। यह सिर्फ कृषि मन्त्री का ही कार्य नहीं है। यह सौभाग्य की बात है कि हमने वर्षों से इस मन्त्रालय के प्रभारी कृषक बनाए हैं। रावजी, ढिल्लों जी तथा भजन लाल जी ये सब कृषक हैं। वे स्वयं क्या कर सकते हैं? आधे दर्जन से अधिक मन्त्रालय विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। यह कृषकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन सबको समिति बनानी चाहिए जिसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष कृषि मन्त्री को होना चाहिए। यह समिति का कार्य होना चाहिए कि वह उन सब बातों की जिम्मेदारी विभिन्न प्रतिनिधियों को सौंपे जो कृषकों को संरक्षण प्रदान करने तथा सन्तुष्ट करने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया है। यह किया जाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? हम सब सुझाव देते हैं। हम प्रत्येक सत्र में सुझाव दे रहे हैं परन्तु परिणाम सन्तोषजनक नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपये, कहां से आएंगे? हम अधिक बिजली, अधिक सिंचाई, अधिक भूमि कटाव विरोधी उपाय, सूखा, बाढ़, कोहरा आदि प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध अधिक संरक्षण चाहते हैं। इसका भुगतान कौन करेगा? मेरा सुझाव है कि वह समय आ गया है जब हमें गैर-कृषकों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्हें पर्याप्त योगदान देना पड़ेगा तथा इन सब चीजों के लिए रुपया लगाने के लिए सरकार को पर्याप्त निधि एकत्र करने की अनुमति देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि खाद्यान्न तथा दवाइयों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर क्रय कर लाया जाना चाहिए।

जैसाकि आप जानते हैं विगत चालीस वर्षों के दौरान योजना आयोग के कार्य तथा सरकार के नियोजन के परिणामस्वरूप मध्यम वर्गों के लोग अत्याधिक लाभान्वित हुए हैं। हमारे देश तथा हमारे किसान को इसका श्रेय है कि मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत हुई है, उनके धन में वृद्धि हो रही है तथा उनसे कुछ योगदान की आशा की जा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनका योगदान पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत होना चाहिए तथा समय के साथ-साथ उनके धन में वृद्धि के दौराम सरकार द्वारा योगदान की मांग भी बढ़ाई जानी चाहिए परन्तु योगदान आयकर पर अधिभार तथा विभिन्न दूसरे करों या अन्य तरीकों से एकत्रित किया जाना चाहिए परन्तु इसके लिए प्रयास करना होगा। तत्पश्चात् क्रय कर भी लगाया जाना चाहिए। मध्यम वर्ग काफी अधिक धन व्यय कर रहे हैं। छोटे शहरों में कहीं भी जाइए और नगरों की तो बात ही मत करिए। दुकानों की संख्या उनका माल तथा उनके लाभ बढ़ रहे हैं। इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है? मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जोकि आवश्यक नहीं हैं बल्कि विलसित्तापूर्ण हैं और उनकी कीमत अधिक है।

इसलिए ग्रामीण इलाके के पुनर्गठन के नाम पर क्रय कर तथा आयकर पर अधिभार में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं इसे ग्रामीण इलाके का पुनर्गठन कहता हूं क्योंकि ग्रामीण आवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। तत्पश्चात् ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और विभिन्न सेवाओं का विकास किया जाना चाहिए। आप यह धन कहां से लाएंगे ? कौन योगदान देगा ?

किसानों से भुगतान करने के लिए कहना अच्छी बात नहीं है जैसाकि यहां प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है। समृद्धिशाली किसानों की प्रति माह पारिवारिक आय एक हजार रुपये से अधिक नहीं है इसके विपरीत यदि एक समझदार किसान एक या दो लड़कों को शिक्षित करा देता है तथा उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल जाती है तो उन्हे एक हजार रुपए प्रतिमाह से कम नहीं मिलते हैं। उनकी आय सामान्यत: 1500 रुपये प्रतिमाह होती है तथा हजारों रुपये होती जाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसानों से यह आशा किस प्रकार कर सकते हैं कि वे सरकार के राजस्व में योगदान देंगे ? हमारे साथी भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की बात करते हैं। यह अच्छी बात है कि उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए तथा सिद्धान्त अपनाया जाए। कुछ लोग बच निकले हैं किन्तु फिर भी कानून के अनुसार दो पीढ़ियों के पश्चात् भूमि का विभाजन हो जाता है। अब तक उन मामलों में भी, जिनमें लोग बच गए थे, भूमि निर्धारित सीमा से कम हो गई होगी। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है परन्तु यह देखना है कि कुछ राज्यों की तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए, किसानों और मजदूरों को रोजगार का आश्वासन दिया जाए तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए।

वर्तमान मन्त्री महोदय को इसका श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत के सभी किसानों से कहा है कि वे मजबूरन बिक्री न करें। इससे बहुत अन्तर पड़ता है। वे नहीं बेचेंगे परन्तु किसी को उनका उत्पाद खरीदना होगा अन्यथा उनके पास धन नहीं होगा और किसी को उन्हें ऋण देना होगा, आदि। ये सब बातें चलती रहेंगी। किन्तु सबसे पहले उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि न्यायालयों में साहूकारों की शिकायतें नहीं सुनी जानी चाहिएं। डिक्री लागू नहीं होनी चाहिए तथा ऋणों से छुटकारा पाने के लिए मजबूरन भूमि नहीं बेचनी चाहिए आदि। उस दिन कृषि मन्त्री द्वारा दिए गए अत्यन्त साहसिक उपदेश के परिणामस्वरूप अनेक बातें हुईं। इस सबका उन्हें श्रेय है।

फसल बीमा योजना भी है। यह मण्डल स्तर पर हुआ करती थी और हमने सुझाव दिया था कि इसे ग्राम स्तर पर लाया जाए। महोदय, एक सैकण्ड बाद ही मन्त्री महोदय ने आगे आकर कहा, "हां, यह गांव स्तर पर ही प्रारम्भ होनी चाहिए।" फिर हमने यह सुझाव भी दिया था कि यह बीमा सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं तथा अन्य बैंकों से कर्ज लेने वाले लोगों तक ही सीमित न हो बल्कि उनके कर्जदार होने या न होने को न देखकर सभी किसानों के लिए हो। मन्त्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर आप मन्त्री महोदय तथा प्रधान मन्त्री में भी दोष किस प्रकार निकाल सकते हैं ?

मुझे बड़ी खुशी है कि यह नवयुवक हमारे प्रधान मन्त्री हैं। वह बड़ी किसी पूर्वाग्रह के आए हैं। वह हमारी झोपड़ियों और गांवों में जाते रहे हैं और उन्होंने हमारे लोगों की उस व्यथा को देखा है जिसकी तस्वीर इस सभा में हमारे अनेक माननीय सदस्य एकमत होकर पेश करते रहते हैं। इन लोगों की तकलीफों के प्रति उन्होंने भी दु:ख प्रकट किया है। इसलिए उन्होंने विभिन्न मन्त्रालयों तथा योजना आयोग से भी कहा है कि उन्हें किसानों के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए। उन्होंने यह एक बड़ी बढ़त दी है। यह एक साहसिक कदम है क्योंकि प्राय: सेवाएं इतनी शक्तिहीन नहीं होती

बल्कि ज्यादातर समय तो अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसलिए इस प्रोत्साहन की अत्यधिक जरूरत है। यह स्वयं प्रधान मन्त्री ने दिया है। इससे कृषि मन्त्री तथा हमारे किसानों की विभिन्न गतिविधियों से सम्बद्ध अन्य मन्त्रियों के लिए शक्ति का स्रोत सिद्ध होगी। इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि किसान अपनी पार्टियों के मुताबिक स्वयं को संगठित कर रहे हैं। एक समय था जब काफी कांग्रेसी लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि एक पृथक 'किसान' संगठन की कोई जरूरत होगी। हम इस बात से महात्मा गांधी को सहमत कराने में सफल रहे थे। अब, साम्यवादी पार्टी के लोग भी ज्यादातर इससे दूर ही रहते थे क्योंकि अन्य स्थानों पर उनके परामर्श-दाता कृषकों की बजाय मजदूर वर्ग के प्रति अधिक रुचि रखते थे क्योंकि वे सोचते थे कि किसान व्यापारी धन की ओर आकर्षित होने वाले तथा निजी सम्पत्ति में रुचि रखने वाले लोग हैं।

यहां गोर्बाचोव का भी उल्लेख आता है। स्टालिन के शासन द्वारा किए गए भयानक कृत्यों से सोवियत रूस के गरीब किसानों को पीड़ित किया गया। आज इन सभी लोगों की मदद, सेवा तथा रक्षा की जानी चाहिए तथा इन्हें प्रारम्भ में हमारे चतुर्थ श्रेणी के लोगों के बराबर तो कम से कम लाना ही चाहिए। इसके अलावा शहरी मध्यम वर्ग के लोग, वेतनभोगी लोग, शिक्षित लोग आदि सभी लोगों को अदायगी करनी होगी और एक बार सरकार तथा विपक्ष द्वारा इस विशेष सिद्धान्त पर सहमत होने के बाद वे अदायगी करेंगे।

महोदय, एक समय था जब हम जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति चाहते थे। अनेक लोग इसके विरुद्ध थे। लेकिन फिर यह सभी पार्टियों की राष्ट्रीय नीति बन गई। आज कोई भी 'जमींदारी' व्यवस्था फिर से लाने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार राजा प्रथा भी समाप्त हो गई है। आज 'राजा' होना, राजा के रूप में कहलाना प्रशंसनीय नहीं है बल्कि यह शर्म की बात है। राजा स्वयं ही यह कहते रहते हैं कि वे राजा नहीं हैं। इसी प्रकार से अमीर वर्ग का कृषकों के प्रति रवैया तथा शिक्षित प्रशासनिक वर्ग के लोगों का किसानों के प्रति रवैया बनाया जाना चाहिए। इसे प्रथम प्राथ-मिकता दी जानी चाहिए। सरकार तथा विपक्ष को सारे भारत में जाना चाहिए और इसे एक स्वीकार्य राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए तभी हम कृषि मन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रियों के हाथ मजबूत करने में सफल होंगे तथा प्रधानमन्त्री के भी हाथ मजबूत करने में सफल होंगे। यदि हम इसे मान लेते हैं तो सारे भारत में हो रहे किसानों के मार्च का हम स्वागत करेंगे। यदि 5000 या 6000 रुपये वेतन लेने वाले कुलपतियों, कालेज प्रोफेसरों तथा वैज्ञानिकों के लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी यह सही है कि बेहतर जीवन स्तर के लिए वे हर जगह मार्च कर सकते हैं हड़ताल कर सकते हैं तो किसानों द्वारा स्वयं को संगठित करना, अपनी मार्च करना तथा प्रदर्शन करना किस प्रकार गलत है?

लेकिन, दुर्भाग्य से हमारी कुछ राजनैतिक पार्टियां यह समझती हैं कि यह उनका एकाधिकार है। लेकिन यह विपक्ष का एकाधिकार नहीं है। यह सरकार का भी एकाधिकार नहीं है। जब हमारे कुछ लोगों ने गलत समय तथा गलत स्थान चुना तो अन्य किसानों ने भी उसके बाद प्रदर्शन किया। यदि आपने बोट क्लब पर प्रदर्शन किया तो हमने इससे 3 गुना, 5 गुना बड़ा प्रदर्शन लाल किले पर किया। ये सब लोग किस प्रकार आए? इनमें से एक तिहाई अथवा एक चौथाई तो इन संगठित राजनैतिक पार्टियों की विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से आए होंगे; लेकिन बाकी लोग अपने आप ही

आए। वे आए और प्रदर्शित किया कि वे राष्ट्रीय सरकार के समर्थक हैं, राजीव गांधी के समर्थक हैं; इसलिए नहीं कि वे प्रधानमन्त्री हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रधानमन्त्री होते हुए उनके हितों का समर्थन इतने स्पष्ट शब्दों में कर रहे हैं और हमारा दायित्व अभी तक अन्य सभी वर्गों की अपेक्षा किसानों के पक्ष में रहा है। इसलिए, मैं लोगों तथा संसद में सभी राजनैतिक दलों से यह अपील करता हूं कि किसानों के प्रति अपनी नीतियों के सम्बन्ध में वे प्रधानमन्त्री तथा कृषि मन्त्री का साथ दें। अन्य मुद्दों पर वे भिन्न हो सकते हैं। श्री रघुमा रेड्डी ने अनेक बातें कही हैं। अन्य राज्यों, सारे भारत से तथा अन्य सभी दलों से आने वाले लोगों ने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया है। इन सभी की आवश्यकता है। मैं इनके हक में हूं लेकिन एक मुद्दे पर मैं सहमत नहीं अर्थात् हमारे एक मित्र ने कहा है कि गरीब, छोटे, अकुशल तथा पिछड़े किसान पर्याप्त योगदान नहीं कर सकते इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से सहकारिता के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, उनकी जमीनें सहकारिता में लाकर एकत्र कर दी जानी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस बारे में मैंने पण्डित जवाहर लाल नेहरू का समर्थन किया था। सम्पूर्ण देश में हम अनिवार्य सहकारी कृषि के सुझाव में खिलाफ लड़े थे। हमने इस दूसरे सुझाव का भी विरोध किया था कि कृषि-जमीन रखने को जमींदारी की तरह ही माना जाना चाहिए और इसलिए उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसके अलावा स्वयं सोवियत रूस ने इसे छोड़ दिया है। यहां भी पुनः किसानों को मालिकाना अधिकार दिए जा रहे हैं। अतः मैं स्वरोजगार, स्वरोजगार प्राप्त किसानों, किसानों के लिए स्वरोजगार, सभी के लिए तथा कला तथा हस्तशिल्प में यथासम्भव ग्रामीण कारीगरों के लिए स्व-रोजगार का समर्थक हूं।

श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से हम किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी से यह प्रतीत होता है कि हम अपने किसानों के कल्याण में कितनी रुचि लेते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे वरिष्ठ साथी प्रो० रंगा ने अनेक मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी किसानों के जीवन की स्थिति हमारी अपेक्षानुसार नहीं सुधरी है। किसानों के कल्याण के लिए निवेश बहुत कम है हालांकि देश में 60 करोड़ किसान हैं। व्यापारी, अधिकारी तथा अन्य वर्ग बेहतर व्यवहार पाते हैं हालांकि वे जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत हैं।

अध्यक्ष, सचिव आदि विभिन्न हैसियतों में मैंने विभिन्न लोगों के जीवन स्तर को देखा है।

इस देश में कर चोरी तथा काला धन लगभग 30 हजार करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, किसान अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। अतः हमें उसे जल, विद्युत तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करनी हैं। और यदि यह नहीं होता है तो इस देश में किसानों का कोई भविष्य नहीं है।

इस देश में लोकतन्त्र केवल किसानों के कारण ही फल-फूल रहा है, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के कारण ही नहीं। किसान गाय की भांति एक सीधा सादा व्यक्ति होता है। यदि उसे एक अच्छे नागरिक का जीवन जीना है तो उसे निम्नलिखित सुविधाएं मिलनी चाहएं :

1. फसल बीमा;

2. मवेशी बीमा; और

3. बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों की सम्पत्ति के लिए बीमा।

हमारे देश में सिंचाई सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध बहुत बड़ा बांध है तथा लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। पम्प सेटों, नलकूपों आदि के लिए ऋण लेने वाले छोटे किसान अपने ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। उर्वरकों के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाती है। किन्तु यह राशि जाती कहां है? मंगलौर में मंगला उर्वरक के प्रबन्ध-निदेशक को 25 हजार रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। अब वह समय आ गया है जब हमारी सरकार को इन मामलों की जांच करनी चाहिए।

वर्ष 1967 में धन की दर लगभग 180 रुपये थी। अब यह दर लगभग 200/- रुपये है। इसके साथ-साथ सन् 1967 से आज तक उर्वरकों की दर में कितनी वृद्धि हुई है? इन अन्तरों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे? माननीय सदस्यों, मेरे पास 11 सदस्यों की सूची है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। मन्त्री महोदय 2.00 म० प० पर वाद-विवाद का उत्तर देंगे। उन्हें अपना उत्तर देने के लिए कम-से-कम एक घण्टे का समय चाहिए। इसलिए यदि सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो हम आज के लिए अपने दोपहर के भोजनावकाश को स्थगित कर दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा को समाप्त कर सकें।

सभी माननीय सदस्य : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः सदन ने आज दोपहर के भोजनावकाश के समय अपनी बैठक को जारी रखने का निर्णय लिया है। अब मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण संक्षिप्त रखें ताकि हम इसे 2 म० प० तक समाप्त कर सकें।

श्री बासवराजू, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जी० एस० बासवराजू : हमारी सरकार के उद्देश्य आदर्श रूप हैं। इस देश की गरीब जनता के उत्थान के लिए हमारे पास एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० जैसे बहुत से कार्यक्रम हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इन कार्यक्रमों के लिए हमारी सरकार द्वारा दिए जा रहे धन का अधिकारियों, प्रशासकों और अन्यों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

कपास उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों और अन्य सभी किसानों को विपणन की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार को उन्हें बचाने के उपाय करने चाहिएं। यदि किसानों को विपणन सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं आदि उपलब्ध होंगी तो सम्पूर्ण देश प्रगति कर सकता है क्योंकि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। महोदय, मैं बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

1.00 म० प०

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम हर सत्र में खेतिहर मजदूरों और देश में उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं।

हमारे देश में चार सौ छ्यालीस जिले हैं। 5.4 लाख गांव हैं। इनमें से 4.4 लाख गांवों में बिजली है। यदि किसी गांव में एक भी बल्ब जलता है तो वह गांव भी विद्युतीकृत गांव की श्रेणी में आ जाता है।

कुल 9 करोड़ कृषि जोतों में से मझले किसानों के पास केवल तीन-चौथाई जोतें ही हैं। उनकी जोत दो हैक्टेयर की बनती है। बड़ी जोतें भी हैं। भूमि-सुधारों की असफलता के कारण वास्तविक खेती करने वालों को कृषि भूमि नहीं मिल पा रही है। यही हमारी असफलता है।

खेती करने वाले वास्तविक किसानों, जिन्हें हम गरीब कहते हैं, के पास भूमि नहीं है। किसानों के चार वर्ग हैं—खेतिहर मजदूर; छोटे किसान; मझले किसान और समृद्ध किसान। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि यही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें किसी प्रशिक्षण या किसी प्रकार की प्रोद्योगिकी के बिना विकसित रूप से खेती की जा सकती है। इसलिए, जिन्हें कहीं भी काम नहीं मिल पाता उन्हें किसी भी प्रकार के उपलब्ध काम अर्थात् खेती के लिए गांवों में वापिस जाना पड़ता है। किन्तु यह भी वर्ष भर के लिए उपलब्ध नहीं है। 67 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी खेती पर निर्भर है। स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी जनता की इतनी अधिक प्रतिशतता को नजर-अन्दाज किया जा रहा है। इस लापरवाही के कारण देश आगे नहीं बढ़ सका है। यह दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को, जो अन्न का उत्पादन करते हैं, इन्सानों से बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दूध की औसत खपत 160.8 ग्राम है। शायद, यह एक कप चाय बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। किन्तु हम शेखी बघारते हैं कि हम अमरीका या अन्य विकसित देशों के समान होने जा रहे हैं। यदि आप हमारा जीवन स्तर देखें, बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत देखें, तो आप पाएंगे कि विश्व में हमारा देश सबसे गरीब देशों की गिनती में आता है। किन्तु हम 21वीं शदी में प्रवेश करने की शेखी बघारते हैं। हमने काफी मात्रा में ऋण लिया है। यदि इस ऋण को ठीक ढंग से खर्च किया गया होता तो हमारी स्थिति काफी भिन्न होती। हमने पहली प्राथमिकता देश के औद्योगिकीकरण को दी है और इस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं। किन्तु नतीजा क्या निकला? हम औद्योगिक माल के निर्यात से विदेशी मुद्रा का केवल 0.2 प्रतिशत ही प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपने प्रथम प्राथमिकता कृषि को दी होती तो शायद हमारा देश दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की कर चुका होता।

1.09 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

हमने हजारों करोड़ रुपये अपने उद्योगों पर बरबाद कर दिए हैं। अब हम ऋण के शिकंजे में फंसे हैं। ऐसा उद्योग को प्रथम प्राथमिकता देने के कारण हुआ है। अब आपको संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप अपनी सहायता के लिए किसानों की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार किसान हमारे देश की रीढ़ हैं क्योंकि हम किसानों के बिना विकास नहीं कर सकते। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि के विकास के लिए अधिक ऊर्जा, अधिक धन दिया जाना चाहिए।

आप नकद मुआवजा सहायता, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन जैसी बहुत-सी योजनाएं चला रहे हैं। किन्तु क्या ये योजनाएं केवल कागजों

र और अधिकारियों तक ही सीमित रहनी चाहिएं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि इन सभी योजनाओं, ज़नका मैंने उल्लेख किया है, से उन्होंने कितनी प्रगति की है ।

आरम्भ से ही हमने पांच प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास किया है किन्तु हम कभी ी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं । इसलिए, कृपया लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें । जहां ज़हीं भी कुछ कमी दिखाई दे, आपको उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए ।

हमारे देश में खण्ड, जिला और ग्राम पंचायतें हैं । हमारे पास मुर्गी-पालन, पशुपालन, मत्स्य ालन आदि जैसे क्षेत्र भी हैं किन्तु हम इनका विकास एक वर्ष के भीतर नहीं कर सकते । हमारे प्रयासों ां कमी कहां है ? हमारी जनता को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता । कॉलेज की शिक्षा प्राप्त हमारे अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुभवी हों और उन्हें तकनीकी ज्ञान हो । शायद इसीलिए उन्हें गांवों में भेजा जाता है । किन्तु वे किसानों के साथ काम नहीं करते हैं । वे अधिकारी हैं । वे कर्त्ताधर्ता हैं । इसलिए कर्त्ताधर्ता बनने की इस प्रवृति को रोका जाना चाहिए । ग्रामवासियों को मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । मैं आपको कहता हूं कि इसके बाद ही हमारी जनता का जीवन स्तर एक वर्ष के भीतर ही ऊपर उठाया जा सकता है । हमें अपने किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के अभी से प्रयास शुरू करने चाहिएं । ग्रामीण जनता को मकान, पीने के पानी और समय पर अच्छे बीज वितरित किए जाने की आवश्यकता है । हम आपको बार-बार इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए कहते रहे हैं । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के विकास के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं होगा । इसलिए अब समय आ गया है कि आप इन बातों पर ध्यान दें । यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान हो । यह राष्ट्रीय समस्या है और यदि सब मिलकर राष्ट्रीय समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे तो भविष्य में हम स्वयं को कठिन स्थिति में पाएंगे । इसलिए महोदय, मैं कृषि मन्त्री और प्रधान मन्त्री को इस बात से आगाह करता हूं कि उन्हें हमारी जनता और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए । केवल तभी हम अपने देश के आगामी विकास के लिए संसाधन प्राप्त कर सकते हैं । महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे भारत के आम किसानों की दशा यह है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है । आज तक हमारे किसानों के लिए शासन ने इतनी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किसान कर्ज से अपने जीवन में कभी भी विमुक्त नहीं हो पाते हैं । आज हम किसान को अन्नदाता कहते हैं । कहने में तो यह शब्द कितना अच्छा और लुभावना लगता है, लेकिन उस अन्नदाता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारे जितने भी आज तक प्रयास हुए हैं, वे सब कहीं न कहीं किसी न किसी खामी के कारण कारगर साबित नहीं हुए हैं और आज भी हमारे किसान को पढ़ने-लिखने और सामान्य ज्ञान की पूरी तरह से जानकारी नहीं है जिसके कारण आज भी हमारी सरकारी मशीनरी और उसके अफसर किसान को परेशान करते हैं । अगर उसको किसी नहर से पानी मिलना है, जब किसान को आवश्यकता हो, तब वहां के जो अधिकारी होंगे वे उसको समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे । अगर किसान किसी तरह से शिकायत करता है, तो सरकारी मशीनरी के आफिसर किसान को ही परेशान करेंगे और किसान की बात पर ध्यान नहीं देंगे ।

इसलिए किसान को इस तरह से पोटेंश्यिल होना चाहिए कि समय पर उसकी आवश्यकताओं, विजली, खाद, बीज और पानी आदि की पूर्ति हो सके ।

हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत किसानों को पट्टे दे दिए गए, लेकिन वर्षों हो गए, उनको उस जमीन का कब्जा नहीं मिला, जिसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक कमेटी बनाई है, वह जिलों-जिलों में जाकर उन्हें वास्तविक रूप से कब्जा दिलाएगा । इन सारी चीजों को समय पर और इफैक्टिव तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए । यह बात भी विचार करने योग्य है कि किसानों को मिलने वाली खाद, बीज या अन्य जरूरी चीजों के दाम पिछले दिनों जिस परसेंटेज में बढ़े हैं, क्या उसी परसेंटेज से उसे अपनी फसल के दाम मिल पाए हैं । यह एक गम्भीर विषय है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि किसानों को जिन चीजों की जरूरत अपनी खेती के लिए पड़ती है उन सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं परन्तु उसकी फसल के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं । जब उसे अपनी फसल के दाम भी उसी अनुपात में बढ़कर मिलने लगेंगे तब ही हम कह सकते हैं कि किसानों की हालत में सुधार हो सकेगा । समय-समय पर सरकार प्राकृतिक आपदा आने पर छोटे या मार्जिनल किसानों का कर्जा आंशिक रूप से या कुछ समय के लिए माफ कर देती है, लगान माफ कर देती है, परन्तु यह उसकी समस्या का निदान नहीं कहा जा सकता । जब तक किसान ऐसा महसूस न करने लग जाए कि अब मुझे किसी का कर्जा नहीं देना, मैं कर्जमुक्त हूं, तब तक उसकी हालत में सुधार हुआ नहीं माना जा सकता । हमें कुछ ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे वह तमाम तरह के कर्जों से मुक्त होकर अपना सारा ध्यान खेती की पैदावार बढ़ाने में लगाए । तभी हम उसे सच्चे मानों में अन्नदाता कह सकते हैं ।

यहां मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे किसानों को अपनी समस्याओं के लिए कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पटवारी से मिलना पड़ता है, बिजली वालों और सिंचाई के महकमे में जाकर जूझना पड़ता है । वैसे तो गांवों में ग्राम पंचायतें हैं और दूसरे अधिकारी भी होते हैं परन्तु वे किसानां की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं देते या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं । अब हम जन प्रतिनिधियों का यह दायित्व हो जाता है कि हम किसान की सब तरह से सहायता करें, उसे राहत दिलाने की व्यवस्था करें । इस दिशा में हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री ने कुछ सराहदीय पग उठाए हैं, मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार भी वैसे ही कदम सारे देश के किसानों के हित में उठाए ताकि उनसे देश भर के किसान लाभान्वित हो सकें । तभी किसान यह समझ सकेंगे कि यह सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, किसानों का हित चाहती है ।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, किसानों एवं कृषि मजदूरों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हमें आज कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है । परन्तु इन कार्यक्रमों पर आधारित उत्पादन में वृद्धि की उपलब्धि का किसानों के हितों से कोई सम्बन्ध नहीं है । देश के सभी हिस्सों में किसानों का एक ही उद्देश्य है, इसके बारे में कोई शक नहीं । क्या उन्हें राजनीतिक रूप से दलीय आधार पर संगठित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए, मेरे विचार से इसपर गम्भीर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । परन्तु वास्तविकता यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के किसानों व कृषि मजदूरों की समस्याएं अलग-अलग हैं क्योंकि देश में बहुत से विभिन्न क्षेत्र हैं अतः देश के सभी हिस्सों के किसानों व कृषि मजदूरों की समस्याओं को एक साथ देखना सम्भव नहीं है । अर्थात् मेरा

मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में किसानों व कृषि मजदूरों की समस्याएं भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। मैं आम समस्याओं की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इनका जिक्र चर्चा के दौरान हो चुका है। मैं उपहिमालयी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पर ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में पर्वतों से घिरी हुई घाटियां हैं तथा उनकी भू-संरचना व भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों जैसी है। इस क्षेत्र की तुलना हम हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम के हिस्से, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा के हिस्सों से कर सकते हैं। यद्यपि त्रिपुरा की समस्याएं अधिक नहीं हैं, यहां की विशेष प्रकार की भू-संरचना एक समस्या है, जहां पर हमें 'टेरेस खेती' को विकसित करने तथा झूम खेती की रोकथाम की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में जो किसान व कृषि मजदूर अपनी जीविका कमाते हैं, उनकी स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। हम 'टेरेस खेती' के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की मांग लगातार करते रहे हैं जैसाकि जापान तथा अन्य जगहों पर किया गया है। जोकि झूम खेती के स्थान पर की जाती है, क्योंकि इससे उस क्षेत्र का पर्यावरण तथा जंगलों के उत्पाद नष्ट होते हैं। यह केवल उस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि जंगलों के लिए भी नुकसानदायक है। हम बिना सोचे-समझे झूम खेती के नाम पर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। हम किसानों को भूमि की स्थाई सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। वे हर साल या कुछ सालों बाद नए स्थान पर खेती करते हैं। इस प्रक्रिया में समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का पर्यावरण व पारिस्थितिकी बिगड़ रही है तथा यह नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं।

हमने कृषि मन्त्रालय से मांग की है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को इन क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिएं। आज हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कार्यक्रम केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रहते हैं तथा वह केवल नमूने ही तैयार कर पाता है। हम नमूने नहीं देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसानों व कृषि मजदूरों के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वह पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी भूमि का प्रयोग कर सकें, जिसके लिए उन्हें पानी, तथा विशेष विकास आदि के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने अपनी इकाइयां इन सभी राज्यों में खोली हैं। परन्तु हमने कई दशकों से देखा है कि इन सभी इकाइयों में केवल नमूने ही तैयार होते हैं। हम विस्तृत कार्यक्रम चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जो राज्य हैं, वह भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही हैं। क्योंकि मेरे पास अन्य क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनमें विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने उत्तर में यह आश्वस्त करें कि ये सब कदम उठाए जाएंगे तथा कृषि मजदूरों को न केवल नमूने दिखाकर, बल्कि बड़े पैमाने पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इससे न केवल कृषि मजदूरों कृषि उत्पादन व किसानों की स्थिति में सुधार ही होगा बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी। यदि हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे, यह क्षेत्र लद्दाख की तरह पर्वतीय रेगिस्ताम हो जाएंगे तथा हमें सारी जनसंख्या को वहां से हटाना होगा, जो फिर एक गम्भीर समस्या होगी। इसको टालने के लिए, सरकार को अगली योजना में एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्वी परिषद तथा इस क्षेत्र के राज्यों के कृषि विभागों के पास पर्याप्त सूचना व पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री हेत राम (सिरसा) : आदरणीय सभापति जी, इस सदन में आज किसानों मजदूरों की बात

हो रही है। आज हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश होने के नाते उसकी हालत उस नायिका जैसी है, जैसाकि राजस्थान के एक महाकवि की नायिका ने कहा है : और जूण, धानी, कान्हा निणख जूण क्यों दिनो। आज किसान की हालत ऐसी है कि वह इन्सान होने से भी नफरत करने पर मजबूर है। आज किसान का बैल किसान के नीचे सेफ एण्ड साउण्ड है, वह उसको सुविधा है लेकिन हिन्दुस्तान के किसान को सुविधा नहीं कि वह अपने को आदमी के जीवन में रखे, वह उससे भी डरने लग गया है। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि रैंमुनरेटिव प्राइस न मिलने के कारण किसानों ने अपने गन्ने के खेत जला दिए। आज की आजादी के अन्दर डा० इकबाल ने एक बार कहा था—

उस खेत के हर खुशाएं गन्दुम को जला दो
जिस खेत से दहकों को मय्यसर न हो रोटी।

लेकिन आज आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर गन्ने को जलाने के बावजूद भी उनको अपना रैमुनरेटिव प्राइस नहीं मिलता। यह आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर आज किसान की हालत है। अगर हम अकबर के समय में जाएं तो तुलसी दास जी ने भी एक जगह कहा है कि—

आपस में बैठ पूछत हैं, कहां जाई का करि।

हालत यह है कि आपस में बैठकर पूछते हैं कि कहां जाएं, क्या करें। जितनी भी समस्याएं हिन्दुस्तान के अन्दर और समाज के अन्दर हैं, उन सब की सबसे बड़ी मार किसान को होती है। समस्या महंगाई की हो, बाढ़-सूखे की हो, महामारी आती हो, भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, सारी की सारी डायरेक्टली और इन्डायरेक्टली करीब-करीब मगर किसान पर ही पड़ती हैं।

महामारी या महंगाई की मार आएगी तो उसके पास साधन नहीं हैं। वह क्या करे ? गांव छोड़ेगा तो शहर के अन्दर आएगा। बिना किराए के रास्ते में पकड़ा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत परेशान होकर वह दिल्ली बम्बई की गलियों में रिक्शा चलाएगा और स्लम एरिया बनाएगा। वह सारे के सारे गांव के अपखटेड किसान हैं जो कि यहां स्लम के अन्दर नंगे और बिना छत के बस रहे हैं।

गांव की कहानी यह है कि आज 40 साल आजादी के बाद भी कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही है जिससे यह सारी समस्याएं हैं। हर जगह भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है जिस तरह से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, अगर वह कहीं 5 हजार रुपए देंगे तो 50 हजार की उम्मीद करेंगे, अगर कोई क्लर्क या आफिसर है वह किसी काम के लिए 500 रुपए देता है तो कहीं न कहीं वह 500 रुपए ले भी सकता है लेकिन किसान तो कहीं कुछ ले नहीं सकता। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मार उस पर पड़ती है।

मिलावट की मार है। खेत में डालने के लिए दवाइयों में मिलावट होती हैं। जितनी भी मिलावटी दवाइयां होती हैं वह गांव के अनपढ़ लोगों को दी जाती हैं जिनको सरकार गैर समझती है, वह उनके प्रयोग के लिए दी जाती हैं जो कि खतरनाक होती हैं। हमारे मिनिस्टर और नेता लोग तो उन दवाइयों पर विश्वास नहीं करते, वह तो इंग्लैंड में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। जो घटिया और मिलावटी दवाएं होती हैं, वह गांव वालों के लिए बरती जाती हैं। उनसे वह मरते हैं। सरकार इसके लिए किसी सुधार की जरूरत नहीं समझती है।

मैं एक एग्जैम्पल देना चाहता हूं। 1977 में नरमा का भाव 700 रुपए था और एक एकड़

में एवरेज 4 क्विंटल नरमा होता था। उस समय ट्रक की कीमत 28 हजार थी, मतलब यह कि वह 40 क्विंटल नरमा बेचकर एक ट्रैक्टर ले सकता था। आज उसका भाव 500 रुपए है और ट्रैक्टर 98 हजार का आता है तो अब वह 200 क्विंटल पैदा कर के एक ट्रैक्टर खरीद सकता है। यह सही भाव मिलता है किसान को।

मैं अपील करना चाहता हूं कि गांव में बिजली देने का प्रबन्ध किया जाए, बाढ़ पर नियन्त्रण किया जाए और सड़कों की व्यवस्था की जाए। उसकी आर्थिक और सामाजिक सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए। इण्डस्ट्रियलाइजेशन गांव में किया जाए। जो क्राफ्ट्समैन गांव में हैं, जिनके हाथ अंग्रेजों ने काट दिए थे उनको रिहैब्लिटेट किया जा सके। इन्श्योरेंस किसानों की खेती की ही नहीं किसानों की होनी चाहिए जो रात को सांपों का मुंह गाहते हैं। वहां जवान लोग मर जाते हैं, सांप के काटने से दवाईयां छिड़कते जहर चढ़ने के लिए हैं, उनका इन्श्योरेंस होना चाहिए। जो मैकेनाइजेशन हुआ है, जो पैस्टीसाइड्स चले हैं उन दवाओं से हमारे किसान और मजदूर जहर चढ़ने से मर जाते हैं, उनका भी इन्श्योरेंस होना चाहिए। कर्जा जहां दिया जाए वह सस्ते ब्याज पर होना चाहिए और गरीब का कर्जा माफ करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है।

एक्सपोर्ट के लिए जो इन्डस्ट्रियलिट्स को फेसिलिटी दी हुई है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक्स-पोर्ट की फैसिलिटी बीच वालों के बजाए किसान को मिलनी चाहिए। जो एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, जिस तरह कनक है अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टसब्सीच्यूट के बेनेफिट फार्मर को जाने चाहिएं न कि बिचौलियों को जाने चाहिएं।

जहां तक सीलिंग ऐक्ट की बात है उस पर अमल नहीं किया जाता है। हिन्दुस्तान के किसान के बस में यह नहीं है कि वह इलेक्शनों में फाइनांस कर सके क्योंकि उसको अपने लिए फाइनांस करना मुश्किल है। रिलायन्स एक उद्योगपति जो कि तीन साल के अन्दर अपनी पूंजी तीन गुनी कर लेता है उसके हिसाब से कोई किसान तीन गुनी नहीं कर पाता है। आज यह सरकार टाटा, बिड़ला और रिलायन्स को हर कामों में सहायता देती है क्योंकि वह उसके काम आते हैं। किसान की तरफ इसीलिए ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वह इनके काम नहीं आते हैं। किसान भोले-भाले और अनपढ़ हैं। लेकिन वह समय बहुत शीघ्र आने वाला है जब अनपढ़ और भोले-भाले किसान संग्राम करेंगे और आपके लिए कठिनाई पैदा कर देंगे।

आपने न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया हुआ है। यह ऐक्ट केवल फैक्ट्रियों में ही लागू हो पाता है। खेत में काम करने वाले कृषक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसी कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान अपने परिवार का खर्चा नहीं निकाल पाता है वह मजदूर को क्या देगा ? इसलिए आप सबसे पहले किसानों की तरफ ही उचित ध्यान दीजिए और फिर न्यूनतम मजदूरी की तरफ किसान खुद ध्यान देगा। गांवों में आप इण्डस्ट्री लगाइए जिससे वहां के लोगों को काम मिले। आज देश की आर्थिक व्यवस्था हिलढुल गई है क्योंकि इस पार्लियामेंट के अन्दर मजदूर किसान कभी नहीं आया है। मैं एक सीमान्त किसान परिवार से आता हूं। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थीं तो हमें उस बीच में खेतों में काम करना पड़ता था। अमीर लोग तो शिमला आदि जगहों में जाने की सोचते थे। आपको चाहिए कि अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था आप गांवों में करें जिससे वहां के बच्चे पढ़ाई को पार्ट-टाइम न समझें। जैसी कि शहरों में माडर्न स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसी ही पढ़ाई गांवों के अन्दर होनी चाहिए।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति जी, किसानों और मजदूरों की समस्याओं के बारे में आज जो चर्चा हो रही है उस पर मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, देश के 80 प्रतिशत लोग खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन आज किसानों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको कि दूर करना नितान्त आवश्यक है। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने और हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किया है और उससे काफी लाभ किसानों को मिला है। लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता भी है। सबसे आवश्यक बात यह है कि किसानों को पानी, बिजली और अच्छा बीज समय पर मिले। बिजली न होने के कारण उनको पानी सही समय पर नहीं मिल पाता है। ट्रांसफॉर्मर की भी बहुत कमी है। वह काफी मात्रा में जले हुए हैं। ट्रांसफार्मर न होने के कारण ट्यूबवैल नहीं चल पाते हैं। अक्सर विद्युत व्यवस्था व्यवधान में रहती है। इस कारण आपको ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था करनी चाहिए और जो ट्यूबवैल खराब पड़े रहते हैं उसको भी ठीक कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अक्सर देखने में यह आया है कि जब रबी की बुआई होती है तो उन्हें अच्छे किस्म के बीज समय पर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समय पर उनको बीज अच्छे किस्म का देने का प्रयास करना चाहिए।

नहरों में समय से पानी आना चाहिए और ट्यूबवैल्स भी चलने चाहिए ताकि उनको पानी मिल सके। अगर उनको पानी और बीज मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी फसल अच्छी होगी।

खेतिहर मजदूरों की बात मैं भी कहना चाहता हूं। छोटे और सीमान्त कृषकों को सरकार काफी सुविधा देती है और काफी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे सीमान्त कृषकों में से पात्र व्यक्तियों की सूची बनवाएं और उनकी पात्रता को देखते हुए सरकार की लाभ देने की जो मंशा है, उसके हिसाब से उनको लाभ दें, इसको देखने की आवश्यकता है।

किसान की जो पैदावार है, वह चाहे जो भी गल्ला पैदा करता हो, उसका सही मूल्य उसको मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र शाहगंज में एक रत्ना शुगर मिल है उस पर किसानों का 80-85 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है और वह मिल बन्द पड़ी हुई है। मजदूरों का भी करोड़ों रुपया बकाया है। चूंकि आज यहां किसानों और मजदूरों की चर्चा हो रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के शाहगंज में जो रत्ना शुगर मिल है, पैसा किसानों का बकाया होने से वहां का किसान परेशान है, उसका भुगतान होना चाहिए। मजदूरों का पैसा भी देना चाहिए और जल्दी से जल्दी रत्ना शुगर मिल को चलाना चाहिए। इससे जौनपुर जिला ही लाभान्वित नहीं होगा बल्कि आस-पास के 4-5 जिले लाभान्वित होंगे। इस इलाके में कोई दूसरी मिल नहीं है इसलिए वहां का गन्ना दूसरी जगह नहीं जा पाता इसलिए निश्चित रूप से उसको चलाने का प्रयास करना चाहिए।

किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, वह पात्र व्यक्तियों को सही ढंग से देने का प्रयास करना चाहिए। फसलों में कीड़ा लग जाता है तो दवाई मुफ्त देने का प्रयास करना चाहिए और छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए।

बाढ़ और सूखे की चपेट में किसान हमेशा आते रहते हैं। बाढ़ से खेतों में पानी भर जाता है जिसके कारण किसान फसल उसमें नहीं उगा पाते हैं, इसके लिए भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह किसानों को काफी हद तक सहायता देने का प्रयास कर रही है। इसमें चार चांद लगाने के लिए जो छोटी-मोटी कठिनाइयां और परेशानियां किसानों के सामने हैं उनको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। खास तौर से पानी, बीज और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देते हुए इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे।

आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है, कि मुझे नियम 193 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिला है। मैं किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा।

हमारा देश कृषि प्रधान है तथा 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी व कृषि मंत्री श्री भजन लाल ने किसानों के कल्याण में गहरी रुचि ली है। हमारी सरकार किसानों को सुविधायें दिए जाने की पूरी कोशिश कर रही है परन्तु यह पर्याप्त नहीं हैं।

हमें किसानों की बड़े पैमाने पर मदद करनी चाहिए। किसानां की मूल आवश्यकता भूमि, जल, बीज, कीटनाशक व उर्वरक हैं। ये सब किसानों की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हैं।

व्यापारियों, बैंक कर्मियों, तथा सरकारी कर्मचारियों आदि का स्तर किसानों से बहुत अच्छा है। अतः यह हमारा मुख्य कर्त्तव्य है कि हम किसानों की मदद करें। किसानों को बिजली, पम्पसैट, बीज आदि सस्ते दामों पर देने चाहिए। किसानों को विपणन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। कोई बिचौलिए नहीं होने चाहिए। व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। किसानों को उचित मूल्य मिलने चाहिए तथा सरकार द्वारा उन्हें विपणन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

कर्नाटक में पिछले सात वर्ष से वर्षा नहीं हुई। इस वर्ष मानसून के आरम्भ में अच्छी वर्षा हुई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, बाद के समय में वर्षा नहीं हुई। इससे कर्नाटक में मूंगफली, रागी व अन्य फसलों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। वह मेडिकल व इंजीनियरी कालेजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अतः सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था करे।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बाजार के उतार-चढ़ाव को रोका जाना चाहिए तथा किसानों को साल भर अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इस समय किसानों का जीवन दयनीय है। 90% किसान अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। बहुत सों को तो दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। मेरे राज्य में पिछले, 7 वर्षों के सूखे के कारण बंगलौर, टुमकुर व कोलार जिले सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। निश्चय ही अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऊपरी भद्रा परियोजना को शीघ्र पूरा करें ताकि लाखों एकड़ भूमि को पानी मिल सके। यदि सिंचाई की सुविधा हो जाए तो हम सारे विश्व को अनाज दे सकते हैं।

इस समय किसान की स्थिति ऐसी है जैसे जंगल में शेर, चीते, भालू आदि के सामने खरगोश की होती है। वह समाज में छोटा सा व्यक्ति है। यह स्थिति सिंचाई की सुविधा के साथ ही बदल सकती है।

हाल की बाढ़ में मेरे चुनाव क्षेत्र में करीब 4,000 परिवार बेघर हो गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राहत उपाय प्रदान करके लोगों को, विशेषकर किसानों की रक्षा करें। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे, तथा इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

***श्री एम० सुब्बा रेड्डी** (नन्दयाल) : सभापति महोदय, किसानों की समस्या एक ऐसा मसला है जिससे पूरा देश इस समय चिन्तित है। आजकल किसानों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले लाखों किसान बोट क्लब पर एकत्रित हुए तथा अनेक प्रस्ताव पास किए। वे प्रधान मन्त्री जी से मिलना चाहते थे लेकिन उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। यदि देश के प्रधान मन्त्री किसानों से मिलने के लिए इंकार कर देते हैं। फिर कोई भी यह कैसे कह सकता है कि यह देश किसानों का देश है। यह कहने का बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है कि किसान इस देश का मुख्य आधार है। ब्रिटिश काल में एक किसान सैंकड़ों सैनिकों से अधिक शक्तिशाली था तथा आजकल उसकी स्थिति कुछ भी नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने किसानों की समस्याओं को करीब नजरन्दाज किया। अभी भी हम सिंचाई में बहुत पिछड़े हुए हैं। सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने के लिए अतीत में कुछ अधिक कार्य नहीं किया गया। केन्द्रीय बजट में सिंचाई के लिए बहुत कम धन रखा गया है। इसके साथ ही देश में विद्युत की भी बहुत कमी है। किसानों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गयी है। गर्मियों में विद्युत की बहुत कमी रहेगी। अब जो प्रगतिशील किसान इंजन लगाएंगे उन्हें भी विद्युत नहीं मिलेगी। न केवल इंजन अपितु कृषि गतिविधियां भी रुक गयीं हैं। अन्ततः किसानों को भारी हानि हो रही है। आज देश में औसत किसान की स्थिति यही है। यहां दिल्ली में केन्द्र सरकार किसानों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय व ऊर्जा देने की बजाय कृषि सम्बन्धी कर लगाने के लिए तरीके व रास्ते खोज रही है। यह बिल्कुल अजीब बात है। सरकार ऐसे समय में कर लगाने का प्रयास कर रही है जबकि अधिकतर किसानों के लिए अपनी भूमि पर जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है। वे अपना सब कुछ बेचकर शहरों की ओर भाग रहे हैं। उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ खेती पर निर्भर रहना अत्यधिक कठिन हो गया है। गांव खाली हो रहे हैं तथा कृषि पिछड़ रही है। इसका प्रभाव हमारे खाद्य उत्पादन पर भी पड़ रहा है। हम अभी अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। मुझे यह नहीं समझ

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आता है कि क्यों केन्द्र सरकार देश में व्याप्त गम्भीर स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है। यही समय है कि स्थिति से बचा जा सकता है। हम कब तक खाद्यान्नों का आयात करते रहेंगे ? यदि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने की एक समस्या को हल नहीं कर सके, तो हमने अपने स्वतन्त्रता के पिछले 40 वर्षों में क्या प्राप्त किया है ? हमारी पिछले 40 वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं ? हमारी उपलब्धियां हैं गरीबी व जनसंख्या में वृद्धि। क्या हम इस नकारात्मक उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं ? आज कौन इस स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है ? महोदय, आज जबकि स्वयं सरकार ही असहाय है तो देश की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन फसल तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाएगा ? किसान अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सकता है जबकि हर बात उसके खिलाफ हो रही है। किसान खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए सारा वर्ष दिन-रात कड़ी मेहनत करता है। भूमि के साथ उसका लगाव अपने सगे सम्बन्धियों से भी अधिक होता है। उसे अपनी भूमि अपनी जिन्दगी से भी अधिक प्रिय है। जब उसकी पत्नी बीमार होती है, रोग शय्या पर होती है वह उसे छोड़कर खेत पर चला जाता है। वह पहले खेती की जरूरतों को पूरा करता है बाद में परिवार की। लेकिन अब उसी किसान को परिस्थितियों के हाथों विवश होकर अपनी प्रिय भूमि बेचनी पड़ रही है तथा जीवन निर्वाह के लिए शहरों की ओर भागना पड़ रहा है। किसान शहरी क्षेत्रों में छोटी मोटी दुकानदारी को वरीयता दे रहे हैं बजाय इसके कि गांवों में रहें तथा जोखिम वाले व्यवसाय कृषि को आगे बढ़ाएं। वास्तव में यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। इससे सरकार के कार्यनिष्पादन का भी पता चलता है। सरकार कृषि का विकास करने में बुरी तरह से असफल रही है। सरकार खाद्य समस्या को हल करने में बुरी तरह से असफल रही है। जैसे कि हम कृषि में पिछड़े हुए हैं कोई भी देश इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। चीन को देखिए। जनसंख्या पर नियंत्रण तथा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की उसकी उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय हैं। कुछ समय पहले भारत चीन से काफी आगे था। अब थोड़े से समय में विकास के क्षेत्र में चीन भारत से आगे निकल गया है। इसने अपने जनसंख्या पर सराहनीय ढंग से काबू पाया है। इसी सराहनीय तरीके से इसने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया है। क्या हमें अपनी प्रगति की धीमी गति पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अब किसानों को शहरी लोगों के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करना पड़ता है। लेकिन वे इस स्थिति में नहीं हैं। अतः सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए।

एक ओर यह क्षेत्र श्रमिक समस्या से प्रभावित है तथा दूसरी ओर कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। इसके साथ ही बाढ़ तथा सूखे का क्रम जारी है। एक किसान जो आमतौर पर खाद्यान्न का उत्पादन करता है वह प्रकृति के प्रकोप का शिकार हो जाता है। फसल या तो सूखे के कारण सूख जाती है या बाढ़ के कारण बह जाती है। यदि संयोगवश किसान इन दोनों से बच जाता है तो उसे लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। जो मूल्य उसे मिलता है उससे वह मुश्किल से फसल के खर्चे को पूरा कर पाता है। महोदय, सरकार को इन सब समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। सारे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को लिफ्ट सिंचाई सुविधा तथा भूमिगत जल का प्रयोग करने की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। अन्यथा मुझे डर है इन क्षेत्रों में किसान और अधिक फसल उगाने का प्रयास नहीं करेंगे।

वास्तव में, जैसाकि मैंने पहले कहा था किसानों ने भूमि को बेचना शुरू कर दिया है तथा शहरों की ओर भाग रहे हैं। इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, इन 40 वर्षों में सिर्फ काला बाजारिए ही समृद्ध हुए हैं : साहूकार समृद्ध हुए हैं। उद्योगपति

फले फूले हैं। सिर्फ किसान ही ऐसे हैं जो बरबाद हुए हैं। सिर्फ किसान ही ऐसे हैं जिन्हें हमारी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिला है। दिनों दिन किसान गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी गिर रहा है। कम से कम सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अच्छी हुई है वहां तलाब या टैंक बना सकती थी। इससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलती। उत्पादक प्रयोजनों में धन लगाने की बजाए सरकार बेकार की चीजों पर धन लुटा रही है। वर्तमान परिस्थितियां में किसानों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाना और अधिक कठिन होता जा रहा है। माननीय कृषि मन्त्री स्वयं कृषक हैं। फिर भी वह किसानों की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। जब तक कृषि के क्षेत्र में क्रांति नहीं आती यह क्षेत्र विकास नहीं कर पाएगा और तब तक अनाज की समस्या राष्ट्र में बनी रहेगी। कम से कम अब तो सरकार को जागृत होना चाहिए और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। एक फसल बीमा योजना चलाई जा रही है लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। किसी न किसी कारण से अधिकांश किसान इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते। महोदय, किसान कई कठिनाईयों का सामना करके अपनी फसल उगाता है। किसी रोग के कारण उसकी फसल के नष्ट होने का भी जोखिम रहता है। अथवा कई बार समय से वर्षा भी नहीं होती। यदि इन सब कठिनाईयों के बावजूद फसल ठीक रहती है, तो फसल के बाढ़ में बह जाने का खतरा रहता है। अतएव फसल बीमा योजना को पूरे देश में इस तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिससे हर किसान को हर तरह की कठिनाई में सहायता मिल सके। इस समय किसानों को अग्रिम ऋण दिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी किसी भी फसल से वह उसका भुगतान नहीं कर सकता। जबकि बड़े कर अपवंचकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। किसानों को भुगतान में यदि जरा सी देरी हो जाती है तो उन्हें परेशान किया जाता है। बिक्री कर से न के बराबर धन की वसूली होती है। काला बाजारिए कभी भी आय कर नहीं देते हैं। हालांकि हम लोगों पर अनेक कर हैं लेकिन उसमें से किसी की भी वसूली प्रभावी ढंग से नहीं की जाती है। सम्बंन्धित लोग सरकार को कर देने की जरा भी परवाह नहीं करते। अतः बड़े लोगों से अपनी कर वसूली की असफलता को छिपाने के लिए सरकार अब गरीब तथा भोले भाले किसानों पर कर लगाने की कोशिश कर रही है। महोदय, इसमें कोई शक नहीं यदि सरकार किसानों पर कर लगाती है जो कुछ अभी किसान रह गए हैं वे भी अपनी जमीन बेचकर कृषि को अलविदा कह देंगे। कृषि को जारी रखने वाला शायद ही कोई बचे।

महोदय, प्रो० रंगा इस सदन के एक बहुत अनुभवी सदस्य हैं। किसानां और खेतिहर मजदूरों का हित उनको बहुत प्रिय है। किसान उनको प्यार से "रयतु रंगा" के नाम से पुकारते हैं। मैं उनका भाषण बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं उनकी नाराजगी से सहमत हूं। उनकी सलाह को बहुत ही गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, आज समाज में किसानों की घोर उपेक्षा की जाती है। यदि कोई किसान और उसकी समस्याओं की उपेक्षा करता चला जाता है, तो यह देश के हितों के विपरीत होगा। मैं एक बार पुनः सरकार से अपील करता हूं कि वह देखे कि स्थिति और अधिक न बिगड़े। यह खेद का विषय है कि हमारे माननीय मन्त्री ने किसानों के साथ बैठक करने और उनके साथ उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह एक बहुत ही अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय था। शायद उन्होंने इसके परिणामों को नजरअन्दाज करते हुए किसानों की बात को गम्भीरता से नहीं लिया है। प्रधान मन्त्री सहित हर कोई किसानों के वोटों पर निर्भर है। अतः किसानों को अपने से दूर रखना उचित नहीं था। अकेला यही निर्णय ही सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार का पूर्ण दायित्व है। प्रत्येक जगह फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करना होगा और इसे प्रत्येक किसान

पर लागू किया जाना चाहिए। यदि किसान की एक फसल नष्ट हो जाती है तो उसे अगली फसल उगाने के लिए धन भी दिया जाना चाहिए। इस समय जो बैंक ऋण दे रहे हैं वे दूसरी बार ऋण देने के लिए मना कर देते हैं। अगली फसल उगाने के लिए किसान और कहीं से धन प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः सरकार द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि जरूरतमन्द किसान को अगली फसल उगाने के लिए समय पर पर्याप्त धन मिल जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समय पर उर्वरकों आदि की खरीद के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है, जोकि अच्छी फसल उगाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं।

महोदय, फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गांव को एक यूनिट माना जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। हमें पर्याप्त बिजली पैदा करनी चाहिए जिससे कि किसानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। भूमिगत जल को निकालने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक कि भूमिगत जल का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता, तब तक सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि को जारी रखना बहुत ही कठिन और जोखिम भरा कार्य होगा। अमरीका से नवीनतम रिगों का आयात किया जाना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि पर्याप्त संख्या में मोटर आदि उपलब्ध हों। सरकार को भूमिगत जल निकालने और उसे सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हर समय प्रयास करना चाहिए। महोदय, वर्तमान स्थिति यह है कि जो रिगें इस समय उपयोग की जा रही हैं वे अधिक गहराई तक नहीं जा सकती। कुओं में पानी का स्तर लगातार कम होता जाएगा, इस वर्ष जो कुए खोदे गए हैं उनमें आगामी वर्ष तक पानी नहीं रहेगा। अतः अमरीका से 8 इंच के रिग आयात किए जाने चाहिए और उन्हें सूखा प्रवण क्षेत्रों में सप्लाई किए जाएं। इस उपाय से शुष्क क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हमारी कृषि के विनाश का कारण छोटी जोतें हैं। इस देश में एक औसत किसान की जोतें 2 से $2\frac{1}{2}$ एकड़ हैं। इस प्रकार की छोटी जोतें न तो किसान के लिए और न ही देश के लिए लाभदायक हैं। भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत एक किसान के पास अपने हल और अपने बैलों की जोड़ी के रखरखाव के लिए कम से कम 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में छोटी जोतें रखना बिल्कुल उपयोगी नहीं है। प्रो० रंगा ने भी इसी मुद्दे का उल्लेख किया था। जैसे ही जोतें और छोटी होती चली जाएगी, उससे कृषि में रुचि समाप्त हो जाएगी और उससे लाभ समाप्त हो जाएगा। इसमें न केवल इन जोतों के परोक्ष मालिक बल्कि जोतने वाले भी उनमें रुचि खो देंगे। इस तरह की जोतों से लाभ लगभग शून्य है।

महोदय, किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। यदि उत्पादन अच्छा होता है, तो ठीक है, एक किसान को अपने अनाज के लिए यदि थोड़ा कम मूल्य भी मिल जाता है तो वह उसको बुरा नहीं मनाता। लेकिन अच्छा उत्पादन न होने पर, यदि किसान को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, तो उसका लगभग सर्वनाश हो जाता है। अतः सरकार को सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

महोदय, कृषि मुख्यतः जल और विद्युत सप्लाई पर निर्भर है। अतः ये दोनों ही किसानों को उपलब्ध करानी होंगी। हमें कम से कम खाद्य उत्पादन स्तर को बनाए रखना होगा। हर वर्ष यह स्तर गिरता जा रहा है। हम अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। कम से कम इस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अन्यथा स्वतन्त्रता के 40 वर्ष और सात पंचवर्षीय योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा।

महोदय, कहने को और भी बहुत सी बातें हैं। चूंकि अब मेरा समय खतम हो गया है, आपने जो मुझे अवसर दिया है उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए, अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

2.00 म० प०

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, शुरू में मैं इसे बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक कृषक, एक किसान होने के बावजूद भी, मैं सरकार के समक्ष हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमारे कुछ अधिकारों को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। दुर्भाग्यवश, कृषि को आवश्यक सेवा या तो बना दिया गया है या बन गई है। हमारे पास अन्य कोई विकल्प नही है, क्योंकि हमारे पास आपका कोई अन्य साधन नहीं है। हमारे पास कोई बचत नहीं है। इसी वजह से हमें हर वर्ष खेती करनी होती है, चाहे वर्षा हो अथवा न हो।

मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं रोटी, उसके बाद कपड़ा और उसके बाद मकान। क्या यह सच नहीं है कि कृषक आपको रोटी दे रहा है? आप उसके प्रति अपने आपको कितना कृतज्ञ महसूस करते हैं? आप उसके लिए कितना सामाजिक दायित्व महसूस करते हैं? यह देखना होगा। हमने देखा है कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में, कृषि क्षेत्र की ओर तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधि की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। लेकिन उसके बाद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तरह उपेक्षा की गई थी, और इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आ गए। मुझे प्रसन्नता है कि वे आपके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। आपने उनके दावों की उपेक्षा की है, आपने उनको कुछ देने में अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा की है।

जब कभी हम एक उद्योग शुरू करते हैं, हम उनके लिए आधारभूत सुविधाएं देने की बात करते हैं। कृषकों के लिए, आप उन्हें आदान पानी और अन्य चीजें दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के लिए बुनियादी सुविधाएं देने के बारे में और उन्हें पेय जल सुविधा देने के बारे में आपको क्या कहना है? उनके बच्चों की हाई स्कूल तक शिक्षा के बारे में बिजली, उनके स्वास्थ्य, संचार और सड़कों के बारे में आपको क्या कहना है? हमने उनकी उपेक्षा की है और यही वजह है कि आपने देखा कि प्रत्येक ग्रामीण शहर में आना और गन्दी बस्ती में रहना चाहता है और वह वापस नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं कि गन्दी बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बद्तर हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत गन्दी हैं। हम जानते हैं कि 1965 के बाद हमारे यहां कृषि मूल्य आयोग रहे हैं। तभी से हम सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वह हमें लाभकारी मूल्य दे। मेरे लिए लाभकारी मूल्य का अर्थ है कि उन्हें न स्वयं कृषक की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए बल्कि उनके बच्चों के कल्याण की देख-भाल, उनकी शिक्षा और अन्य बातों को भी पूरा करना चाहिए। यदि हम उनको ये चीजें नहीं देते, तो हम कृषकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

एक बार जब मैंने एक सरकारी कर्मचारी से पूछा कि सरकारी विभागों में वेतन और मजदूरी किस प्रकार निश्चित की जाती है, तो मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति जिसे एक विशेष प्रकार का कार्य सौंपा जाता है उसे इसके बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उनके बिना वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। दूसरा, उनके पास उस कार्य विशेष के बारे में कुछ तकनीकी ज्ञान, विशेष ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं : क्या यह सच नहीं है कि एक कृषक के मामले में जिनके साथ आप उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और जिसे आप बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिसकी पूंजी और भूमि अपनी है? यह यही व्यक्ति है जो यह निर्णय करता है कि वह क्या और कब बोने जा रहा है, चाहे वर्षा

अच्छी हो अथवा न हो। वह निर्णय करता है कि कब कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाए, उसे ही यह निर्णय करना पड़ता है कि किस प्रकार इसका प्रबन्ध किया जाए, किस प्रकार फसल को काटा जाए, और किस प्रकार इसको बाजार में बेचा जाए। जिन परिस्थितियों में वह कार्य करता है उसके बारे में क्या कहना है ? मुझे बताया गया कि सरकारी कार्यों में वेतन निश्चित करने में जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उनमें मुख्य यह है वह किस वातावरण में काम कर रहा है।

यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मन्त्री महोदय मुझे दुरुस्त करेंगे क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिस माहौल में किसान काम कर रहा है वह बहुत ही अनुकूल है ? यदि नहीं तो आप उसको उसकी उपज के लिए अधिक मूल्य क्यों नहीं दे सकते ? जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है हमने 2-3 क्षेत्र स्वीकार किए हैं। निश्चय ही आपने कुछ राज्यों, कुछ भाषी क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया है और महाराष्ट्र में आपने हमारे लिए ऐसा नहीं किया है। मानदण्ड क्या है ? क्या फसल है या वह भूमि जिस पर यह फसल उत्पन्न होती है और चीनी की मात्रा ? मैं आप से कहना चाहता हूं कि वर्षा-पुष्ट क्षेत्र की पैदावार सिंचाई वाले क्षेत्र से निश्चय ही कम होगी। यदि यह सही है, तो हम क्यों न बारानी खेती करने वालों को कुछ अधिक लाभ देने के बारे में सोचें ? आप यही लाभ वर्षा-पुष्ट क्षेत्रों में दे रहे हैं। सातवीं योजना तक आप केवल 27 प्रतिशत भूमि की सिंचाई कर सके हैं और मालूम नहीं शेष भूमि के लिए कितना समय लग जाएगा। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पेय जल भी नहीं मिलता। आप उन्हें सिंचाई के लिए जल कैसे देंगे ? यही उचित समय है कि हम वर्षा-पुष्ट क्षेत्रों में किसानों को वैसे ही अधिलाभ दें जैसे हम छोटे किसानों की विशेष सहायता करते हैं। समय आ गया है जब आपको अधिलाभ के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में उन लोगों को बोनस देना चाहिए जो वर्षा-पुष्ट क्षेत्र में अपने खाद्यानों और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है।

जब पोलैंड से एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आ गया तो हमने उनसे पूछा कि उन्होंने कृषि उत्पादों के मूल्य किस प्रकार निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने फसल को लेकर निश्चय किया। यदि पैदावार कम है तो भी वह यह देखते हैं कि किसान को वही मूल्य मिल जाए जैसा आप कर रहे हैं। आप बहुत ही कम दामों पर उर्वरक का आयात करते हैं। जिस उर्वरक का उत्पादन आप कर रहे हैं वह बहुत महंगा है किन्तु फिर भी हमें उर्वरक कारखानों की सारी अकुशलता के लिए भुगतना पड़ता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि अब से सरकार को न केवल ग्रामीण लोगों को शहरी लोगों के बराबर लाना चाहिए किन्तु उन्हें आदान और अधिक मूल्य देकर उनके अधिकारों को भी स्वीकार करना चाहिए; सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रहने के लिए उनका अपना घर हो, वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं और उन्हें वह सभी लाभ मिलने चाहिए जो शहरी व्यक्ति को मिलते हैं।

मैं लगभग 32 वर्ष से राजनीति में हूं—विधान सभा और संसद दोनों में धीरे-धीरे मैं अपने ही विश्वास पर शंका करने लगा हूं। यह सच है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। किन्तु इसका चुनाव किसके लिए किया जाता है ? यह शहरी लोगों, या संगठित क्षेत्रों, सरकारी कर्मचारियों या सभी नागरिकों के लिए चुनी जाती है ? यदि यह सब लोगों के लिए है तो इसको ग्रामीण पुनर्निर्माण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, भारत ने बहुत से क्षेत्रों में तरक्की की है और कृषि के क्षेत्र में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसके लिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल

नेहरू, शास्त्री जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी, तथा इस देश के वैज्ञानिक, योजनाकारक तो बधाई के पात्र हैं ही, सबसे अधिक इस देश का किसान बधाई का पात्र है। किन्तु किसानों की खेती के क्षेत्र में तरक्की के बावजूद किसानों की स्थिति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि के क्षेत्र में उनकी आर्थिक स्थिति नीची है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। किसानों के उत्पादन का मूल्य जितना मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। किसान को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिएं, नहीं मिलती हैं। मुझे आशा है कि हमारे युवा नेता और हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने जैसा विशाल जनसभा में कहा था कि वे किसानों पर विशेष ध्यान देंगे, खासतौर पर उन किसानों पर जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के किसानों पर विशेष ध्यान देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वर्तमान कृषि मन्त्री चौधरी भजन लाल और उनके सहयोगी इस दिशा में सचेष्ट हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री महोदय और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष शुरू में अच्छी बर्सात हुई जिससे लगने लगा कि मानसून सारे देश में अच्छा है और खरीफ की फसल अच्छी रही है और रबी की फसल भी अच्छी होगी, किन्तु दुर्भाग्य से देश के कुछ ऐसे इलाके हैं—पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिरजापुर और वाराणसी, जहां तीन महीने से बरसात नहीं हुई है और इसके कारण वहां पर भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। जहां सिंचाई की गारण्टी नहीं है, वहां फसल सूख गई है और रबी की फसल की बुवाई का आधार ही नहीं रह गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सूखाग्रस्त इलाकों, खासकर मिर्जापुर, बुन्देलखण्ड और आसपास के क्षेत्रों में, सूखे का मुकाबला करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

श्रीमन्, दूसरा बिन्दु किसानों के लिए सबसे बुनियादी और प्राथमिकता आवश्यकता सिंचाई की गारण्टी के सम्बन्ध में है। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि है कितनी, कितने क्षेत्र में खेती का काम होता है, उसके एक तिहाई हिस्से में भी सिंचाई की गारन्टी नहीं मिल पाई है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं योजना में भारत के सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मुहैय्या की जाए। जहां बन्द से सिंचाई हो सकती है, वहां बन्द से, जहां नलकूप से, बम्बे से, लिफ्ट से, जहां जैसी सुविधा दी जा सकती है, वहां वैसी सुविधा सिंचाई की दी जाए। जो भी साधन सम्भव हो, वह अपनाकर सिंचाई की सुविधा दी जाए। भारत के चप्पे-चप्पे को सिंचित करने का प्रावधान आठवीं योजना में किया जाए। सबसे बड़ी सुविधा और सबसे उत्तम सुविधा किसान के लिए यही है कि उसको वक्त पर पानी मिल जाए। उसके बाद की चीजों की किसान व्यवस्था कर लेता है और सरकार भी व्यवस्था कर देती है।

मैं श्रीमन्, बहुत प्रसन्न हूं, कल हमारे कृषि मन्त्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जो फण्ड दिए गए हैं, राज्य सरकारें यदि उनका उपयोग दूसरे तरीके से, किसानों के हित के अलावा किसी और क्षेत्र में करेंगी, तो हम उनको ये सुविधाएं नहीं देंगे। यह बहुत अच्छा कदम है। इस पर सख्ती से पालन किया जाए। अन्तिम बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मैं यह बात शुरू से कहता आ रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों को, जो भूमि हीन हैं, जो हरिजन और आदिवासी हैं, उनको भूमि देने की व्यवस्था की जाए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और अमन चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में शांति और अमन चाहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो खेतीहर मजदूर हैं, उनको जमीन देनी पड़ेगी। इसके लिए

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि गांवों में जो ग्राम समाज की भूमि बची है, उसके पट्टे उनको दिए जाएं और जहां सीलिंग के मुकदमे लम्बित हैं, वे जल्दी निपटाए जाएं और सीलिंग की भूमि के पट्टे उनको दिए जाएं। जहां ग्राम समाज की या सीलिंग की जमीन नहीं है, वहां पर जमीन खरीदकर उनको बांटी जाए।

आप तो वन विभाग का काम भी देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वन की तमाम जमीन खेती के लायक है। हजारों, लाखों और करोड़ों हैक्टेयर जमीन वन विभाग की खेती के लायक है। वहां के आदिवासी और वनवासी भी चाहते हैं कि वे उस जमीन पर खेती करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि ऐसी वन भूमि जो खेती योग्य है, इसके चार या पांच बीघे के पट्टे आप खेतिहर मजदूरों, आदिवासी, वनवासियों को दें। शर्त यह लगा दें कि आधे में पेड़ लगाएंगे और आधे में खेती करेंगे। इससे उन्हें पेड़ों से और खेती दोनों से आमदनी होगी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सन्तोष मिलेगा।

इस देश का हर आदमी चाहे वह शहर का हो या देहात का हो, यह चाहता है कि उसको जमीन का मालिकाना हक मिले। जहां थोड़ी जमीन हो वहां थोड़ा मालिकाना हक मिलना चाहिए और जहां ज्यादा जमीन हो वहां ज्यादा मालिकाना हक उन्हें मिलना चाहिए। मेरा कहना तो यह है कि हर किसी को थोड़ी जमीन अवश्य मिलनी चाहिए—चाहे वह बसने के लिए या बागवानी के लिए हो या फिर पेड़ लगाने के लिए हो।

हमारे कृषि राज्य मन्त्री जी जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है। ऐसे समय में किसानों को पूरी सहायता मिलनी चाहिए। वैसे हमारे मन्त्री जी किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं। अतः मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे किसानों की तरफ प्रधान मन्त्री जी, कृषि मन्त्री जी और अन्य सभी लोग ध्यान देंगे।

2.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। यह एक बहुत अच्छी चर्चा है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय काश्तकारों को कुछ सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैं अब कुछ इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा। काश्तकार क्यों कमजोर होता जा रहा है इसके पांच कारण मुख्य हैं—1. फसल खत्म होना, 2. फसल का मूल्य ठीक न मिलना, 3. गलत बीज, गलत खाद और गलत दवा मिलना, 4. ज्यादा मूल्य पर काश्तकार को खेती के औजार व सामग्री का मिलना, और 5. गलत तरीके से लोन देना।

1. सूखे और बाढ़ से किसानों की फसल बचाना बहुत जरूरी है। सूखे में बिजली देना, सरकारी ट्यूबवैल ठीक रखना, नहर आदि में खूब पानी देना, बाढ़ से बचाना, राजवाहों और सड़कों के पास रकबा बाढ़ की चपेट से बचाना आदि चीजें बहुत आवश्यक हैं। देखने में यह भी आया है कि सड़कों और राजवाहों में जो क्रौसिंग पानी पास होने के लिए होता है वह चौड़ा नहीं होता है और खाले जो होते हैं उनकी खुदाई नहीं होती जिसकी वजह से पानी पास नहीं हो पाता है। मुद्दत तक वहां पानी रुका रहता है। इससे फसल खत्म हो जाती है। इस पर गौर होना चाहिए।

2. फसल का भाव ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि गेहूं की फसल 160-170 रुपये क्विंटल बिक जाती है जबकि उसके भाव साढ़े तीन सौ और 400 रुपये क्विंटल हैं। इससे अमीर लोग फायदा उठाते हैं। इसके मूल्य फसल खत्म होने के समय तय करने चाहिए।

3. काश्तकार के काम में आने वाली जो चीजें हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वह कम होनी चाहिए—जैसे कि ट्रेक्टर, बीज, खाद और दवाइयां। नकली खाद बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। बीज और दवाइयां खास तौर से अच्छे देने चाहिएं।

4. काश्तकार को पूरे भारत में अपना कच्चा और पक्का माल बेचने और खेती की सामग्री की ढुलाई में छूट मिलनी चाहिए। चैक पोस्ट पर अक्सर उन्हें परेशान होना पड़ता है। कई घण्टों उन्हें वहां रुकना पड़ता है।

5. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईख 80-90 प्रतिशत जमीन में बोई जाती है। बहुत महंगी लागत से फसल होती है और साल भर के लिए जमीन बॉण्ड हो जाती है। इसका मूल्य काश्तकारों को ठीक नहीं मिलता है। किसानों का पूरा गन्ना मिल में नहीं जा पाता इसलिए या तो इतने मिल बनाए जाएं जिससे सब किसानों का गन्ना मिल में चला जाए या क्रेशरों को सल्फर बनाने की इतनी छूट दी जाए जिससे क्रेशर सल्फर के चल सकें और अच्छे मूल्य पर गन्ना खरीद सकें।

6. काश्तकारों को जो लोन दिए गए हैं, उनमें उनके ट्रेक्टर व जमीन नीलाम हो गए क्योंकि गलत तरीके से लोन दिए गए, जो उनको पूरे नहीं मिले। इससे दोगुनी, तिगुनी वसूली हुई और उसे अधिकारी ब्लॉक व बैंक वाले खा गए। उसे पूरा पैसा लोन का नहीं मिला। अगर उनको लोन दिया जाए तो उसकी जमीन की हैसियत निकलवाकर बैंक से खाते सीमित हैसियत में कर दिए जाएं और कम सूद में उसे डायरैक्ट लोन दिया जाए और उसकी जमीन पर रोक लगा दी जाए कि वह उसे बेच नहीं सके जब तक कि बैंक का रुपया अदा न कर दे।

7. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 सालों में दो घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिली इसलिए बिजली के बिलों में छूट दी जाए। खेती को उद्योग के बराबर मान्यता दी जाए और उतनी ही बिजली दी जाए जितनी उद्योगों को दी जाती है।

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है। मैं अपने प्रदेश की और मेरी कान्स्टीट्यूऐंसी की कुछ बातें बताना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश में सीलिंग से जो रकबा छूटा था और गरीब किसानों को, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एलॉट किया गया था, उनको पट्टा तो जारी किया गया लेकिन प्रभावशाली लोगों ने कचहरियों में जाकर स्टे ले लिया। आज तक उनको कब्जा नहीं दिया गया। सरकार को चाहिए कि कचहरियों से सारे फैसले निबटाकर लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए।

दूसरी बात, इन्दिरा कैनाल के फर्स्ट चरण में पानी के वितरण हेतु पक्के वाटर कोर्स बनाए गए थे जिसमें इतनी अनियमितताएं बरती गईं कि मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन उनमें से 80 परसेन्ट खाले टूट चुके हैं। उनमें कच्ची पीली भद्दी किस्म की ईंटें और बराये नाम का सीमेंट लगाया गया। बजरी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया गया, रेत में खाले चिन दिए गए। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारे पड़ौस में हरियाणा और पंजाब के काश्तकारों के पक्के वाटर कोर्स के पैसे माफ

किए गए हैं, इस बात से चौधरी साहब (मन्त्री जी) अच्छी तरह से अवगत हैं और हमारी समस्या के बारे में उनको पूरा ज्ञान है। इन्दिरा कैनाल के सैकिंड चरण में सरकार अपने खर्च से खाले बना रही है तो वहां के काश्तकारों के गले यह बात नहीं उत्तर रही है इसलिए काश्तकारों के वाटरकोर्स के कर्जे माफ होने चाहिए।

तीसरी बात, मेरी कांस्टीट्युऐंसी में दो तहसीलें बारानी हैं, नोहर और भादरा। वहां की जमीन उपजाऊ और बिल्कुल प्लेन है। इस एरिया के अन्दर बराबर चार-पांच कहत पड़े हैं, सिर्फ इस बार थोड़ी-सी राहत मिली है। वहां जो स्कीमें चल रही हैं—सीदमुख और नोहर कैनाल के नाम से। इनका काफी समय पहले सर्वे भी हो चुका है और सारे कागजात मुकम्मल होकर सेन्ट्रल वाटर कमीशन के दफ्तर में पड़े हुए हैं। लास्ट ईयर थोड़ा फेमीन में काम चलाया था दोनों कैनाल्स के ऊपर। तो आप उसको क्लियरेन्स दिलाएं ताकि जो पैसे खर्च हो चुके हैं वह भी काम में आ जाएं और लाखों-लाखों लोगों की भी हमेशा के लिए भुखमरी दूर हो जाए।

चौथी बात यह है कि हमारे जिले में गंग नहर, जो बीमानेर कैनाल के नाम से पुकारी जाती है, वह 60 वर्ष पुरानी नहर है, वह पंजाब के हिस्से में बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। साढ़े 27 सौ क्यूसेक्स की वह नहर है लेकिन मुश्किल से 1800 क्यूसेक्स को लेकर ही चल रही है और इसकी वजह से काश्तकार को बड़ा भारी लॉस हो रहा है। इसकी मरम्मत कराने के लिए हमारी सरकार ने लिंक चैनल के नाम से एक नहर मंजूर की थी, नौगढ़ के पास इन्दिरा कैनाल से जोड़कर फर्स्ट हेड साधूवाली में जोड़कर इसका पानी इन्दिरा कैनाल में डालकर, पंजाब के हिस्से में जितनी नहर है उसको दोबारा ठीक करवाने की बात थी लेकिन वह लिंक कैनाल जो है उसका हमारे राजस्थान में जितना पोर्शन है वह तो बन गया लेकिन हरियाणा में कुछ थोड़ा-सा पोर्शन भी आता है उसके लिए हमारी सरकार ने पैसे भी जमा करवा दिए लेकिन हरियाणा सरकार उसको नहीं बना रही है। मेरा निवेदन है कि उसको शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए।

मुझे आपने जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, किसानों की समस्याओं पर तमाम माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं। कल भी यहां पर यही चर्चा चल रही थी। मैं भी हाउस में था। किसी साथी ने बताया कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, किसानों की कोई नहीं सुनता है। कुछ इसी किस्म की बातें कही गईं। परन्तु मैं आपको बताऊंगा कि आजादी से पहले किसान बहुत परेशान था। न सिंचाई थी, न नये बीज थे। पं० जवाहर लाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधान मन्त्री बने उन्होंने बहुत लम्बी सोची। भाखड़ा बांध बनवाया जिसके जरिए हिन्दुस्तान में काफी जगह पर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में सिंचाई हो रही है और बिजली भी हमें मिल रही है। यह पं० जवाहर लाल नेहरू की देन थी। परन्तु आप जानते हैं कि भारत में पहले कितनी थोड़ी आबादी थी फिर भी बाहर से अनाज लाते थे। आज हमारे मन्त्रियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीके निकाले हैं, हमारे सामने की बात है केवल बीस साल पहले कोई ट्यूबवैल नहीं था—लेकिन आज इन्दिरा गांधी की देन है, वे तो स्वर्ग में हैं परन्तु वे ऐसा कर गईं कि बैंकों की ब्रांच गांव-गांव में पहुंची और किसानों ने लोन लिया, उससे ट्रेक्टर लिए, ट्यूबवैल लगाए। साथ ही साथ उसको अच्छे बीज मिले, अच्छी खाद मिली और इस तरह से किसान बड़े अच्छे तरीके से खेती करने लगा। किसान बहुत मेहनत करता है, रात दिन काम करता है। बहुत सख्त गर्मी हो तब भी कटाई का काम करता है, सख्त सर्दी हो तब भी वह सिंचाई करता है और कितनी ही बारिश

हो वह बांध बांधता है, अपने खेत से बाहर पानी नहीं जाने देता। और इस तरह कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है। परन्तु यह बात भी सही है कि किसानों को परेशानी भी है। किसान को परेशानी यह है कि वह जितनी मेहनत करता है, जितना खेतों में काम करता है, उसको देखते हुए किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलती है। गेहूं और चावल का रेट किसानों को ठीक मिल जाए तो किसानों का भला हो सकता है। यदि इसमें किसी तरह की रुकावट है तो उसकी किसी और तरह से मदद कर सकते हैं। उनको किसी तरह का एलाउन्स दिया जाए, ताकि किसानों की मेहनत का पैसा उनको मिल जाए।

दूसरी बात, आप जानते हैं कि किसान अधिक से अधिक मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करता है, फिर किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है। किसान सारे दिन मेहनत करके, सारे साल मेहनत करके जब उसकी फसल खलिहान में आती है, तो उस वक्त खलिहान में किसी वजह से, ट्रेक्टर या बिजली के कारण उसमें आग लग जाती है और उसमें किसान का सारा अनाज जल जाता है और किसान को कोई यह कहने वाला नहीं है कि हम आपकी मदद करेंगे। सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती है। यह बहुत जरूरी है, यदि किसान की फसल आग से भस्म हो जाती है, खलिहान में जितनी फसल जलती है, उसका कम से कम एक-चौथाई तो किसान की सरकार मदद करे। इस ओर मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए।

किसान कड़कड़ाती सर्दी में खेतों में काम करता है। ठण्डे पानी में काम करता है और ओले पड़ जाने के कारण उसकी फसल को नुकसान हो जाता है, इस स्थिति में भी सरकार को कोई-न-कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसानों की मदद की जा सके। एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। सुरखपुर और इसापुर नहरों में पानी चालू करवा दें। यदि इन नहरों में पानी आ जाए तो पशुओं को पीने का पानी मिल सकता है और खेतों की सिंचाई में सुविधा हो सकती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छे-अच्छे किस्म के बीज और नए-नए साधन किसानों को उपलब्ध कराएं, औजार भी किसानों को ठीक रेट पर उपलब्ध कराएं, जिससे हम पैदावार को बढ़ा सकें। पहले की अपेक्षा पैदावार बढ़ी है और बढ़ भी रही है। लेकिन इसके साथ-साथ आबादी भी बहुत बढ़ गई है। हमारे मन्त्री जी किसानों की बातों को जानते हैं। भजन लाल जी को किसानों की सारी बातें पता है। वे हरियाणा के किसान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसानों की पूरी मदद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषकों और कृषक मजदूरों के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। मैं इसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

किसानों का जहां तक बिजली से सम्बन्ध है, बिजली विभाग द्वारा किसानों को बड़ी परेशानी होती है। किसान अपने खेत में जो मोटर लगवाता है, उससे वह केवल सिंचाई ही कर सकता है। यदि कोई उसे मशीन लगानी है, तो उसको अलग से इसके लिए मोटर लगानी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि किसान को जो मोटर दी जाए, वह मल्टीपर्पज होनी चाहिए। यदि कोई किसान छोटा धन्धा करना चाहता है, थ्रेशर भी लगाना चाहता है, तो वह उसी मोटर से काम कर सके। मोटर का बिल तो उससे उतना ही लिया जाएगा जितना की वह बिजली प्रयोग करेगा। इसलिए मेरा सुझाव है जो मोटर किसान को दी जाती है, वह मल्टी पपर्ज होनी चाहिए। इससे एक लाभ यह भी होगा कि गांवों में बहुत

बेरोजगारी है, यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वह मजदूर भी रख सकते हैं। अब स्थिति यह है कि यदि उसे अलग से मोटर लगानी है तो उसको दस हजार रुपए देने पड़ते हैं। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कृषि मजदूरों की मजदूरी सरकार तय करती है, जो मजदूरी सरकार तय करती है, वह उनको नहीं मिलती है। कारण यह कि जो कृषक लोग हैं, वे गांव में मीटिंग करते हैं और कृषि मजदूरों को क्या मजदूरी देनी है, वे निर्णय कर लेते हैं। जो वे निर्णय करते हैं, उसी के अनुसार इन मजदूरों की मजदूरी मिलती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हम देखते हैं कि 150-200 रुपए महीने के हिसाब से बारह महीने के लिए इन लोगों को इंगेज कर लिया जाता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह गांवों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।

तीसरी बात यह है कि आपने बीमा योजना लागू की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ब्लाक में आधे किसानों का वर्षा के कारण फसल का नुकसान होता है, तो बीमा वाले किसान को पैसा नहीं देते हैं। मेरा सुझाव है कि व्यक्तिगत बीमा योजना होनी चाहिए। किसी भी किसान का यदि वर्षा या सूखे के कारण फसल का नुकसान होता है, तो उसको बीमा का पैसा मिलना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पिछले कई दिनों से बीच में एक दफा यह चर्चा रुक गयी थी --फिर दो दिनों से किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, उन पर विचार हो रहा है। इस विचार में सदन के तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुत ही मूल्यवान विचार यहां पर रखे। इस बात के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान को लोग अन्नदाता कहते हैं, मैं किसान को प्राणदाता कहता हूं। इंसान अन्न के बगैर जीवित नहीं रह सकता और अन्न जो पैदा करता है उसका नाम किसान है। इसलिए यदि हम किसान को प्राणदाता भी कहें तो मैं समझता हूं कि गलत बात नहीं होगी।

इस किसान ने बड़ी भारी मेहनत करके, लगन से काम करके इस मुल्क का नाम दुनिया में कायम किया। इसलिए जितनी भी किसान की प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कि थोड़ी है।

आप जानते हैं कि देश के आजाद होने के बाद इस मुल्क की क्या हालत थी। अगर हम थोड़ी-सी नजर देश के आजाद होने के बाद दो-चार सालों की तरफ डालें—1947 से लेकर 1952 तक पर-तो इस देश का हर नागरिक और देशवासी इस बात को महसूस करेगा कि अनाज के मामले में कितनी बुरी हालत थी। जिस मुल्क का इतना शानदार इतिहास हो, जिस मुल्क ने इतनी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी हो, यहां से अंग्रेजों को भगाया हो, ऐसे बहादुर लोगों का सिर किसी के सामने झुकने का सवाल नहीं था। लेकिन अनाज के मामले में हमें दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। इससे हमारी प्रतिष्ठा को कितना धक्का लगता था?

इसी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने किसानों के हित में ऐसी नीतियां, ऐसे प्रोग्राम बनाए जिनसे कि हमारा देश अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया के सामने सीना तान कर कह सके कि हम इस मुल्क में अपने पांव पर खड़े हैं। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल जी नेहरू सबसे पहले इस मुल्क के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने एक बात कही थी कि सारी चाजें इंतजार कर सकती हैं लेकिन खेती इन्तजार नहीं कर सकती। इसलिए खेती के लिए हमें बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने उस वक्त बजट का तकरीबन 44 परसट हिस्सा यानी आधे से थोड़ा-सा कम हिस्सा कृषि पर खर्च करने के लिए रखा। इतनी बड़ी राशि की योजना बनायी थी। आप जानते हैं कि इस राशि से कितने डेम बने थे, केवल भाखड़ा ही नहीं, बिजली के कितने पावरहाऊस बने, कितने खाद के कारखाने लगे हैं, कितनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, ट्रैक्टर के कारखाने लगे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि किसानों को सारी सुविधाएं मिलें। उनके घर-घर तक बिजली पहुंचायी जाए।

इसी का परिणाम आज आप देखते हैं कि जब मुल्क आजाद हुआ तब यहां 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था और आज 153 मिलियन टन तक हम पहुंच गए हैं। आज 153 मिलियन टन तक हम पहुंचे हैं। पिछले चार सालों में भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद भी हमारा उत्पादन लोग उम्मीद करते थे कि बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इस देश का उत्पादन फिर भी स्थिर रहा। सिर्फ चार परसेंट बहुत मामूली सी कमी आई जोकि नाममात्र है। अमेरीका बड़ा शक्तिशाली मुल्क है और सभी उसकी ओर देखते हैं। पिछले एक साल के सूखे की वजह से अमेरीका में इतनी महंगाई बढ़ गई जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता। अमेरीका जैसा मुल्क भी यह महसूस करने लगा कि सूखे की वजह से हालत ठीक नहीं है चूंकि इतनी महंगाई वहां हो गई। लेकिन हिन्दुस्तान चार साल के सूखे के बावजूद महंगाई को ज्यादा न बढ़ने दे और एक भी आदमी को भूख से न मरने दे तो यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आप जानते हैं कि सन् 1956 का अकाल कैसा था। लाखों आदमी भूख से मर गये थे और लाखों आदमियों की लाशें सड़कों पर थी। बुजुर्ग बताते हैं कि इतना भयंकर अकाल उस समय नहीं था सिर्फ दो साल का अकाल था, 55 और 56 में उसके मुकाबले में यह चार सालों का अकाल बावजूद एक आदमी भूख से नहीं मरा और उत्पादन में कमी नहीं आई। पिछले साल 1983-84 में सूखे के बावजूद भी 138 मिलियन टन अनाज इस मुल्क में पैदा हुआ। 1987-88 में इस साल इन्द्र देवता की कृपा से समय पर बरसात होने के कारण 166 मिलियन टन का टारगेट रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 170-71 टन तक उत्पादन इस मुल्क में होगा जोकि एक रिकार्ड होगा। ग्रोथ रेट के बारे में भी चर्चा की गई। 70-71 का हिसाब लगाएं तो 32 मिलियन टन फालतू बैठता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 23.9 परसेंट ग्रोथ रेट बैठती है। 152 का अगर हिसाब लगाएं तो भी साढ़े बारह परसेंट बढ़ोत्तरी एक साथ होती है। लेकिन इससे हमें तसल्ली नहीं होगी, आगे और भी हमें करना है। किसान को खेती के लिए सबसे पहले सिंचाई हेतु पानी, टयूबवैल के लिए बिजली, अच्छा खाद, अच्छा बीज, नयी तकनीक, अच्छा भाव और पूरी जानकारी चाहिए। यह हमने दिया है और आगे भी देना पड़ेगा। कई भाईयों ने जिक्र किया कि बजट पर थोड़ा खर्च हुआ है, 4.5 परसेंट की बात करते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो हमारा बजट है वह एक लाख अस्सी हजार करोड़ का है और उसमें से कृषि पर चालीस हजार करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। पांच साल का एग्रीकल्चर का बजट आपको बताया। सिंचाई और ऊर्जा बनाने पर जो खर्च होगा, वह इससे अलग है। सड़कें जो किसान के हित में बनाते हैं वह इससे अलग है। किसान से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी बातें हैं जैसे खाद की फैक्ट्री भी

आप जानते हैं, उन सबका हिसाब लगाएं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि देश का आधा बजट किसान के हित में खर्च होता है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है।

यहां पर सदस्यों ने किसानों के बारे में कई बातें कहीं, मैं उनमें से मोटी-मोटी बातों को लेना चाहूंगा। वरना काफी समय लग जाएगा। जहां तक किसानों को लाभकारी मूल्य देने का सवाल है, ट्यूबवैल के लिए बिजली देने का सवाल है बीज, खाद, पानी देने का सवाल है उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह तत्पर रही है और हम आगे भी चाहते हैं कि जितनी भी सिंचाई की योजनाएं हैं, जितने भी पावर स्टेशन की योजनाएं हैं, चाहे हाइडल से बिजली बनाने की बात हो चाहे थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात हो, उन सबको पहल देनी चाहिए। जब तक हम इनको पहल नहीं देंगे तब तक देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कृषि पर निर्धारित है। अगर कृषि ठीक होगी, किसानों की हालत ठीक होगी तो इस देश में बसने वाले हर व्यक्ति की चाहे वह गांव का हो या शहर का, हालत ठीक होगी। देश का सारा काम किसानों के घर से चलता है, किसानों की हालत ठीक होगी तो सारा देश खुशहाल होगा। उसके बाद उद्योग आता है, उसमें भी हमारे देश में काफी प्रगति हुई है, लेकिन उद्योग और खेती में प्रगति करने में एक तीसरी शक्ति भी है उसका नाम है खेतिहर मजदूर, कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स, जो अपना खून-पसीना एक करके इस मुल्क में उत्पादन को बढ़ाते हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनके बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं कि उनके लिए जो न्यूनतम वेज का कानून बना रखा है बहुत से प्रदेशों में उनको वह मिलता नहीं है। जहां अच्छी खेती होती है वहां यह समस्या नहीं है जैसे पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा में उन्नीस रुपए पच्चीस पैसे न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन वहां पच्चीस रुपये में भी काम करने वाला मजदूर नहीं मिलता, जबकि उसको तीन समय का भोजन भी दिया जाता है और चाय पानी भी दिया जाता है। लेकिन बहुत-सी जगह समस्या है। कहीं ग्यारह-बारह रुपए भी इनको मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों को और फैक्टरी में काम करने वालों को सही वेतन मिले। क्योंकि देश में अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की नीति बनाई और इसके पालन के लिए कानून बनाया। गांवों में जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक कमिशन मुकर्रर किया है और उसको कहा है कि वह जल्दी अपनी एक रिपोर्ट दे। यह कमीशन अगस्त 1986 में बनाया गया और इसके चेयरमैन हैं जैना दर्जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी रिपोर्ट दे। इस कमीशन में कुछ सांसद भी सदस्य हैं। यह जल्दी रिपोर्ट दे, हमने इनको कहा है, ताकि उस पर भारत सरकार जल्दी से जल्दी अमल कर सके। कई बार बहुत सी समस्यायें आती हैं और बहुत सी जगह किसानों को मुआवजा मिलता है। फसल को आग लगना, फसल खराब होना। लेकिन उसके खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं किसान उनको कुछ नहीं देता है। यह भी एक समस्या है। उस गरीब आदमी को भी उस नुकसान में से कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि वह भी खेत में काम करता है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है किसान कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, खाद भी पूरी नहीं होगी तो आपको क्या दूं... किसान तो अपने मजदूर को पहले ही घर से कुछ पैसा दे देता है, लेकिन फिर भी उसका जो मुनासिब हक है, उसे जरूर मिलना चाहिए। एक खेत मजदूर खेती में जिस मेहनत के साथ काम करता है, उसको देखते हुए उसे उत्पादन में से कुछ हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए, मैं मानता हूं...

श्री बापूलाल मालवीय : आप कृषि मजदूरों का कुछ परसेंट क्यों नहीं बांध देते। जैसे किसी खेत में आग लग जाए या दूसरी विपदा आ जाए तो गवर्नमेंट किसान की सहायता करती है, राहत देती है, उसमें से कुछ हिस्सा कृषि मजदूर को भी मिल जाए, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए।

श्री भजन लाल : जहां तक परसेंटेज का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा कहीं तीसरा हिस्सा निश्चित होता है, कहीं चौथा हिस्सा और कहीं पांचवा हिस्सा, फिर भी खेती में उसी रेश्यो से उसे हक मिलना चाहिए, जितना उसका हिस्सा है और बहुत सी जगह अच्छे जमींदार या किसान उसे देते भी हैं परन्तु कई जगह यह हिस्सा नहीं मिलता। कानून में हम इसे नहीं ला सकते, हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं, और मैं समझता हूं कि कानून बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि उत्पादन के हिसाब से कृषि मजदूर को हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता महसूस की जाएगी, तो हमने पहले से एक कमेटी बनाई हुई है, वह सारी बातों को देखेगी और यदि आवश्यकता होगी तो कानून भी बनाया जा सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद आज तक किसानों की हालत में बहुत सुधार आया है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता और जितना सरकार उनके हित में काम कर सकती थी, उतना सरकार ने किया है। जैसा यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं। किसान आज की तुलना उस वक्त से करके देख लें। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किसी भी आदमी के पास ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलता था जब कि आज हर गांव में सौ-डेढ़ सौ ट्रैक्टर आपको जरूर मिल जाएंगे और बड़े गांवों में तो 500 ट्रैक्टर तक आपको मिलेंगे…

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : ऐसा हरियाणा और पंजाब में होता होगा, बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, आप पता करवा लीजिए।

श्री भजन लाल : मैं मानता हूं कि जहां खेती का उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ है, वहां स्थिति में उतना सुधार नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आप यह नहीं कह सकते कि स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप एक कमीशन बना दीजिए जो खास तौर से यह देखे कि बिहार में और खासकर उत्तरी बिहार में पिछले 10-15 सालों में किसानों की स्थिति में कितना सुधार आया है, आज वहां का किसान मजदूरी करने को लाचार हो गया है।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बिहार में तो खेती बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गयी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में भी कह सकता हूं कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेती अनप्रोडक्टिव हो गयी है। मैं उन क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित हूं। वहां पिछले 5-5 साल के अकाल पड़ा हुआ है और तमाम खेती अनप्रोडक्टिव हो गयी है।

श्री भजन लाल : राजस्थान में चार साल तक भयंकर सूखा पड़ा, उसी की वजह से दिक्कत है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मन्त्री जी, शायद आपको मालूम होगा कि आपकी मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल प्रोग्राम राइस के बारे में बनाया है, उसका कारण यह है कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार

राज्यों में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नीचे जा रही है। वहां अलग-अलग तरह की प्रौब्लम्स हैं जो पंजाब या हरियाणा से डिफरेंट हैं।

श्री भजन लाल : उसके कुछ कारण हैं, मैं आपको बताता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप थोड़ा उन प्रोब्लम्स की अपनी मिनिस्ट्री के जरिए जांच करवाइए, स्टडी करवाइए कि कहां किस चीज की जरूरत है और कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरी छोटी सी गुजारिश है कि उत्तरी बिहार में आप यह पता लगाइए कि पिछले 10-15 सालों में कितने किसान खेती छोड़ कर मजदूर बन गए और उसके पीछे क्या कारण हैं।

श्री भजन लाल : हां, क्यों बन गए ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्योंकि वहां खेती घाटे का सौदा हो गयी है, वहां रैम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलते।

श्री भजन लाल : उसका कारण यह है कि वहां होल्डिंग छोटी हो गयी। पहले जिस भाई के पास 20 एकड़ जमीन थी, 20 साल बाद उसका परिवार इतना बड़ा हो गया कि अब एक-एक आदमी के हिस्से दो-दो एकड़ जमीन ही रह गई। जब दो एकड़ जमीन रह जाएगी तो उससे परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो ही जाएगा। दूसरे जो नए तरीके हैं···**(व्यवधान)**···

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं होल्डिंग छोटी हो गयी, एक-एक फैमिली की अब चार-चार फैमिलीज हो गयीं, इसलिए किसी के पास चार एकड़ जमीन रह गयी, किसी के पास दो एकड़, लेकिन दूसरी तरफ शायद आपको मालूम हो कि यहां ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके लैंड रिफार्म्स एक्ट की बिल्कुल धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं और हजार-हजार एकड़ या, 500 एकड़ या 200 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। उसका कारण यह है कि हम लैंड रिफार्म्स एक्ट को सही तरीके से इम्पलीमैंट नहीं कर पाए, उसमें खामियां हैं। यदि ऐसे लोगों से जमीन निकाल कर भूमिहीनों में, गरीब आदमियों में, मुजारों में वितरित करायी जाए तो कितने लोगों को फायदा हो सकता है। इसलिए आप लैंड रिफार्म्स एक्ट को सही तरीके से इम्पलीमैंट क्यों नहीं कराते।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष जी, अगर मैं इन छोटी-छोटी बातों का जबाव देता रहूंगा तो मुख्य बिन्दु बीच में ही रह जाएंगे और सारी मुख्य बातें रह जाएंगी।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि जब किसान का खेती से पूरा नहीं पड़ता है तभी तो वह अपनी जमीनें छोड़ कर बाहर जाता है और मजदूरी करने लगता है। इसीलिए आज गांवों से लोग भाग रहे हैं।

श्री भजन लाल : उसके कारण भी हैं। एक कारण तो यह है कि उनको पानी और बिजली समय पर नहीं मिलती होगी। दूसरा सवाल यह है कि खाद की खपत हमारे मुल्क में बहुत कम है। खाद की खपत की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरे मुल्कों का यदि हम मुकाबला करें, तो आप महसूस

करेंगे कि दूसरे मुल्कों में प्रति हैक्टेयर 300-400 किलो खाद डालते हैं जब कि हिन्दुस्तान का औसत 51 किलो का है। यह 51 किलो भी तब है जब पंजाब में एक हैक्टर में 151 किलो डालते हैं और हरियाणा में 79 किलो, उत्तर प्रदेश में 79 किलो तमिलनाडु में 104 किलो डालते हैं तब जाकर ये एवरेज बैठती है। यदि इन प्रदेशों में खाद इतनी भी न डालें, तो औसत और भी कम बैठती है। आसाम में 4 किलो प्रति हैक्टर खाद की खपत है। जब कि बीज भी एक एकड़ में 30-35 किलो गेहूं का डालते हैं वहां सिर्फ चार किलो खाद डालते हैं। कुछ हिस्से तो ऐसे हैं, जहां पर डेढ़ किलो का औसत प्रति एकड़ आता है जब कि ज्वार और बाजरा भी यदि बोएं तो भी इससे अधिक तो बीज ही डालना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 20 किलो, उड़ीसा में 19 किलो, राजस्थान में 1·6 किलो प्रति हैक्टेयर खाद की खपत है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप खाद दीजिए।

श्री भजन लाल : खाद की कमी नहीं है। खाद डालते कम हैं। जब तक खाद की खपत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। खाद की खपत से ही दोनों चीजें होंगी। एक एकड़ की कास्त करने में लेबर व अन्य खर्चे उतने ही पड़ते हैं यदि खाद की मात्रा बढ़ा दें, तो उत्पादन दुगुना हो सकता है।

श्री चन्द्रकिशोर पाठक (सहरसा) : जहां सिंचाई नहीं है, वहां खाद क्या करेगी ?

श्री भजन लाल : जहां सिंचाई है, जहां पानी है, वहां भी खाद कम डालते हैं। जब खाद अधिक डालेंगे तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। अगर पहले की तरह ही खाद डालते रहेंगे, तो उत्पादन तो ठहर ही जाएगा। उत्पादन ठहरने का कारण यही है कि खाद डालते-डालते बीस साल हो गए, और बीस साल तक भूमि नशीली हो गई, अब उसको पुरानी मात्रा से कोई फायदा नहीं होता है, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कोई आदमी यदि अफीम लेता है, तो चार-पांच साल के बाद उतनी अफीम से उसको उतना नशा नहीं होता है जितना पहले होता था, उतना नशा करने के लिए उसको अफीम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यही हालत आज जमीन की हो गई है। अफीम की तरह ही भूमि भी नशीली हो गई है और उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए आपको खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कोई आदमी जब शराब पीना शुरू करता है, तो एक-आध पैग से करता है और बाद में वह चार-छः पैग और यहां तक बोतल तक पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जमीन का हिसाब है जितनी खाद दस-बीस साल पहले डालते रहे हैं, अब उतनी खाद से कुछ नहीं होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की मिकदार बढ़ानी ही पड़ेगी।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हमारे यहां तो सारे बीज, खाद नेपाल की नदी बहा ले जाती है, श्रीमन्, उसके लिए कुछ उपाय तो कीजिए ?

श्री भजन लाल : उसके लिए मैं अर्ज कर दूं, बाढ़ और सूखे की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़ी मदद की है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : पैस्टीसाइड्स के बारे में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की है, वे यह कहते हैं कि इनका अधिक प्रयोग करने के कारण इसका असर अनाज पर भी पड़ रहा है और मनुष्य की तन्दुरुस्ती पर खराब पड़ रहा है। इसके बारे में आपके एग्रीकल्चर विभाग ने क्या किया है ?

श्री भजन लाल : वह बात मैं मानता हूं। उसके लिए हमारे साइंसदां इस बात में लगे हुए हैं कि बीज ऐसा बनना चाहिए कि जिन पर बीमारी का असर हो ही नहीं। बीज अगर ऐसा बनाएंगे जिन पर बीमारी का असर कम होगा, और बीमारी की रोकथाम के लिए दवाई डालनी चाहिए। उसका असर पेड़-पौधे में जाता है। मैं मानता हूं कि इंसान की सेहत के लिए वह ठीक नहीं है। आप बाहर के मुल्कों का हिसाब लगाएं ... कि वह कैसे दवाई डालते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने हमेशा किसान को लाभकारी मूल्य देने की कोशिश की है। इसके बारे में बहुत से सदस्यों ने चर्चा की है। अगर मैं एक-एक का जवाब दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा।

3.00 म० प०

आप तो जानते हैं कि किसानों को हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि किसानों के नुमाइंदे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में नहीं हैं। हमने किसानों के तीन नुमाइंदे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में शामिल किए हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वे कौन-कौन हैं ?

श्री भजन लाल : एक आन्ध्र प्रदेश से है, एक पंजाब से है और एक हरियाणा से है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार से तो एक भी नहीं है।

श्री भजन लाल : हर प्रदेश से रखेंगे तो वह संख्या 40 तक पहुंच जाएगी। जो ज्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं उनको तो आप जानते ही हैं। आज पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा पैदा करता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मजदूर तो आप बिहार से ले जाते हैं।

श्री भजन लाल : बिहार वालों का पेट पंजाब और हरियाणा भी तो भरता है। आप ऐसे क्यों कहते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार के मजदूरों को आप एक्सप्लॉयट भी तो करते हैं।

श्री भजन लाल : हम पकड़ कर उन्हें नहीं ले जाते हैं। आप एक काबिल व्यक्ति हैं। कोई नया आदमी ऐसी बात कहे तो अच्छा लगता है। किसी पांच साल के बच्चे को उठा कर ले जाया जा सकता है लेकिन उसे बहकाया नहीं जा सकता है।

श्री हरीश रावत : हमारा निवेदन है कि आप हमारे सूखे इलाकों में हरियाली लाइए।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : किसानों के नुमाइंदे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और मेघालय से हैं। इनमें एक का नाम नागेश्वर राव है और एक रणधीर सिंह हरियाणा से हैं। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइसचेयरमेन जो थे वह उसके चेयरमेन हैं।

श्री पीयूष तिरकी : आप वैस्ट बंगाल से क्यों नहीं रखते। ईस्टन जोन को आपने छोड़ दिया।

श्री भजन लाल : मेघालय से एक नुमाइंदा है। एक-एक प्रदेश से इनको लेना मुश्किल है। वह

मूल भाव तय करते हैं और एक-एक बात का हिसाब लगाते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट जाती है। हमने किसानों के नुमाइंदे रखे जिससे कि किसानों को शिकायत न हो।

श्री विजय कुमार यादव : जैसे कि उद्योग में लेखा-जोखा होता है वैसा ही इसमें होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हम ए० सी० पी० सी० में किसानों के तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का स्वागत करते हैं। किन्तु परिकलन विधि बदल दी जानी चाहिए। अन्यथा, न्याय नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां जो किसानों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं वे एक-एक चीज का हिसाब लगाते ही होंगे। वे वैसे ही कुछ नहीं करते होंगे ऐसा नहीं है। वे देख कर ही सब कुछ करते हैं। हम जहां किसान का ध्यान रखते हैं वहां हमें खाने वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जितनी तकलीफ आप सबको किसानों से है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। खेत में फसल अपने हाथ से काट कर देखी हुई है। मैं जानता हूं कि किसान की क्या समस्या है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप सारी बातों का ध्यान रखें। इतना ही नहीं 12 परसेंट प्राफिट का हिसाब लगा कर भाव तय करते हैं। लेकिन जो खाने वाला आदमी है उसका भी तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। खाने वाला गरीब आदमी खेत में काम करने वाला लेबर भी है, कारखाने में काम करने वाला मजदूर भी है और चपरासी से लेकर दूसरा कितना स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी ध्यान रखना है। दूसरे, बहुत ज्यादा भाव बढ़ाना किसान के हित में भी नहीं है। किसान के हित में इसलिए नहीं है कि किसान सात चीजें बेचता है और 110 चीजें लेता है। अगर आज उसकी चीजों का भाव बढ़ जाएगा तो बाकी चीजें उसको सस्ती मिल जाएंगी क्या? आप कहते हैं, किसान का गन्ना सौ रुपए क्विटल बिके, अगर गन्ना सौ रुपए क्विटल बिकेगा तो चीनी उसको दो रुपए किलो मिल जाएगी क्या? **(व्यवधान)**

आप सुनिए, बीच में मत बोलिए नहीं तो मेरे लिए टाइम की मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रूई किसान की 1000 रुपए क्विटल बिकनी चाहिए और कपड़ा दो रुपए गज मिलना चाहिए। अगर 1000 रुपए क्विटल कपास बिकेगी तो फिर उसको कपड़ा दो रुपए गज मिल जाएगा? इसका किस पर असर पड़ेगा? किसान को 110 चीजें मोल लेनी पड़ती हैं, जूते से पगड़ी तक सारी चीजें उसे मोल लेनी पड़ती हैं। घर के चूल्हे की लकड़ी से लेकर सोने तक इस्तेमाल करने का सारा सामान बाजार से खरीदना पड़ता है तब जिन्दा रहना है। **(व्यवधान)**

वही मैं कहता हूं कि हर तरह से पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आप जानते हैं कि सारी बातों के साथ 12 से 15 परसेण्ट प्रोफिट लगाकर, घर के आदमियों का हिसाब लगाकर भाव तय करते हैं। अब तो तीन किसानों के नुमाइन्दे भी रखे हैं, इस दफा, ताकि किसानों को शिकायत न हो।

दूसरी बात आपने कर्जे माफी की कही, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा। कर्जे माफ करने का बहुत टेढ़ा काम है। कर्जा कौन किसका माफ कर देगा। बैंक में पैसा आपका है, उसने कर्जा ले रखा

है तो तीसरे आदमी को क्या अधिकार है कि वह माफ कर दे। हां, रियायत कर सकता है। रियायत हर वर्ष हमेशा करते हैं, बहुत सी राशि राइट ऑफ करते हैं। कोई नहीं दे सकता और सूद में कमी करने की बात हो तो कमी की जा सकती है। कुछ हद तक बहुत छोटे आदमी को रियायत कर सकते हैं लेकिन सारे कर्जे माफ हो जाएं, यह सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : 1937 में कांग्रेस सरकार ने मद्रास में मद्रास कृषि ऋण राहत सहायता अधिनियम प्रस्तुत किया और कहा अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। प्रो० रंगा ने भी कहा कि उस अधिनियम को बैंकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : 25,000 रुपए तक यह कानून है कि मूलधन के डबल से ज्यादा नहीं लिया जाएगा।

श्री भजन लाल : 25,000 तक आज भी ऐसा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं···(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां दूसरी बात आ जाए। सूखा पड़ जाए तो···

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : बैंक विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह लागू नहीं हो। अब बैंक इस अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं। अतः आप इसमें परिवर्तन कीजिए और बैंक ऋणों के लिए भी इसे लागू करें।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : कानून बना हुआ है और 25,000 तक की सीमा इसमें है लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां···

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : फिर हमें बैंकों की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

श्री भजन लाल : जहां बैंक को कम्पैंसेट करने की बात है, कम्पैंसेट कैसे किया जाए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपका सुझाव वाजिब है, इसके बारे में विचार करेंगे कि क्या हो सकता है लेकिन जो सरकार कर सकती थी हमने करने की कोशिश की है। जहां सूखा पड़ गया और ब्याज दर ब्याज मूलधन से ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ दिया है। अब यह तय किया गया है कि 7 सालों में राशि वसूल करेंगे। जहां तीन साल से ज्यादा सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो 10 सालों में वसूल करेंगे···

श्री रामश्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : पांच साल तक सूद ही मत लो।

श्री भजन लाल : लेकिन सूद नहीं लेने का कारण तो कोई हो। आज आपने पैसा लिया है, आपकी हालत ठीक है और आप जान-बूझकर नहीं दें तो कौन माफ करेगा। अचानक हालत ऐसी बन जाए, मुसीबत आ पड़े, अचानक कोई आपदा आ पड़े तो ठीक बात है लेना नहीं चाहिए, रियायत करनी चाहिए···

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : ऐसी परिस्थिति हो जाए, जैसी हमारे जिलों में हुई है कि 5 साल तक लगातार सूखा हो···

श्री भजन लाल : वह तो हो गया। उसमें मूल राशि से फालतू कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में तो हम 10 साल में वसूल करेंगे। आसान किस्तों में दस साल में हम वसूल करेंगे।

(**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार में भूकम्प आया, वहां भी माफ कराइए। (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : एक दूसरी बात फसल बीमा योजना के बारे में कही गई है। यह एक बड़ा अहम सवाल है। बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या आग लग जाती है, तो किसान को जरूर पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए कई प्रांतों में स्कीमें चालू हैं कुछ हद तक, हालांकि सारे किसान उसमें कवर्ड नहीं हैं। यह स्कीम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में चालू नहीं है। मैं भी उसमें शामिल था। मैं बता रहा हूं, मैं जब मुख्य मंत्री था, तो क्यों नहीं चलाया—उसका कारण भी बतलाता हूं। उन्होंने कह दिया कि यूनिट जिले को माना जाए, हमने कह दिया कि नहीं मानते। फिर ब्लाक लेवल पर आए लेकिन हमने ब्लाक लेवल को भी नहीं माना। मैंने कहा कि ब्लाक में सौ गांव हों, डेढ़ सौ गांव हों और उनमें सभी में अगर 80 फीसदी नुकसान हो तभी जाकर किसानों को कुछ मिले। ओला गिरता है तो सारे ब्लाक में नहीं, एक गांव के आधे में ही वह पड़ता है, यह आप जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि पटवार सर्किल को यूनिट माना जाए तभी किसान को फायदा होगा। इसीलिए हमने उसको नहीं माना था। हमने कहा कि सारे किसानों को कवर करो। वहां किसान कौन कवर होगा? जो कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लेता है। जिसने कर्जा लिया वह कवर हो गया। यह तो बैंक ने अपना कवर किया, इसमें किसान को क्या मिला? इस सम्बन्ध में हमने बाकायदा एक कमेटी बना दी है और उसकी दो-तीन मीटिंग्स भी कर ली हैं और बाकी होने जा रही हैं। मैं अभी कोई वायदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश यह होगी कि इस देश के सारे किसान कवर हों, चाहे कोई लोन ले या न ले। प्रीमियम उससे हम ले लें और नो-लास नो-प्राफिट बेसिस पर इस काम को हम चलायें ताकि सारे किसानों को फायदा हो जाए। पटवार सर्किल से मेरा मतलब गांव यूनिट से है। कई जगह छोटे-छोटे गांव होते हैं तो दो-तीन गांवों के ऊपर एक पटवारी होता है और जहां बड़े गांव होते हैं वहां एक गांव पर एक पटवारी होता है। चूंकि पटवारी के पास रेवेन्यू रिकार्ड होता है इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड के हिसाब से गांव यूनिट हो जायें, ताकि किसानों को उसका पूरा लाभ मिल जाए। इसके बारे में हमारी मीटिंग चल रही हैं और इससे किसानों को पूरा फायदा होगा। फैसला बहुत जल्दी हम करेंगे इस मामले में। हमारी कोशिश होगी कि आने वाली खरीफ की जो फसल होगी उस तक हम इसका फैसला करके, जो भी फैसला हो, उसको लागू करें। आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा भी।

एक बहुत बड़ी बात हम और करने जा रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों की यह बड़ी भारी शिकायत रहती है हमेशा कि किसान जब अपना अनाज निकालता है तब उसके भाव

सस्ते हो जाते हैं और 3-4 महीने के बाद महंगे हो जाते हैं। इसके लिए हम एक स्कीम चालू करने जा रहे हैं। कई मीटिंग्ज करके हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं, रिजर्व बैंक से बात भी हो गई है। सवाल यह है कि कब से उसको लागू करें। उम्मीद है अगले महीने से ही लागू कर दें। वह स्कीम क्या है? हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तजुर्बे के तौर पर, हर प्रदेश से एक जिला छांटा है। जिस तरह से व्यापारी अपना अनाज अपने गोदाम में रखकर बैंक से 80 फीसदी एडवांस ले लेता है, उसी तरह से किसान भी अपने ही घर में अनाज रखकर और बैंक का ताला लगवा कर 80 फीसदी एडवांस ले ले, ताकि किसान की यह शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाए। अभी तजुर्बे के तौर पर हर प्रदेश से एक-एक जिला छांटा है और अगर यह स्कीम कामयाब हो जाएगी तो सारे मुल्क में इसको लागू करेंगे ताकि किसान की प्राब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए।

इसके अलावा यहां पर बहस शुरू करते हुए जंगा रेड्डी जी ने इल्जाम लगाया था कि राजीव जी ने बोट क्लब पर जो किसान आए थे, उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया। यह बिल्कुल बेसलेस और बेबुनियाद इल्जाम है। किसानों ने जब भी समय मांगा उनको समय दिया गया। मैं उस दिन यहां नहीं था, राजस्थान गया हुआ था लेकिन हमारे मन्त्री श्यामलाल जी, श्री राम निवास मिर्धा, श्री राजेश पायलट से किसान मिले और उनकी बातों को सुना और उनको विश्वास दिलाया कि जो भी उनकी समस्यायें हैं उनको जहां तक हो सकता है हम दूर करने के लिए हमेशा ही सही बात को हमने माना है मगर न होने वाली बात कैसे मानेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह चर्चा किसानों और कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में है। पैंतालीस मिनट बीत गए हैं। कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। क्या वह कुछ कहेंगे?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैडम मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूं। सभी माननीय सदस्य इज्जत और सम्मान के माननीय सदस्य हैं। लेकिन जब मैं सदन में देखता हूं सामने की ओर, तो मैं पाता हूं कि सामने वालों को कितनी हमदर्दी है। गिनती के दस मैम्बर बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि आप किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी रखते हो। लेबर के बारे में मैंने शुरू में बोला है। उस वक्त आप हाउस में नहीं थी। आप पार्टी के सदस्यों से पूछिए, वे बतायेंगे। आपके साथी बैठे हैं, ये बतायेंगे। सबसे पहले मैंने लेबर की बात की थी। ···**(व्यवधान)**···कहा गया कि किसानों को पानी नहीं दिया और यह नहीं किया या वह नहीं किया गया। एक सदस्य ने यह भी कहा कि किसानों के डर की वजह से आप लोग लाल किले पर भाग गए। लाल किले पर हम किसानों के सम्मान के लिए गए, हम नहीं चाहते थे कि किसानों के साथ ज्यादती हो। ये किसान एक दिन के लिए आए थे और दस दिन तक धरना देकर बैठ गए। उनको भड़काया गया, हम लोग नहीं चाहते थे कि वे भड़कें। ऐसा होते हुए भी हमने उदारता का परिचय दिया, हमने रैली की जगह बदल ली, क्योंकि देश का किसान देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। किसान को गुमराह किया जा सकता है। इस समय किसान बहकावे में आए हुए हैं, लेकिन जिस वक्त वह समझेगा तो खुद वह महसूस करेगा कि सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है। हमने लाल-किले पर ऐतिहासिक रैली की। ऐसी रैली आजादी के 40 वर्षों में भी नहीं हुई होगी, जब से देश आजाद हुआ है। ···**(व्यवधान)**···

श्री पीयूष तिरकी : एक तो मर भी गया । ट्रेन में लाठी चलाई गई । ···(**व्यवधान**)···

श्री भजन लाल : गोली या लाठी से मरने का सवाल नहीं है, बल्कि पुलिस वालों की पिटाई हो गई । पुलिस वाले पानी भेज रहे थे, उनको पीटने की कोशिश की गई । कोई गोली पुलिस वालों ने नहीं चलाई । हार्ट-फेल से यदि कोई घर में भी मर जाए तो क्या कर सकते हैं । जो मरा है, वह हार्ट-फेल होकर मरा है । यह एक व्यक्ति हार्ट-फेल होकर मरा है ।

आपने कहा है कि प्रोजैक्ट्स पैंडिंग पड़े हुए हैं । मैं खुद कहता हूं कि कुछ प्रोजैक्ट्स भारत सरकार के पास आए हुए हैं, उनको जल्दी मन्जूर करना चाहिए । उन पर जल्दी काम चालू करना चाहिए, क्योंकि यह देश का सवाल है । इन प्रोजैक्ट के चालू होने से देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की हालत भी ठीक होगी । इसी तरह से उद्योगपतियों के बारे में कहा गया कि उद्योगपतियों को जेल नहीं भेजने हैं और किसानों को जेल भेज दिया जाता है । आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति पैसा लेगा, कर्जा लेगा और उसके पास बकाया होगा तथा वह टाइम पर नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्य-वाही करनी पड़ेगी, चाहे वह उद्योगपति हो या कोई दूसरा हो ।

एक बात यहां पर स्पोर्ट-प्राइस के बारे में कही गई । श्री रामसिंह यादव जी ने शिकायत की कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के लोगों ने कि यहां तीन-चार साल के बाद बड़ी मुश्किल से बाजरा पैदा हुआ है और बाजरे का भाव 110-115 हो गया और इसलिए उसको फॉरन परचेज करना चाहिए । हमने बाकायदा मोटा अनाज, बाजरा, जो भी सपोर्ट प्राइस मुकर्रिर कर रखी है किसानों के हित में सारे देश के अन्दर उसकी कीमत सपोर्ट प्राइस से कम न जाए, 145 रुपए से कम न जाए, खरीद शुरू की है और तकरीबन 30 हजार टन अकेला बाजरा प्रोक्योर कर चुके हैं, ताकि किसानों को मुनासिब प्राइस मिले । ···(**व्यवधान**)···

श्री बी० तुलसी राम (नगर कुरनूल) : माननीय मंत्री जी हमारे आन्ध्र प्रदेश में कृषक परिषद् है, कायम कर रखी हैं । उसके थ्रू जो किसानों के पास अनाज उगता है, उस अनाज को किसान डायरैक्ट बेच ले, जिससे बीच में दलाल और दलाली न देनी पड़े, उसको रेट ज्यादा से ज्यादा मिले । ऐसा हमने किया है । यह सब आप हिन्दुस्तान में करने जा रहे हैं या नहीं ? ···(**व्यवधान**)···

श्री भजन लाल : सारे देश में अनाज मूवमेंट पर पाबन्दी नहीं है । सारे देश में अनाज कहीं जा सकता है, कोई बैन नहीं है ।

दूसरे आपने कहा कि जमीन जो एक्वायर की जाती है उसका जो पैसा मिलता है, उसके सूद पर इनका टेक्स लग जाता है । आप जानते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है । यह स्टेट गवर्नमेंट का या भारत सरकार का डिसीजन नहीं है कि जो सूद मिले उसे प्रोफिट माना जाए । हम इसको कैसे कर सकते हैं इस पर हम विचार कर रहे हैं । हमारी यह भी कोशिश होगी कि किसान को समय से पैसा मिल जाए और उसको पैसा दे करके जमीन का कब्जा लिया जाए । उसकी जमीन भी मार्किट रेट से अक्वायर की जाए और जो जमीन अक्वायर की जाए वह नकारा जमीन अक्वायर की जाए । एक्वायर की जाने वाली जमीन उपजाऊ जमीन न हो ताकि देश का उत्पादन भी कम न हो ।

मधु दण्डवते जी ने कहा, उसके बारे में मैं कह चुका हूं, उसके बारे में दुबारा कहने की जरूरत नहीं है । बहुत-सी बातें आप लोगों ने कही । मैं कहना चाहता हूं कि जब कुछ महानुभाव शहरों में जाते

हैं तो किसी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जब वे देहात में जाते हैं तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कलकत्ता में जायेंगे तो वहां कहेंगे कि बड़ी भारी महंगाई बढ़ गयी है और जब देहात में जायेंगे तो कहेंगे कि किसान को पूरा भाव नहीं मिलता, किसान भूखा मरता है, किसान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। एक ही दिन में, एक ही मुंह से दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। (**व्यवधान**) जहां तक छोटे किसान को सहायता करने का सवाल है, उसकी फसल अच्छी करने का सवाल है, किसी ने कहा कि टिड्डी दल आते हैं। आप जानते हैं कि टिड्डियों का नुकसान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में होता है। आंध्र में तो आज तक टिड्डी गयी नहीं। इनसे नुकसान ज्यादातर राजस्थान में होता है।

श्री बी० तुलसीराम : क्या आप उन्हें वहीं रोक लेते हैं ?

श्री भजन लाल : इसी तरह से त्रिपाठी जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा। एक आपने कहा कि सारे मुल्क में बिजली के रेट एक जैसे होने चाहिए। आप जानते हैं कि यह भारत सरकार का कानून नहीं है। यह स्टेट का सब्जेक्ट है और बिजली के रेट स्टेट वाले तय करते हैं। लेकिन फिर भी किसानों के लिए बिजली बोर्डों को एक साल में केवल बिजली पर 1750 करोड़ रुपए का घाटा होता है। घर में बिजली 80 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है और किसान को 18 पैसे फी यूनिट में बिजली दी जाती है। 62 पैसे फी यूनिट का बिजली बोर्डों को घाटा उठाना पड़ता है।

इसी तरह से खाद के बारे में आपने कहा। आप जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद पर सब्सीडी पर 12 हजार करोड़ रुपया रखा गया है और चालू साल में तीन हजार करोड़ रुपए की सब्सीडी किसान को खाद पर दी है। अगर इसका फायदा किसान को सीधा नहीं पहुंचेगा तो काम टेढ़ा हो जाएगा। आप जानते हैं कि खाद का भाव कम करके सारे मुल्क में हम किसान को सस्ते भाव पर खाद दे रहे हैं। जहां खाद पैदा होता है, बनता है वहीं खाद पर सब्सीडी दी जाती है। इससे किसान को खाद सस्ते भाव पर मिलती है। लेकिन फिर भी राव वीरेन्द्रसिंह जी की एक कमेटी बनायी है। राव साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, स्टेट के मुख्य मन्त्री भी रहे हैं और वे किसान भी हैं। वह कमेटी यह देखेगी कि इसका पूरा फायदा किसानों को कैसे पहुंचे, कैसे किसानों को सीधे हम सब्सीडी दें। जिससे किसान को भी लगे भारत सरकार सब्सीडीं दे रही है। अब करोड़ों रुपए भारत सरकार के घर से सब्सीडी के लिए चले जाते हैं लेकिन किसान को पता नहीं चलता। उसको पता चले और उसके हाथ में पैसा जाए। लेकिन इसका क्या रास्ता हो, इसके लिए क्या रास्ता अपनाया जाए जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके।

श्री रामसिंह यादव : आपने यूरिया पर जो कंसेशन दिया है, क्या और खादों पर भी दिया है ?

श्री भजन लाल : इस साल के बजट में यूरिया पर दिया है और दूसरी चीजों पर पहले 105 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको घटाकर पन्द्रह परसेंट किया है और औजारों पर भी कम किया है। यूरिया पर आठ रुपए अस्सी पैसे प्रति बोरी कम हुआ है। इसी तरह से सर्वश्री सोमनाथ रथ, मनोज पांडेय, जायनल अबेदिन, राम सिंह यादव और श्रीमती गीता मुखर्जी ने औरतों और नौजवानों की मजदूरी के बारे में कहा है। इसको हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वन थर्ड महिलाओं को काम मिले। ...(**व्यवधान**) नौजवानों को भी काम मिले।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृषि कर्मकारों के लिए एकमत होकर एक व्यापक कानून की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैंने अभी बताया कि 11 अगस्त 1987 को कमीशन बना दिया है। कमीशन की रिपोर्ट आने पर वाकायदा उस पर गौर किया जाएगा। आप भी तो उसकी मैम्बर हैं। आप देरी क्यों करती हैं, मेहरबानी करके रिपोर्ट दीजिए। इसी तरह से श्रीमती ऊषा चौधरी, सर्वश्री जनक राज गुप्त, रघुमा रेड्डी, डा० कलानिधि और डा० राजहंस जी ने भी बहुत बढ़िया बातें कही हैं। राजहंस जी बीच में कभी-कभी टोकते रहते हैं उससे मुझे कोई शिकाबत नहीं है। इसी तरह से श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत, श्री तुलसीराम जी, चौधरी राम नारायण सिंह जी, श्री वी० एन० पाटिल, राव साहब, श्री रामूवालिया और श्री राम प्यारे पनिका जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। श्री बल्लभ पाणिग्रही जी ने भी कहा कि अनाज की पैदावार बढ़ानी चाहिए। भूमि सुधार के बारे में बताना चाहता हूं कि भूमि सुधार का कानून सारे मुल्क में बना है। सारे मुल्क में सत्तर लाख एकड़ जमीन सरप्लस में निकली जिसमें से 45 लाख एकड़ गरीबों को दी गई जिनके पास जमीन नहीं थी और पच्चीस लाख एकड़ जमीन पर अदालतों से स्टे मिला हुआ है। कोर्ट बीच में आ जाए तो दिक्कत आती है। फिर भी हमने राज्यों को लिखा है कि केस जल्दी लगवाकर फैसला करवाएं और वह भूमि लोगों को बांटी जाए। बेनामी जमीन भी राज्य का विषय है। बताया गया है कि बहुत सी जगहों पर कुत्ते, बिल्ली और गाय-भैंस के नाम पर बेनामी जमीन है, उसकी जांच होनी चाहिए। राज्यों को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने मूल्यवान विचार रखे हैं, अगर हरेक का जबाव दूं तो तीन घण्टे का समय मुझे चाहिए। साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल का समय हो जाएगा। ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने गुंटूर और प्रकाशय जिलों के कपास किसानों के विशेष मामलों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। आपके पक्ष से अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने ऋणों के ब्याज को माफ करने का समर्थन किया है। कुछ विधान सभा सदस्यों ने भी आकर इसका समर्थन किया है। आप देय ऋणों के ब्याज को माफ क्यों नहीं कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आंध्र प्रदेश में कॉटन की वजह से कुछ लोगों ने आत्म-हत्या भी की और हमें इसका बड़ा खेद है। प्रधान मन्त्री जी वहां गए थे और बीस हजार रुपए सहायता के तौर पर देकर आए थे। उनका गहना जो बैंकों में रखा हुआ था, वह नीलाम हो जाता, उसको रोक दिया और उनका पैसा भी आगे के लिए बढ़ा दिया। आप जानते हैं, ब्याज वगैरह माफ करना राज्य सरकार का काम है। आन्ध्रा में तो आपकी सरकार है इसलिए आपको करना चाहिए था। ···(**व्यवधान**) क्यों नहीं किया ?

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमारी सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए के बराबर कपास ऋण माफ किए हैं। आपकी सरकार क्यों बैंक ऋण माफ नहीं करती ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : दो रुपए किलो चावल देकर आप लोगों पर एहसान करते हैं। चावल सब्सीडाइज करके भारत सरकार आपको देती है। जो बची हुई सबसिडी है वह भी नेशनेलाइज्ड बैंकों को दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है ताकि लोगों का काम चल जाए।…(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमारी राज्य सरकार गरीब लोगों और किसानों की सहायता करती है।…(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप पढ़े-लिखे समझदार सदस्य हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपने बड़े अच्छे विचार रखे हैं किसानों के बारे में, आप उनके बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जितने आप हैं उससे कम मैं भी नहीं हूं और सदन का कोई भी सदस्य किसानों से कम हमदर्दी नहीं रखता। रंगा साहब ने भी अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं इन सारी बातों पर गहराई से विचार करूंगा। जितने भी अच्छे सुझाव हैं भारत सरकार की ओर से पूरी कोशिश होगी कि उन पर अमल हो और जहां तक सम्भव होगा उनको अमली जामा पहनाने की मैं कोशिश करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार यहां रखे। धन्यवाद।

3.31 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

57वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 16 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सतावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सतावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म० प०

नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में संकल्प

—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सोमनाथ रथ द्वारा 19 अगस्त, 1988 को पेश किए गए नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं श्री सोमनाथ रथ को यह गैर-सरकारी सदस्यों का यह संकल्प लाने पर बधाई देता हूं। मैं उनके इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उस वचनबद्धता का अभाव है जिसकी इसमें काफी आवश्यकता है।

यह कार्यक्रम 1975 में आरम्भ किया गया था और 1982 में इसमें परिवर्तन किया गया और 1986 में इसमें पुनः परिवर्तन किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य गरीबी दूर करना है। यद्यपि गत 13 वर्षों के दौरान सहस्रों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं फिर भी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं मानता हूं कि कुछ परिवर्तन हुआ है किन्तु बहुत कुछ करना बाकी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि उत्तरी भारत में विशेषकर सर्दियों के महीनों में कम से कम 300-400 लोग मर जाते हैं क्योंकि अपने आपको शीत लहर से बचाने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सब से अधिक गरीब लोगों की सहायता के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अनेक दूसरे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। अगर यह कार्य किया गया था, अगर वास्तव में सबसे गरीब लोगों की सहायता की गई थी तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थी। मुख्य कारण है कि क्योंकि विभिन्न स्तरों पर इसके क्रियान्वयन में कुछ खामियां रही हैं। वास्तव में सरकार का इरादा यह है कि इन कार्यक्रमों को भली प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए और उन लोगों की, जो गरीबी की रेखा से नीचे है ऐसे सहायता की जानी चाहिए जो लम्बे अर्से तक काम आए। इससे उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास करने में सहायता मिलेगी। लेकिन इसमें वास्तव में कार्य करने के बजाय कागजी कार्यवाही अधिक है। मैं केवल एक उदाहरण उद्धृत करूंगा। हम गरीब लोगों को दुधारू पशु या बैलों का जोड़ा और बैलगाड़ी या भेड़ और बकरी खरीदने के लिए आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण देना चाहते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है लाभभोगी उस दुधारू पशु या बैलगाड़ी या बैलों का जोड़ा और बैलगाड़ी या भेड़ और बकरी नहीं खरीदता इस प्रकार के कार्य में तीनों लाभभोगी, बैंक अधिकारी और खण्ड अधिकारी की सांठ-गांठ होती है। वे पशु नहीं खरीदते लेकिन उस विशेष योजना से प्राप्त राजसहायता को ये तीनों आपस में बांट लेते हैं और बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वापिस लौटा देंगे। जिससे बैंक के हितों की रक्षा हो जाती है और बैंक मेनेजर भी सन्तुष्ट रहता है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है ? सरकार द्वारा दी गई राजसहायता वितरित की जाती है लेकिन गरीब व्यक्ति पशु या बैलों की जोड़ी और बैल-गाड़ी नहीं खरीद पाता, आगे जाकर उसे फायदा नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि उसने गरीबी की रेखा पार कर ली है क्योंकि उसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ऋण दिया गया है लेकिन व्यवहारिक रूप में वह गरीबी की रेखा पार नहीं करेगा ऐसे उदाहरण हैं जो हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसे उदाहरणों में, जब इन कमियों को सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो न केवल सरकार को बल्कि सभी राज्य सरकारों को कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए। जब कभी

ऐसी कमियां प्रशासन के ध्यान में लाई जाती है तो उन्हें कड़े उपाय करने चाहिए और उन व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। केवल तभी इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। कभी-कभी यह दूसरे तरीके से भी हो रहा है। भारत सरकार ने दिशा-निर्देश दिए हैं। सभी राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं। हमारे राज्य में भी हमारी राज्य सरकार इन दिशानिर्देशों की कठोरता से पालन कर रही है। अधिकारियों की एक चयन समिति है और वे लाभभोगियों का चयन करती है। इसमें बैंक अधिकारी भी शामिल होता है। लेकिन गरीब लाभभोगी का पता चलने के बाद, चयन हो जाने के बाद बैंक अधिकारी कहता है : "जी नहीं, योजना व्यवहार्य नहीं है अतः मैं ऋण नहीं देता।" उस प्रक्रिया में होता यह है कि गरीब व्यक्ति जिसे ऋण की मंजूरी दी जाती है जो उस विशेष योजना के क्रियान्वयन द्वारा स्व-रोजगार की आशा कर रहा है को मानसिक कष्ट होता है। वह मारा-मारा फिरता है और उसे बैंक में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार बैंक अधिकारियों की तरफ से इस प्रकार सहयोग न देने पर हम अपने लक्ष्य पर समय पर नहीं पहुंच पाते। केवल अन्तिम समय पर हम किसी प्रकार इस लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन्हें नए आदेश जारी करें जिससे कि बैंक उन लाभभोगियों को ऋण अवश्य दें जो सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार चुने जाएं और चयन प्रक्रिया में बैंक अधिकारी का शुरू से अन्त तक सहयोग होना चाहिए।

कुल मिला कर, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास योजना के तहत खर्च की गई राशि से ग्रामीण लोगों को काफी सहायता मिल रही है। मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए दी गई निधि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक उपेक्षित पड़ी सड़कों या स्कूल भवनों या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए भवनों, जो कि पूरे गांव में लोगों के लिए जरूरी है, के लिए कुछ धनराशि मिल पाई है। इस तरह के विकासात्मक कार्यों से गांवों में काफी परिवर्तन आए हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इन ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा अन्य सुझाव यह है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि अब अवस्था आ गई है जहां सर्विस सेक्टर से और अधिक रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं इसके लिए 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी प्रक्रिया के आधुनिक होने या इसके लिए आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे उद्योगों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें रोजगार के अवसर कम होंगे। अब हम जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं एक गरीब व्यक्ति अपनी साइकिल पर जाता है और उसकी साइकिल के पीछे कुछ टोकरियां लगी होती हैं जिसमें कुछ सब्जियां, फल होते हैं या ग्रामीण ग्राहकों को कपड़े बेचने के लिए जाते हैं और वह कुछ कमा पाते हैं जिससे कि वह किसी अन्य स्थान पर नौकरी पर जाए बिना अपनी जीविका चला सके इसी तरह, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हम लोगों को अपनी चार पहिये वाली बैलगाड़ी पर कुछ सब्जियां रखकर गलियों में बेचते देखते हैं। जिससे कि वे अपनी जीविका कमा सके। यह ऐसा ही है जैसे विकसित देशों में कुल काम करने वालों में से लगभग 1/3 लोग सर्विस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। उस सीमा तक न सही किन्तु शुरूआत तो की जा सकती है। निःसन्देह अब यह स्थिति आ गई है जहां सर्विस सेक्टर में थोड़े से लागत से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मान लीजिए गरीब व्यक्ति को 500 रुपए या 400 रुपए के पूंजी से साइकिल दी जाती है तो उसके छोटे से व्यापार की कुल लागत 1000 रुपए से अधिक नहीं है। अगर आप इन गरीब लोगों को इस तरह की सुविधाएं देने पर विचार करें तो आप लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। अतः महोदय

कुछ नए उपायों पर विचार किया जा सकता है या उस सम्बन्ध में पता चलाया जा सकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ऋण कार्यक्रमों में योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा सकती है जिसमें गरीब लोगों को अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है।

महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम का बहुत व्यापक विषय है। मैं उन सब को नहीं लेना चाहता। अब, मैं आवास सुविधाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। भोजन के बाद, गरीब व्यक्तियों के लिए आवास बहुत जरूरी है। यह लोगों की बुनियादी आवश्यकता है। सरकार स्वीकार करती है कि इसके बावजूद कि मकान बनाए जा रहे हैं, लगभग 162 लाख मकान सातवीं योजना काल में बनाए जा रहे हैं, आठवीं योजना के शुरू में 293 लाख मकानों की आवश्यकता है। महोदय, इससे स्थिति की गम्भीरता का पता चलता है। अब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में चल रहे आवास कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए उन्होंने यह कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के तहत इन्दिरा आवास योजना कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनके मकानों के निर्माण के लिए मात्र उनकी धन से सहायता कर देना ही पर्याप्त नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह से निशुल्क मकान देकर उनकी सहायता करना उचित है। क्या हमें निर्धन व्यक्तियों को काम करके कुछ बचत करने और अपने घर स्वयं बनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए ? निश्चित रूप से सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। आप उन्हें कुछ सीमा तक मकान की लागत में राज-सहायता दे सकते हैं जैसे यदि गृह निर्माण की कुल लागत 6 हजार अथवा 8 हजार अथवा 10 हजार रुपए है तो आप उन्हें 2 हजार अथवा 3 हजार की सीमा तक राजसहायता दे सकते हैं। उसे यह लेना चाहिए कि उन्हें कार्य करना चाहिए और अपना घर बनाने के लिए कुछ बचाना चाहिए। यदि वे इस कार्य के लिए ऋण प्राप्त करते हैं तो उन्हें समान किश्तों में ऋण की वापस अदायगी करने में समर्थ होना चाहिए। अब तक आपने सम्भवतः सम्पूर्ण देश में कुछ लाख लोगों को ही ऋण दिया होगा। परन्तु इस देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आवास-सुविधा दी जानी चाहिए। अतः मेरा निवेदन यह है कि आप कृपया इस आधार पर गृह-निर्माण के लिए गरीब लोगों को सहायता देने के बारे में सोचिए। हमारे अपने राज्य में, हमारी सरकार ने समाज कल्याण कार्यों के लिए पिछले 5 वर्षों में लगभग 35 करोड़ रुपया खर्च किया है और इससे गरीब हरिजनों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 8 लाख मकान बनाने में सहायता मिली है। हमारी सरकार ने लगभग 2 हजार रुपए राजसहायता के रूप में दिए हैं और बाकी निर्माण लागत ऋण के रूप में दी गई है। और मैं माननीय मन्त्री को यह सुझाव देता हूं कि इस बारे में विचार किया जाए और केन्द्र सरकार के स्तर पर इसे आरम्भ किया जाए ताकि आपकी सहायता से उन राज्य सरकारों को लाभ हो सके जो काफी बड़े पैमाने पर इस आवास कार्यक्रम को आरम्भ कर रही हैं ताकि हम आने वाले आठवीं योजना काल में 290 लाख इकाईयों के अपने लक्ष्य के अधिक पास पहुंच सके। इस प्रक्रिया में यह मेरा सुझाव है। पहले बिहार से आने वाले मेरे सहयोगी इस बारे में भाषण दे रहे थे कि मकान/आवास निर्माण के इन मामलों में बहुत अपव्यय और भ्रष्टाचार व्याप्त है, इन मकानों के निर्माण में घटिया स्तर की ईंटों और कम मात्रा में सीमेन्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। माननीय सदस्य ने इस बात को सदन के ध्यान में ला दिया है। हमारे अपने राज्य में हमारा अनुभव यह है कि हम इस कार्य में लाभभोगियों को सम्मिलित करते हैं, वे एक समिति बनाते हैं और स्वयं निर्माण करते हैं। वे आवश्यक सामग्री जैसे ईंट, सीमेन्ट, स्टील आदि का समुचित उपयोग करते हैं, जिसके लिए हमें सरकार से धनराशि मिलती है। मुझे आशा है कि सरकार इसी प्रकार की नीति को अपनाएगी।

कई शहरों से गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में बात यह है कि गन्दी बस्तियां तेजी से बढ़ रही हैं और मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जैसे कुछ वर्ष पहले मद्रास में डी० एम० के० सरकार ने अल्पकाल में ही कई हजार मकानों का निर्माण करके बहुत बड़े पैमाने पर गन्दी बस्तियों को हटाने और गन्दी बस्तियों में सुधार का कार्यक्रम चलाया था उसी प्रकार भारत सरकार भी अन्य महानगरों से गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए स्थाई गृहों की व्यवस्था करने के लिए कुछ ऐसे ही उपाय क्यों नहीं करती ? इस सन्दर्भ में हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में भी हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और कई अन्य शहरों में विदेशी विकास एजेन्सियों की सहायता से भारत सरकार की राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने की एक योजना है। माननीय शहरी विकास मन्त्री एक सम्मेलन के सन्दर्भ में हाल ही में विजयवाड़ा गई थीं और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सरकार उन्हें यह सहायता उपलब्ध कराएगी और मैं पुनः माननीय मन्त्री से यह आग्रह करता हूं कि हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश के कई कस्बों और कई शहरों से इन गन्दी बस्तियों को शीघ्र ही हटाने के लिए यह सहायता उपलब्ध कराई जाए।

हम सभी लोगों को 2000 ईस्वी तक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। और इस बात को 1983 में अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी दोहराया गया था। परन्तु मैं सरकार से यह पूछता हूं कि क्या हम वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं ? आज भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। शिशु मृत्यु दर आज भी बहुत अधिक है और सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इस शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। और जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में, मैं यह नहीं जानता कि हमारी सरकार अपने घोषित तरीके से कार्यवाही करने में असमर्थ क्यों है, इसका आशय यह नहीं है कि हमारी सरकार लोगों से नसबन्दी कराने और जनसंख्या नियन्त्रण उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि जब साम्यवादी चीन में सरकार ने परिवार योजना कार्यक्रम को लागू करने के लिए अल्पमत के लोगों को सहमत कर लिया है और जब मुस्लिम शासित इन्डोनेशिया में ऐसा किया जा चुका है तो यह सरकार परिवार योजना कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए अल्पमत के लोगों को सहमत करने में विफल क्यों रही है ? क्योंकि अन्ततः जनसंख्या वृद्धि में कमी आने पर ही उसका लाभ सभी लोगों को हो सकता है और वहां धर्म-प्रमुख लोगों को भी इस बारे में सहमत किया गया है। वे सरकारी कार्यक्रम से सहमत हो गए हैं और वे धर्म-प्रमुख व्यक्ति सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार भी धर्म-प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत क्यों नहीं करती ? इसमें विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, आप सभी धर्म-प्रमुख व्यक्तियों की बैठक बुलाइए और उन्हें यह बताइए कि जब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूरी तरह अमल में नहीं लाया जाता और जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तब तक इस सरकार के सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे और स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं आ रहा तथा गरीब लोगों को कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। अतः कृपया आप भी सहयोग कीजिए, आप भी इसकी वकालत कीजिए। आप अपने अनुयायियों के माध्यम से इस परिवार नियोजन शिक्षा और कार्यक्रम को आरम्भ कीजिए। धार्मिक विश्वास में ऐसी कोई बात नहीं है कि परिवार नियोजन को नहीं अपनाना चाहिए। परन्तु सरकार ने अभी तक इस उपाय को आरम्भ नहीं किया है। उन्होंने परिवार नियोजन के लिए कई अन्य तरीकों का उपयोग किया है परन्तु सरकार द्वारा इस तरीके का उपयोग करने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरीके का उपयोग करने का भी प्रयास किया जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ दिलाने के बारे में, वास्तव में बहुत ही कम काम हुआ है। अब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं और कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की ऐसी निराशाजनक स्थिति है कि वे एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं जिसका प्रशासन वे स्वयं चलाएंगे। इस बात से केवल यह स्पष्ट होता है कि उनकी अधिक देखभाल नहीं की गई। हो सकता है कि इन लोगों के लिए बजट में कागजों पर आवंटन किया गया हो परन्तु इन अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसका कितना लाभ मिला है ?

उदाहरण के लिए हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 1210 नए होस्टलों का निर्माण किया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के समुदायों के लिए केवल 600 होस्टल थे और हमारी सरकार ने उनके लिए 1030 होस्टलों का निर्माण किया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी 470 नए होस्टल खोले गए हैं। अब भी इन सब बातों के बावजूद हमारी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक नहीं है। उन कमजोर वर्गों के लिए यह सब कार्य करने के बावजूद अब भी बहुत सा कार्य करना है और मुझे आशा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए और सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में उनके विकास के लिए सरकार इसी प्रकार सहायता प्रदान करेगी।

अन्त में मैं सरकारी वितरण प्रणाली का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी-अभी माननीय मन्त्री यह बता रहे थे कि किसान उन्हें दिए जा रहे मूल्यों से सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं जबकि शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोग बहुत ऊंची कीमतों की अदायगी करने के लिए विवश हैं। इस स्थिति में सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व सरकारी वितरण प्रणाली के रूप में है। मुझे यह बतलाया गया है कि कुछ राज्यों में यह सरकारी वितरण प्रणाली अच्छी तरह काम नहीं कर रही है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही आवश्यक वस्तुएं भी गरीब लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं। वास्तव में मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार इन कीमतों को और अधिक कम क्यों नहीं करती ? उदाहरण के लिए अब आप कुछ सीमा तक चावल और गेहूं की सप्लाई वसूली लागत और प्रबन्धन की लागत में राजसहायता देते हैं। परन्तु हमारी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वर्ष 1986-87 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी मूल्यों में दी जा रही राज-सहायता के अलावा 285 करोड़ रुपए राजसहायता के रूप में खर्च किए और प्रति परिवार 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया। इससे लगभग एक करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी कीमतों में दी जा रही राजसहायता में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए ताकि राज्य-सरकारों का बोझ और कम हो सके और वे अन्य क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग कर सके। अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कपड़ा ऐसी दूसरी वस्तु है जिसकी गरीब वर्गों को सप्लाई की जानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई कपड़ा नीति में हस्तकरघा बुनकरों के हितों का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार बुनकरों से धोतियां तथा साड़ियां खरीद कर उपभोक्ताओं को पचास प्रतिशत मूल्य पर बेच रही है, इस प्रकार वह लगभग 30 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रही है। लुंगियां प्रकाशम और गुंटूर जिलों के तथा देश के दूसरे भागों के हस्तकरघा बुनकर बना रहे हैं, परन्तु उनकी बिक्री नहीं हो रही है। श्रीलंका तथा बर्मा ने एक्सपोर्ट आर्डर देने लगभग बन्द कर दिए हैं। इन बुनकरों को काफी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि बुनकर बहुत परे-शान हैं तथा कुछ आत्महत्याओं की घटनाएं भी हुई हैं। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इन

बुनकरों की सहायता के लिए ऐसे स्टॉक खरीदे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से देश के दूसरे भागों में उन्हें वेचे।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि ये कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में गुणात्मक परिवर्तन लाने के तथा सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने के हमारे संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमने इन सब कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है, और जब इन सभी कार्यक्रमों को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा तो जनता के जीवन में सुधार होगा तथा सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक या दो मामलों को छोड़कर लगभग सभी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। हमारे प्रधानमन्त्री भी ग्रामीण इलाकों विशेषतः उन गांवों का दौरा कर रहे हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब लोग रहते हैं। उनको भी यह पता चला है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती गई है। अपने भाषणों में वह कह रहे हैं कि आबंटित धन का उपयोग किया गया है परन्तु इस लाभ का उन लोगों को बहुत कम प्रतिशत मिला है जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए किसी विशेष योजना के लिए रखे गए छः रुपयों में से केवल एक रुपया उस समूह को मिल पाता है जिसको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दोषपूर्ण है जबकि आंकड़े बताते हैं कि हमने सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

महोदय, मैंने अभी तेलगु देशम के एक माननीय सदस्य को क्रियान्वयन के बारे में यही बात कहते हुए सुना।

3.58 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अब मैं भी यही बात कहना चाहता हूं। उदाहरणार्थ हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु एन० आर० ई० पी० के बारे में किए गए अध्ययन से एक अलग ही स्थिति सामने आती है। सी० एण्ड ए० जी० की एक रिपोर्ट में कहा गया है :

> "दोषपूर्ण नियोजन, धनराशि का दुरुपयोग तथा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी से बिहार में एन० आर० ई० पी० के क्रियान्वयन को धक्का लगा है।

4.00 म० प०

यह सी० ए० जी० नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से लिया गया है। यह इस बात का उदाहरण है कि क्रियान्वयन किस प्रकार से दोषपूर्ण है। उदाहरणार्थ जब हमने 20 सूत्री कार्यक्रम का वास्तविक मूल्यांकन किया तो 1987-88 में बिहार को 57 में से 52 अंक मिले। और यह उपलब्धि मेरी समझ से बाहर है कि वह किस प्रकार हुई क्योंकि यह पाया गया है कि नीचले स्तर पर क्रियान्वयन ऐसा नहीं किया है जैसा किया जाना चाहिए तथा कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिनको मिलना चाहिए। सरकार तथा प्रधानमन्त्री को कठिनाईयां मालूम हैं इसलिए

इन कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन के लिए वे प्रशासन, अपने दल के कार्यकर्त्ताओं तथा दूसरों से सहयोग करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा हमारे नियोजन की सफलता इस पर निर्भर है। यदि हम इन कार्यक्रमों को उचित रूप से क्रियान्वित करें तो हम वास्तविकता में गरीबी दूर कर लेंगे तथा बेरोजगारी कम कर लेंगे जो कि समय की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हम हमेशा सरकारी तन्त्र पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि धनराशि शत प्रतिशत व्यय की जाती है परन्तु वास्तविक लक्ष्य से पचास प्रतिशत प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि वह समय आ चुका है जब हमें प्रत्येक विकास सम्बन्धी योजना के खर्च का अध्ययन करना चाहिए।

जैसाकि कुछ समय पहले प्रधानमन्त्री ने स्वयं कहा था कि "यदि हमें परियोजना की धनराशि का 80 प्रतिशत प्रशासन पर तथा 20 प्रतिशत जनता को लाभ पहुंचाने पर खर्च करना पड़े तो यह निरर्थक है।" अब प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस स्थिति का अध्ययन करें जिसमें प्रशासन योजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत खर्च कर रहा है तथा 15 से 20 प्रतिशत तक लाभभोगियों के लिए रखा जाता है। यदि हम तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो इन अननियमितताओं को ठीक किया जाना चाहिए।

1987 में गरीबों की संख्या 37 प्रतिशत से घटाकर 1990 तक 25.8 तथा 1999 तक पांच प्रतिशत और कम करने का एक कठिन कार्य हमारे सामने है। यह कार्य अकेली सरकार नहीं कर सकती है। इन सभी प्रयासों में स्वयंसेवी एजेंसियों का सहयोग जरूरी है। भारत जैसे विशाल तथा विविधता वाले देश में केवल सरकारी तन्त्र ही इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में मैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो० एम० एन० श्रीनिवास की टिप्पणियों को उद्धृत करता हूं :

> "जहां तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, अगर ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम मात्र सरकारी बनकर रह जाएं तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। यही बात अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर भी लागू हो सकती है।"

मैं प्रो० वी० के० आर० वी० राव की टिप्पणियों का भी उल्लेख करता हूं। वह कहते हैं :

> "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण बुनियादी आवश्यकता है।"

मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री इस बात पर जोर दे रहे हैं तथा पंचायती चुनाव कराने तथा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कानून बना रहे हैं। मेरे विचार से ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, वह यह कि नीचले स्तर पर ही जनता को शामिल किया जाए तथा प्रधानमन्त्री इस बात पर बल दे रहे हैं।

हमें स्वैच्छिक प्रयास को भी महत्व देना पड़ेगा। जहां स्वैच्छिक कार्यवाही का योगदान रहा है वहां लाभ के लिए धनराशि सर्वाधिक खर्च हुई है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा दें।

जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा है कि ऋण के वितरण में भी गोलमाल होता है। इसलिए ऋण का वितरण ग्रामीण गरीबों में होना चाहिए। यदि पंचायती राज संस्थाएं होंगी तो वे इस सम्बन्ध में चौकसी रखेंगी तथा मंजूर ऋण सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचेगा।

लाभभोगियों का पता पहले ही बहुत से स्थानों पर ग्राम सभाओं में लगाया जा रहा है। परन्तु बहुत से स्थानों ग्राम सभाएं सक्रिय नहीं हैं विशेषतः बिहार में जहां ग्राम पंचायत चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं। यही उचित समय है जब चुनाव कराए जाने चाहिए और इन संस्थाओं को सक्रिय और जीवन्त बनाया जाना चाहिए। जैसे ही यह हो जाएगा, तो हमारे लिए वास्तविक लाभार्थियों को पता लगाना आसान हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा।

मेरे से पहले बोले बोलने वाले माननीय सदस्य ने लाभार्थियों के चयन के बारे में तथा अधिकारियों और बैंक प्रबन्धकों और लाभार्थियों के बीच सांठ-गांठ के बारे में कहा है। यह केवल आन्ध्र प्रदेश का ही मामला नहीं है, ऐसा और जगह भी हो रहा है। मेरे विचार से सरकार को इसकी जानकारी है और वह स्थिति से निपटने का प्रयास कर रही है। मैं केवल इतना कहता हूं कि हमें इसमें लोगों को शामिल करना होगा।

पिछले दिनों बजट पर बोलते हुए मैंने यह सुझाव दिया था कि यद्यपि आपने खण्ड स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम समिति बनाई है, फिर भी वे उसी उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रही है, जैसाकि उसे करना चाहिए। हमें उसे राजनीति से अलग रखना चाहिए और हमें सभी लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए चाहे उसमें सभी पार्टियों से सम्बन्धित लोग, जोकि वास्तविक सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, क्यों न हो। उन्हें यह देखना चाहिए कि उचित कार्यान्वयन किया जाए।

प्रौद्योगिकी मिशन के मूल्यांकन में, भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक संगठन के माध्यम से लोगों की भागीदारिता की प्रक्रिया शुरू की गई है। 20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोगों को सम्मिलित करने के लिए कुछ इस प्रकार का संगठन स्थापित किया जा सकता है।

हम प्रायः भूमि सुधारों के बारे में शिकायतें प्राप्त करते रहे हैं। यहां इस सदन में भी प्रायः इस बात पर बल दिया जाता है कि भूमि सुधारों का उचित तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया है और भूमि का भी उचित तरीके से वितरण नहीं किया गया है। यदि भूमि का वितरण किया गया है, तो कुछ मामलों में कब्जा नहीं दिया गया है, यदि कब्जा दिया भी गया है तो खेती आदि करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस मामले में भी, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपको ग्राम पंचायतों के समर्थन की आवश्यकता है। वे आपको बता पाएंगे कि किसके पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है, कौन-सी भूमि बेनामी है और क्या रिकार्ड सही है अथवा नहीं। इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया है कि गांव के रिकार्डों को अद्यतन बनाया जाए। रिकार्डों से यह ठीक प्रकार से पता चलना चाहिए कि किसके पास कितनी भूमि है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भूमि रिकार्डों में इन तथ्यों को ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है। बहुत से स्थानों पर, विशेषकर बिहार में जोतों की चकबन्दी का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों में यह कर लिया गया है और कुछ अन्य क्षेत्रों में इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। दोषपूर्ण भूमि रिकार्डों के कारण आप फालतू भूमि का पता नहीं लगा पाए हैं और इसके अलावा जहां फालतू भूभि का पता लगा लिया गया है वहां आप उसका वितरण नहीं कर पाए हैं। हमें विशेष न्यायालय स्थापित करने चाहिए जिससे कि इन मामलों पर तेजी से निर्णय लिया जा सके और वे दीवानी न्यायालयों में अधिक समय तक न लटके रहें।

न्यूनतम मजदूरी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। यह भी एक बहुत ही जटिल समस्या है। हम प्रायः इस समस्या का उल्लेख करते हैं। प्रधानमन्त्री को भी इसकी जानकारी है और इसी वजह

से उन्होंने श्री दोरजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग की नियुक्ति की है। मुझे आशा है कि यह आयोग शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा लेकिन इससे पहले कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए हमें इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार में, इसकी वजह से वहां गांवों में असन्तोष, नराजगी और तनाव व्याप्त है। तनाव के परिणामस्वरूप वहां पर हिंसक झड़पें हुई हैं। आपने समाचारपत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़े होंगे जहां पर बहुत से लोग मारे गए हैं। सरकार ने जहानाबाद और औरंगाबाद क्षेत्रों में जोकि इस तथाकथित नया आन्दोलन से प्रभावित हैं। वहां 'आपरेशन सिद्धार्थ' शुरू किया है। यह केवल न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न नहीं है। यह उन क्षेत्रों के चौतरफा विकास तथा लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण का प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसे हम कार्यान्वित कर रहे हैं, लोगों के बदलते हुए सामाजिक दृष्टिकोण पर, और समानता लाने पर विचार किया गया है। **'आपरेशन ब्लैकबोर्ड'** के माध्यम से आप ग्रामीण स्तर पर अच्छी शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं और यदि इसको उचित तरीके से कार्यान्वित किया जाता है तो धनी परिवारों के बच्चे निर्धन परिवारों के बच्चों के साथ गांवों में अध्ययन करेंगे। वे एक साथ बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और समान स्तर एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इससे उनके सोचने के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आएगा। नवोदय विद्यालयों में धनी और निर्धन परिवारों के प्रतिभावान बच्चे एक जैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे। वे वहां साथ-साथ रहेंगे और एक साथ रहकर एक सामुदायिक जीवन व्यतीत करेंगे और जब वे समाज में जाएंगे तो उनका सोचने का दृष्टिकोण भिन्न होगा। इससे श्रेष्टता अथवा हीनता की भावना नहीं रहेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सामाजिक दृष्टिकोण में अवश्य ही परिवर्तन आएगा जोकि उन क्षेत्रों में विकास की कमी होने के साथ-साथ इस समय काफी हद तक सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है। अतः कुल मिलाकर इस 20-सूत्री कार्यक्रम में वर्तमान समाज और समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाने के बारे में पूर्णतया विचार किया जा रहा है। इस 20-सूत्री कार्यक्रम में मुख्य रूप से इसी पर बल दिया गया है और केवल इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आलोचना करने की बजाए, हम सभी लोगों को यह बताना चाहिए कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपना पूरा सहयोग दें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से जागृति का एक वातावरण पहले ही पैदा कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। यहां पर बताने की बजाए, हमें गांवों में जाना चाहिए और इसके कार्यान्वयन को हम स्वयं देखें और सम्बन्धित अधिकारियों अथवा उन लोगों के साथ, जिन्हें इसके कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है, सहयोग करें और यह देखें कि इन योजनाओं को उचित तरीके से कार्यान्वित किया गया है और इनका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए ये शुरू की गई है। यहां पर स्वैच्छिक संगठनों की व्यापक भूमिका है। यहां ऐसे बहुत से स्वैच्छिक संगठन हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं सर्वोदय का नाम लेता हूं। भारत सेवक समाज भी इस काम को अपने हाथ में ले सकता है। इसी प्रकार, यदि हमारे पास पहले से ऐसे संगठन नहीं हैं, तो हम स्वैच्छिक संगठनों का पता लगा सकते हैं -और हम उनको यह काम सौंप सकते हैं। अतः वे लोगों को इमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि यह जो अधिकतर घपला हुआ है वह भ्रष्टाचार के कारण है जोकि हमारी व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को समाप्त कर रहा है। इसके विरुद्ध केवल लोगों में जागृति लाकर और इसके विरुद्ध लोगों में सामाजिक चेतना जगाकर ही संघर्ष किया जा सकता है। तभी केवल हम जनमत की एक दीवार अथवा भ्रष्ट कार्यों के विरुद्ध एक प्रणाली बना सकते हैं और हम यह देखें कि जो लोग गलत कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें सजा दिलाई जाए अथवा सशक्त जनमत के माध्यम से, जिसके लिए हम सभी को जागृति पैदा करने के लिए गांवों में काम करना होगा, इस प्रकार के कदाचारों में वास्तव में लिप्त लोगों को डराया जाए।

प्रधानमन्त्री यह देखने के लिए स्वयं जा रहे हैं और लोगों को यह बता रहे हैं कि दोष कहां है और उसके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तरदायी प्रशासन के बारे में बात कही है। यह एक बहुत अच्छी बात है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में, प्रशासन उत्तरदायी हो जाएगा और सरकार के लिए उस प्रकार के उस तन्त्र को पैदा करना सम्भव हो सकेगा जिसके बारे में हमने कहा है। कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय एक प्रभावी निगरानी प्रणाली बनाने में लगा हुआ है जोकि न केवल इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए प्रेरित करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उन क्षेत्रों में भरोसेमन्द सूचना को तेजी से पहुंचाया जाए जिससे निगरानी एजेंसियां संकेत समझ सकें और उससे तत्काल और रचनात्मक तरीके से हस्तक्षेप कर सकें। मेरे विचार में, जब आप इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे, आपने इस सम्बन्ध में जो प्रगति की है, उनके बारे में तथा निगरानी प्रणाली के लिए आपने जिस तरह की संस्थाएं तैयार की हैं, उनके बारे में बताएंगे।

मैं एक बार पुनः कहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसे राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। हम सभी को यह देखना चाहिए कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आए, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आए। हमारे सामने जो सामाजिक लक्ष्य रखा गया है हम उसकी ओर बढ़ें। उस सम्बन्ध में यह 20-सूत्री कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है और यह हमें उस लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाने के लिए बनाया गया है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आने वाली त्रुटियों की ओर फिर से देखेगी।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री सोमनाथ रथ जी ने जो प्रस्ताव गरीबी उन्मूलन के बारे में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। बीस सूत्री कार्यक्रम में दो सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, पहला और बीसवां। अगर पहले सूत्र और अन्तिम सूत्र इन दोनों को क्रियान्वित किया जाए तो यह बीस सूत्री कार्यक्रम कामयाब हो सकता है और गरीबी मिटाने का कार्यक्रम सफल हो सकता है। इसलिए उस कार्यक्रम के पहले सूत्र पर मैं यहां प्रकाश डालना चाहता हूं। पहले सूत्र में कहा गया है कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई को हमने प्राथमिकता देनी है। गरीबी के उन्मूलन के साथ-साथ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने हैं। निर्धनता का उन्मूलन, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना, आय की विषमताओं को घटाना, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दूर करना और जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि लाना भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हमने गरीबी मिटाने की दिशा में जिस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लिया है वह है—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने सारे देश में, ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हम किस हद तक कामयाब बना सके हैं। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना चालू होने के समय हमारे देश में 39.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 1989-90 तक इस प्रतिशत को घटा कर 28.2 तक लाने और सन् 2000 तक 5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिस गति से हम अब चल रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे सन्देह है कि सन् 2000 तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने होंगे। यदि

हमने ऐसा नहीं किया तो हम गरीबी मिटाने के अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हो सकते और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को उस स्तर से ऊपर नहीं उठा पाएंगे। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे देश में 39.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते बताए गए है, वह आंकड़ा भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। मुझे इसमें भी शक है कि हम 1989-90 तक इस सीमा को घटा कर 28.2 प्रतिशत तक ले आएंगे। उसका कारण यह है पहले हमने गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना था जिनकी सालाना आमदनी 3500 रुपए या उससे कम थी। बाद में हमने इस सीमा को बढ़ाकर 4800 रुपए कर दिया और जब महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो अब उस सीमा को बढ़ाकर 6400 रुपए कर दिया है। इसका तात्पर्य हुआ कि अब जो लोग सालाना 6400 रुपए या उससे कम कमाते हैं, हमने उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना है। वास्तविकता यह है कि यदि हम सारे देश में पूरी तरह जांच कराएं तो कुल आबादी का 50 प्रतिशत लोग आपको इस सीमा से नीचे मिलेंगे। फिर एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं जहां पिछले 5 वर्षों से लगातार सूखा पड़ता आ रहा है और इस वर्ष भी वह क्षेत्र सूखे की चपेट में है जब कि सारे देश में स्थिति बहुत अच्छी है। देश की बात छोड़िए, हमारे पड़ोसी जिले में भी स्थिति अच्छी हो गई है जब कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में स्थिति अब भी खराब है। वहां लगातार 5 वर्षों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। आपने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के सम्बन्ध में जो परिभाषा बनाई है, उसके अन्तर्गत हमारे बाड़मेर जिले में 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और जैसलमेर जिले मे 20 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका कारण यह है कि आपने उस कार्यक्रम में एक शर्त लगा रखी है, आई० आर० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत जो परिवार चयनित किया जाएगा उनके पास जमीन होने की आपने शर्त लगा दी है। उसमें आपने यह फिक्स किया है कि अगर 10 हैक्टर से जमीन ज्यादा असिंचित हो, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। यह जो निर्णय आपने लिया है, यह बिलकुल गलत है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ता रहता है, जहां अकाल से लोग प्रभावित होते रहते हैं और जहां जमीन कतई उपजाऊ नहीं है और कुछ पैदा नहीं करती है, वहां ऐसा निर्णय लागू नहीं करना चाहिए। आज वहां की स्थिति यह हो रही है कि लोग जमीन को छोड़कर के मजदूरी पर हरियाणा, गुजरात और पाली मिल आदि में काम करने जा रहे हैं। जोधपुर में जाकर कारखानों में काम कर रहे हैं। आज वहां यह स्थिति बनी हुई है कि लोग इसके कारण खेती का धन्धा छोड़कर मजदूर होने जा रहे हैं। वहां 80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और आपके मुताबिक वहां पर 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैंने पूरे आंकड़े देखे हैं और हिसाब लगाकर देखा है कि स्माल फारमर की जो डैफीनेशन है वह साढ़े बासठ बीघा आती है और आप यदि भूमिहीन को भूमि अलॉट करते हैं, तो भी 75 बीघा करते हैं और 75 बीघा अलॉट करते ही वह बड़ा फारमर बन जाता है और गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता है और वह उस प्रोग्राम का लाभ नहीं उठा पाता है। स्थिति यह है कि हमारे यहां आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम का जो लाभ दिया गया है, वह इस प्रकार दिया गया है कि परिवार के अन्दर अगर 5 या 8 सदस्य हैं और उनमें जो 18 वर्ष के मैम्बर हैं, उनके शेयर मान लिए गए हैं और इस प्रकार तय किया गया है कि वह स्माल फारमर हैं और वह गरीबी रेखा के नीचे है। इस दृष्टिकोण से किया गया है, तो यह ठीक है। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो कि हर साल अकाल से प्रभावित रहते हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि जब तक स्माल और मार्जिनल फारमर की डैफीनेशन में नहीं आते हैं, तब तक उनको इन योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है। जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको ही इन योजनाओं का फायदा मिलता है। हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिनकी स्थिति खराब है, लेकिन उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है इसके कारण उनकी गरीबी दिनों दिन बढ़ती

जा रही है। इसलिए यह देखना बहुत आवश्यक है कि ये विशेष क्षेत्र के लोग हैं और वहां की विशेष परिस्थितियां हैं। जहां बारह महीने में सिर्फ एक ही फसल पैदा होती है, जहां रबी क्रॉप नहीं होती है, जहां सिर्फ खरीफ क्रॉप होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों की गरीबी किस प्रकार मिटाई जाए, इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इस लोक सभा में मैंने डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बहुत शोर मचाया तब कहीं जाकर वह कार्यक्रम हमारे क्षेत्रों में लागू किया गया है। उससे हमें लाभ हुआ है क्योंकि इसके अन्तर्गत सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन का काम हमारे क्षेत्र में हुआ है और इस कार्यक्रम से हमारे जो सैंड के ड्यून्स हैं, उनमें घास भी होने लगी है, पेड़-पौधे भी उगने लगे हैं और जमीन भी स्थिर हो रही है। इसलिए इस कार्यक्रम को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और यह कार्यक्रम काफी सफल हुआ है। इसमें मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम को बजाय गवर्नमेंट के द्वारा करने के वहां के लोकल व्यक्तियों को आर्थिक मदद देकर इसको और बढ़ाया जाएगा तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति और सुधर सकती है। वहां पर जो रेत के टीले बने हुए हैं, उनके स्टेबिलाइजेशन के कारण वहां पर उनमें पेड़ उगने लगे हैं, घास होने लगी है और बहुत बड़ा भारी लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम गरीबी को मिटाने का सच्चे मायने में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में दो कार्यक्रम थे, यह ब्यूरोक्रेसी जो कुछ जानती नहीं है, जो दो कार्यक्रम पहले थे उन्होंने उसे बिल्कुल बन्द कर दिया है। मैंने बार-बार अफसरों से बात की लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखने में यह आया है कि वे अफसर जो एक बार ठान लेते हैं उसी को करते हैं। हमने इस प्रकार की स्थिति यहां केन्द्र में देखी है। मैंने उनके दिमागों में परिवर्तन लाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम में उक्त कार्यक्रमों को बन्द कर दिया। इसी कार्यक्रम में एक्सप्लोरेशन आफ ट्यूबवैल कार्यक्रम था। उन्होंने साफ कहा कि हम इस कार्यक्रम में इसको नहीं लेंगे। मैंने पूछा कि इसमें क्या ऑबजैक्शन है तो वह इसका कोई जवाब नहीं दे सके। आपको तो मालूम ही है कि इस कार्यक्रम के द्वारा पानी का पता चल जाता है जिससे फिर अच्छी सिंचाई हो सकती है। हमारे जैसलमेर के अन्दर चांदन ट्यूबवैल बने हैं जिससे 40,000 गैलन पानी निकला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्सप्लोरेशन आफ ट्यूबवैल कार्यक्रम काफी सफल रहा है। हमारे डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में यह पार्ट एण्ड पार्सल था। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार एनीमल हजबैण्डरी के कार्यक्रम थे। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम का दुरुपयोग किया। उन्होंने इससे सम्बन्धित डिस्पैंसरियां तो खोलीं लेकिन इस दिशा में खास काम नहीं किया। उनकी कमजोरी के कारण हमें दण्ड मिले यह हमें अच्छा नहीं लगता है। इस कार्यक्रम के द्वारा काफी उन्नति हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारे यहां का पशुधन बहुत कीमती पशुधन है। गाय हमारे गांव की रीढ़ हैं जो कि बहुत अच्छा दूध देती है। उसमें सुधार लाने के लिए कुछ खर्चा अगर किया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमारी राजस्थान सरकार ने अभी तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम को शत प्रतिशत मदद दे रही है। यही वजह है कि जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा था, उसका विस्तार होना बन्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाया जाए और इसके लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाए। पहली बार 237 करोड़ रुपए का प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। मेरा आपसे निवेदन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। आपके जो हिल डवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं उसमें 500-700 करोड़ रुपए का प्रावीजन किया जाता है। इस कारण से यह आवश्यक हो जाता है

कि डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करें। इससे रेगिस्तानी क्षेत्र का काया पलट सकता है और वह क्षेत्र हरा-भरा हो सकता है। यह तो मैन-मेड डैजर्ट है। आज स्थिति यह है कि वहां दरख्त आ गए हैं और घास के मैदान आ गए हैं। वह दरख्त खेजड़ी नाम से प्रसिद्ध हैं। वह बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। राजस्थान की गरीबी मिटाने के लिए वहां का विकास करना आवश्यक है।

इसके साथ-साथ स्माल और मार्जिनल फारमर्स की परिभाषा में भी फेर-बदल करने की आवश्यकता है। जो सिंचित क्षेत्र हैं वहां स्माल और मार्जिनल फारमर्स की वही परिभाषा है जबकि वहां नहर से पानी आ रहा है और 30-40 फुट से पानी निकलता है। हमारे यहां तो 200 फुट से पानी निकलता है। जब भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की सीमा फिक्स की गई है, स्मॉल के लिए जीरो से पौन हैक्टेयर और मार्जिनल फार्मर के लिए 3/4 से डेढ़ हैक्टेयर तय की गई है। वही सीमा हमारे यहां भी इस्तेमाल की गई है। इन दोनों सीमाओं को हमारे यहां दोगुना किया जाना चाहिए ताकि वास्तव में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को योजनाओं का लाभ मिल सके और उन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारे यहां के लोग तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें।

दूसरे, हमने गरीबी हटाने के कार्यक्रम के साथ-साथ बैटर यूज आफ इर्रीगेशन वाटर, स्ट्रेटेजी फार रेन फैड फार एग्रीकल्चर और बिगर हारवैस्ट इन कार्यक्रमों को भी शुरू किया है। रेगिस्तानी क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर, जो पहले राजस्थान नहर थी, को हमारे प्रधानमन्त्री जवाहर लाल जी नेहरू ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एग्रीमैंट करके, 1955 के एग्रीमैंट से पानी पहुंचाकर सिंचाई के बारे में सोचा था। 1958 के अन्दर उसका काम भी शुरू हुआ। गोविन्द वल्लभ जी पन्त ने उसका शिलान्यास भी किया लेकिन 1958 से लेकर आज तक 30 साल हो गए हैं परन्तु उसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। अगर इस प्रकार की योजना 10 वर्षों के अन्दर तैयार हो जाती, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों की काया इस इन्दिरा गांधी नहर से पलट सकती थी। जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन अगर राजस्थान नहर पहले तैयार हो जाती तो यह राशि खर्च नहीं करनी पड़ती बल्कि देश की पैदावार को बढ़ाने के लिए, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए इन्दिरा गांधी नहर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। अभी भी मेरा कहना है कि आपने प्लान के अन्दर इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है परन्तु ज्यों-ज्यों इस नहर का निर्माण आगे बढ़ता जाता है, कास्ट बढ़ती जाती है। अगर सौ करोड़ रुपए का प्रोवीजन किया गया तो मैंने हिसाब लगाया है कि इसके निर्माण में 25 साल और लगेंगे तब जाकर इस योजना का कार्यान्वियन होगा और तब वास्तविक रूप से इसका लाभ होगा लेकिन हम 25 साल तक नहीं ठहर सकते इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि नहर का निर्माण तीव्र गति से हो। केन्द्र सरकार ने हरियाणा की मदद की है और हरियाणा की यमुना सतलुज लिंक योजना के लिए शत प्रतिशत मदद की है तो इस योजना के लिए भी केन्द्र सरकार शत प्रतिशत मदद कर सकती है अथवा राशि खर्च कर सकती है और राशि खर्च करके अगर 10 वर्षों के अन्दर कार्यक्रम बनाकर आप इस योजना को कम्पलीट कर देंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्रों की काया पलट सकती है और स्थिति सुधर सकती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह है कि गरीबी मिटाने के जो प्रोग्राम हैं, आई० आर० डी० पी० है, इन प्रोग्रामों के अन्दर सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इनमें सब्सिडी मिलती है। आज ट्राइबल एरियाज को 50

परसेण्ट, शैड्यूल्ड कास्ट्स को 1/3 भाग और अदर्स को 25% सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी को हड़पने के लिए विकास अधिकारी भी तैयार है, डाक्टर भी तैयार और सरपंच भी कभी मौका आता है तो नहीं चूकता है। यह स्थिति है। हमने हमारे क्षेत्र के अन्दर कोशिश की कि इसका फिजीकल वैरीफिकेशन किया जाय, मैं खुद फिजीकल वैरीफिकेशन करने वालों के साथ गया। हम 10 जगह गए तो 10 में से 8 स्थानों पर लोग फिजीकल वैरीफिकेशन के लिए चीज लाए ही नहीं, मवेशी नहीं लाए, एक जगह एक ईमानदार सरपंच था वह लाया और एक जगह देखा तो उसमें बहुत गड़बड़ी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप फिजिकल वैरीफिकेशन करवाएं तो मालूम होगा कि उनकी गरीबी नहीं मिटी है। उन्होंने जिस कार्य के लिए राशि दी, वह उसमें नहीं लगी और वे अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। हमने ए० आई० सी० सी० में चार-पांच नवम्बर को इकोनोमिक रिजोल्यूशन पास किया है। जिसमें यह तय किया है कि हर परिवार में एक सदस्य को हम प्रोडक्टिव जाब दिलवाएंगे। प्रोडक्टिव जॉब दिलवाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सारे राज्यों में आप कार्यक्रम बनाएं और गरीबी की रेखा के नीचे जो हैं, उनको प्रति परिवार एक प्रोडक्टिव जॉब दिलवाएं। आजकल यह स्थिति हो गई है कि लोय सरकारी नौकरी को ही प्रोडक्टिव जॉब समझते हैं। आपका जो ट्राइसम कार्यक्रम है, वह भी कामयाब नहीं है। ट्राइसम में ट्रेनिंग देने वाले एक्सपर्ट नहीं हैं। जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, वह अधूरी होती है। उसका लाभ नहीं होता है। इसलिए आप उस कार्यक्रम को इम्प्रूव करें और उसमें सुधार लाएं।

सब्सिडी के जो कार्यक्रम हैं, आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम हैं, उसमें आप सब्सिडी बन्द करें। आप उसमें इन्टरैस्ट का लाभ दीजिए। चार-पांच-छः सात तक आप इन्टरैस्ट मत लीजिए। अगर कहीं अकाल जैसी स्थिति हो तो आप इन्सटालमेंट मत वसूल कीजिए। इस तरीके से आप योजनाओं को सफल बना सकते हैं। आपको मोनिटरिंग का काम भी करना चाहिए। आप मोनिटरिंग नहीं करते हैं, गरीबों की कठिनाइयों को दूर नहीं करते हैं और वास्तव में जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद उनको नहीं मिलती है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस प्रकार की स्थिति है कि सौ रुपए में से उन लोगों के पास, जिनकी हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, केवल 15 रुपए ही पहुंचते हैं। यह ठीक है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, लेकिन हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सौ रुपया हम खर्च करें, तो उसमें कतई भ्रष्टाचार न हो। वह रुपया उनके पास पहुंचे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। साथ ही जिस कार्य के लिए वे राशि लेते हैं, उसमें वह रुपया खर्च हो। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के जो कार्यक्रम हैं, उनसे काफी लाभ हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा बदला है और एसेट्स भी बने हैं। लेकिन आपने इस कार्यक्रम को जल धारा से जोड़कर जो कुओं का कार्यक्रम बनाया है, वह कार्यक्रम वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह इण्डिपेंडेंट कार्यक्रम होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में कुओं का निर्माण करेंगे तो सड़कों का निर्माण नहीं होगा और देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए वह कार्यक्रम अलग रखें और इसके साथ न जोड़ें। जलधारा का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के लिए है, मार्जिनल-फार्मर्स के लिए है, लेकिन उसको आप एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पीं० के साथ मत जोड़ें। और एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० दोनों को एक कार्यक्रम बनाएं क्योंकि सभी का उद्देश्य एक ही है कि हमें गरीबी मिटानी है और अन-इम्पलायमेन्ट की प्राब्लम को साल्व करना है। इसको साल्व करने में सबसे पहली कोशिश यह करनी चाहिए कि ऐसा कोई परिवार न रहे जिसमें कम से कम एक सदस्य के पास ऐसी जाब न हो जिससे कि

वह अपनी रोजी चला सके। आज आपने एक चपरासी की इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि 1000 रुपए महीना तनख्वाह लेता है लेकिन जो हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान हैं उनको एक हजार रुपए महीने की आमदनी नहीं हो रही है।

आज लैण्ड रिफार्म्स की इस प्रकार की स्थिति है कि अभी तक 25 लाख एकड़ जमीन के बारे में कोर्ट्स में सूट्स चल रहे हैं, डिसप्यूट्स चल रहे हैं उनका किस तरह से जल्दी फैसला हो उसके लिए आपने कोई उपाय नहीं किए हैं। आपको चाहिए कि आप राज्यों से कहें कि जिन्होंने बेनामी ट्रांजेक्शन किए हैं वे चाहे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों, उनके विरुद्ध कदम उठाए जाएं। उनके बेनामी ट्रांजेक्शन्स का पर्दा फाश करना चाहिए। उनका चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध क्यों न हो, उनका पर्दा फाश करना चाहिए। पर्दा फाश करके और लैण्ड रिफार्म्स को लागू करें। हमने राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त किए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया और प्रगति के कार्य किए, लेकिन हम वैस्टेड इन्टरैस्ट को समाप्त नहीं कर सके हैं। जब तक हम वैस्टेड को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकेगा और प्रगति नहीं हो सकेगी। वैस्टेड इन्टरैस्ट के लोग जो अभी तक पूंजी को रखे हुए हैं और उससे शोषण कर रहे हैं और गरीबी मिटाने के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं; इसको हमें समाप्त करना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : जब हम 20-सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसे उचित रूप से लागू नहीं किया जाता है तब तक यह कार्यक्रम निरर्थक हैं। यदि हमारा प्रशासन व तन्त्र ठीक नहीं है तब तक ये कार्यक्रम लागू नहीं किए जा सकते। मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 20वें सूत्र के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि हम प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, हम अधिकारों का हस्तांतरण करेंगे, हम उत्तरदायित्वता निर्धारित करेंगे, हम खण्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निगरानी पद्धति को तैयार करेंगे तथा हम तुरन्त व सहानुभूतिपूर्वक जनता की समस्याओं पर ध्यान देंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जब तक हमारा प्रशासन जनता की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक नहीं होगा, मेरा विचार है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं होगा तथा विकास कार्य को संतोषजनक ढंग से नहीं चलाया जा सकता।

हमें उपनिवेशीय प्रशासन पद्धति विरासत में मिली है। हमें स्वतन्त्र हुए अब 40 वर्ष बीत गए हैं। जैसाकि आप जानते हैं, औपनिवेशिक प्रशासन पद्धति एक स्वार्थपूर्ण पद्धति थी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था तथा पैसा वसूल करना था। यही कारण है कि जिसे हम उपायुक्त कहते हैं, उसे आज भी अनेक स्थानों पर कलेक्टर कहा जाता है। इस नाम से ही पता चलता है कि उनकी नियुक्ति धन की वसूली करने के लिए की जाती थी। लेकिन स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद धन की वसूली पर इतना जोर नहीं है जितना कि विकास पर ताकि हम अधिक राजस्व का सृजन कर सकें, हम और अधिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त कर सकें तथा देश का चहुंमुखी विकास कर सकें। जब तक हम समयानुसार अपनी प्रशासनिक पद्धति को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तथा उत्पादन को तेजी से नहीं बढ़ा पायेंगे।

मैं उन माननीय सदस्यों को सुन रहा था जिन्होंने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

उनमें से अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने में विलम्ब हो रहा है तथा उन्हें उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशासन पद्धति उचित रूप से काम नहीं कर रही है। मैं नहीं समझता कि हम लोगों का भला कर सकते हैं। यही समय है जबकि हमें अपनी प्रशासनिक पद्धति में किसी प्रकार के सुधार अथवा किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम लोगों की जरूरतें और अधिक अच्छी तरह से पूरी कर सकें।

हम सरकारी कर्मचारियों को लोक सेवक कहते हैं क्योंकि वे जनता के कर्मचारी हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तथा वे जनता के कर्मचारी हैं। लेकिन जब जनता के लोग, जो एक प्रकार से उनके नियोजक माने जाते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, तो कभी-कभी उनका जैसा शोषण किया जाता है, वह बहुत ही शोचनीय है। अतः यही समय है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिये।

हमारे युवा प्रधान मंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम के इस सूत्र को लागू करने के लिए बहुत अधीर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वे ठीक ही कह रहे थे कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन को और अधिकार दिये जाने चाहिए, योजनाओं के लिए स्वयं जनता को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए आदि। मेरा विचार है कि किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सुधार हमारे लोक तन्त्रीय पद्धति के ढांचे के अनुरूप ही होना चाहिए यानि कि जब तक हम सबसे निचले स्तर से शुरूआत नहीं करेंगे, सुधार लाना कठिन हो जायेगा। अतः हमें इस बारे में सोचना चाहिए तथा जहां तक हो सके, इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि योजनाओं के मामले में भी हमें न केवल जिला स्तर तक अपितु प्रखण्ड स्तर व उससे भी निचले स्तर तक, पंचायत पद्धति को और अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए।

मेरा विचार है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो एक स्थान पर तो सुसंगत हैं लेकिन दूसरे स्थानों पर असंगत हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पूर्व यह कार्यक्रम था कि यदि ग्रामीण लोग कुछ काम शुरू करते हैं, तो उन्हें बदले में आटा दिया जायेगा। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में लोग आटा नहीं लेते हैं। हमारे बहुत से लोग आटा नहीं लेते हैं। अतएव व्यवहारिक समस्या के कारण कार्यक्रम की भावना ही नष्ट हो जाएगी। अतएव मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमारी प्रशासनिक पद्धति की समीक्षा की जानी चाहिये और पंचायती राज को पुनः जीवित किता जाना चाहिये। यदि जरूरत हो तो हमें जिला पंचायत, अथवा जिल परिषद् को सांविधिक दर्जा प्रदान करना चाहिए ताकि वे स्थानीय प्रतिनिधियों को इनके क्रियान्वयन में सम्मिलित कर सकें तथा पुनरीक्षण कर सकें। महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, कि स्थानीय समस्याओं के कारण उस क्षेत्र विशेष या जिले के स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता से उस स्थानीय क्षेत्र के आधार पर भी योजना बनाई जा सकती है। मैं माननीय योजना मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे योजना प्रक्रिया में स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक शामिल करें ताकि योजना प्रक्रिया को ठीक ढंग से शुरू किया जा सके और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। योजना प्रक्रिया ऊपरी स्तर के बजाय नीचे के स्तर से शुरू की जानी चाहिए। केवल तभी योजना का लाभ ग्रामीण क्षेतों की गरीब जनता तक पहुंच सकता है। तभी योजना की उपलब्धियों से निचले स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। महोदय, मैं अन्य मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहता।

महोदय, मुझे एक बात कहनी है। क्रियान्वयन की बात करते समय हम केवल उसी बात पर विचार क्यों करते हैं जो हमारे सामने है? हमें अच्छे और नए उपायों की खोज करनी चाहिए, यहां तक

कि प्रशासन के क्षेत्र में भी। उदाहरण के लिए हमारे पास प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर हैं। यदि नवीनतम प्रोद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके, यदि इस पद्धति में नवीनतम प्रौद्योगिकी को शुरू किया जा सके तो यह और अधिक प्रभावी हो सकती है और तब हम न केवल 20 सूत्री कार्यक्रम बल्कि सम्पूर्ण प्रशासन और देश के विकास में क्रियान्वयन के लिए तीव्र और बेहतर सेवा शुरू कर सकते हैं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, यह 20 सूत्री कार्यक्रम एक सुविचारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत अच्छा है किन्तु हम इसके क्रियान्वयन में असफल रहे हैं। महोदय, लाखों करोड़ों रुपया विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। विकास कार्य को निर्धारित समय के अनुसार शीघ्र आगे बाढ़ाना और पूरा करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए धन खर्च किया है। किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हर प्रखण्ड पर किए गए निवेश के सम्बन्ध में यदि आप इसका मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक प्रखण्ड को उसकी आवश्यकता से अधिक धन दिया गया है। सरकार ने इस बात का मूल्यांकन कभी भी नहीं किया हैं कि इन प्रखण्डों द्वारा कितनी धनराशि ली गई है और उसमें से कितनी व्यय की गई है। इसलिए प्रत्येक प्रखण्ड पर खर्च किए गए धन की जिम्मेवारी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। सरकार को यह नहीं पता है कि हमारे देश में कितने प्रखण्ड हैं और किस उद्देश्य तथा किस मद के लिए कितना धन खर्च किया गया है और यह धन किसको दिया गया है। सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए हमने प्रखण्ड स्तर की मशीनरी स्थापित की है। किन्तु क्या आपने कभी प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विचारित मदों की संख्या के बारे में पूछा है? क्या कभी आपने यह पूछा है कि किसी कार्यक्रम विशेष के लिए, उदाहरण के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कितना धन खर्च किया जता है। आप देखेंगे कि कुछ प्रखण्ड लाखों रुपये प्राप्त करते हैं। और कभी-कभी तो करोड़ों रुपए प्राप्त करते हैं किन्तु वहां स्थिति क्या है? इसलिए महोदय, यदि धन का ठींक ढंग से उपयोग किया जाता तो हम विदेशों को टनों मछलियों का निर्यात करने की स्थित में होते।

5.00 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

यहां तक कि, उदाहरण के तौर पर, मुर्गीपालन के मामले को ही लें, कि मुर्गीपालन के लिए कितना धन खर्च किया जा चुका है। आप देखेगें कि जितना धन हम अब तक खर्च कर चुके हैं उससे प्रत्येक भारतीय को एक दिन में दो या तीन अण्डे मिलने चाहिए। किन्तु स्थिति क्या है? शायद, भारत में अण्डों की प्रतिव्यक्ति खपत सामान्यतः केवल 0.02 है। मुर्गीपालन के विकास के लिए हम कितना धन खर्च कर चुके हैं या दूध को ही लें। नतीजा क्या निकला? हम अच्छे पशुओं, पशुओं की अच्छी नस्लों के लिए कितना धन दे चुके हैं और अब तक हमें उनसे कितना दूध मिला है? मेरे आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, शायद यह ठीक ही है कि हमारी प्रति व्यक्ति खपत 68.8 ग्राम है। इसलिए प्रति व्यक्ति के लिए कितना दूध उपलब्ध है? शायद यह एक कप चाय के लिए भी काफी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग, अभी एक कप दूध प्राप्त कर सकने की स्थिति में भी नहीं हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबी हटाने की अपेक्षा की गई है। किन्तु हमारा जीवन स्तर क्या है? हम प्रति व्यक्ति कितना प्राप्त कर रहे हैं? हमें भोजन में कितना मांस प्राप्त हो रहा है? प्रति व्यक्ति कितने अण्डे हमें उपलब्ध होते हैं? कितनी सब्जियां उपलब्ध हैं? धन व्यर्थ में ही गवां दिया गया है।

सभापति महोदय : थोड़ी देर रुकिए । क्या सदन चर्चा के लिए आगे समय बढ़ाने के लिए सहमत है ?

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : जी हां, कम से कम दो घण्टे ।

सभापति महोदय : ठीक है, हम दो घण्टे का समय बढ़ाते हैं ।

श्री पीयूष तिरकी : इसका कारण हमारे प्रशासन की कमी है, हर व्यक्ति, यहां तक कि चौकीदार भी, कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे मैं हूं या मेरा पुत्र हो या कोई और—"सरकारी कर्मचारी" का अर्थ है कि वे जनता के मालिक हैं । उन्हें आदेश देना है, जनता के साथ काम नहीं करना है । किन्तु उन्हें "जन-सेवक" कहा जाता है । गांवों में भी, वहां गांव स्तर के कर्मचारी हैं उनसे न केवल सहायता की अपेक्षा ही की जाती है बल्कि उन्हें गांव की जनता को यह बताने का कार्य भी करना होता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और उनका यह बताने का कार्य भी कि आगे आने वाले वर्षों में किसान अधिक लाभ कैसे कमा सकता है । किन्तु नहीं, इस योजना से बहुत अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए बिचौलिया भी है । मान लीजिए कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि धन किस उद्देश्य के लिए लिया जाए तो गांव स्तर का कार्यकर्ता यह बताएगा कि "यह इस योजना के लिए है, कृपया आवेदन करें । मैं वहां काम करता हूं, मैं आपको पैसा दिया दूंगा ।' उसे यह नहीं कहना चाहिए कि "नहीं, मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता ।' यह सरकार किस बात के लिए धन दे रही है ? यदि आप इसका भुगतान नहीं कर सकते तो शायद इसे माफ कर दिया जाएगा । इसलिए सबसे पहले उन्हें ऋण या किसी भी रूप में धन प्राप्त करना है । किन्तु इस धन का 50 प्रतिशत बिचौलिए द्वारा अपनी जेब में डाल लिया जाता है । किन्तु धन प्राप्त करने के लिए बहुत से आवेदन किए जाते हैं । इसलिए, महोदय, प्रखण्ड स्तर की मशीनरी को, जिसे इस 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है, उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए । यदि धन बाद के वर्षों में खर्च किया जाता है तो फिर किस प्रयोजन के लिए धन दिया जा रहा है ? यदि प्रखण्ड उस प्रयोजन के लिए धन खर्च नहीं कर सका जिसके लिए यह दिया गया था तो वह धन कहां गया, उनसे चूक कहां हुई ? इसलिए, प्रशासन को इसका जवाबदेह होना चाहिए । जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि धन कैसे खर्च किया गया और किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया ।

महोदय, मेरा अपना अनुभव है कि किसानों को विशेषतः जनजातीय लोगों को ऋण दिया जाता है । वे अन्य कार्यों में अनुभवहीन होते हैं । इसलिए मुर्गीपालन, सूअरपालन और अन्य कार्यों के लिए उन्हें धन दिया जाता है । किन्तु आप ऐसा नहीं समझते कि सभी जनजातीय लोग सभी क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक होते हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप इन लोगों को उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षित करें । जब तक किसी व्यक्ति की किसी व्यवसाय विशेष में कार्य करने की रुचि नहीं होगी, तब तक वह उस व्यवसाय में सफल नहीं होगा । इसी प्रकार, जब कोई व्यक्ति बकरी पालन का कार्य करता है तो उसे बकरी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए जैसे —बकरियों को कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किसी बीमारी विशेष से प्रभावित बकरियों का क्या इलाज करना चाहिए, पशुओं का डाक्टर कहां है, जिसके पास उसे जाना चहिए आदि-आदि । इसलिए एक प्रशिक्षण योजना होनी चाहिए । उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि यदि वह दो या तीन बकरी पाले तो उसे कितना लाभ होगा । उदाहरण के लिए, पांच वर्ष बाद उसकी सम्पत्ति क्या होगी और उससे उसे क्या मिलेगा ।

सरकारी अधिकारियों, गाम अधिकारियों द्वारा इन लाभग्राहियों को हर बात स्पष्ट रूप से बतायी जानी चाहिए। यह ऐसा कार्य नहीं है कि आपको पैसा चाहिए और उसे एक बकरी के लिए 200 रुपये दे दिए। वह बकरी कहां से खरीदेगा ? यहां भी आपको उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे सहायता देनी चाहिए। जो लाभग्राही व्यक्ति वास्तव में उस व्यवसाय में रुचि रखता हो, उसे ये सभी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। यदि ये कदम उठाए जायें तो इनसे सभी को लाभ पहुंचेगा और इससे हमारे देश को भी फायदा होगा।

इसी तरह, सूअरपालन, पशुपालन और मुर्गीपालन के लिए भी आपको बिना सोचे समझे केरल यह सोचकर कि पैसा मिला है, इसलिए आप इसे वितरित कर रहे हैं, धन नहीं देना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि मैं 60 रुपये में चौकीदारी कर रहा हूं, और केवल इसीलिए कि ऋण लिया जा सकता है, मैं यह काम छोड़ दूंगा और पैसा लेकर उसे खर्च कर दूंगा। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति हो तो उसे ऋण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह धन किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। ऋण देने से पहले सरकार को यह जान लेना चाहिए कि यह व्यक्ति इस व्यवसाय में अत्यधिक रुचि रखता है वह इस काम में हमेशा रुचि रखेगा और अपना अधिकांश जीवन इसे सुधारने में लगाएगा। हर प्रखण्ड में आपको 10 या 12 ऐसे ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं। यदि लाभग्राहियों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाए तो इस देश के ग्रामीण जीवन की तस्वीर ही दूसरी होगी, बहुत ही उज्ज्वल तस्वीर और हमारा जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हमारा जीवन स्तर क्या है ? दिल्ली को न देखे, जहां सभी अंग्रेजी बोलने वाले, कोट और टाई पहनने वाले लोग हैं। हम अंग्रेजी भाषा में ढल चुके हैं। मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य भाषा में बोलता है तो वह बेवकूफ समझा जाता है। वह दूसरे दर्जे का आदमी समझा जाता है। हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलना चाहता है चाहे वह सही हो या गलत, 'हां' या 'न' ही बोलना हो। यह आजकल की समझ है। अधिकारियों को टाई अवश्य लगानी चाहिए। उसके पास अच्छा सूट होना चाहिए। हमारी सरकार भी हर विभाग के लिए कुछ वर्दी निश्चित करने का विचार रखती है। किन्तु 67% जनसंख्या अर्थात् कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की वर्दी क्या है। पहले हम इस देश के आम आदमी से इनका एकीकरण करने का प्रयास करते थे। अब अधिकारी विशिष्ट व्यक्ति हैं; यहां तक कि चौकीदार, चपरासी आदि भी विशिष्ट व्यक्ति हैं और जनता को इसे समझना चाहिए। सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारी न होकर जनता का मालिक है। बिहार में ऐसे कुछ जिले हैं जहां मैंने प्रखण्ड विकास अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को देखा है और समझा है। वे काम करने के बदले एक निश्चित बख्शीश चाहते हैं। उनकी बैठके होती हैं। वे यह कहते हैं आपके पास अमुक संख्या में बाग-बगीचे हैं आप यहां हमें कुछ देते क्यों नहीं ?

यह सब हो रहा है। अधिकारियों को लाभ मिल रहा है न कि वास्तविक लाभार्थियों को। आप यह भी जानते हैं कि ये सब घटनाएं हो रही हैं, जो कि नयी नहीं हैं। यह बात सब जानते हैं। आपको सामाजिक ढांचे की जानकारी है। हम ऐसी प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें केवल समर्थ व्यक्ति ही जी सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जीवित नहीं रह पायेंगे। सभी शोषक, जो बड़े शहरों और नगरों में रहने वाले लोगों का शोषण नहीं कर सकते, गांवों में जा रहे हैं और इन भोले-भाले लोगों का शोषण करके कुछ ही महीनों और वर्षों में वे सामर्थ्यवान बन जाते हैं। इन शोषकों को वहां भेजा जाता है। साथ ही जो लोग इन कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। अतः सबसे पहले हमें इस शोषण को रोकना होगा। यदि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए दिया गया धन यदि काफी यात्रा में खर्च किया जाता है तो सरकार संतुष्ट हो जाती है, लेकिन उसे

इन कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च किए गए धन से नहीं नापा जाना चाहिए। हमें वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक खण्ड राष्ट्र को कितना योगदान दे रहा है।

महोदय, अन्य देशों से तुलना करें तो हमारा जीवन-स्तर काफी नीचा है। अन्य जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जीवन स्तर की तुलना प्रत्येक घर में रेडियो या टेलीविजन होने से नहीं करनी चाहिए। हमारा देश एक निर्धन देश है। हम इस बात पर गौरव महसूस कर रहे हैं हमारा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है और हम शीघ्र ही चांद पर उतर जाएंगे। लेकिन हमारा जीवन-स्तर क्या है? हमारे देश की जनता आज भी निर्धन है। हमारे देश में गरीब से गरीब लोग भी हैं। हम अपने देश की जनता को प्रतिदिन भोजन में कितनी कैलोरी उपलब्ध करा पाते हैं? हम अब भी उनके लिए आवश्यक कैलोरी उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं। इसका क्या कारण है? हमारे कृषकों की उपेक्षा की गई है। खण्ड और ग्रामीण स्तर पर वे गांव जो पूरे देश के लिए अन्न उपजाते हैं---हमारे विकासात्मक कार्य की उपेक्षा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने इस तथ्य का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में दलीय राजनीति का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, हम सब एक हैं। यदि हमारा देश निर्धन रहता है, यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात होगी। ऐसे धनी देश भी हैं, जहां निर्धन लोग रहते हैं। यदि निर्धन लोग निर्धन और उपेक्षित ही रहते हैं तो यह भारत के लिए शर्म की बात है। यह कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सबको इसकी चिन्ता है। हम सबको मिलकर अपने देश के विकास के लिए कार्य करना चाहिए और अपना जीवन-स्तर सुधारना चाहिए। दुर्गापुर संयंत्र जैसे बड़े संयंत्र ही अकेले इस देश के जीवन-स्तर में सुधार नहीं ला सकते। अपितु इस देश की जनता का जीवन-स्तर केवल हमारे किसान ही सुधार सकते हैं।

महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। लेकिन मात्र कार्यक्रम बनाने से ही उत्पादन नहीं बढ़ जाएगा जब तक हम इसे ठीक से कार्यान्वित नहीं करते। हम उद्योग आदि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। किन्तु हम कृषि, मुर्गीपालन, पशु-पालन आदि के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते। केवल वे ही हमारा जीवन-स्तर ऊंचा उठाने में सहायक हो सकते हैं।

महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस विषय पर बोल पाया हूं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिना किसी लाभ के संसद में बोलना भी व्यर्थ है। हमारे कई मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि जो अधिकारी इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं उन पर इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। मात्र कागजों पर योजनाएं बनाने और संसद का समय नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को जिम्मेदारी निर्धारित करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री एक युवा मंत्री हैं। वह उस प्रदेश से हैं जहां इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरी अपेक्षा उन्हें इस तरह की बातों की अधिक जानकारी है। मंत्री महोदय को अधिकारियों को जिम्मेवार बनाना चाहिए। यदि एक वर्ष में ऐसा कर दिया जाए तो भारत की जनता यह याद रखेगी कि योजना मंत्रालय ठीक तरह से काम कर रहा है। जितना धन खर्च किया गया है, उसका कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए। ऐसी कई योजनाएं हैं और मैं इन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। पहले ही मेरे सहयोगी उनके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। यदि मैं भी इस बारे में बोलूं तो वह मात्र उसे दोहराना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, मैं आपके संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में श्री ऐंमती, योजना राज्य मंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर हमारी बात सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी मंत्रियों की ओर से केवल आप ही का उपस्थित होना पर्याप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रत्येक सूत्र विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध है और संभवतः रेलवे, नागर विमानन, परमाणु ऊर्जा या गृह मंत्रालय को छोड़कर इस समय, जबकि इस सभा में 20 सूत्री कार्य सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा की जा रही है, सभी को सभा में उपस्थित होना जरूरी था।

काय संचालन नियमों के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। यह एक स्वतंत्र विभाग नहीं है कि इसे एक मंत्री को सौंप दिया जाए।

ये सूत्र विभिन्न मत्रालयों से संबद्ध हैं। फिर भी आप विभिन्न मुद्दों से संबद्ध मंत्रालयों तथा विपक्ष के संसद सदस्यों तक हमारी भावनाएं पहुंचाए।

मेरे विचार से, 20 सूत्री कार्यक्रम केवल भारत सरकार का ही कार्यक्रम नहीं हैं। मैंने हमेशा इसे भारत सरकार का अर्थ-व्यवस्था का संविधान माना है। हमारे संविधान ने हमें कई राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए हैं। केवल श्रीमती गांधी ने ही अपने दूरदर्शिता से देश के लिए इस तरह के आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा इस 20 सूत्री कार्यक्रम की रचना की और तब से इसी के आधार पर हमारे आर्थिक, कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि इस सभा में हम कांग्रेसियों ने इसे इस देश के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज माना है। और यदि विपक्ष के माननीय सदस्य किसी चीज से भयभीत हैं तो वह है 20 सूत्री कार्यक्रम। क्योंकि केवल 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमने उनका जनाधार समाप्त कर दिया है क्योंकि चाहे वे किस भी स्थिति में रहे हों उनका इस 20 सूत्री कार्यक्रम के समान कोई कार्यक्रम नहीं रहा। अतः अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यही हमारा आधारभूत साधन है।

इस 20 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मैंने हमेशा कहा है, जैसाकि मेरे विद्वान सहयोगी श्री थुंगन ने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 सूत्र ही इस कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं क्योंकि यदि 20 सूत्री कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए तो इतनी ही राशि से, जो हम आज खर्च कर रहे हैं, हम करीब छः गुना अधिक परिणाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम गांवों में जितना धन खर्च करते हैं हमें उसका केवल छठा हिस्सा ही परिणाम मिल पाता है। अतः 20 सूत्री कार्यक्रम प्रक्रिया तथा प्राधिकार के प्रत्यायोजन, जवाबदेही, समस्त पद्धति का नियंत्रण और जनता की शिकायतों की सुनवाई के सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रम है।

सौभाग्य से मैं उस परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं जो प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के पहलू पर विचार कर रही है। मुझे प्रशासन सुधार से सम्बन्धित कई रिपोर्टों को पढ़ने और देखने का अवसर मिला है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने एक बार सभा में यह पूछा था कि भारत सरकार या राज्य सरकारों के कितने अधिकारियों या कर्मचारियों को केवल इस आधार पर नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है कि वे 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यन्वयन में असफल रहे हैं। क्या इसके कोई आंकड़े हैं? अन्य प्रशासनिक पहलुओं की बात छोड़ दीजिए, यदि हम 20 सूत्री कार्यक्रम के

सम्बन्ध में किसी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हुआ है, गम्भीर कार्यवाही करने की सोचते हैं तो इसी से हमें 20 से 25% तक अधिक उपलब्धि हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाए।

आपके प्रस्ताव में पहले मुद्दे अर्थात ग्रामीण गरीबी हटाने पर विशेष रूप से कहा गया है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री ने स्वयं इसे एक अति महत्त्वपूर्ण कार्य के रूप में लिया है क्योंकि महात्मा गांधी का स्वप्न था कि इस देश में ग्राम राज हो। हमारे देश में विभिन्न राज्य अभी तक स्थानीय प्रशासन स्थापित करने में भी सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस बारे में निर्णय लिया है। पहले वह कलक्टरों से मिले हैं, वह मुख्य सचिवों से मिले और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे क्या हैं और पंचायत तथा अन्य स्थानीय निकायों की क्या समस्याएं हैं। संसदीय पार्टी और हमारी पार्टी के माध्यम से स्थिति का जायजा लेकर अध्ययन किया गया है। आज स्थानीय प्रशासन के पहलू पर ही हमारे अध्ययन के लिए चार या पांच दस्तावेज उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री पंचायतों को उचित दर्जा देने के लिए कार्यवाही करने हेतु पंचायतों के चुनाव समय पर करवाने के लिए किसी तरह का अनिवार्य विधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

यही नहीं, हमारे जिले जो प्रशासन की रीढ़ हैं और जिन्हें संविधान में अब तक मान्यता प्राप्त नहीं है, हमें भारत के संविधान में उन्हें कोई महत्त्वपूर्ण स्थान देना है। आप आज के गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों में मेरे नाम दर्ज तीसरा प्रस्ताव देखें तो पायेंगे कि मैंने संविधान में जिलों को शामिल करने के मुद्दे पर विशेष बल दिया है।

दूसरा, जिस प्रकार संविधान में तीन सूचियां—संघ सूची, समवर्ती सूची, और राज्य सूची हैं, उसी प्रकार मैंने अपने संकल्प में, जो संभवतः आज न आ सके, 'जिला सूची' नाम से चौथी सूची भारत के संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत जिला निकायों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के विषय स्पष्टतः निर्धारित किए जायेंगे। वह समय भी आ सकता है जब पांचवीं सूची की भी मांग की जाये ताकि सत्ता और निचले स्तर तक जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सत्ता सिर्फ दिल्ली या राज्य की राजधानियों तक ही सीमित न रहे बल्कि यह जिला तथा खण्ड स्तर तक जाए। अतः इस पहलू को देखते हुए पंचायतों को मजबूत करना अति महत्त्वपूर्ण है।

दूसरे, आज हम विभिन्न राज्य सरकारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और ऐसा करते समय संभवतः हम उनसे आंकड़े मांगते हैं। एक बार मुझे बताया गया था कि भारत सरकार का एक अधिकारी गुप्त रूप से एक राज्य में जाता है और पता लगाता है कि कार्यक्रम किस प्रकार लागू हो रहा है। लेकिन मैंने पता लगाया है कि ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा होना चाहिए था। हर विषय पर राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों पर निर्भर होकर सफलता का मूल्यांकन करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा मूल्यांकन यह नहीं होना चाहिए कि एक गांव में कितने कूएं खोदे गए। हमारा मूल्यांकन उस व्यक्ति पर आधारित होना चाहिए जो वहां गया है और देखा है कि वास्तव में वे कूएं विद्यमान हैं। हमारे मूल्यांकन में देखा जाना चाहिए कि जो गाएं अथवा अन्य पशु विभिन्न लोगों को दिए गए हैं क्या वे उनके पास हैं और उनका उपयोग हो रहा है। कुछ दिन पूर्व प्रधानमन्त्री को अमृतसर में यह शिकायत मिली कि एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत

एक ही भैंस को 16 बार बेचा गया। यह कार्यक्रम का दुरुपयोग है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह जिलों तथा पंचायतों को अधिक शक्तियां देना चाहते हैं। गांवों में यह मूल्यांकन दिल्ली से नहीं हो सकता। अतः इन शक्तियों का निचले स्तर तक लाना आवश्यक है। जहां तक माननीय मंत्री का सम्बन्ध है, कुछ निगरानी तो की जा रही है। आप राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह कार्य कर रहे हैं। कम्प्यूटरों के आ जाने से आप यहां से आकड़ों को भर देते हैं और फिर उन वस्तुओं की एक स्थान पर वास्तविक उपलब्धता जांचने के लिए एक आदमी भेजते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति के इस पहलू को इस प्रकार देखा जाना चाहिए।

मैं दूसरा मुद्दा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बीसवें मुद्दे पर उठाना चाहता हूं। इसमें लोक शिकायत कक्ष स्थापित करने के लिए कहा गया है। एक बार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे कक्ष केन्द्र सरकार के विभागों में स्थापित किए जाएं। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों ने इन कक्षों की स्थापना की है लेकिन ये कक्ष नाममात्र ही हैं। अभी तक सरकारी विभागों में व्यवस्थित लोक शिकायत कक्ष का कोई तंत्र स्थापित नहीं हुआ है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस पहलू को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। केवल नाममात्र कार्य हुआ है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में लोक शिकायत कक्ष स्थापित करने पर कार्य नहीं किया है और इसलिए इस मामले पर राज्य सरकारों को सख्त हिदायतें जारी की जानी चाहिए।

महोदय, जहां तक भूमि-सुधारों का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि अनेक स्थानों पर भूमि सुधार लागू नहीं हुए हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? जरूरी नहीं इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। अनेक मामलों में उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के लम्बित होने के कारण भूमि सुधार लागू नहीं हो पाए हैं। ज्यादातर मामलों में इसी कारण ऐसा है। सरकार ने कानून बनाए हैं। लेकिन इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है और स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, वहां भी ऐसा ही है।

एक बार मैंने यहां यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार ऐसे लम्बित मामलों की एक सूची बनाए और महा-न्यायवादी के माध्यम से इनका सर्वोच्च न्यायालय में विशेष उल्लेख करे। निःसन्देह सरकारी अधिवक्ता द्वारा इन मामलों को उठाने से न्यायाधीश निश्चित रूप से सुनेंगे और सर्वोच्च न्यायालय अथवा विभिन्न स्वरों पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से अनुरोध करेंगे कि इन मामलों को किसी भी प्रकार से छः महीने के अन्दर निपटा दिया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 20 सूत्री कार्यक्रम का यह 5वां मुद्दा सरकार द्वारा पूर्ण हो जाएगा। एक बार अदालत द्वारा कार्यवाही हो जाने के बाद कार्यान्वियन ही रह जाता है। निःसन्देह सरकार की इसमें रुचि है। सरकार भूमिहीन लोगों को लाभ देने में रुचि रखती है। भूमि-सुधार लागू न करके वे लोकप्रियता खोना नहीं चाहती इसलिए सरकार इच्छुक है। मुद्दा केवल कानूनी अड़चन है जो 20 सूत्री कार्यक्रम के 5वें मुद्दे के लागू होने में आ रही है और जिसे दूर किया जा सकता है।

अन्त में मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि कार्यान्वियन के मामले में मेरे द्वारा सुझाए गए उत्तरदायित्व के पहलू को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। निःसन्देह राज्य सरकारों की सेवाओं के विभिन्न संवर्ग हैं। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय भी संवर्ग हैं। सेवाओं में नियम हैं कि यदि एक सरकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन यदि भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को

इस बारे में लिखती है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही को निष्पक्ष होकर देखा जाएगा और इस लापरवाही के लिए सख्त कदम उठाया जाएगा, तो इस गंभीरता को राज्य सरकारें महसूस करेंगी।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये हिदायतें राज्य सरकारों को तुरंत जारी कर दी जाएं ताकि प्राधिकारी इस पहलू की अत्यन्त गम्भीरता से लें। यदि यह हो जाये तो इसका असर अवश्य होगा। यह क्या है ? अप्रत्यक्ष प्रभाव तो यह है कि देरी तथा अपव्यय नहीं होगा यदि देरी तथा अपव्यय नहीं हो, तो आप आज के परिणामों से दुगुना या तिगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निःसन्देह इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। इसलिए, इन परिस्थितियों में मैं श्री रथ के संकल्प का समर्थन करता हूं ताकि यहां हो रही हमारी चर्चाओं के आधार पर माननीय योजना मन्त्री श्री ऐंगती विभिन्न मंत्रालयों को लिखें और उन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहें।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह संकल्प आपने प्रस्तुत किया था, और जब मैं बोलने खड़ा हुआ हूं तो आप सभापति के रूप में पीठासीन हैं।

आरम्भ में ही मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका जन्म-दिवस हम कल मनाने जा रहे हैं। उनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारी प्रिय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की देन है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने 1975 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था तथा इसको लागू करने में वह बहुत कर्मठ थीं। उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश को जनता को अभूतपूर्व लाभ हुए थे।

इस सदन में इस पर चर्चा हो रही है, इस पर कोई मतभेद नहीं है। विपक्षी सदस्य भी चर्चा में हिस्सा लेते समय इस कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं तथा इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है। उन्होंने यह टिप्पणी भी की है कि इसके क्रियान्वयन में सुधार किया जाना चाहिए। क्रियान्वयन में सुधार की काफी गुंजाइश है। क्रियान्वयन उतना संतोषप्रद नहीं है जितना होना चाहिये। इसमें कुछ दोष हैं।

जैसाकि हमने देखा गैर-कांग्रेसी राज्यों, सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी सदस्य भी बोले। श्री राव व श्री तिरकी भी बोले तथा इनसे पहले पश्चिम बंगाल जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व वामपंथी मोर्चे की सरकार है के एक सदस्य भी बोले। वह सब इसके क्रियान्वयन की आलोचना कर रहे थे। उनके राज्यों में भी बीस सूत्री कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बहुत महान है, में सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है।

फिर भी यदि आप रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें तो आपको बिल्कुल फर्क बात नजर आयेगी। आखिरकार केन्द्र सरकार सभी राज्यों से रिपोर्ट एकत्र करती है। वह सारे आंकड़े एकत्र करके हमारे सामने पेश करती है। परन्तु हमारे सामने प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट व असली स्थिति में बहुत फर्क है। हम अकसर दौरे पर जाते हैं तथा हमारा जनता से सीधा सम्पर्क रहता है। मैं एक उदाहरण देता

हूं। पिछले महीने की आठ तारीख को, अर्थात केवल ग्यारह दिन पहले उड़ीसा के धनकनाल में जिला विकास बोर्ड की बैठक में मैं सम्मिलित हुआ था। मेरे अधिकार क्षेत्र में दो जिले हैं, सम्बलपुर और धनकनाल। जिला विकास बोर्ड की बैठक में मजेदार बात थी तथा सदस्य उसको जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। यदि आप अधिकारियों पर निर्भर करेंगे तथा उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट को मानेंगे तो आप को कुछ नहीं मिलेगा। मैं यह उदाहरण आपको देता हूं जैसाकि आप जानते हैं कि जिला विकास बोर्ड का सभापति जिला मजिस्ट्रेट होता है। दुर्भाग्य से जिला मजिस्ट्रेट .जिला विकास बोर्ड की बैठक का सभापतित्व करता है जिसमें सांसद व विधायक होते हैं तथा वह उसको 'महोदय' करके सम्बोधित करते हैं। कार्यसूची में एक विषय था—'पीने का पानी'। कुछ ट्यूबवैलों को सरकार ने सदस्यों की राय जाने बिना स्वीकृति दे दी थी। प्रशासन ने उसे लागू करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया ? उन्होंने बाद में समिति के समक्ष इसे स्वीकृति के लिए रख दिया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, कम से कम उड़ीसा के लिए यह एक और अप्रिय अनुभव है। महोदय, हम सांसद जिला उद्योग केन्द्र की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। हम वहां सभापति हैं। सरकार द्वारा हमें सभापति नामांकित जाता है। परन्तु अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के सचिवव महाप्रबन्धक और जिलाधीश एक सूची लेकर हमारे पास आते हैं और कहते हं "आप इसे मंजूर करें आप इसे बदल नहीं सकते हैं, हमने सूची तैयार कर दी है।

सभापति महोदय : आपकी सूचनार्थ जिलाधीश, कार्यकारी सभापति स्वीकृति प्रदान करता है तथा आपको केवल हस्ताक्षर करने होते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मंत्री महोदय को भी यह बात पता होनी चाहिए।

सभापति महोदय : जब इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया कि यह रिजर्व बैंक का निर्देश है। उड़ीसा के वित्त मंत्री ने बताया कि यह रिजर्व बैंक का निर्देश है और आप इसको बदल नहीं सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ प्राणिग्रही : मैं आपकी टिप्पणी पर धन्यवाद करता हूं मैं इस पर आ ही रहा था। अतः केन्द्र सरकार जिसके प्रतिनिधि यहां पर मंत्री महोदय हैं, को यह पता चल जाना चाहिए कि जिला स्तर की बैठकों में संसद सदस्यों का किस प्रकार अपमान होता है। ऐसी स्थिति में आप किसी चमत्कार या वांछनीय परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं। जब वह ईमानदारी से सूची तैयार करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं कहना होता है परन्तु जब हम दौरे पर जाते हैं, तो हमसे वास्तव में बहुत सी शिकायतें की जाती हैं। उदाहरणार्थ इस ब्लाक अधिकारी ने पैसे ले लिए हैं इसने यह कर दिया है, उसने यह कर दिया है आदि। वह ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसको कि बैठक में स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

महोदय, मैं पीने के पानी की समस्या का जिक्र कर रहा था। श्री के० पी० सिंह देव ने भी यह समस्या उठायी थी। जब हमने यह पूछा कि हमें दिखाने की क्या जरूरत है जबकि उसको पहले ही तैयार किया जा चुका है तो उन्होंने कहा था कि चूंकि कोई बैठक नहीं हुई थी इसे दिखाया नहीं गया था तथा उन्होंने उन सारे गांवों को ले लिया है जहां पर कुएं नहीं थे। मैंने खड़े होकर जिलाधीश को बधाई दी तथा कहा कि "खैर आपने हमसे नहीं पूछा परन्तु यदि आपने सारे गांव ले लिए हैं, जहां पर कूंये नहीं है तो यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब कोई गांव में ऐसा नहीं है जहां पर कुआं न हो। परन्तु तभी एक पंचायत समिति का सभापति आया और बोला चूंकि मेरे क्षेत्र में एक भी टयूबवैल नहीं है मैं जिलाधिकारी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर

लें। इस तरह विवाद उत्पन्न हुआ और अधिकारियों का बयान गलत साबित हो गया अतः यदि आप सौ फीसदी अधिकारियों की रिपोर्टों पर विश्वास करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।

अब मैं एक दूसरी बात बताता हूं। 1977-80 तक 20 सूत्री कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। जनता सरकार ने इसे छोड़ दिया था। वह गरीबी उन्मूलन में विश्वास नहीं करते थे। अतः जो भी अच्छा कार्य इन्दिरा जी ने किया था उसको उन्होंने नहीं माना था तथा उसका अनुसरण नहीं किया था। 1982 में इन्दिरा जी ने एक संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम जारी किया। तब 1986 में कुछ बातों को छोड़कर कुछ नयी बातों को शामिल कर लिया गया। मैं कहूंगा कि कुछ व्यावहारिक बातों को इस कार्यक्रम में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा शामिल किया गया। वह गरीबी से संघर्ष करने व गरीबी दूर करने के लिए बेताब हैं। वह यह देखने के लिए बेताब हैं, कि भारत 21वीं शताब्दी में मुख्य भूमिका अदा करे। वह भारत को पूरे विश्व में एक अनुकरणीय उदाहरण बनाना चाहते हैं। वह उनकी चिन्ता है, हमें उनके सपनों को और उनके द्वारा व्यक्त चिन्ता को ध्यान में रखना है लेकिन नौकरशाही और शासन तन्त्र, जिस पर हम निर्भर हैं, का क्या होगा? क्या वे हमारे प्रधानमन्त्री जो बहुत आगे की सोचते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में समर्थ हैं?

गरीबी दूर करने, उत्पादन बढ़ाने, आय में असमानताएं कम करने और आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सरकार ने अपनी वचनबद्धता दोहराई है। वास्तव में यह कांग्रेस सरकार के आर्थिक दर्शन के पूर्णतया अनुरूप है। कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों और आर्थिक दर्शन का लक्ष्य समाजवाद को प्राप्त करना है। वास्तव में, जब तक गरीबी है, जब तक असंतुलन है जब तक आय और सामाजिक स्तर में असमानता है, तब तक हम समाजवाद नहीं ला सकते। साधारणतः इसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। यह इच्छा की घोषणा मात्र नहीं है, अपितु गरीबों के उद्धार का कार्यक्रम है।

जैसा आप जानते हैं, पिछले दो दिनों में हमने कृषि और किसानों की समस्याओं और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की है। कृषि मंत्री आज वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे। इन 20 सूत्रों में से चार कृषि से सम्बन्धित हैं। भारत एक कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत की प्रगति मूलतः कृषि को बढ़ावा देने तथा विकसित करने पर निर्भर करती है। इससे हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी मजबूत होगा क्योंकि उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई कृषि क्षेत्र द्वारा ही की जाती है। इसी तरह नम्बर दो का कार्यक्रम कृषि, वर्षा, सिंचाई के लिए जल का बेहतर उपयोग, अच्छी फसल और भूमि सुधार से सम्बन्धित है। ये चारों कार्यक्रम प्रत्यक्षतः कृषि से जुड़े हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में क्या समस्या है? क्या चुनौती है? मैं कल दूसरी चर्चा में बोल रहा था। जो मैंने तब कहा था मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। जैसाकि आप जानते हैं भूमि का केन्द्रीयकरण है। कुल जोत भूमि का 85 प्रतिशत भाग 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि भूखण्डों में विभाजित है जबकि कुल कृषि भूमि का लगभग 80 प्रतिशत 10 या 20 प्रतिशत लोगों के अधिकार में है। यही समस्या पूर्वी भारत में भी है। हमारे कृषि मंत्री श्री भजन लाल भारत की कृषि सम्बन्धी स्थितियों पर केवल एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं—अर्थात् हरियाणा और पंजाब के सन्दर्भ में तथा जब हम कृषि की बात करते हैं या किसानों की स्थिति को देखते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए पंजाब और हरियाणा से ध्यान हटाकर पिछड़े राज्यों, जैसे उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश के हिस्सों, उत्तर प्रदेश के हिस्सों आदि, की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए।

उत्पादकता का क्या हुआ ? उत्पादकता को बढ़ाना एक चुनौती है। जब तक उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जाता तब तक किसानों की दशा चाहे हम कुछ भी कर लें नहीं सुधरेगी। जब मैं यह कहता हूं कि फसल पर अधिक खर्च किए बिना उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि अगर आप अधिक धन खर्च करते हैं और अधिक उर्वरक डालते हैं अर्थात् उस मद पर अधिक धन खर्च करते हैं और उससे अधिक फसल होती है। इससे क्या होगा ? निसन्देह कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन यह फसल की लागत के अनुपात में नहीं होगा। निसन्देह कीमतें बढ़ रही हैं।

मूल्य बढ़ रहे हैं। आप हर साल वसूली मूल्य भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप जो वसूली मूल्य में वृद्धि करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आवश्यक वस्तुओं और आदानों, जिस पर किसान निर्भर है, के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इनके बीच कोई अनुपात नहीं है। अतः यही समस्या है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि के क्षेत्र में श्रम का महत्व स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारे अधिकारियों को गरीब किसानों, गांवों के गरीब लोगों का आदर करना अवश्य सीखना चाहिए उन्हें भूलना नहीं चाहिए वह उन गरीब लोगों के त्याग से इस स्तर पर पहुंचे हैं जो गांवों में भूखे मर रहे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं अतः उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके प्रयास से ही वे इस स्तर तक पहुंचे हैं।

उनका वेतन उन्हें उस राजकोष से मिलता है जो काफी समृद्ध है तथा गरीबी के बावजूद गांव के गरीब लोगों द्वारा उसमें योगदान दिया जाता है, चाहे उनके पास खाने के लिए रोटी है या नहीं। वे किसान लोग ही हैं जो इन लोगों के लिए भुगतान करते हैं यह वही लोग हैं जो नौकरशाहों के वेतन के लिए भुगतान करते हैं। अतः हमें उनका सम्मान करना चाहिए।

अब मैं उस महत्व के बारे में कहूंगा जो श्री राजीव गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम को दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र का परिव्यय 1,18,000 करोड़ रुपए है जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम का परिव्यय 60,500 करोड़ रुपए है जो कुल परिव्यय का 36.6 प्रतिशत है और कुल केन्द्रीय पूल में 20 सूत्री कार्यक्रमों का हिस्सा 22.6 प्रतिशत है। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार का कुल परिव्यय 22.6 प्रतिशत है और राज्यों में यह और भी अधिक है, अर्थात् 46.1 प्रतिशत है। 1987-88 के लिए कुल परिव्यय 44,698 करोड़ रुपए है जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए यह 13,507 करोड़ रुपए हैं, अर्थात् 23.4 प्रतिशत है।

सातवीं योजना के लक्ष्य के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत उस समय यह लगभग 40 प्रतिशत था। योजना के अन्त तक घटा कर इसे 28 प्रतिशत और आठवीं योजना के अन्त तक 10 प्रतिशत और वर्ष 2000 तक 5 प्रतिशत करना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि वर्ष 2000 तक कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए; 21वीं सदी और नई पीढ़ी को हमारी यही देन होनी चाहिए।

भूमि सुधार के बारे में पहले भी कहा गया है कि बहुत से मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। सरकार को इनसे निपटने के लिए उपाय ढूंढने चाहिएं। यह हास्यास्पद है कि कुछ सरकारी फार्मों में भी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित नहीं है। उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के एक कृषि फार्म में खेतिहर मजदूरों का शोषण किया जाता है। एक ठेकेदार का कहता है कि निविदा पत्रों में दिए गए मूल्य बहुत ही कम

थे । अतः उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान नहीं किया जा सकता । पीने के पानी की समस्या सुलझाने के लिए और इसे और यथार्थवादी बनाने के लिए, खण्ड स्तर की बैठकों में पी० एच० डी० इन्जीनियरों को आना चाहिए, लोगों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह करके सूची बनाई जानी चाहिए । 20 सूत्री कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है । जब तक हम आमतौर पर लोगों को और विशेष-रूप से उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करेंगे और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे, तब तक 20 सूत्री कार्यक्रम को समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

जैसाकि आप जानते हैं, भ्रष्टाचार लोकतन्त्र का दुश्मन है । यदि गरीबी इसी तरह से बढ़ती रही तो इससे लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो जाएगा ।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे कि भ्रष्टाचार किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है तथा बीस-सूत्री कार्यक्रमों को किस प्रकार सफल बनाया जाए जिन्हें हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिराजी ने शुरू किया था और वर्तमान प्रधान मन्त्री आगे चला रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, हमारे देश की गरीबी मिटाने के लिए और देश को बहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए हमारी स्व० देश की नेता इन्दिरा गांधी जी ने सन् 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की थी । 14 जनवरी, 1982 को इसको रिवाइज किया गया और तत्पश्चात् सन् 1984-85 के अन्दर जब इसका मूल्यांकन किया गया, तो यह पाया गया कि बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 मिलयन लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, उनको ऊपर उठाया गया है, लेकिन फिर भी 272 मिलियन ऐसे लोग देश के अन्दर रह गए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए हमारे देश के नेता, हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने 20 अगस्त, 1986 को इस पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अन्दर इसको बीस-सूत्रीय प्रोग्राम को रखा । अप्रैल, 1987 से जब यह प्रोग्राम रखा गया, तो उससे देश को बड़ी-बड़ी आशाएं बंधी और हमने भी इस बात पर विचार किया जिस प्रकार हमारे नेता ने इस प्रोग्राम को रखा है, उसकी कार्यान्विति हो करके हमारे देश की गरीबी मिटेगी, हमारे देश के बेरोजगार जो हैं, वे रोजगार पा जाएंगे, हमारे गांवों के अन्दर पीने के पानी की सुविधाएं होंगी, हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा और इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा, लेकिन सभापति महोदय, वास्तव में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जिस प्रकार से इस प्रोग्राम की कार्यान्विति हो रही है और हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है । अगर हम सबसे पहले इस प्रोग्राम की कार्यान्विति के कारण को ढूंढ़ें, तो हमें पता लगेगा कि सबसे पहला कारण यह है कि हमारी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी, आइडेंटीफिकेशन जो गांवों में की जाती है वह ही सही नहीं होती है । आइडेंटीफिकेशन सही न होने से जो प्रोग्राम का फायदा है, वह जिन लोगों को मिलना चाहिए, जो पैसा उनको पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है और वह पैसा बीच में ही करप्शन में और दूसरे लोगों में अटक कर रह जाता है और वह गरीब आदमी जिसके लिए इस प्रोग्राम को बनाया जाता है, वह लाभ नहीं उठा सकता है । इसके लिए इलाज यह है कि हमारे गांव के अन्दर जो प्रोग्राम की कार्यान्विति है, वह ठीक नहीं है । गरीब लोगों की जो आइडेंटीफिकेशन होती है वह ग्राम सभा में

की जाए, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल के आदमी और आफिसर सब मिलकर, पंचायत के लोगों के साथ बैठकर गांवों में उन लोगों की आइडेंटीफिकेशन करें। जब लोगों की सही आइडेंटीफिकेशन हो जाएगी तब कहीं आई० आर० डी० पी० और अन्य कार्यक्रमों का फायदा ये लोग उठा सकेंगे।

सभापति महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बाधा इसमें यह आती है कि जो भी पैसा दिया जाता है वह बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन बैंकों के माध्यम से जो पैसा और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, वे इतनी रैडटेपिज्म की होती हैं, कि गरीब आदमी को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। इसके लिए आपको उन बैंकों के रूल्स को सुधारना होगा। बैंकों से सब्सिडी आदि देने की जो प्रक्रिया है, उसको सुधारना पड़ेगा तब कहीं गरीब आदमी को उसका लाभ मिल सकता है। इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि गरीब आदमी को जो मदद आप देना चाहते हैं वह किस प्रकार से सरलता से उसको मिल जाए, इसके लिए उसकी प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा।

6.00 म० प०

सभापति महोदय, ये जितने भी प्रोग्राम हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो आपका है, वह सीमित परिवार का प्रोग्राम है। परिवार को सीमित करने का जो 20-सूत्री प्रोग्राम है, यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रोग्राम है, अगर उसका इम्पलीमैंटेशन नहीं होगा, अगर हमारे परिवार सीमित होकर देश की आबादी पर हम रोक नहीं लगा सकेंगे तो कितने ही प्रोग्राम हम करते जाएं, चाहे वे कितना ही लाभ पहुंचाने वाले हों, हमारी आने वाली पीढ़ी गिरती ही जाएगी। इसलिए फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को कारगर तरीके से प्रभाव में लाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार ज़ारी रख सकते हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 21 नवम्बर, 1988/30 कार्तिक, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

————

दी स्टील स्लेट मै० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6